त्रयोदश माला, खंड 32, अंक 17

मंगलवार, 11 मार्च, 2003

20 फाल्गुन, 1924 (शक)

FOR REFERNCE ONLY.

लोक सभा वाद - विवाद

(हिन्दी संस्करण)

बारहवां सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)

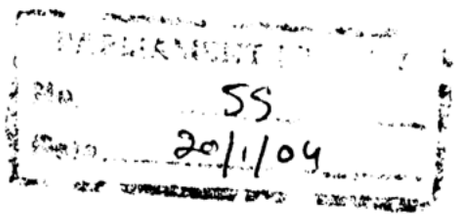

(खण्ड 32 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
सयुक्त सचिव

शारदा प्रसाद
प्रधान मुख्य सम्पादक

विद्या सागर शर्मा
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

(अग्रेजी सस्करण में सम्मिलित मूल अग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।

विषय सूची

त्रयोदश माला, खंड 32, बारहवां सत्र, 2003/1924 (शक)

अंक 17, मंगलवार, 11 मार्च, 2003/20 फाल्गुन, 1924 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 281 से 284	3-31
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 285 से 300	31-54
अतारांकित प्रश्न संख्या 2922 से 3071	54-306
सभा पटल पर रखे गए पत्र	306-315
राज्य सभा से संदेश	315-316
महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति	
ग्यारहवां प्रतिवेदन	316
सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति	
तैंतालीसवां से पैंतालीसवां प्रतिवेदन	317
श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति	
उनतीसवां प्रतिवेदन	317
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
आलू उत्पादकों को, विशेषकर उत्तर प्रदेश में, लाभकारी मूल्य न दिए जाने के कारण उत्पन्न स्थिति	
श्री रामजीलाल सुमन	320-321, 323-327
श्री अजित सिंह	321-322, 327-328
सदस्यों द्वारा निवेदन	
(एक) संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा इराक पर हमले की कथित धमकी के संबंध में भारत के रुख के बारे में	334-339
(दो) परिसीमन आयोग में सहयोजित सदस्यों के नामनिर्देशन के बारे में	342-346
नियम 377 के अधीन मामले	360-370
(एक) उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थ नगर जिले में प्रस्तावित चीनी मिल शीघ्र खोले जाने की आवश्यकता	
श्री रामपाल सिंह	361

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय कॉलम

(दो) महाराष्ट्र में चिमूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में दहेगांव में कायनामाईट खान में उत्खनन कार्य पुनः शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे 361-362

(तीन) शाकाहारी तथा मांसाहारी खाद्य सामग्री में भेद करने के लिए खाद्य सामग्री पैकेटों पर पहचान चिह्न बनाए जाने की आवश्यकता

श्री वीरेन्द्र कुमार 362

(चार) उड़ीसा में नवरंगपुर जिले में खातीगुडा में आदिवासी विश्वविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता

श्री परसुराम माझी 362-363

(पांच) केरल के वायनाड जिले में कॉफी उत्पादकों द्वारा कॉफी बोर्ड से लिए गए ऋण को माफ किए जाने की आवश्यकता

श्री के. मुरलीधरन 363

(छह) रीवा क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 की मरम्मत के प्रस्ताव को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्री सुन्दर लाल तिवारी 364

(सात) पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में प्राचीन धरोहर 'कर्ण सुवर्ण' का अनुरक्षण किए जाने की आवश्यकता

श्री अधीर चौधरी 364-365

(आठ) लार्ड कृष्णा बैंक के कार्यकरण की भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जांच कराए जाने की आवश्यकता

श्री टी. गोविन्दन 365

(नौ) आंध्र प्रदेश में हैदराबाद में प्रस्तावित भू-अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी संस्थान (जियो स्पेसियल टेक्नालॉजी इंस्टिट्यूट) की स्थापना को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

डा. मन्दा जगन्नाथ 366

(दस) महाराष्ट्र में नान्देड़ में तख्त सचखंड श्री हजूर साहेब गुरुद्वारा की 300वीं जयन्ती मनाए जाने की आवश्यकता

श्री शिवाजी माने 366

(ग्यारह) भरवारी रेलवे स्टेशन पर महानन्दा एक्सप्रेस का ठहराव उपलब्ध कराए जाने तथा उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद और कानपुर के बीच शटल रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता

श्री सुरेश पासी 367

(बारह) आवडि एचवीएफ एस्टेट में सीजीएचएस औषधालय खोले जाने की आवश्यकता

श्री ए. कृष्णास्वामी 367-368

विषय कॉलम

(तेरह) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 के नसीराबाद और महू के बीच के भाग का निर्माण शीघ्र कराए जाने की आवश्यकता

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय 368-369

(चौदह) उत्तर प्रदेश में कानपुर में लेबर कालोनियों में रह रहे श्रमिकों को स्वामित्व अधिकार दिए जाने की आवश्यकता

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल 369

(पन्द्रह) तमिलनाडु में कृष्णागिरि संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कॉयर पिथ केक इकाइयों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री वी. वेत्रिसेलवन . . . 369-370

सामान्य बजट, 2003-2004—सामान्य चर्चा
लेखानुदानों की मांगें (सामान्य), 2003-2004
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 2002-2003
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य), 2000-2001 370-441

श्री अधीर चौधरी 370-379

श्री विनय कुमार सोराके 379

श्री आर. एल. जालप्पा 380-381

श्री बीर सिंह महतो 381-382

श्री पी. डी. एलानगोवन 383-387

श्री जसवंत सिंह 387-420

सरकारी विधेयक—पारित 442

(एक) विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2003 442

विचार करने के लिए प्रस्ताव 442

श्री जसवंत सिंह 442, 444

श्री तरित वरण तोपदार 443-444

खंड 2 से 4 और 1 444

पारित करने के लिए प्रस्ताव 444

विषय	कॉलम
(दो) विनियोग विधेयक, 2003	445-446
विचार करने के लिए प्रस्ताव	445-446
श्री जसवन्त सिंह	445-446
खंड 2 से 3 और 1	446
पारित करने के लिए प्रस्ताव	446
(तीन) विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2002	446-448
विचार करने के लिए प्रस्ताव	447-448
श्री जसवन्त सिंह	446-448
खंड 2 से 3 और 1	447
पारित करने के लिए प्रस्ताव	448
माध्यस्थम बोर्ड के अधिनिर्णय को अस्वीकृत करने के सरकार के प्रस्ताव का अनुमोदन करने के बारे में संकल्प	449-454
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के इकतीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	454-455
गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प	455-478
गौ और गौवंश के वध पर पाबन्दी	
श्री प्रहलाद सिंह पटेल	455, 466-470

लोक सभा

मंगलवार, 11 मार्च, 2003/20 फाल्गुन, 1924 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

[हिन्दी]

(व्यवधान)

कुमारी उमा भारती (भोपाल) : अध्यक्ष महोदय, आज भी मध्य प्रदेश की सरकार चुनाव आयोग के निर्देशों को नहीं मान रही है। वहां संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन हो रहा है। हमारे पास पूरी लिस्ट है। एक सप्ताह हो गया है।...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, कल आपने निर्देशित किया था कि प्रश्न काल को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा।...*(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : अध्यक्ष महोदय, वर्ल्ड कप में भारत की श्रीलंका पर जीत के लिए हम भारतीय टीम को बधाई देना चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस सभा के सभी माननीय सदस्यों को स्पष्ट कर दिया है कि अब से स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं पर निर्णय प्रश्न काल के बाद दिए जाएंगे। मेरे पास स्थगन प्रस्ताव की सूचना देने वाले माननीय सदस्यों की सूची है। मैंने प्रश्नकाल को निलम्बित किए जाने और स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं अस्वीकार कर दी हैं। लेकिन मैं सूचना देने वाले सदस्यों को 'शून्य काल' के दौरान बोलने की अनुमति दूंगा।

सबसे पहले मैं प्रश्न काल लेता हूं। अतः अब प्रश्न काल शुरू होता है।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती (भोपाल) : अध्यक्ष महोदय, आप हमें अनुमति दें तो हम इसको सदन के पटल पर रख दें। आप इसकी जांच कराइए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं जीरो आवर में आपको मौका दूंगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास नाम हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सं 281, श्री पी. राजेन्द्रन।

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, चीफ इलैक्शन कमिश्नर ने जो निर्देश दिया है, उसका पालन नहीं हो रहा है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको जीरो आवर में इजाजत दूंगा।

कुमारी उमा भारती : अध्यक्ष महोदय, जीरो आवर में सबसे पहले यह मामला उठना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। कृपया मेरे साथ सहयोग करें। कल नेताओं की बैठक में भी इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार किया गया था। अतः कृपया बैठ जाएं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : अध्यक्ष महोदय, कल भी यही हुआ था कि मध्य प्रदेश से संबंधित मामला उठा था। इस विषय पर जब भी उन्हें बोलने को अवसर दें तो आप हमें भी बोलने का अवसर दें।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वह अभी नहीं हो रहा है। इसे जीरो आवर में लेंगे।

(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.02 बजे

[अनुवाद]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना

\+ 3-16

281. श्री पी. राजेन्द्रन :
श्री हरिभाई चौधरी :

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत धनराशि बढ़ाने और मानदंडों में परिवर्तन करने के लिए राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार ऐसे राज्यों के अनजुड़े क्षेत्रों को सड़क से जोड़ने को प्राथमिकता दे रही है जो उच्च मात्रा में उपकर देते हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) इस योजना के अंतर्गत दसवीं योजना के दौरान सड़कों के निर्माण के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(छ) लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कितनी धनराशि के व्यय होने का अनुमान लगाया गया है?

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री शांता कुमार) : (क) से (छ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ङ) केरल और तमिलनाडु की राज्य सरकारों से प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत वार्षिक आवंटन को क्रमशः 150 करोड़ रु. तथा 270 करोड़ रु. तक बढ़ाने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं। हरियाणा, पंजाब और केरल की राज्य सरकारों का विचार है कि डीजल उपकर की तरफ उनके अत्यधिक अंशदान को ध्यान में रखते हुए, उनके मौजूदा आवंटन को उचित रूप में बढ़ाए जाने की जरूरत है। राज्यों के बीच मौजूदा आवंटन आवश्यकता के लिए 75 प्रतिशत (देश की सड़कों से न जुड़ी कुछ बसावटों में सड़कों से न जुड़ी बसावटों का अंश) और कवरेज के लिए 25 प्रतिशत (देश की सड़कों से जुड़ी कुल बसावटों में सड़कों से जुड़ी बसावटों का अंश) के वेटेज पर आधारित है। आवंटन के मानदंड में बदलाव किया जाना अपेक्षित नहीं है।

(च) और (छ) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य 10वीं योजना अवधि के अंत (2007) तक लगभग 60,000 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से ग्रामीण क्षेत्रों में 500 व्यक्तियों से अधिक की आबादी वाली लगभग 1.60 लाख सड़कों से न जुड़ी बसावटों को अच्छी बारहमासी सड़कों से जोड़ना है। सभी राज्यों से कहा गया है कि वे पात्र बसावटों की पहचान करें और कोर नेटवर्क तैयार करें जिससे निधियों की आवश्यकता का सही अनुमान लगाया जा सके।

[अनुवाद]

श्री पी. राजेन्द्रन : महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या यह उत्तर में दी गई विसंगतियों को दूर करने पर विचार कर रही है? केरल को अत्यधिक कम धनराशि आवंटित की गई है। केरल सरकार प्रतिवर्ष तेल उपकर के रूप में 300 करोड़ रुपये का अंशदान कर रही है। जनसंख्या में केरल का तीन प्रतिशत हिस्सा है लेकिन 2500 करोड़ रुपये में से केवल 27 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। पीएमजीएसवाई के अंतर्गत यह स्पष्ट रूप से विसंगति है। केरल को और अधिक धनराशि मिलनी चाहिए। केरल सरकार ने अधिक धनराशि आवंटित करने के लिए प्रस्ताव भेजा था। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार पेट्रोल और डीजल से वसूले गए उपकर के अंशदान और जनसंख्या की प्रतिशतता को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है?

[हिन्दी]

श्री शांता कुमार : महोदय, ग्राम सड़क योजना के अंदर सैस लगने से जो आय होती है, उसमें से धन ग्रामीण सड़कों के लिए आता है। लेकिन गांवों की सड़कों को धन का आवंटन, उसका आधार 75 प्रतिशत नीड और 25 प्रतिशत कवरेज--यह एक सिद्धांत तय किया है—जिसमें देखा जाता है कि किसी प्रदेश के अंदर कितने गांव बिना सड़कों के हैं, इनका ध्यान

रखकर और कितने गांवों को सड़क मिल गई है, कितने गांव बिना सड़क के हैं, इस आधार पर 75 प्रतिशत एलोकेशन होता है। कितना वहां पर कवरेज हो गया है वह 25 प्रतिशत के आधार दिया जाता है।

जहां तक सैस का संबंध है, वह केवल सरकार की आय के लिए है लेकिन आवंटन का जो आधार है, उस आधार पर आवंटन होता है और उसी आधार पर सभी राज्यों को आवंटन किया जा रहा है।

[अनुवाद]

श्री पी. राजेन्द्रन : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस विसंगति को दूर करने पर विचार कर रही है? यह केरल जैसे राज्यों के खिलाफ भेदभाव का स्पष्ट उदाहरण है। केरल सरकार ने विभिन्न सड़कों का प्रस्ताव भेजा है। मैं जानना चाहता हूं कि केरल सरकार ने कितने सड़कों का प्रस्ताव भेजा है और इस मानदंड के अंतर्गत कितने प्रस्ताव स्वीकार किए गए हैं और केंद्र सरकार द्वारा पीएमजीएसवाई के अंतर्गत केंद्रीय सहायता हेतु कितनी सड़कें स्वीकार की गई हैं?

[हिन्दी]

श्री शांता कुमार : महोदय, मैंने कहा कि एनोमैली नहीं है, क्योंकि जो प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य है, उसके अनुसार पूरे देश में 1,60,000 गांवों को, जिनको अभी तक सड़क नहीं मिली है, सड़क से जोड़ना है। इसका आधार यह है कि कहां पर कितने गांव बिना सड़क के हैं, यह सोचकर धन का आवंटन किया जाता है। यदि सैस का आधार लिया जाए, तो सैस अधिक वहां होगा, जहां सड़कें अधिक हैं और जहां गाड़ियां अधिक चलती हैं। यदि इसको आधार माना जाए, तो इसका जो आब्जैक्टिव है, इसके पीछे जो स्पिरिट है, वह पूरी नहीं होगी।

महोदय, जहां तक केरल का संबंध है, मेरे पास सभी राज्यों का पूरा ब्यौरा है। यदि आप कहें, तो मैं संपूर्ण ब्यौरे को सदन के पटल पर रख सकता हूं जिससे स्पष्ट होगा कि कहां से कितने प्रपोजल आए और कितना हमने धन दिया।

[अनुवाद]

श्री टी. गोविन्दन : केरल सरकार अधिक उपकर दे रही है...*(व्यवधान)*

श्री पी. राजेन्द्रन : महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि केरल राज्य द्वारा भेजे गए कितने प्रस्ताव केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार किए गए हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय पूरी सूची सभा पटल पर रखने वाले हैं।

[हिन्दी]

मंत्री जी संपूर्ण ब्यौरा सदन के पटल पर रख रहे हैं। आप वहां से देख सकते हैं। उसमें सभी राज्यों का ब्यौरा है। कृपया बैठिए।

श्री हरिभाई चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री सड़क योजना के अंतर्गत अभी जो फंड्स राज्यों को मिलते रहे हैं, वे बहुत कम हैं। इसलिए जो अपने डिजाइन डिसाइड किया है, उसके अनुसार कम फंड होने से जितना अच्छा काम होना चाहिए, उतना नहीं हो पाता है। इसके अतिरिक्त कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने इस योजना की धनराशि को सड़कों की रिपेयरिंग पर व्यय कर दिया। इसलिए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस योजना के अंतर्गत जो फंड दिया जा रहा है, क्या उसका सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं?

श्री शांता कुमार : महोदय, इस योजना में जो आवंटन किया जा रहा है, उसका उपयोग बहुत संतोषजनक तरीके से हुआ है। कुल मिलाकर इस समय तक 7484 करोड़ रुपये के प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं, और 5034 करोड़ रुपये एक्चुअल रिलीज हुए हैं। उसमें से 3658 करोड रुपये खर्च हुए हैं और 1229 सड़कें पूरी तरह से निर्मित हो गई हैं। जो टोटल धन एलोकेट हुआ है, इससे 37 हजार बस्तियां (हैबीटेशन) कवर होंगी और 56 हजार किलोमीटर सडकों का निर्माण होगा। इस प्रकार कुल मिलाकर इस कार्यक्रम की जो प्रगति है वह बहुत संतोषजनक है।

महोदय, एक माननीय सदस्य ने पूछा कि प्रारंभ में, पहले साल में जो धन इस योजना के अंतर्गत दिया गया, उससे जो सड़कें बननी थीं, वे नहीं बनीं। मिनीमम बेसिक कार्यक्रम के अंतर्गत इस योजना का उद्देश्य वैसे तो ग्रामों को कनैक्टीविटी प्रदान करना है, इसके अंतर्गत अधिक से अधिक गांवों में सडकों से जोड़ा जाए, लेकिन कई जगह सड़कों के अपग्रेडेशन पर धन व्यय किया गया, लेकिन अब इस बात का ध्यान रखा जा रहा है और योजना का पहला ऑब्जैक्टिव गांवों में सड़क

बनाना और उसी को प्रियोरिटी देने का विचार सरकार ने किया है।

श्री हरिभाई चौधरी : सर, इस प्रश्न को पूछने वालों में मेरा दूसरा नाम है। इसलिए मुझे सप्लीमेंट्री पूछने का अवसर दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : नहीं चौधरी जी, सिर्फ पहले मैम्बर को सप्लीमेंट्री पूछने का अधिकार है। आप नियम जानते हैं। आप कृपया आसन ग्रहण कीजिए।

[अनुवाद]

श्री मधुसूदन मिस्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि ऐसे क्षेत्र हैं जो वन्य जीव अभ्यारण्य और आरक्षित वन की श्रेणी में आते हैं। मेरे ही निर्वाचन क्षेत्र में 18 ऐसे गांव हैं जिन्हें पीएमजीएसवाई के अंतर्गत जोड़े जाने की आवश्यकता है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि मंत्रालय उक्त सभी गांवों जो वन्य जीव अभ्यारण्य और वन्य क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं और जहां सम्पर्क कई नियमों के कारण नहीं हो पाया है को पीएमजीएसवाई के अंतर्गत संपर्क करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है। मैं इस संबंध में स्पष्ट उत्तर चाहता हूं क्योकि यह लम्बे समय से चल रहा है। मैं इस योजना के अंतर्गत इन गांवों में संपर्क स्थापित करने हेतु मंत्रालय को लिखता रहा हूं लेकिन कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि मंत्रालय द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है।

[हिन्दी]

श्री शांता कुमार : महोदय, कुछ प्रदेशों में यह समस्या है कि जिस जमीन पर से सड़क ले जाने के लिए प्रस्ताव आता है, वह भूमि उस प्रदेश या केंद्र के वन अधिनियमों के अंतर्गत आती है, जहां बिना आज्ञा के, बिना अनुमति के उस भूमि पर से सड़क निकालना मना है। इसलिए जब राज्यों की ओर से उन सड़कों के बारे में प्रस्ताव भेजे जाते हैं, तो भारत सरकार का जो वन विभाग है,...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मधुसूदन मिस्त्री : गुजरात सरकार ने मंत्रालय को लिखा है फिर भी मंत्रालय ने ऐसी भूमि को सड़कों के लिए आरक्षित सूची ने नहीं हटाया है। मैं मंत्रालय के अधिकारियों का ध्यान इस संबंध में आकृष्ट करना चाहूंगा यदि उन्हें इस संबंध में पता न हो। यह काफी समय से चल रहा है। मैं मंत्री महोदय से स्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री शांता कुमार : अध्यक्ष महोदय, वन नियमों के अंतर्गत, उनकी भूमि का उपयोग किसी अन्य काम के लिए यदि करना है तो उनसे अनुमति प्राप्त करनी पड़ती है। बहुत से राज्य अनुमति प्राप्त करने के लिए संबंधित वन विभाग को अपने प्रस्ताव भेजते हैं और उन्हें अनुमति दी जाती है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मधुसूदन मिस्त्री : जी, नहीं।

[हिन्दी]

श्री शांता कुमार : यदि आपके इस काम में कुछ विशेष कठिनाई है तो मैं कहूंगा कि आप मुझे लिखें। मैं वन विभाग से स्वयं टेकअप करूंगा। बहुत से राज्यों ने जब हमें कहा तो हमने विशेष प्रयत्न करके उन सड़कों के निर्माण के लिए अनुमति ली है। अगर आपकी कुछ विशेष समस्या है तो आप मुझ लिखें। मैं राज्य वन विभाग से टेकअप करके अनुमति प्राप्त करने की कोशिश करूंगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय के उत्तर से अब आप संतुष्ट हो जाएंगे।

[हिन्दी]

श्री शिवाजी माने : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पंथ प्रधान ग्राम सड़क योजना ग्रामीण विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के अंतर्गत सड़क निर्माण का काम महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय और जिला परिषद को सौंपा गया है। जिला परिषद की हालत आज यह है कि पहले से उनके पास इतना काम है कि वे पंथ प्रधान ग्राम सड़क योजना के काम की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनके पास इतना बड़ा इन्फ्रास्ट्रक्चर और इंजीनियर्स भी नहीं हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि अगर इस काम को जिला परिषद से निकाल कर राज्य सरकार को सौंपा जाए तो यह काम जल्दी हो सकता है। क्या केंद्र सरकार का यह काम राज्य सरकार को देने पर विचार करेगी, जिससे सड़कें बनाने का काम जल्दी पूरा हो सके?

श्री शांता कुमार : अध्यक्ष महोदय, इसका निर्णय राज्य सरकारों को करना है कि कौन सी राज्य सरकार की संस्था इन सड़कों का निर्माण करेगी। यदि माननीय सदस्य समझते हैं तो वह राज्य सरकार से बात कर लें, क्योंकि इसमें अंतिम निर्णय राज्य सरकार करती है।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन दुर्भाग्य से बहुत सी जगहों पर इसका कार्यान्वयन ठीक से नहीं हो रहा है। मैं खासकर अपनी कांस्टीट्यूएंसी के संबंध में, हाजीपुर पटना की बगल में है, दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मैं वहां गया था। यह अच्छा हुआ कि आपने एमपीज़ को ही मोनिटरिंग कमेटी का चेयरमैन बना दिया, लेकिन इस योजना के अंतर्गत अभी तक एक किलोमीटर सड़क हमारी कांस्टीट्यूएंसी में नहीं बनी है। हम जब पूछते हैं तो कहा जाता है कि साहब, गाइडलाइंस ऐसी है, कांट्रेक्टर नहीं आ रहा है, यह नहीं आ रहा है, वह नहीं आ रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि बिहार में कुल मिला कर अब तक कितनी राशि आवंटित की गई, उसमें से कितनी राशि खर्च हुई, कितने किलोमीटर रोड के लिए दी गई, कितने किलोमीटर रोड बनी तथा क्या आपको लगता है कि इसकी गाइडलांइस को चेंज करने की आवश्यकता है?

श्री शांता कुमार : महोदय, जहां तक बिहार का संबंध है, सचमुच यह चिंता का विषय है। सन 2000 में, पहले साल में हमने बिहार राज्य को 149 करोड़ 90 लाख रुपये दिए थे, जो सन 2000 में रिलीज भी कर दिए गए थे। इससे 298 सड़कें बननी थीं, नम्बर ऑफ रोड्स कंपलीट करनी थी, लेकिन हमारे पास जो रिपोर्ट है, वह जीरो है। कंपलीट रोड वर्क जीरो है। हमने जो टोटल 150 करोड़ रुपये दिए हैं, उसमें से जनवरी, 2003 तक 39 करोड़ रुपये खर्च होने की सूचना हमारे पास है, लेकिन कोई सड़क पूरी नहीं हुई है। यह भी चिंता का विषय है कि इस वर्ष बिहार राज्य हमसे एक भी पैसा नहीं ले पाया। उसका कारण यह है, शर्त यह है कि नई किश्त लेने के लिए टोटल एवेलेबल फंड्स जो प्रदेश के पास थे, उसमें से 60 प्रतिशत खर्च किया होना चाहिए और पिछले वर्ष की सड़कों में से 80 प्रतिशत सड़कों को पूरा करना चाहिए। बिहार ने कोई शर्त पूरी नहीं की, इसलिए इस साल एक भी पैसा हम बिहार को नहीं दे पाए।...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : हम क्या करें।...*(व्यवधान)* इसका नाम प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना क्यों रखा गया, इसका नाम मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना रखना चाहिए था। ...*(व्यवधान)* आपने इसका नाम प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना क्यों रख दिया?...*(व्यवधान)*

श्री कीर्ति झा आजाद : ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। इसके अंदर क्या खुद रोलर बनकर घूमें...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यहां जो प्रश्न उठाया गया है, जो राज्य सरकार ठीक तरीके से काम नहीं कर सकती है...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : राम विलास पासवान जी, मैं बोल रहा हूं। उनकी भी कुछ अड़चन हो सकती है। ऐसे समय पर लोक सभा के सदस्यों की मदद करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मंत्री जी, यह प्रश्न पूछा गया है?

श्री शांता कुमार : आपका प्रश्न बिलकुल ठीक है। विभाग को भी इसकी बहुत चिंता है। इस संबंध में अधिकारी स्तर पर 1–2 बैठकें हो चुकी हैं। कुछ माननीय सदस्यों से भी चर्चा हुई है। मैं स्वयं अगले 15 दिन के अंदर बिहार जा रहा हूं। मैंने यह तय किया है कि वहां के माननीय सांसदों को बुलाकर हम चर्चा करेंगे। इसके दो ही विकल्प हैं—या तो राज्य सरकार सड़कों का निर्माण करे या फिर राज्य सरकार और सांसद सजेस्ट करें कि भारत सरकार किसी एजेंसी से, जो सड़कों का निर्माण करती है, उसके द्वारा सड़कों का निर्माण करवाए। उसके लिए हम तैयार हैं।...*(व्यवधान)* यदि राज्य सरकार और वहां के सांसद इस प्रकार की अनुमति देंगे तो भारत सरकार केंद्रीय सरकार की एजेंसी के द्वारा बिहार की सड़कों का निर्माण कराने के लिए तैयार है।

(अनुवाद)

श्री के. मलयसामी : अध्यक्ष महोदय, इस योजना का उद्देश्य 500 से अधिक आबादी वाले क्षेत्र में संपर्क बहाल करना है। कई सड़कें हैं जिन्हें कई वर्ष पूर्व बनाया गया था। अब ये व्यवहारिक रूप से नियमित मरम्मत और रख–रखाव के कारण अस्तित्वहीन अथवा जीर्ण–शीर्ण हो गई हैं। इसके परिणामस्वरूप, अत्यधिक पुरानी बनी हुई सड़कें भी अब नहीं हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी सड़कों को इस योजना के अंतर्गत किया जाएगा। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या इस योजना का उन्नयन किया जाएगा?

[हिन्दी]

श्री शांता कुमार : महोदय, इस योजना का उद्देश्य अनकनैक्टिड विलेजेज को कनैक्टिविटी देना है। यह तय किया गया है कि प्राथमिकता तो यही रहेगी कि जो गांव 50 साल से बिना सड़क के हैं, सबसे पहले उनको संपर्क मार्ग दिया जाए, लेकिन जैसा माननीय सदस्य ने कहा, कई जिले ऐसे हैं, जहां पर कनैक्टिविटी कम्पलीट होती जा रही है तो फिर यह निर्णय किया गया है कि जिस जिले में अनकनैक्टिड विलेजेज कनैक्ट हो गए, वहां पर विलेज रोड्स के, जिस प्रकार आप कह रहे हैं, अपग्रेडेशन के लिए भी पैसा खर्च किया जाएगा। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहते हैं कि इसमें पथों के चयन की जो प्रक्रिया है, केंद्र सरकार की तरफ से एक गाइडलाइन गई है कि सांसदों से इस पर सहमति ली जाएगी, लेकिन स्थिति ऐसी है कि राज्यों में पंचायत समिति के माध्यम से जो नाम आते हैं, जैसे सदन का सत्र चल रहा है, पंचायत समिति की अगर बैठक होती है तो उसमें सांसद उपस्थित नहीं हो सकते। वैसी स्थिति में रोड की अनिवार्यता को महत्व न देकर जिससे लोग निजी तौर पर स्वयं लाभान्वित होते हैं, उस तरह की सड़क का चयन होता है और सांसदों से कभी भी सहमति नहीं ली जाती है। जैसे हमारे ही क्षेत्र में सिवान के कुछ हिस्से में न सहमति ली गई, न दो विधानसभाओं में एक भी सड़क चयनित की गई। जिस समय वेंकैया नायडू जी इस विभाग के मंत्री थे, वे बिहार में गए थे और बिहार सरकार के साथ बिहार के सांसदों की बैठक हुई थी। उसमें जो तय हुआ, बिहार सरकार ने उनकी बात नहीं मानी। मंत्री जी कहते हैं कि हम 15 दिन के बाद जाएंगे, हम सांसदों के साथ बैठक करेंगे। इस संबंध में पटना उच्च न्यायालय ने अपना एक ऑब्जर्वेशन दिया है कि अगर राज्य सरकार सही ढंग से काम नहीं करती हो तो वैसी स्थिति में केंद्र सरकार अपनी एजेंसी से काम करा सकती है। सरकार ने भी यह कहा है कि बिहार में कोई प्रगति नहीं है, रुपया खर्च नहीं हुआ है तो हम आपके माध्यम से दो सवाल माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि एम.पी. की अनुशंसा अनिवार्य रूप से लेना और यदि अनुशंसा नहीं है तो उस योजना पर क्या ये काम रोकेंगे या सिर्फ एम.पी. से ही अनुशंसा लेकर सड़क का चयन करेंगे?...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : यह क्या हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, यहां हम भी हैं। यह भाषण हो रहा है कि आप सवाल पूछने की इजाजत दे रहे हैं। यहां पर बिहार की हिस्सामारी हो रही है।...*(व्यवधान)*

ये क्या फरमा रहे हैं।...*(व्यवधान)* कोई हिसाब–किताब नहीं है। इसमें बिहार की हिस्सामारी हो रही है।...*(व्यवधान)* इस साजिश में सब लोग शामिल हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : रघुवंश जी, आप बैठिए।

(व्यवधान)

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि कृपा करके आप सब हिसाब–किताब देख लीजिए कि बिहार का हिस्सा कितना बनता है। केंद्र सरकार द्वारा बिहार की हिस्सामारी हो रही है या नहीं?...*(व्यवधान)* सब अधिकार पंचायत के हाथ में रखे हुए हैं।...*(व्यवधान)* यह सब षड्यंत्र करके हो रहा है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : रेनु कुमारी जी, आप बैठिए।

(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम जानना चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी क्या सांसदों की अनुशंसा पर कार्य करेंगे?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप अपना सीधा प्रश्न पूछिए।

(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह : चूंकि उन्होंने स्वीकार किया है कि कुछ राज्यों में काम नहीं होता है, ऐसी स्थिति में क्या केंद्र सरकार अपनी एजेंसी से बिहार में काम कराएगी? तीसरे, रघुवंश बाबू हर मामले में हल्ला करते हैं।...*(व्यवधान)** इन सबके बारे में हम जानना चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं उनके प्रश्न के अंतिम भाग को कार्यवाही–वृत्तांत से बाहर करता हूं।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, यह क्या हो रहा है? ...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही–वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे पहले ही कार्यवाही–वृत्तांत से बाहर कर दिया है।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बोलने की इजाजत नहीं दी है।

(व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के संबंध में जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, राज्यों में उन दिशा–निर्देशों का खुला उल्लंघन हो रहा है। मेरी आपसे विनती है कि इस प्रश्न पर आप आधे घंटे की चर्चा स्वीकार करें।...*(व्यवधान)* यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का उत्तर आने के बाद मैं इस विषय पर निर्णय दूंगा। हम बहस करेंगे।

(व्यवधान)

श्री शांता कुमार : अध्यक्ष महोदय, जहां तक सांसदों की सिफारिश का सवाल है, रोड मैन्युअल के अंदर पैरा 2.37, 3.4 और 4.1 में निश्चित निर्देश है कि सांसदों की सिफारिश को अधिमान देना चाहिए, उसे स्वीकार करना चाहिए।...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह : लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा है।...*(व्यवधान)*

श्री शांता कुमार : जहां तक मेरे पास सूचना है, माननीय सांसदों ने जो–जो सिफारिशें की हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभा में आपस में बातचीत न करें।

[हिन्दी]

श्री शांता कुमार : माननीय सांसदों ने जो–जो सिफारिशें अपने प्रदेश में दीं, किस प्रदेश में कितनी सिफारिशें मानी गईं, उसका पूरा ब्यौरा मेरे पास है। उस ब्यौरे के मुताबिक सारे देश में 45 परसेंट सड़कें सांसदों की सिफारिश पर चयनित की गई थीं लेकिन इसके बावजूद भी बहुत से सांसदों ने हमें कहा कि उनकी सिफारिशों को ठीक ढंग से नहीं लिया जाता। नीचे के क्षेत्र में, हमारे मंत्रालय का जो हजारों करोड़ों रुपया खर्च होता है, उसमें सांसदों का ठीक प्रकार से प्रभाव नहीं रहता, यही विचार करके, आज पूरे देश के हर जिले के अंदर विजिलेंस मानिटरिंग कमेटी बनाई गई है जिसके अध्यक्ष लोक सभा के माननीय सदस्य हैं।...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह : उसकी अभी तक कोई बैठक नहीं हो रही है।...*(व्यवधान)*

श्री शांता कुमार : उस कमेटी में ये सारी बातें आ सकती हैं। हमने पूरे अधिकार माननीय सांसदों को दिए हैं ...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने मेरे दूसरे पार्ट का उत्तर नहीं दिया।...*(व्यवधान)* हमने यह पूछा था कि हाई कोर्ट के निर्देश के आलोक में बिहार की योजना को केंद्रीय सरकार...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं इस विषय को हाफ एन ऑवर डिसकशन के लिए एलाव करूंगा। अभी आप बैठिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मेरा नीति संबंधी एक प्रश्न है...*(व्यवधान)* महोदय, प्रश्न कौन पूछेंगे?

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दूंगा। आप कृपया अपना प्रश्न पूछें।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें पता है कि पीएमजीएसवाई के अंतर्गत कार्य निष्पादन हेतु राज्य सरकारों को तीन बुनियादी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

प्रथम, क्या गांवों के बीच संपर्क कायम किए जाने में दो गांवों के बीच में नहीं भी हो सकती है, ऐसे मामले में पीएमजीएसवाई के अंतर्गत पुल संपर्क बहाल करने की अनुमति नहीं है।

इसके परिणामस्वरूप पूरी परियोजना छोड़ देनी पड़ती है। दूसरे जबकि गांवों में सड़क संपर्क दिए जा रहे हों तो इस कार्य में भूमि राज्य सरकार अथवा प्रशासन से अधिग्रहित की जाती हो और चूंकि भूमि को मुआवजा राशि पीएमजीएसवाई के अंतर्गत नहीं दी जाती है, अनेक राज्यों में ग्रामीणों को कार्य

जारी रखने के लिए राजी करने में समस्या हल होती है। मैंने यह स्थिति अपने निर्वाचन क्षेत्र में देखी है।

तीसरे मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या मंत्री महोदय को ज्ञात है कि कतिपय स्थानों पर संबंधित संसद सदस्य से विचार विमर्श करने के पश्चात पंचायत समिति अथवा जिला परिषद संसद सदस्य को दरकिनार कर देते हैं और इसे संसद सदस्य की जानकारी के बिना दिल्ली भेज देते हैं। जब तक संसद सदस्य इसे किसी अन्य स्रोत से नहीं जान जाएं उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। श्री गनी खां चौधरी और मेरे निर्वाचन क्षेत्र, दोनों ही मामले में यही हुआ है और मुझे दिल्ली आकर इसे ठीक करने के लिए विभाग से बातचीत करनी पड़ी है। आप इसमें क्या सुरक्षोपाय लाएंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जब तक संबंधित संसद सदस्य प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं यहां से धनराशि नहीं जारी की जाएगी।

[हिन्दी]

श्री शांता कुमार : जहां तक माननीय सदस्य ने कनैक्टिविटी में पुल आने की बात कही, उसका संशोधन कर लिया गया है अगर इधर भी सड़क और उधर भी सड़क, फिर यदि बीच में पुल नहीं बनेगा तो कनैक्टिविटी का मुख्य उद्देश्य पूरा नहीं होगा। आपका सुझाव स्वीकार करके यथोचित संशोधन कर लिया गया है। जहां तक सड़कों के लिए भूमि का सवाल है, भूमि देने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। या तो लोग भूमि दें या राज्य सरकार उस व्यक्ति के लिए वैकल्पिक भूमि की व्यवस्था करे, क्योंकि यदि हमने भूमि का कम्पैनसेसशन देना होगा तो फिर सड़कें बनाने की उतनी मात्रा कम हो जाएगी। जहां तक आपने एम.पीज़ की बात कही, इस किस्म की बहुत सी शिकायतें आई हैं, इसलिए हमने साढ़े पांच सौ स्थानों पर कमेटी बना दी। आप उस कमेटी की मीटिंग करके हमें बताइए। ...*(व्यवधान)* आपको पूरा अधिकार है।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैंने परियोजना कहा है और आप सतर्कता का उल्लेख कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

हमारा प्रोजैक्ट नहीं जाएगा तो कैसे होगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री शांता कुमार : कमेटी का नाम सतर्कता और निगरानी समिति, सभी योजनाओं की निगरानी।

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आपकी कमेटी को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और कोई स्टेट गवर्नमैंट मान्यता नहीं दे रही है, कोई मीटिंग बुलाने के लिए तैयार नहीं हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात स्पष्ट कर ली है।

[हिन्दी]

श्री शांता कुमार : ऐसी सूचना हमें मिली है कि कुछ प्रदेशों में इन कमेटियों ने विधिवत काम करना शुरू कर दिया है। यहां हमें इसका बहुत लाभ हो रहा है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया मंत्री महोदय को उत्तर देने दें।

[हिन्दी]

श्री शांता कुमार : माननीय सदस्य ठीक कह रहे हैं कि कुछ प्रदेशों में विधिवत कमेटियों की मीटिंग नहीं हो रही है। भारत सरकार इस बात को देखेगी और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हर राज्य को हमारे निर्देशों का पालन करना होगा और हम पालन करवाएंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : 25 से 30 सदस्य अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं। मैंने इस प्रश्न पर पहले ही आधे घंटे की अनुमति दे दी है। अतः अब मैं अगला प्रश्न लेता हूं। लेकिन मैं इस विषय पर आधे घंटे की चर्चा की अनुमति देने को तैयार हूं। आप सूचना दें और आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दूंगा।

[हिन्दी] उर्वरक 16 - 21

यूरिया उत्पादक इकाइयों का वर्गीकरण

+

***282. डा. सुशील कुमार इंदौरा :**
श्री नवल किशोर राय :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरिया उर्वरकों के मूल्य निर्धारण की नई प्रणाली के अंतर्गत यूरिया उत्पादकों इकाइयों का वर्गीकरण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो यूरिया उर्वरक उत्पादन इकाइयों का कितनी श्रेणियों में वर्गीकरण किया गया है;

(ग) ऐसी श्रेणियां बनाने के क्या मानदंड हैं;

(घ) क्या यूरिया उर्वरक उत्पादन इकाइयों को पड़ने वाली औसतन उत्पादन लागत का श्रेणीवार आकलन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

[अनुवाद]

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : (क) से (ङ) एक विवरण–पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) से (ग) यूरिया इकाइयों के लिए नई मूल्य निर्धारण नीति 1.4.2003 से लागू होगी। इस योजना के तहत समूह आधारित रियायत दरों के निर्धारण हेतु पुरानेपन और फीडस्टॉक के आधार पर इकाइयों को 6 समूहों में वर्गीकृत किया जाएगा। ये समूह हैं–1992 से पूर्व की गैस आधारित इकाइयां, 1992 के पश्चात की गैस आधारित इकाइयां, 1992 से पूर्व की नैफ्था आधारित इकाइयां, 1992 के पश्चात की नैफ्था आधारित इकाइयां, ईंधन तेल/निम्न सल्फर हैवी स्टॉक (एफओ/एलएसएचएस) आधारित इकाइयां और मिश्रित ऊर्जा आधारित इकाइयां/मिश्रित ऊर्जा आधारित समूह में गैस आधारित ऐसी इकाइयां शामिल होंगी जो 1.4.2002 को अनुमत्य 25 प्रतिशत से अधिक सीमा तक वैकल्पिक फीडस्टॉक/ईंधन का उपयोग करती हैं।

(घ) और (ङ) दिनांक 1.4.2003 को समूह रियायत दर की गणना, इकाइयों पर 31.3.2003 को लागू आंकड़ों के आधार पर की जाएगी। इसके निर्धारण के लिए 1.4.2002 के लिए अधिसूचित किए गए प्रतिधारण मूल्य को आधार के रूप में लिया जाएगा और शेष अवधि अर्थात 1.4.2002 से 31.3.2003 के लिए 8वीं मूल्यनिर्धारण अवधि के आधार पर समायोजन वित्त वर्ष 2003–04 समाप्त होने से पूर्व किए जाएंगे।

डा. सुशील कुमार इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, हमारा देश कृषि–प्रधान देश है। यहां यूरिया, खाद, उर्वरकों पर सब्सिडी की अलग महत्ता है। मैं मंत्री जी से सीधे तौर पर जानना चाहता हूं कि क्या उन इकाइयों के उत्पादन को, जिनकी उत्पादन लागत अन्य उत्पादक इकाइयों की तुलना में अधिक है, कुछ सब्सिडी देकर खाद के मूल्यों को एक स्तर पर लाने का निर्णय लिया जा चुका है? जिनकी उर्वरक लागत अधिक है और जिन इकाइयों की कम है, उनको बराबरी के लेवल पर लाने के लिए क्या निर्णय लिए जा चुके हैं? यदि हां, तो सरकार देश में यह नीति कब लागू करेगी?

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा : मैंने इसका क्लीयर जवाब दिया है कि 1.4.2003 से नई पॉलिसी लागू हो जाएगी। पहले यूनिट वाइज होता था अब ग्रुपवाइज, छः ग्रुप बनाकर, उसकी औसत निकालकर, उनकी कीमत हम एक सतह पर लाए हैं। नई पॉलिसी 1.4.2003 से शुरू हो जाएगी।

डा. सुशील कुमार इंदौरा : मेरा सवाल था कि जो ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रश्न सप्लीमैंट्री के साथ ही पूछिए।

डा. सुशील कुमार इंदौरा : मेरे प्रश्न का हां या न में जवाब नहीं आया। मैं जानना चाहता हूं कि इसकी जो उत्पादक लागत कम है, उसे बराबरी पर लाने के लिए क्या सरकार ने कोई फैसला लिया है इसका हां या न में जवाब दीजिए।

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा : फैसला इसलिए लिया गया है कि नेफ्था बेस्ड, गैस बेस्ड और मिक्स्ड एनर्जी यूनिट्स है, नेफ्था बेस्ड और गैस बेस्ड की एक कीमत नहीं हो सकती, उसे हम पूरा करते हैं। लेकिन जो यूनिट्स ज्यादा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देते थे, उसको बराबरी पर लाने के लिए नई पॉलिसी बनाई गई है।

डा. सुशील कुमार इन्दौरा : आज कृषि के क्षेत्र में सब्सिडी की एक अहम भूमिका है। अमरीका और यूरोपियन कंट्रीज अपने किसानों को, खेती को लाभान्वित करने के लिए सब्सिडी देते हैं और बहुत मात्रा तक देते हैं। उन देशों का अनुसरण करना शायद हमारे बस की बात नहीं है या हम उतनी सब्सिडी नहीं दे पाएं। लेकिन सरकार जो सब्सिडी देती है, वह सही जगह पर पहुंचे, यानी किसानों तक सब्सिडी पहुंचे। पिछले दिनों वित्त मंत्री जी ने कहा था, जो सब्सिडी सरकार देती है, वह सही मायने में किसानों तक नहीं पहुंचती। जिस तरह मंत्री जी ने हां में जवाब दिया कि जो ज्यादा लागत

वाली इकाइयां हैं, उन्हें कम उत्पादक लागत वाली इकाइयों की बराबरी में लाने के लिए ज्यादा वालों को सब्सिडी दी जाती है। इसका सीधा मतलब है कि इकाई को सब्सिडी जाती है, इससे किसानों को सीधे कैसे फायदा हो रहा है? मैं यह जानना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप इतना समय नहीं ले सकते, दूसरे सदस्यों को भी प्रश्न पूछना है। आप सीधे प्रश्न क्यों नहीं पूछते।

डा. सुशील कुमार इन्दौरा : आप इकाई को लाभ दे रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : स्ट्रेट प्रश्न पूछना एन.डी.ए. एलीज को मना है।...*(व्यवधान)*

डा. सुशील कुमार इन्दौरा : इसका अर्थ पूंजीपतियों को सब्सिडी देना है। किसानों को इसका सीधा लाभ कैसे पहुंचे, मैं यह जानना चाहता हूं। अगर वित्त मंत्री जी की बात सही है तो क्या भविष्य में कोई ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी ताकि इसका लाभ सीधे किसानों को पहुंचे।

अध्यक्ष महोदय : सीधे प्रश्न पूछेंगे तो सीधे सब्सिडी मिल जाएगी।

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा : ऐसा नहीं है कि सब्सिडी नहीं मिलती। मार्किट में एक थैले की कीमत 424 रुपये है लेकिन किसानों को 170 रुपये सब्सिडी देकर 254 रुपये देने पड़ते हैं। इसलिए 170 रुपये पर बैग किसानों को ही मिलेगा। हमने इसे राज्यों से डिस्कस किया, इंडस्ट्रीज से डिस्कस किया। पहले ईआरसी की रिकमैंडेशन थी कि किसानों को कूपन दिए जाएं। लेकिन वह भी हमने बहुत उपयोगी नहीं पाया क्योंकि छोटे किसान के पास कूपन नहीं पहुंचता। आपने पचास सालों से देख दिया है कि कूपन सिस्टम और कंट्रोल जब होता है, वह कभी छोटे किसानों के पास नहीं जाता है। चाहे छोटा किसान हो या बड़ा, हर किसान को 170 रुपये पर बैग सब्सिडी मिलती है।

डा. सुशील कुमार इन्दौरा : आप इकाई वालों को दे रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा : इकाई वालों को ही देंगे।

अध्यक्ष महोदय : ऐसे प्रश्नों का जवाब मत दीजिए जो मेरे माध्यम से नहीं आते।

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा : मैंने पहले ही आपको बताया है कि 170 रुपये प्रति बोरी सब्सिडी किसान को मिलती है।

डा. सुशील कुमार इन्दौरा : वह पूंजीपतियों को जा रही है।

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा : नहीं जा रही है।

डा. सुशील कुमार इन्दौरा : वह किसान को देनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्रीमती श्यामा सिंह : अध्यक्ष महोदय, यूरिया का अंतर्राष्ट्रीय मूल्य भारतीय मूल्य से लगभग पचास प्रतिशत कम है। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय को इसकी जानकारी है। मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या यूरिया का मूल्य प्रतिधारण मूल्य से अत्यधिक कम है? यदि यह ठीक है तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या राजसहायता का लाभ किसानों को प्राप्त हो रहा है अथवा उद्योग को? यह धनी को और अधिक धनी और गरीबों को और अधिक गरीब बनाने जैसा है। क्या यह किसानों के लिए लाभकारी है अथवा उद्योग के लिए? मंत्री महोदय कृपया अपना उत्तर दें।

[हिन्दी]

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा : मैं माननीय सदस्या को बताना चाहता हूं कि सभी यूनिट्स इम्पोर्ट प्राइस ज्यादा नहीं लेतीं। 32 यूनिट्स में 12 यूनिट्स ऐसी हैं जो इंटरनेशनल प्राइस से कम कीमत पर प्रोड्यूस करती हैं। जो यूनिट्स बहुत पुरानी हैं, जैसे नाफ्था बेस्ड यूनिट्स हैं, उनकी कीमत बहुत ज्यादा है। इसीलिए हमने ग्रुप सिस्टम शुरू किया है। पहले यूनिट सिस्टम था। उसके अंतर्गत कोई यूनिट 16,000 रुपये प्रति मीट्रिक टन लेती थी, कोई छः हजार रुपये प्रति मीट्रिक टन लेती थी। इसलिए हमने ग्रुप सिस्टम बनाया, जिसमें दो किस्म के ग्रुप—एक तो नाफ्था बेस्ड हैं, दूसरा गैस बेस्ड और मिक्स्ड एनर्जी बेस्ड बना दिए हैं। इसलिए इंडस्ट्री को सब्सिडी के रूप में हम जो पैसा देते थे, उसमें कमी हुई है। किसान को उसी रेट पर मिल रहा है। हमने इंडस्ट्री से ही पैसा लिया है। जब मैंने इस मंत्रालय का कार्यभार संभाला, उस समय इंडस्ट्री ने और संसद की स्थाई समिति ने भी सिफारिश की थी कि इंडस्ट्री में पैसे के मामले में गड़बड़ी होती है। हमने सन 2000 में इंटरमि रिअसेस केपेसिटी की कराई और 16 यूनिट से 461 करोड़ रुपये वसूल किए। नवम्बर, 2001 में इंटरिम रिवीजन आफ कंजप्शन नार्म्स को कंट्रोल किया। उससे

742 करोड़ रुपये सब्सिडी, जो इंडस्ट्री को देते थे, वह कम हुई है। नई प्राइस पालिसी, जो आगामी तीन अप्रैल से शुरू होगी, उससे हर साल 680 करोड़ रुपये सब्सिडी कम होगी। इसीलिए नई पालिसी बनाई गई है।

श्रीमती श्यामा सिंह : स्माल फार्मर्स के बारे में बताइए?

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा : वह सबको मिलेगी। पूरे भारत में एक ही रेट पर सभी किसानों को मिलती है।

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाइं : महोदय, मेरा मंत्री महोदय से प्रश्न यह है कि श्रीमती श्यामा सिंह के प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा है कि विश्व में कुछ ऐसे देश हैं जहां यूरिया उत्पादन की लागत भारत से अधिक है। यदि कतिपय देशों में यूरिया उत्पादन की लागत अधिक है तो हम इस यूरिया का अपने देश में आयात क्यों कर रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा : यह तो मैंने कहा ही नहीं। मैंने इम्पोर्ट पैरिटी की बात कही थी। 12 यूनिट जो इम्पोर्ट करती है उसके बारे में मैंने बताया था। यह प्रश्न उससे अलग है।

[अनुवाद] महाविद्यालय + विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

लेक्चररों/रीडरों/प्रोफेसरों की भर्ती 21-25

***283. श्री श्रीनिवास पाटील** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि निजी प्रबंधन वाले वित्त–पोषित संबद्ध कालेजों में अक्सर अध्यापकों का उचित तरीके से चयन नहीं किया जाता और प्रबंधन उनका शोषण करता है;

(ख) यदि हां, तो क्या यूजीसी/एआईसीटीई ने लेक्चररों/रीडरों/प्रोफेसरों की भर्ती हेतु सेवा आयोगों के गठन हेतु राज्य सरकारों को कोई अनुदेश दिए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्चतर शिक्षा में मानकों का समन्वय करने, उनका निर्धारण करने और अनुरक्षण करने संबंधी अपने सांविधिक दायित्व का निर्वहन करते हुए विश्वविद्यालयों और कालेजों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए दिशा–निर्देश निर्धारित किए हैं। ये दिशा–निर्देश केंद्रीय अधिनियम अथवा राज्य अधिनियम के द्वारा अथवा उसके अधीन स्थापित अथवा निगमित प्रत्येक विश्वविद्यालय पर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (च) के अधीन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त प्रत्येक संस्था जिसमें उसका संघटक अथवा संबद्ध कालेज भी शामिल है, पर तथा उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन सम विश्वविद्यालय दर्जा प्राप्त प्रत्येक संस्था पर लागू होते हैं। ये दिशा–निर्देश क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को सम्प्रेषित कर दिए गए हैं, तथापि, राज्यों में कालेजों को सम्बद्धन राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान किया जाता है और यह संबंधित राज्य सरकार/राज्य विश्वविद्यालय का दायित्व है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके क्षेत्राधिकार के भीतर स्थित कालेजों जिनमें वे संबद्ध कालेज भी शामिल हैं जिनकी प्रबंधन व्यवस्था/वित्त पोषण गैर–सरकारी अभिकरणों द्वारा किया जाता है, में शिक्षकों का चयन निष्पक्ष आधार पर किया जाए।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

श्री श्रीनिवास पाटील : महोदय, हालांकि शिक्षकों के चयन के संबंध में दिशा–निर्देश प्रकाशित हैं फिर भी नियुक्ति से पहले बढ़ते हुए कदाचार विशेषकर धन के रूप में डोनेशन प्राप्त करने की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को ऐसी संस्थाओं द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पैसे लेने के संबंध में ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या जांच कराई जा रही है और कितने मामलों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ऐसे गैर–सरकारी और अन्य संबद्ध महाविद्यालयों को वित्त अनुदान बंद कर दिया है?

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी : सबसे पहले हमें यह समझना

होगा कि महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में नियुक्ति के क्या प्रावधान हैं? जो राज्यों के विश्वविद्यालय हैं उनके ऊपर यूजीसी की व्यवस्थाएं होती हैं और उन्हीं के हिसाब से वहां चयन होता है। जो राजकीय विद्यालय हैं, उनमें विभिन्न राज्यों की अपनी अलग व्यवस्थाएं बनी हुई हैं और उन्हीं के आधार पर चयन होता है या फिर वहां पर चयन पब्लिक सर्विस कमीशन से होता है। जिन महाविद्यालयों को हम वित्तीय अनुदान देते हैं, उनके लिए अनेक राज्यों में हायर सर्विस सिलैक्शन बोर्ड बनाया गया है, लेकिन जो विद्यालय न तो सरकार से पैसा पाते हैं न ही किसी प्रकार की वित्तीय सहायता पाते हैं, अपना सिलैक्शन करते समय ऐसी कोई गड़बड़ी करते होंगे तो उनकी शिकायत राज्य सरकारों के पास आयेगी। राज्य सरकारों ने हमें अभी तक ऐसी किसी शिकायत के बारे में सूचित नहीं किया है और न ही ऐसी कोई शिकायत हमारे पास इस समय विचाराधीन है। अगर ऐसी कोई शिकायत आएगी या आप हमारे संज्ञान में लाएंगे तो निश्चित ही हम राज्य सरकारों को लिखेंगे कि वे इस विषय में कार्यवाही करें।

श्री श्रीनिवास पाटील : अगर कोई सीधे शिकायत आती है तो केंद्र सरकार क्या उस पर कार्यवाही नहीं कर सकती है। टीचर्स की नियुक्ति में एक लाख से दो लाख रुपये तक लिए जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय : उनके पास शिकायत ही नहीं आई है तो कैसे करेंगे?

डा. मुरली मनोहर जोशी : आप शिकायत हमारे संज्ञान में लाएंगे तो हम जांच करेंगे।

[अनुवाद]

डा. (श्रीमती) बीट्रिक्स डिसूजा : महोदय, संविधान के अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अल्पसंख्यक संस्था स्थापित करने और इन्हें चलाने का अधिकार है। लेकिन कई वर्षों से अल्पसंख्यकों के ये अधिकार प्रबंधन अधिकार में बदल गए हैं और इसका अधिकार उन लोगों को नहीं मिल पा रहा है जिनके लिए वास्तविक रूप से ये लागू होते हैं। अतः अल्पसंख्यक अध्यापकों को न्याय पाने के लिए न्यायालय जाना पड़ता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि क्या यूजीसी का दिशानिर्देश अल्पसंख्यक संस्थानों पर भी लागू होगा?

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी : श्रीमन, इस संबंध में भी उच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया है। उस निर्णय की समीक्षा करने के लिए हमने एक समिति बनाई है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद हम यह निर्धारित कर सकेंगे कि माइनोरिटीज इंस्टीट्यूशंस में सरकार क्या कर सकती है। वैसे यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार दिया है कि प्रबंधन का अधिकार कुप्रबंधन का अधिकार नहीं है। हम यह बात बार-बार उनके संज्ञान में लाते रहे हैं कि जो भी गाइडलाइंस बनाई जाएं, वे गाइडलाइंस एप्लीकेबल होनी चाहिए। अभी तक व्यवस्था यह थी कि माइनोरिटीज इंस्टीट्यूशंस में जो नियुक्तियां होती थीं वे करते तो अपने हिसाब से थे लेकिन ऊपर प्रतिबंध था कि मैरिट को ध्यान में रखा जाए। अब सुप्रीम कोर्ट के नए निर्णय के पश्चात परिस्थिति में बदलाव आया है। हमारी समिति की रिपोर्ट आ जाएगी तो हम फिर से समीक्षा करेंगे कि क्या होना चाहिए। यह बात सही है कि किसी भी माइनोरिटीज या मैजोरिटी की संस्था में अगर नियम विरुद्ध काम होता है तो सरकार उसके खिलाफ कदम उठाएगी।

[अनुवाद]

श्री पी. एच. पांडियन : अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने हेतु मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

विश्वविद्यालय के शिक्षकों, आचार्यों की नियुक्ति हेतु पी. एचडी. की उपाधि अनिवार्य है। पूर्व के दिनों में डाक्टरेट शोधकार्य में कोई नई खोज अथवा अन्वेषण हो सकता था और शोधपत्र का एक स्तर होता था। अब कतिपय विषयों के ऐतिहासिक अध्ययन पर भी शोधार्थियों को यह उपाधि मिल रही है। क्या यू.जी.सी. पी.एचडी. की उपाधि हेतु कोई स्तर निर्धारित करेगा। अन्यथा ऐसे पी.एचडी. के आधार पर आचार्यों और शिक्षकों की नियुक्ति के सकारात्मक परिणाम नहीं प्राप्त होंगे। अब प्रत्येक व्यक्ति डाक्टरेट की उपाधि से विभूषित है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या पी.एचडी., एल.एल.डी., डाक्टरेट आफ लिट्रेचर अथवा इस प्रकार की किसी डिग्री की उपाधि देने हेतु कोई उचित स्तर स्थापित है। पी.एचडी. की उपाधि प्राप्त करने हेतु मूल चिंतन का होना आवश्यक है।

महोदय, सरकार यह सुनिश्चित करे अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सलाह दे ताकि केवल मूल चिंतन अथवा मूल लेखन वाले लेखकों को ही पी.एचडी. की उपाधि दी जा सके।

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी : श्रीमन, जहां तक सवाल

है कि शोध प्रबंधन के बाद उनको डिग्री मिलती है, शोध प्रबंधन की गुणवत्ता और क्वालिटी के संबंध में समय–समय पर यूनिवर्सिटी आगाह करती रहती हैं। इसी कारण से एक नेट एग्जामिनेशन विश्वविद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति के लिए अनिवार्य किया गया है। उसका तात्पर्य यह है कि जिससे यह पता लग जाए कि जो भी व्यक्ति लैक्चरर बनने के लिए आ रहे हैं, वे एक न्यूनतम स्तर को अवश्य प्राप्त कर सकें। अब केवल समय की ही बात है, जब तक पी.एचडी. के लिए विश्वविद्यालयों में एग्जेम्पशन मिला हुआ है, अन्यथा नेट एग्जामिनेशन कम्पलसरी होगा और उसी के आधार पर नियुक्ति होगी।

[अनुवाद]

भारतीय इतिहास कांग्रेस
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण

इतिहास की नई पाठ्य-पुस्तकें परिषद्

25 - 31

+

***284. श्री राजो सिंह :**

श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इतिहास कांग्रेस (आईएचसी) ने जनवरी, 2003 में अमृतसर में आयोजित अपने 63वें वार्षिक अधिवेशन में राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रकाशित विभिन्न कक्षाओं के लिए इतिहास की नई पाठ्य–पुस्तकों की जांच हेतु एक समिति के गठन के लिए सर्वसम्मत संकल्प पारित किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति द्वारा इतिहास की नई पाठ्य–पुस्तकों के बारे में कोई अनुशंसा की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) सरकार को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रकाशित इतिहास की नई पाठ्य–पुस्तकों की जांच हेतु एक समिति के गठन के संबंध में भारतीय इतिहास कांग्रेस के संकल्प के संबंध में समाचार पत्रों में छपी खबरों का संज्ञान है। इस संबंध में और घटनाक्रम की जानकारी सरकार के संज्ञान में नहीं लाई गई है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

श्री राजो सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि सरकार ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रकाशित इतिहास की नई पाठ्यपुस्तकों की जांच हेतु एक समिति का गठन किया है और भारतीय इतिहास के संकल्प के संबंध में संज्ञान तो है, लेकिन सरकार के नोटिस में इस संबंध में और घटनाक्रमों की जानकारी नहीं लाई गई है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने अपनी तरफ से इस महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी एकत्रित करने के लिए कदम उठाए हैं? अगर नहीं उठाए हैं, तो इसके कारण क्या हैं? अगर इस समिति ने कोई रिपोर्ट दी है, तो उसका ब्यौरा क्या है? साथ ही अगर सरकार को जानकारी नहीं है, तो क्या सरकार इस तरह की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेगी?

डा. मुरली मनोहर जोशी : श्रीमन, जहां तक इतिहास की पुस्तकों में कुछ शोध का प्रश्न है, मैं इसी सदन में माननीय सदस्यों के समक्ष यह बात रख चुका हूं कि जितनी भी त्रुटियां हमारे संज्ञान में लाई गई थीं, उनको संशोधित कर दिया गया है।

श्री राजो सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि माननीय शिक्षा मंत्री विद्वान हैं और प्रोफेसर भी रहे हैं।...*(व्यवधान)* पिछले वर्ष एनसीईआरटी ने इतिहास की नई पुस्तकें प्रकाशित कीं। इन पुस्तकों में इतिहास का पूरा ढांचा ही परिवर्तित करने की कोशिश की गई है। बच्चों की विस्तृत जानकारी को भारतीय तथ्यों तक ही सीमित रखने की कोशिश की गई है। आज के इस युग में हम किस ओर जा रहे हैं। वसुधैव कुटुम्बकम के संदेश को प्रसारित करने तथा भारत की वर्तमान पीढ़ी को किस दिशा में ले जाने की तैयारी है। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इतिहास के साथ इस प्रकार की सीमित सोच से छोड़छाड़ का उद्देश्य क्या है? क्या सरकार अपने इन उद्दश्यों को प्राप्त करने में सफल हुई है?

डा. मुरली मनोहर जोशी : महोदय, जब एनसीईआरटी ने पाठ्यक्रम बनाया, तो उसमें इस बात का ध्यान रखा गया कि छात्रों पर पुस्तकों का बोझ कम हो और इसीलिए पुस्तकों का पुनर्गठन किया गया। अब इतिहास, भूगोल और समाज विज्ञान के साथ कुछ कक्षाओं तक पढ़ाया जाता है और आगे बड़ी

कक्षाओं में इतिहास अलग से पढ़ाया जाता है। इसलिए छोटी कक्षाओं की जो पुस्तकें हैं, उनमें पाठ्यक्रमों को संशोधित किया गया है। उस हिसाब से पुस्तकों में इतिहास का पाठ्यक्रम कुछ कम होगा लेकिन यह बात गलत है कि उसमें केवल भारत का इतिहास पढ़ाया जा रहा है, विश्व का नहीं। अलग-अलग कक्षाओं में अलग-अलग ढंग से उसे पढ़ाया जा रहा है। शुरू में प्रदेश का इतिहास होता है, फिर देश का इतिहास होता है, फिर एशिया, यूरोप का इतिहास होता है और फिर विश्व का इतिहास होता है। इन्हें क्रमशः पढ़ाया जाता है। मैं निश्चित रूप से आश्वासन देना चाहता हूं कि हम आधुनिकतम ज्ञान और आजकल जिसे कॉनटैम्पोरेरी वर्ल्ड कहते हैं, वह भी पढाते हैं और वह भी उसका एक अंग है।

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर का तैलीय चित्र वहां लगाया।

अध्यक्ष महोदय : इसका प्रश्न से क्या संबंध है?

श्री मोहन रावले : मेरा कहना है कि इसे इतिहास के साथ जोड़ना चाहिए।...*(व्यवधान)* यदि इस सदन को इस बारे में पता नहीं है तो सुन लीजिए। अध्यक्ष महोदय, इनको मालूम नहीं है कि वीर सावरकर कौन थे? सावरकर जी के बारे में श्री सुभाष चन्द्र बोस ने सिंगापुर रेडियो में कहा था कि उन्हें सावरकर जी से प्रेरणा मिली है। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई यातनाएं झेलीं और उन्हें दो बार जन्मठेप हुई थी। मेरे ख्याल में विश्व में बहुत कम क्रांतिकारियों ने इतनी यातनाएं झेली होंगी। सावरकर जी ने एक किताब "1857 स्वतंत्रता समर" लिखी थी जो क्रांतिकारियों के हाथों में भगवत गीता जैसे थी।

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है?

श्री मोहन रावले : सावरकर जी के बारे में लोगों में जो गलतफहमी है, उसे साफ करके सही इतिहास लोगों के सामने आना चाहिए। वीर सावरकर जी ने कहा था कि जब तक सशस्त्र सेना और पुलिस बल को कमजोर नहीं किया जाएगा तब तक हिंदुस्तान को वास्तविक स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। यह प्रेरणा उन्हें सावरकर जी से मिली, ऐसा क्रांतिकारी भी कहते थे। लॉर्ड माउंटबेटन ने हिंदुस्तान छोड़ते समय कहा था कि वह हिंदुस्तान इसलिए छोड़ रहे हैं कि अब सेना पर हमारा कंट्रोल नहीं है। कांग्रेस वाले कहते हैं कि हमें खून बहाए बिना स्वतंत्रता मिली। जो क्रांतिकारियों का इतिहास है, जो सावरकर जी का इतिहास है, वह सही इतिहास है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : रावले जी, आप प्रश्न पूछिए। नहीं तो मैं अगले प्रश्न पर आ जाऊंगा। आप सीधा मंत्री जी से प्रश्न पूछिए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : अध्यक्ष महोदय, इसका इस प्रश्न से क्या संबंध है?

अध्यक्ष महोदय : मैंने यही पूछा कि इसका मूल प्रश्न से क्या संबंध है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : रावले जी, आपको उनकी तरफ देखने की जरूरत नहीं है। आप मंत्री जी से प्रश्न पूछिए।

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय, वीर सावरकर के नाम पर कांग्रेस ने डाक टिकट भी निकाला था।...*(व्यवधान)* क्या मंत्री जी सही इतिहास को किताबों में इनक्लूड करने वाले हैं?

डा. मुरली मनोहर जोशी : अध्यक्ष महोदय, किसी व्यक्ति के योगदान का उल्लेख इतिहास की किताबों में किया जाए या न किया जाए, ऐसा सरकार निर्देश नहीं देती है लेकिन सरकार एक नीति बनाती है और उसके अनुसार, हम एनसीईआरटी को यह बता चुके हैं कि पाठ्यक्रम में, पाठ्यपुस्तकों में इस बात का ध्यान रखा जाए कि भारत की स्वाधीनता के लिए जिन्होंने योगदान किया है, वे चाहे जिस क्षेत्र के हों, चाहे जिस जाति के हों, चाहे जहां से आते हों, वे क्रांतिकारी हों अथवा उन्होंने असहयोग आंदोलन में काम किया हो, उन सबका विधिवत और यथोचित स्थान इतिहास में रहना चाहिए। यह प्रश्न विवादास्पद हो जाता है कि किसने माफी मांगी? कोई कहता है कि साम्यवादी उनसे मिल गए थे और कोई कुछ कहता है। इनका निर्णय सरकार नहीं कर सकेगी।... *(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय, वीर सावरकर के निधन के बाद इंदिरा जी ने कहा था कि वह एक देशभक्त थे। अतः उनके बारे में गलतफहमी दूर होनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न मोहन रावले जी ने उपस्थित किया है और मंत्री जी उसका उत्तर देना चाहते हैं। उनका उत्तर आने दिया जाए। बाद में जो कोई प्रश्न पूछना चाहे, पूछ सकता है। रावले जी का उत्तर आने के बाद मेरे पास श्रीमती जयाबहन ठक्कर का नाम है। मैं उनको प्रश्न पूछने

का समय देने वाला हूं। मंत्री जी, आप अपना उत्तर पूरा कीजिए।

डा. मुरली मनोहर जोशी : अध्यक्ष महोदय, इसलिए इसका निर्णय सरकार नहीं करती है। यह अभिलेखों के आधार पर इतिहासकार करते हैं। जो इतिहास के तथ्य होंगे, उसके आधार पर निर्णय होगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। प्रश्न समाप्त हुआ।

[हिन्दी]

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री दासमुंशी जी, आप बैठिए। आप एक पार्टी के लीडर हैं।

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि क्या पश्चिमी बंगाल सरकार ने अपने राज्य में इतिहास की पुस्तकों में कोई संशोधन किया है? अगर हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

डा. मुरली मनोहर जोशी : अध्यक्ष महोदय, कुछ तथ्यों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया गया था। पश्चिमी बंगाल में कक्षा–6 की इतिहास की पुस्तकों में वर्णित तथ्यों के बारे में बतलाया गया है कि वहां की सरकार कुछ उसमें संशोधन करना चाहती है। उस पुस्तक में कुछ ऐसे तथ्य थे–जैसे नील नदी का उद्गम, बजाय अपने उद्गम के, समुद्र की ओर जाते हुए, समुद्र से उसका उद्गम है। इस प्रकार की...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मंत्री महोदय का उत्तर संगत होना चाहिए। माननीय सदस्य असंगत प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। यह उचित नहीं है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, उत्तर दे रहे हैं, आप लोग प्लीज बैठिए।

डा. मुरली मनोहर जोशी : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास पूरा ब्यौरा है, उसका पूरा विवरण है कि वहां पाठ्यक्रम में आगे क्या पढ़ाया जा रहा है। जहां तक चीन...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, आप अपना उत्तर जल्दी पूरा कीजिए।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : माननीय मंत्री महोदय गंभीर नहीं हैं। उन्हें गंभीर रहना चाहिए...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : यह मुद्रण की भूल थी। इसे सुधार दिया गया है।...*(व्यवधान)*

इस भूल को सुधारा जा चुका है। वे उस भूल का उल्लेख कर रहे हैं? यह मुद्रण की भूल थी। पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री ने इसमें पहले ही सुधार कर दिया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न पर माननीय मंत्री महोदय उत्तर दे रहे हैं। इसमें क्रोध करने की क्या बात है?

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी : अध्यक्ष महोदय, इसका अर्थ यह है कि...*(व्यवधान)* यह वर्षों से पढ़ाया जाता रहा है। मेरे पास पूरा ब्यौरा है। यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं सदन के पटल पर रख दूंगा, वहां जो त्रुटियां पाई गई हैं। मेरा कहना है कि अगर वे उन त्रुटियों में सुधार कर रहे हैं तो अच्छी बात है लेकिन पिछले कई वर्षों से वही पढ़ाया जा रहा है और वहां की पुस्तकों...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मंत्री महोदय को सदन को गुमराह नहीं करना चाहिए...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : शरद पवार जी, आप प्रश्न पूछिए।

श्री शरद पवार : अध्यक्ष जी, मोहन रावले जी ने जो सवाल उठाया, मैं उससे सहमत हूं कि वीर सावरकर की सही स्थिति इतिहास में लाने की आवश्यकता है। वीर सावरकर जी ने साइंस एंड टेक्नीलॉजी का समर्थन किया। गाय एक उपयुक्त पशु है, उन्होंने उससे ज्यादा उसे महत्व दिए जाने की आवश्यकता बतलाई। उन्होंने गौ–मूत्र को रिलीजियस महत्व देने को गलत बताया लेकिन गधे के मूत्र और गाय के मूत्र में फर्क नहीं, ऐसा उन्होंने कहा। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि वीर सावरकर ने विज्ञान के आधार पर समाज को क्या बताया,

इतिहास का हिस्सा बनाए जाने के लिए कहा, उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

डा. मुरली मनोहर जोशी : मुझे यह पता नहीं कि सम्माननीय सदस्य गौ मूत्र के स्थान पर गधे के मूत्र को कितना महत्व देते हैं, यदि वीर सावरकर ने ऐसा कहा, कहां तक उसकी अनुपालना करते हैं—मुझे इसकी जानकारी नहीं है लेकिन यह बात सत्य है कि सम्माननीय वीर सावरकर जी ने देश के लिए जो कुछ किया और हमारे सम्माननीय सदस्यों ने उनके बारे में जिस प्रकार से आदरसूचक विचार व्यक्त किए, वे इस बात का प्रतीक हैं कि वीर सावरकर का स्थान देश के स्वाधीनता युद्ध में मूर्धन्य है और इसलिए मैं स्वयं श्री शरद पवार... *(व्यवधान)*

(अनुवाद)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(अनुवाद) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद

क्रेडिट आधारित मूल्यांकन प्रणाली

प्रश्नों के लिखित उत्तर 31-33

***285. श्री डा. एम. वी. वी. एस. मूर्ति :**
प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 17.2.2003 के 'दि हिंदुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित समाचार के अनुसार सरकार का विचार उच्च शिक्षा, जिसमें सभी प्रौद्योगिकी संस्थाएं सम्मिलित हैं, में 2003–04 के शैक्षिक सत्र से वर्तमान प्रणाली के स्थान पर 'क्रेडिट' आधारित प्रणाली लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रणाली के कब तक लागू होने की संभावना है; और

(घ) इस प्रणाली के लाभ क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (घ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, जिसे परीक्षा पत्रों के मूल्यांकन हेतु मानक तथा मानदंड निर्धारित करने का अधिकार प्राप्त है, ने नवम्बर, 2002 में आयोजित कार्यकारी समिति की बैठक में इस मामले पर विचार किया और निर्णय लिया कि अधिमानतः शैक्षिक सत्र 2003–2004 से, लेकिन 2004–2005 के बाद नहीं, सभी तकनीकी संस्थानों में क्रेडिट आधारित मूल्यांकन प्रणाली लागू की जाए। क्रेडिट आधारित प्रणाली एक मॉड्यूलर प्रणाली है जो छात्रों को उनके संपूर्ण अध्ययन कार्यक्रम के दौरान पसंदीदा विषयों का चयन करने की स्वतंत्रता प्रदान करती है। इस प्रणाली के अंतर्गत मूल्यांकन ग्रेडिंग तथा संचयी ग्रेड अंक औसत पर आधारित होता है जो किसी भी समय पूरे किए गए सभी सैमेस्टरों हेतु ग्रेड अंक औसत होता है। यह शैक्षिक कार्यक्रम प्रदान करने वाली तथा मूल्यांकन करने वाली एक ऐसी प्रणाली है जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अपनी स्थापना के समय से ही इस प्रणाली का अनुसरण कर रहे हैं।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने निर्णय लिया है कि वह तकनीकी संस्थानों के लिए क्रेडिट आधारित प्रणाली का एक मॉडल प्रस्तुत करेगी। इस प्रयोजनार्थ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने प्रतिष्ठित शिक्षाविदों को शामिल करके एक संचालन समिति गठित की है। इस संबंध में जागरूकता सृजित करने और अनुभवों का आदान–प्रदान करने के प्रयोजनार्थ देश के विभिन्न भागों में कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

क्रेडिट आधारित प्रणाली के मुख्य फायदे इस प्रकार हैं :

- यह प्रणाली छात्रों को अपनी क्षमतानुसार पाठ्यक्रम पूरा करने की स्वतंत्रता प्रदान करती है।
- यह पाठ्यक्रमों के चयन की स्वतंत्रता प्रदान करती है।
- इसमें क्रेडिट संचयन की व्यवस्था है जिसके परिणामस्वरूप छात्र आगे की पढ़ाई कर सकते हैं तथा शिक्षा व्यवस्था के किसी भी स्तर पर प्रवेश ले सकते हैं।
- इस प्रणाली में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की व्यवस्था है जिसमें संपूर्ण अध्ययन काल शामिल होता है।

● यह मूल्यांकन प्रणाली में पारदर्शिता लाती है।

● यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य प्रणाली है।

[हिन्दी]

स्वजल धारा योजना 33-35

286. श्री ताराचन्द भगोरा :
कुंवर अखिलेश सिंह :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "स्वजल धारा योजना" के अंतर्गत ग्रामीण पेयजल परियोजना के क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक राज्य को आवंटित धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या संसद सदस्यों ने इस परियोजना के लिए एमपीएलएडी योजना से कोई धनराशि दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में राज्यों को कोई दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री शांता कुमार) : (क) से (ङ) स्वजलधारा–एक मांग जनित, समुदाय आधारित और भागीदारीपूर्ण योजना है जो माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 25.12.2002 को शुरू की गई थी। स्वजलधारा को देश की सभी कवर न की गई (एनसी), और आंशिक रूप से कवर की गई बसावटों (पीसी) में कार्यान्वित किया जाना है ताकि उन ग्रामीण लोगों को, जहां सामुदायिक भागीदारी मौजूदा है, कम से कम 40 ली. जल प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपलब्ध कराया जा सके। स्वजलधारा में ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों को पेयजल मुहैया कराने का भी प्रावधान है। सभी राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से आग्रह किया गया था कि वे भारत सरकार को विचार–विमर्श एवं स्वीकृति हेतु अपने प्रस्ताव भेजें। स्वजलधारा योजना चालू वर्ष के लिए मांग आधारित मोड पर कार्यान्वित की जा रही है। कुल परिव्यय के साथ स्वीकृत योजनाओं की राज्य–वार संख्या एवं योजनाओं के लिए सामुदयिक अंशदान संलग्न विवरण में दिया गया है।

स्वजलधारा के अंतर्गत, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास (एमपी–लैड) योजना से निधियों के अंशदान की सिफारिश कर सकते हैं ताकि सरकारी विद्यालयों में पेयजल आपूर्ति योजनाओं को चलाने के लिए पूंजी लागत का 10/5 प्रतिशत (जैसा भी मामला हो) और वास्तविक सामुदायिक भागीदारी के बीच उत्पन्न अंतर को दूर किया जा सके। कुछ संसद सदस्यों ने एमपी–लैड योजना से वित्तपोषित किए जाने वाले विद्यालयों की सूची भेजी है, जिसे आगे बढ़ाने के लिए संबंधित राज्य सरकारों को भेज दिया गया है।

इस संबंध में राज्य सरकारों को दिशानिर्देश जारी किए गए हैं ताकि प्रस्तावों को आगे बढ़ाया जा सके और इन्हें विमर्श हेतु भारत सरकार को प्रस्तुत किया जा सके। 5.12.2002 को हुए राज्य मंत्रियों के सम्मेलन में, सभी राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों को स्वजलधारा दिशानिर्देशों और सरकारी विद्यालयों में पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एमपी–लैड स्कीम से दी जाने वाली निधियों के बारे में जानकारी दी गई थी।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	स्वीकृत योजनाओं की संख्या	कुल परिव्यय	सामुदायिक अंशदान	भारत सरकार का अंश
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	976	65.61	6.126	59.05
2.	असम	38	4.65	0.39	4.18
3.	गुजरात	30	1.844	0.627	1.66
4.	हरियाणा	2	0.269	0.046	0.2448
5.	हिमाचल प्रदेश	473	18.98	0.8658	17.08
6.	कर्नाटक	60	4.11	0.3983	3.699
7.	केरल	128	9.23	0.914	8.3
8.	मध्य प्रदेश	44	2.0138	0.634	1.82
9.	महाराष्ट्र	786	94.23	9.5615	84.8
10.	उड़ीसा	309	9.014	0.322	8.1134
11.	राजस्थान	35	4.125	0.385	3.7125
12.	तमिलनाडु	238	10.024	0.8806	9.02

1	2	3	4	5	6
13.	उत्तर प्रदेश	666	16.905	2.4726	15.214
14.	पश्चिम बंगाल	55	3.656	0.0678	3.293
15.	दादरा और नगर हवेली	1	0.09983	0.00998	0.098
	कुल	3841	244.7606	25.70058	220.2847

जीन के संबंध में अनुसंधान 35–36

*287. **श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि करोड़ों रुपये खर्च करने के बावजूद जीन अनुसंधान के क्षेत्र में कोई विशेष उपलब्धि नहीं मिली है, जैसा कि 6 जनवरी, 2003 को "राष्ट्रीय सहारा" में खबर प्रकाशित हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और गत दो वर्षों के दौरान इस पर कुल कितनी धनराशि व्यय हुई है;

(ग) पिछले दिनों संपन्न हुई विज्ञान कांग्रेस के आम अधिवेशन में भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा कुल कितने शोध–पत्र प्रस्तुत किए गए;

(घ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में किसी संदर्शी कार्य योजना का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र की व्यापक संभावनाओं को देखते हुए इस क्षेत्र को देश में 1982 से उच्च प्राथमिकता दी गई है। तीन अनुसंधान जैवप्रौद्योगिकी का एक अभिन्न अंग है, जिसके अंतर्गत मानव, पशु पादप तथा जीवाणु आते हैं। इस क्षेत्र में किए गए निवेश के जरिए कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर), परमाणु ऊर्जा विभाग, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा इस क्षेत्र में अनुसंधान को प्रति वर्ष लगभग 300–400 करोड़ रुपये के निवेश के साथ सहायता प्रदान की जा रही है। हालांकि इस क्षेत्र में एक लंबी समयावधि अंतर्निहित है, फिर भी 1982 से कई महत्वपूर्ण सफलताएं तथा उपलब्धियां हासिल हुई हैं। कुष्ठ रोग के टीके, संक्रामक बोवाइन, रिनोट्रेकाइटिस (आईबीआर) टीके तथा कई नैदानिक किटें, अर्थात एचआईवी–I तथा II के लिए वेस्टर्न इम्युनोब्लॉट तथा एरिथ्रोकाइट्स आमापनों के नेकेड आइ संश्लेषण, हेपेटाइटिस–सी तथा अल्फा फीटो प्रोटीन आकलन के लिए एलिसा पहले ही बाजार में उपलब्ध हैं, जिसमें जैव प्रौद्योगिकी के हल्के विकल्प जैसे जैवउर्वरक, जैवकीटनाशी, उत्तक संवर्धित पादप, हर्बल उत्पाद आदि भी शामिल हैं। मात्र लगभग 4 वर्षों में जैवप्रौद्योगिकी विभाग की मदद से 36 प्रौद्योगिकियां उद्योग को अंतरित की जा चुकी हैं।

(ग) हाल ही में बंगलोर में आयोजित भारतीय विज्ञान कांग्रेस के पूर्ण सत्र तथा क्षेत्रीय संगोष्ठी में भारतीय विशेषज्ञों द्वारा जीन अनुसंधान तथा जैवप्रौद्योगिकी के अत्यंत अग्रणी क्षेत्रों में कम से कम 24 शोध पत्र प्रस्तुत किए गए थे। अनेक युवा वैज्ञानिकों ने वैज्ञानिक पोस्टरों के जरिए जीन तथा जीनोमिक्स के बारे में अपने अनुसंधान कार्यों पर भी प्रकाश डाला। इस क्षेत्र में भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा किए गए उच्च स्तरीय अनुसंधान की काफी प्रशंसा हुई।

(घ) और (ङ) सितम्बर, 2001 में एक संकल्पना दस्तावेज तैयार किया गया था जिसमें बहुत से राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के सहयोग से तैयार की गई एक 10 वर्षीय संदर्शी योजना की रूपरेखा दी गई है। इसके आधार पर जैवप्रौद्योगिकी विभाग ने 10 वीं पंचवर्षीय योजना तैयार की है। वार्षिक योजना प्रस्ताव इन्हीं पर आधारित हैं और तदनुसार ही उन्हें कार्यान्वित किया जाता है।

[अनुवाद]

खनिज खनन में पंचायतों की भूमिका

*288. **श्रीमती श्यामा सिंह :** 36–39
श्री नरेश पुगलिया :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने प्रमुख खनिजों के खनन लाइसेंस देने के लिए स्थानीय निकायों को आमंत्रित करने संबंधी केंद्र सरकार के प्रस्तावों को नामंजूर कर दिया है, जैसा कि 24 जनवरी, 2003 के 'दि बिजनेस स्टैंडर्ड' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में केंद्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार का विचार पंचायती राज संस्थाओं को खनन अधिकार देने संबंधी अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) से (ङ) केंद्र सरकार ने पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 (पंचायत अधिनियम, 1996) को 24.12.1996 को अधिसूचित किया। अधिनियम की धारा 4 (क) में यह व्यवस्था है कि 'अनुसूचित क्षेत्रों में गौण खनिजों के लिए पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टे प्रदान करने से पूर्व उपयुक्त स्तर पर ग्राम सभा या पंचायतों की सिफारिशें प्राप्त करना अनिवार्य बनाया जाएगा तथा अधिनियम की धारा 4 (एल) में यह व्यवस्था है कि 'नीलामी द्वारा गौण खनिजों के विदोहन के लिए रियायतें प्रदान करने के लिए उपयुक्त स्तर पर ग्राम सभा या पंचायतों की पूर्ण सिफारिश प्राप्त करना अनिवार्य बनाया जाएगा। पंचायत अधिनियम, 1996 के लागू होने के बाद राज्य सरकारों को अपने गौण खनिज रियायत नियमावली संशोधित करने का परामर्श दिया गया था ताकि इनके प्रावधानों को पंचायत अधिनियम, 1996 के अनुरूप बनाया जा सके।

खनिज रियायतें प्रदान करने के मामले में स्थानीय निकायों को शक्तियां देने से संबंधित मुद्दे की समीक्षा करने और इस पर पुनः बल देने के लिए खनिज सलाहकार परिषद की 21.9.2002 को हुई 27वीं बैठक में इस मामले पर चर्चा की गई। परिषद ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की कि राज्य सरकार को राज्य गौण खनिज रियायत नियमावलियों में पंचायत अधिनियम, 1996 के उपबंधों को सम्मिलित करना चाहिए तथा गौण खनिजों के लिए खनिज रियायतें प्रदान करने के मामले में राज्यों के गैर-अनुसूचित क्षेत्रों तक भी स्वैच्छिक रूप से पंचायत अधिनियम, 1996 की मूल भावना का विस्तार किया जाए। कुछ राज्य सरकारों ने परिषद को सूचित किया कि इन उपबंधों का पहले से ही कार्यान्वयन किया जा रहा है। राज्य सरकारों को चार सप्ताह के अंदर अपने राज्यों में इन उपबंधों के कार्यान्वयन की मौजूदा स्थिति दर्शाने वाले कागजात भेजने का परामर्श दिया गया ताकि इन राज्यों के खनन और भू-विज्ञान मंत्रियों के सम्मेलन में इस मामले पर विचार किया जा सके।

उसके बाद इस मामले में उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए मंत्रालय के अपर सचिव की अध्यक्षता में एक कार्य बल गठित करने का निर्णय लिया और इसमें राज्य सरकारों, संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और जनजातीय मामलों में विशेषज्ञों को सदस्य बनाया गया, ताकि इस मामले में राज्यों के खनन और भू-विज्ञान मंत्रियों के सम्मेलन में विचार किया जा सके।

उक्त कार्य बल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह सुझाव दिया गया कि अनुसचित क्षेत्रों में गौण खनिजों के लिए खनिज रियायतें प्रदान करने हेतु ग्राम सभाओं की पूर्व सिफारिशें अनिवार्य बनाने हेतु दिशा-निर्देश तैयार किए जाएं तथा राज्य सरकारों द्वारा गैर-अनुसूचित क्षेत्रों में गौण खनिजों के लिए खनिज रियायतें प्रदान करने हेतु इसी प्रकार के दिशा-निर्देशों पर विचार किया जाए। कार्य बल ने यह भी सिफारिश की कि जब तक खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में उपयुक्त प्रावधान नहीं किए जाते तब तक प्रमुख खनिजों के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में पूर्वेक्षण लाइसेंस (पीएल)/खनन पट्टा (एमएल) प्रदान करने से पूर्व राज्य सरकारें सुझाए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन करें।

22.1.2003 को हुए राज्यों के खनन और भू-विज्ञान मंत्रियों के सम्मेलन में कार्य बल की रिपोर्ट पर विचार किया गया। खनिज रियायतें प्रदान करने के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में पंचायती राज निकायों को शामिल करने की वांछनीयता तथा इसके कार्यान्वयन के व्यावहारिक पहलू दोनों पर विस्तृत चर्चा की गई। तथापि, इस मामले में कोई आम सहमति नहीं हुई। कुछ राज्यों का विचार था कि राज्यों को गैर-अनुसूचित क्षेत्रों में गौण खनिजों तथा प्रमुख खनिजों के लिए खनिज रियायतें प्रदान करने के मामलों में निर्णय लेने के उनके अधिकार और उत्तरदायित्व बने रहने चाहिए। अंत में यह वांछनीय माना गया कि राज्यों के मंत्रियों की एक समिति को पंचायत अधिनियम, 1996 के अंतर्गत राज्यों को दिए गए अधिकारों और उत्तरदायित्वों पर इस आशय पर विचार करना चाहिए कि क्या गौण खनिजों के लिए खनिज रियायतें प्रदान करने के मामलों में उपयुक्त स्तर पर ग्राम पंचायत या ग्राम सभा से परामर्श करना चाहिए।

सम्मेलन में लिए गए निर्णय के अनुसार खान मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है जिसमें आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान राज्यों के खनन

और भू–विज्ञान मंत्रियों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। समिति के विचारार्थ विषयों में कार्य बल द्वारा दिए गए निम्नलिखित सुझावों पर विचार करना और सिफारिशें देना होगा :

(i) अनुसूचित क्षेत्रों में गौण खनिजों के लिए खनिज रियायतें प्रदान करने के संबंध में पंचायत अधिनियम, 1996 को प्रभावी बनाने हेतु दिशा–निर्देश।

(ii) राज्य सरकारों द्वारा गैर–अनुसूचित क्षेत्रों के लिए गौण खनिजों के संबंध में इसी प्रकार के दिशा–निर्देशों को अपनाना।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 39-40

*289. **श्री सुनील खां** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक परिपत्र के माध्यम से सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों तथा सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को बजटीय आवश्यकताओं का कम से कम दस प्रतिशत जुटाने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने महाविद्यालय/विश्वविद्यालय प्राधिकारियों से वायदा किया है कि जितनी धनराशि वे जुटाएंगे, उन्हें उतनी ही धनराशि 'मैचिंग ग्रांट' के रूप में दी जाएगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) महाविद्यालय/विश्वविद्यालय प्राधिकारियों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ङ) व्यय सुधार आयोग ने अपनी नौवीं रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ–साथ सामान्य उच्चतर शिक्षा के लिए शुल्कों को उपयुक्त स्तर तक बढ़ाने, निर्धन एवं मेधावी छात्रों को छात्रवृत्तियां देने तथा अतिरिक्त संसाधनों के कुछ भाग को अत्यधिक महत्वपूर्ण व तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु व्यय करने के लिए शैक्षिक संस्थाओं को दिए जा रहे अनुदान को निर्धारित करने की वर्तमान पद्धति को बदलने की सिफारिश की है।

इस समय विश्वविद्यालयों द्वारा जुटाए गए संसाधनों के 25 प्रतिशत तक अंशदान देने की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजना नौवीं पंचवर्षीय योजना से लागू है जिसमें अंशदान की अधिकतम सीमा 25.00 लाख रुपये रखी गई है। 'आयोग' ने एक समिति का भी गठन किया है जो आंतरिक संसाधनों से अधिक निधियां जुटाने वाली संस्थाओं को प्रोत्साहन देने हेतु सिफारिशें प्रस्तुत करेगी।

[हिन्दी] भूमि-अभिलेख

भूमि संबंधी रिकार्डों का कम्प्यूटरीकरण

*290. **डा. मदन प्रसाद जायसवाल** : 40-42
डा. एन. वेंकटस्वामी :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में भूमि संबंधी रिकार्डों को कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक राज्य–वार और जिले–वार कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त योजना के अंतर्गत किए गए कार्यों की समीक्षा की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री शांता कुमार) : (क) से (ग) जी, हां। भूमि रिकार्डों के कम्प्यूटरीकरण के केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना का मुख्य उद्देश्य भू–स्वामियों, काश्तकारों को मांग किए जाने पर स्वामित्व संबंधी ब्यौरे की कम्प्यूटरीकृत प्रतियां उपलब्ध कराना है। यह एक मांग आधारित योजना है, अतः नौवीं योजना के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। नौवीं योजना अवधि के दौरान योजना के अंतर्गत 259 जिलों तथा 2787 तहसीलों/तालुकों/ब्लॉकों को लाया गया था तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 169.14 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी। कुल मिलाकर इस योजना के तहत देश के 582 जिलों तथा 2970 तहसीलों/तालुकों/ब्लॉकों को शामिल किया गया है तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 263.51 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। इस योजना के अंतर्गत शामिल किए

गए जिलों तथा तहसीलों/तालुकों/ब्लॉकों की (राज्य–वार) संख्या को दिखाने वाला विवरण संलग्न है।

(घ) और (ङ) देश में भूमि रिकोर्डों के कम्प्यूटरीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इस योजना के कार्यान्वयन की राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के राजस्व मंत्रियों/सचिवों के सम्मेलनों, विडियो कान्फ्रेंसिंग, क्षेत्र अधिकारियों के निरीक्षणों तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्टों के जरिए नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	शामिल किए गए जिलों की संख्या	शामिल की गई तहसीलों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	23	308
2.	अरुणाचल प्रदेश	14	0
3.	असम	23	27
4.	बिहार	37	0
5.	गुजरात	25	226
6.	गोवा	1	11
7.	हरियाणा	19	64
8.	हिमाचल प्रदेश	12	37
9.	जम्मू–कश्मीर	14	0
10.	कर्नाटक	27	177
11.	केरल	14	63
12.	मध्य प्रदेश	45	257
13.	महाराष्ट्र	35	330
14.	मणिपुर	8	0
15.	मेघालय	0	0
16.	मिजोरम	9	23
17.	नागालैंड	8	0
18.	उड़ीसा	30	171
19.	पंजाब	17	0
20.	राजस्थान	32	241
21.	सिक्किम	4	9
22.	तमिलनाडु	29	206
23.	त्रिपुरा	4	14
24.	उत्तर प्रदेश	70	300
25.	पश्चिम बंगाल	17	341
26.	छत्तीसगढ़	16	98
27.	झारखंड	22	66
28.	दादरा और नगर हवेली	1	0
29.	दिल्ली	9	0
30.	पांडिचेरी	1	0
31.	चंडीगढ़	1	0
32.	दमन और दीव	1	1
	योग	582	2970

[अनुवाद]

ग्रामीण क्षेत्र 42-43

ग्राम विकास की गांधीवादी अवधारणा

*291. **श्री ए. ब्रह्मनैया** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गांधीवादी विकास की संपूर्ण नई अवधारणा को लागू करने के लिए किसी गांव का चयन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन राज्यों में ऐसे गांवों का चयन किया गया है;

(ग) क्या इस योजना के साथ कोई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी संबद्ध की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना के अंतर्गत अब तक क्या उपलब्धि प्राप्त हुई है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री शांता कुमार) : (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किसी भी गांव को गांधीवादी विकास की अवधारणा लागू करने के लिए लक्ष्य नहीं बनाया है। तथापि, मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के दिशा–निर्देशों में यह व्यवस्था है कि लाभार्थियों/कार्यों का चयन ग्राम सभाओं द्वारा किया जाए।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान 43

***292. प्रो. रीता वर्मा** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान के पास खानों में, विशेष रूप से झारिया में, भूमिगत आग को फैलने से रोकने हेतु कोई कार्य योजना है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) 10वीं योजना के दौरान सीएमआरआई का झरिया कोयला क्षेत्रों के आपदा निवारण और प्रबंधन हेतु व्यापक प्रौद्योगिकियां विकसित करने का प्रस्ताव है। इस परिकल्पित प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य विशेष रूप से कुछेक झरिया खदानों के मूल्यांकन, पृथकीकरण और अग्निशमन के संबंध में उपयुक्त प्रौद्योगिकी पैकेज विकसित करना है। यह प्रस्ताव 'सिद्धांतगत' अनुमोदन हेतु योजना आयोग के विचाराधीन है।

[अनुवाद]

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के संबंध में सर्वेक्षण 43-44

***293. प्रो. ए. के. प्रेमाजम :**
श्री राम प्रसाद सिंह :

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की पहचान के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त सर्वेक्षण का राज्य वार परिणाम क्या रहा;

(ग) यदि नहीं, तो यह सर्वेक्षण कब तक पूरा हो जाने की संभावना है; और

(घ) कौन सी एजेंसी यह सर्वेक्षण कर रही है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री शांता कुमार) : (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय आठवीं पंचवर्षीय योजना से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों का निर्धारण करने के लिए प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के शुरू में राज्य सरकारों के माध्यम से गरीबी की रेखा से नीचे की जनगणना करवाता है। मंत्रालय के कार्यक्रमों के अंतर्गत दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लक्ष्यांकन हेतु गरीबी की रेखा से नीचे के ग्रामीण परिवारों का निर्धारण करने के लिए गरीबी की रेखा से नीचे की जनगणना, 2002 वर्ष 2002 के दौरान शुरू हो चुकी है।

(ख) गरीबी की रेखा से नीचे की जनगणना, 2002 अभी पूरी नहीं हुई है।

(ग) राज्यों को सलाह दी गई है कि वे गरीबी की रेखा से नीचे की जनगणना को 31 मार्च, 2003 तक पूरा कर लें।

(घ) गरीबी की रेखा से नीचे की जनगणना राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों के माध्यम से की जाती है।

[हिन्दी]

भूमि सुधार

भूमि/सुधार 44-46

***294. प्रो. पुक्ता भगत :**
श्री बीर सिंह महतो :

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में भूमि सुधार केवल कागजों में ही हुआ है जिसके परिणामस्वरूप भूमि का बेनामी कारोबार होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और किन–किन राज्यों से भूमि के बेनामी कारोबार की सूचना मिली है;

(ग) कितनी अतिरिक्त भूमि को अभी भूमिहीन श्रमिकों में वितरित किया जाना बाकी है; और

(घ) नौवीं योजना के दौरान भूमि सुधार संबंधी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री शांता कुमार) : (क) से (घ) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची–II (राज्य सूची) की प्रविष्टि संख्या 18 के अंतर्गत की गई व्यवस्था के अनुसार भूमि और इसके प्रबंधन का विषय पूर्णतया राज्यों के विधायी और प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। केंद्र सरकार इस क्षेत्र में एक सलाहकार और समन्वयक की भूमिका अदा करती है। विभिन्न राज्यों द्वारा बिचौलियों को समाप्त करने, भूमि की अधिकतम सीमा लागू करके भूमि वितरित करने, काश्तकारों/बटाईदारों को सुरक्षा प्रदान करने, भूमि जोतों की चकबंदी करने आदि जैसे उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए कानून बनाए गए हैं। मुख्य उपलब्धियां निम्नानुसार हैं :

- 150 लाख एकड़ भूमि के संबंध में बिचौलियों को समाप्त किया गया है तथा 200 लाख कृषकों को स्वामित्वाधिकार प्रदान किए गए हैं।
- 156.3 लाख एकड़ भूमि के संबंध में 124.2 लाख काश्तकारों के अधिकारों को संरक्षित किया गया है।
- अधिकतम सीमा से फालतू 53.9 लाख एकड़ भूमि क्षेत्र को 56.5 लाख ग्रामीण गरीबों को वितरित किया गया है, जिन में से 50 प्रतिशत लाभार्थी अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के हैं।
- पात्र ग्रामीण गरीबों को 147.4 लाख एकड़ सरकारी बंजर भूमि तथा 21.7 लाख एकड़ भूदान भूमि भी वितरित की गई है।
- देश में 1633.4 लाख एकड़ क्षेत्र की चकबंदी की गई है।
- 4.3 लाख एकड़ अंतरित भूमि अनुसूचित जनजातियों को वापस दिलाई गई है।

उपर्युक्त तथ्यों से यह पता चलता है कि भूमि सुधार संबंधी विभिन्न उपायों के कार्यान्वयन में पर्याप्त प्रगति हुई है जिससे देश में भूमि संबंधी व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। अतः यह कहना सही नहीं है कि भूमि सुधार केवल कागजों में ही हुआ है जिसके परिणामस्वरूप भूमि का बेनामी कारोबार हुआ है। अधिकतम सीमा से फालतू 9.0 लाख एकड़ भूमि विभिन्न कारणों से अभी वितरित की जानी है।

इसके अलावा, नौवीं योजना के दौरान अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के वितरण सहित भूमि सुधार संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों की गति को बढ़ाने की दृष्टि से राजस्व सचिवों/राजस्व मंत्रियों के सम्मेलनों सहित विभिन्न मंचों पर समय–समय पर इस संबंध में समीक्षा की गई थी। इसके अलावा विडियो कान्फ्रेंस आयोजित किए गए थे तथा इस मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा क्षेत्र निरीक्षण भी किए गए थे। राज्यों से इन उपायों के कार्यान्वयन में तेजी लाने तथा इस मंत्रालय को तिमाही प्रगति रिपोर्टें प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

प्राथमिक शिक्षा 46

***295. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :**
श्री सुन्दर लाल तिवारी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य–वार ऐसे जिलों की संख्या क्या है जिनमें अभी तक प्राथमिक शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की गई है; और

(ख) इस योजना के अंतर्गत उक्त जिलों को कब तक शामिल किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था से रहित देश में कोई जिला नहीं है।

[अनुवाद]

पेयजल की कमी 46 – 49

***296. श्री विक्रम केशरी देव :**
श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में उन क्षेत्रों की पहचान की है जहां पेयजल की अनुपलब्धता गंभीर समस्या बन गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) देश की कुल जनसंख्या की तुलना में इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की प्रतिशतता कितनी है;

(घ) उक्त क्षेत्रों में पेयजल की वार्षिक मांग कितनी है;

(ङ) क्या सरकार ने आगे पड़ने वाले सूखे की स्थिति को देखते हुए प्रत्येक राज्य, विशेषकर उड़ीसा के जिलों में, पेयजल की भारी कमी का आकलन किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा दसवीं योजना अवधि के दौरान इन क्षेत्रों में पेयजल समस्या के समाधान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं और इसके लिए कितने बजटीय आवंटन का अनुमान लगाया गया है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री शांता कुमार) : (क) से (छ) 18 राज्यों ने सूखे की स्थिति की वजह से उत्पन्न पेयजल अभाव की समस्या के बारे में सूचित किया है। ये राज्य हैं–आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू–कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश और प. बंगाल। सूखा प्रभावित जिलों की संख्या को दर्शाने वाला राज्य–वार विवरण संलग्न है।

संबंधित राज्यों द्वारा सूखा प्रभावित जिलों में रहने वाले लोगों के ठीक–ठीक प्रतिशत की जानकारी नहीं मिली है। तथापि, 18 राज्यों के 471 जिलों में से, प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार 392 जिले सूखा प्रभावित हैं।

पेयजल की मांग एक जगह से दूसरी जगह अलग–अलग होती है। तथापि, भारत सरकार ने त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति (एआरडब्ल्यूएसपी) में अपनाए गए मानदंड के अनुसार मनुष्यों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 40 लीटर जल की मांग को स्वीकार कर लिया है। सूखे की वजह से उत्पन्न पेयजल के अभाव को दूर करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। तथापि, कृषि मंत्रालय में भारत सरकार आपदा राहत कोष और राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि के अंतर्गत निधियां रिलीज करती है। पेयजल आपूर्ति एआरडब्ल्यूएसपी के अंतर्गत निर्धारित 5 प्रतिशत निधियों के जरिए राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करता है। भारत सरकार सूखा प्रभावित राज्यों में केंद्रीय दल भेजती है ताकि पेयजल के अभाव सहित सूखे की स्थिति की जांच की जा सके। राज्यों का दौरा करने वाले विभिन्न दलों की रिपोर्टों के अनुसार, प्राकृतिक आपदाओं एवं आकस्मिक स्थिति की वजह से उत्पन्न आकस्मिकताओं से निपटने के लिए राज्यों को एआरडब्ल्यूएसपी के तहत निर्धारित 5 प्रतिशत निधियों में से वित्तीय सहायता दी गई है। सूखा प्रभावित राज्यों को एआरडब्ल्यूएसपी में से रिलीज की गई ऐसी निधियों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

(लाख रु. में)

1	गुजरात	453.00
2.	हिमाचल प्रदेश	890.00
3.	कर्नाटक	157.68
4.	मध्य प्रदेश	367.08
5.	उड़ीसा	311.25
6.	राजस्थान	1200.00
	कुल	3379.01

सूखा तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल की समस्या को हल करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि 1.4.2002 से दसवीं योजना के दौरान प्रत्येक वर्ष एआरडब्ल्यूएसपी के अंतर्गत निधियों का 5 प्रतिशत प्राकृतिक आपदाओं एवं आकस्मिक स्थिति से उत्पन्न आकस्मिकताओं से निपटने के लिए निर्धारित किया जाएगा।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	राज्य में जिलों की संख्या	राज्य सरकार द्वारा घोषित सूखा प्रभावित जिलों की सं.
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	23	22
2.	छत्तीसगढ़	16	16
3.	गुजरात	25	13
4.	हरियाणा	19	19
5.	हिमाचल प्रदेश	12	12
6.	जम्मू–कश्मीर	14	अभी घोषणा नहीं की गई है

1	2	3	4
7.	झारखंड	22	22
8.	कर्नाटक	27	24
9.	केरल	14	11
10.	मध्य प्रदेश	45	33
11.	महाराष्ट्र	35	33
12.	उड़ीसा	30	30
13.	पंजाब	17	17
14.	राजस्थान	32	32
15.	तमिलनाडु	29	28
16.	उत्तरांचल	13	13
17.	उत्तर प्रदेश	70	64
18.	पश्चिम बंगाल	28	3
	कुल	471	392

कम्प्यूटर शिक्षा शिक्षा, कम्प्यूटर 49-51

***297. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में कम्प्यूटर शिक्षा के विकास के लिए ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा कुल कितनी धनराशि देने की सिफारिश की गई है;

(ख) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों के दौरान सरकार ने वित्त आयोग द्वारा राज्यों को स्वीकृत धनराशि का आधा हिस्सा भी राज्यों को नहीं दिया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा स्कूलों में कम्प्यूटर प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए अविलम्ब धनराशि जारी करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) वित्त आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार ग्यारहवें वित्त आयोग ने स्कूली बच्चों के कम्प्यूटर प्रशिक्षण के लिए 2000–05 के दौरान राज्यों को 245.53 करोड़ रुपये की राशि के अनुदानों की सिफारिश की है। राज्यों से अपनी कार्य योजनाएं तैयार करने की अपेक्षा की जाती है और अनुमोदन के बाद आयोग द्वारा राज्यों को अनुदान जारी किए जाते हैं। प्रारंभ में, 2000–01 के लिए अनुशंसित अनुदान का 25 प्रतिशत अनुदान राज्यों को तदर्थ आधार पर जारी किया गया था। उन राज्यों जिन्हें गत तीन वर्षों के दौरान वित्त आयोग द्वारा अनुदान संस्वीकृत किए गए हैं, की एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(घ) वित्त आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार राज्यों को जारी किए गए दिशा–निर्देशों के अनुसार संशोधित कार्य योजना तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र, प्राप्त हो जाने पर आयोग राज्यों को और अनुदान जारी करेगा। अभी पांच राज्यों, अर्थात असम, गुजरात, झारखंड, मणिपुर तथा उड़ीसा को विधिवत अनुमोदित कार्य योजनाएं भेजनी शेष हैं। दो राज्यों, अर्थात मेघालय तथा उत्तरांचल से कहा गया है कि वे विस्तृत कार्य योजना भेजें और एक राज्य, अर्थात सिक्किम से कहा गया है कि वह अपनी कार्य योजना से संबंधित अपेक्षित स्पष्टीकरण भेजे। आयोग ने राज्यों से कहा है कि वे अपेक्षित सूचना शीघ्र भेजें।

विवरण

(रु. लाख में)

राज्य	व्यय वित्त आयोग द्वारा 2000–05 के लिए अनुशंसित अनुदान	जारी किए गए अनुदान 2000–2001	2001–2002	2002–2003
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	989.00	99.44		790.56
अरुणाचल प्रदेश	559.00	56.21		446.89
असम	989.00	99.44		
बिहार	1591.00	159.98		479.92
छत्तीसगढ़	688.00	69.18		550.02
गोवा	86.00	17.30	17.29	
गुजरात	1075.00	108.09		

1	2	3	4	5
हरियाणा	817.00	82.15	246.45	
हिमाचल प्रदेश	516.00	51.88		155.66
जम्मू–कश्मीर	602.00	121.06		
झारखंड	774.00	77.83		
कर्नाटक	1161.00	233.48	233.47	
केरल	602.00	60.53	181.59	
मध्य प्रदेश	1935.00	389.14	389.12	
महाराष्ट्र	1505.00	151.33	453.98	
मणिपुर	387.00	38.91		
मेघालय	301.00	30.27		
मिजोरम	344.00	69.18	69.18	
नागालैंड	344.00	69.18	69.18	171.24
उड़ीसा	1290.00	129.71		
पंजाब	731.00	73.50	73.50	
राजस्थान	1376.00	276.72	276.71	
सिक्किम	172.00	17.29		
तमिलनाडु	1247.00	125.39		1121.61
त्रिपुरा	172.00	17.29		51.89
उत्तर प्रदेश	3010.00	302.66	907.96	
उत्तरांचल	559.00	56.21		
पश्चिम बंगाल	731.00	147.00	147.01	
कुल	24553.00	3130.35	3065.44	3467.89

भूमिहीन

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत भूमिहीनों को रोजगार 51-52

*298. **श्री अशोक ना. मोहोल :**
श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के साथ विलय कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस योजना के अंतर्गत रोजगार देने में ग्रामीण भूमिहीनों की अनदेखी की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या केंद्र सरकार का विचार ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम को पुनः शुरू करने का है;

(च) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री शांता कुमार) : (क) जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को 25 सितम्बर, 2001 से सम्पूर्ण रोजगार योजना के साथ मिला दिया गया है।

(ख) से (घ) एसजीआरवाई ऐसे सभी निर्धन ग्रामीणों के लिए है जिन्हें मजदूरी रोजगार की आवश्यकता है और अपने गांव/बसावटों में अथवा उनके आस–पास शारीरिक और अकौशलपूर्ण कार्य करने के इच्छुक हैं। यह कार्यक्रम स्व–लक्ष्य स्वरूप का है।

मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराते समय वरीयता कृषि मजदूरी पाने वालों, गैर–कृषि अकौशलपूर्ण मजदूरी पाने वालों, सीमांत कृषिकों, महिलाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों और ऐसे बाल श्रमिकों के माता–पिता, जिन्हें नुकसानदेह कार्यों से हटा दिया गया हो, विकलांग बच्चों के माता–पिता अथवा विकलांग माता–पिता के ऐसे वयस्क बच्चों, जो मजदूरी रोजगार के लिए कार्य करने के इच्छुक होते हैं, को दी जाती है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) और (छ) (ङ) को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम 52-53

*299. **श्री रामशेठ ठाकुर** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रौद्योगिकीय और सतत जारी अन्य विकास के आलोक में 'एंटी पाइरेसी' कानूनों को और प्रभावी बनाने के लिए प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की समीक्षा हेतु कोर ग्रुप का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त कोर ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(घ) यदि हां, तो उक्त ग्रुप द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस पर क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने कापीराइट अधिनियम, 1957 पर विचार करने तथा उसमें संशोधन का सुझाव देने के लिए एक कोर–दल का गठन किया है ताकि यह विश्व बौद्धिक संपदा संगठन इंटरनेट संधियों अर्थात विश्व बौद्धिक संपदा संगठन कापीराइट संधि और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन कार्यनिष्पादन और फोनोग्राम संधि के अनुकूल बन सके।

(ग) जी, नहीं। अभी तक प्रस्तुत नहीं की गई है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

कारागार
आतंकवाद
पाकिस्तान
53-54

तिहाड़ जेल में उग्रवादी

***300. श्री कमल नाथ :** क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारी और अन्य अलगाववादी संगठन, तिहाड़ जेल में बंद उग्रवादियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहे हैं, जैसा कि 8 फरवरी, 2003 के 'दि स्टेट्समैन' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य एवं ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जेल में उग्रवादियों के बंद किए जाने संबंधी गुप्त सूचना उग्रवादी संगठनों तक पहुंचाई जाती है;

(घ) यदि हां, तो इसमें संलिप्त पाई गई एजेंसियों के नाम क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में जिम्मेदारी निश्चित करने, इस गठजोड़ को जोड़ने तथा आवश्यक निवारण उपाय करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) और (ख) प्रश्नाधीन समाचार में, अन्य बातों के साथ–साथ, यह बताया गया है कि 'कश्मीर अवेयरनेस ब्यूरो' के एक पदाधिकारी से एक दस्तावेज बरामद किया गया था जिसमें केंद्रीय जेल, तिहाड़ में नजरबंद उग्रवादियों के ब्यौरे दर्शाए गए हैं तथा यह कि पाकिस्तानी दूतावास से प्राप्त धन उग्रवादी गतिविधियों पर इस्तेमाल करने के साथ–साथ जेल में बंद उग्रवादियों को अपने कानूनी लड़ाई लड़ने में मदद करने के लिए था। तथापि समाचार में उल्लिखित मामले की जांच से अभी तक यह पता नहीं चला है कि बरामद राशि विशेष रूप से केंद्रीय जेल तिहाड़ में बंद उग्रवादियों की सहायता करने के लिए थी।

(ग) से (ङ) केंद्रीय जेल तिहाड़ में नजरबंद कैदी/विचाराधीन कैदी, इस हेतु निर्धारित शर्तों के तहत आवधिक रूप से अपने वकीलों, संबंधियों तथा मित्रों से मिल सकते हैं। अतः जेल परिसर में कोई कैदी कौन से स्थान पर है इस बारे में जानकारी गुप्त किस्म की नहीं होती है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण
खेल, क्लब
54-55

खेलों/होलीडे क्लबों के लिए नाममात्र मूल्य पर भूमि का आवंटन

2922. श्री सईदुज्जमा : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डीडीए/सरकार पिछले कई वर्षों से दिल्ली की विभिन्न कालोनियों में खेलों/होलीडे क्लबों को प्रोत्साहित करने/स्थापना करने के लिए नाममात्र मूल्य पर भूमि का आवंटन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उन खेलों/क्लबों का ब्यौरा क्या है जिनके लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान भूमि आवंटित की गई और भूमि का स्थान–वार मूल्य कितना है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इनमें से कई क्लबों ने उच्चतम सीमा तक प्रवेश शुल्क बढ़ा दिया है और अपनी अधिकारिक एवं निजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कभी–कभी वे पिछले दरवाजे से भी प्रवेश लेकर शुल्क वसूल करते हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसे अनैतिक क्लबों को अपने प्रवेश शुल्क को घटाकर मूल स्तर पर लाने

हेतु निर्देश जारी करने का है ताकि कालोनी के निवासी विशेषकर सेवानिवृत्त कर्मचारी और वरिष्ठ नागरिक उसमें शामिल होने में समर्थ हो सकें; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि वह दिल्ली विकास प्राधिकरण (विकसित नजूल भूमि का निपटान) नियमावली, 1981 के प्रावधानों तथा सरकार द्वारा जारी दिनांक 12.5.2001 एवं 30.7.2001 के दिशा–निर्देशों के अनुसार क्लबों के लिए भूमि आवंटित करता है। क्लबों को आवंटित भूमि पर क्षेत्रीय प्रकारांतर दर की डेढ़ गुना राशि वसूली जाती है। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान क्लबों को आवंटित भूमि सहित उनके मूल्य एवं स्थान का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार, डीडीए का एक प्रतिनिधि क्लब संबंधी कार्यकारिणी समिति में होगा तथा उपाध्यक्ष, डीडीए को यह सुनिश्चित करने हेतु समुचित निर्देश जारी करने का प्राधिकार होगा कि क्लब के उप–नियमों का सावधानीपूर्वक अनुपालन किया जा रहा है। यह व्यवस्था केवल कालोनी के निवासियों अथवा कालोनी के भूखंडों/भवनों के स्वामियों के लिए ही है जो क्लब के सदस्य बन सकते हैं। यदि कालोनी छोटी है तो कालोनियों का समूह एक इकाई का गठन कर सकता है। इससे यह सुनिश्चय हो सकेगा कि एक निर्दिष्ट क्षेत्र के असली निवासियों को ही क्लब संबंधी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों अर्थात 2000–2001 से 2002–2003 तक की अवधि के दौरान क्लबों को किए गए आवंटनों का ब्यौरा

क्र.सं.	सोसाइटी का नाम	आवंटन की तारीख	आवंटित स्थान/क्षेत्र	प्रीमियम
1.	सिटी वैलफेयर सोसइटी	5.5.2000	1150 वर्ग मीटर, वजीरपुर	45,86,731/– रुपये
2.	सरिता विहार क्लब	1.10.2001	877.50 वर्ग मीटर एफ.सी. 33, जसोला	64,53.107/– रुपये
3.	आईयूए ट्रस्ट	29.8.2001	3724 वर्ग मीटर, रोहिणी, से.–13	1,71,18,988/– रुपये
4.	ग्रेट्स गैट्स बाई क्लब	4.9.2001	6237 वर्ग मीटर, मंडावली	2,00,69,754/– रुपये
5.	यंग स्पोर्ट एंड कल्चरल सोसाइटी	14.8.2001	0.77 हेक्टेयर, लाडो सराय	5,66,34,145/– रुपये
6.	एमएस रिक्रेएशन एंड कल्चरल सोसाइटी	27.12.2002	5800 वर्ग मीटर, वसंत कुंज	4,26,59,496/– रुपये

दिल्ली विकास प्राधिकरण

नेहरू प्लेस में पार्क का हटाया जाना

55-57

2923. श्री वाई. वी. राव :
श्री प्रकाश वी. पाटील :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण का विचार रात्रि बाजार के लिए जगह बनाने हेतु दिल्ली में नेहरू प्लेस के निकट बड़ी संख्या में पेड़ों को उखाड़ने और पार्क को हटाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कितने पेड़ों को हटाए जाने की संभावना है;

(घ) क्या केंद्र सरकार का विचार इस मामले में हस्तक्षेप करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) जी, नहीं। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उनके द्वारा केवल नेहरू प्लेस हरित क्षेत्र को सुंदर बनाने का कार्य शुरू किया जा रहा है। इस क्षेत्र का बाहर से दृष्टिगोचर बनाने हेतु समुचित भूमि स्केर्पिंग तथा ग्रिल वाली दीवार सहित इसका हरित क्षेत्र के रूप अनुरक्षण किया जाएगा।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

ग्रामीण प्रौद्योगिकी संसाधन केंद्र 57-58

2924. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय राज्य–वार कितने ग्रामीण प्रौद्योगिकी संसाधन केंद्र काम कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार प्रत्येक जिले में ऐसे केंद्र स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन्हें कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील) : (क) इस समय देश में कार्यरत ग्रामीण प्रौद्योगिकी संसाधन केंद्रों की राज्य–वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

कपार्ट द्वारा स्थापित ग्रामीण प्रौद्योगिकी संसाधन केंद्रों की राज्य–वार संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	01
2.	गुजरात	02
3.	हिमाचल प्रदेश	02
4.	झारखंड	01
5.	कर्नाटक	01
6.	केरल	02
7.	महाराष्ट्र	02
8.	मध्य प्रदेश	01
9.	राजस्थान	01
10.	तमिलनाडु	04
11.	त्रिपुरा	01
12.	उत्तर प्रदेश	01
13.	उत्तरांचल	01
14.	पश्चिम बंगाल	01
	कुल	21

रानीगंज और झरिया कोयला खानों के निवासियों का पुनर्वास झारखण्ड 58-61

2925. श्री रामदास आठवले : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार ने रानीगंज और झरिया कोयला खानों के असुरक्षित क्षेत्र में रह रहे प्रभावित निवासियों के पुनर्वास के लिए कोई धनराशि प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में अब तक कोई प्रगति हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो बाधाओं को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) और (ख) जी, हां। "पर्यावरणीय उपाय तथा धंसाव नियंत्रण" (ईएमएससी) के

अंतर्गत दो योजनाएं मई, 1998 में अनुमोदित की गई हैं जो नीचे दी गई हैं :

(i) झरिया कोलफील्ड में बीसीसीएल के अत्यंत खतरनाक क्षेत्रों से लोगों को स्थानांतरित करने के लिए 33.88 करोड़ रुपये अनुमोदित किया गया है। योजना को संशोधित करके अब 61.09 करोड़ रु. कर दिया गया है।

(ii) ईसीएल में रानीगंज कोलफील्ड के 4 अस्थिर स्थानों के पुनर्वास के लिए 32.52 करोड़ रु.।

(ग) और (घ) 1. **झरिया कोलफील्ड** : झरिया कोलफील्ड में बीसीसीएल के अत्यंत खतरनाक क्षेत्रों से लोगों को स्थानांतरित करने की योजना में 1500 बीसीसीएल तथा 3100 गैर–बीसीसीएल लोगों को स्थानांतरित करने की परिकल्पना की गई है। बीसीसीएल के लोगों को स्थानांतरित करने के लिए, बीसीसीएल द्वारा 344 मकानों के निर्माण का कार्य आरंभ कर दिया गया है। 32 लोगों परिवारों को नवनिर्मित मकानों में पहले ही स्थानांतरित कर दिया गया है। अन्य 252 मकानों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है लेकिन कुछ विकास कार्य अभी किया जाना है। शेष 60 मकानों का निर्माण किया जा रहा है।

गैर–बीसीसीएल लोगों के लिए, मकानों के निर्माण का कार्य झारखंड सरकार को करना है। गैर–बीसीसीएल लोगों के पुनर्वास की समस्याओं की जांच करने के लिए राज्य सरकार ने अगस्त 2001 में एक समिति गठित है। बेलगोरा मौजा में गैर–कोयलाधारी क्षेत्र में पुनर्वास स्थल को अंतिम रूप में दिया गया है।

मार्च 2006 तक सभी 4600 मकानों के निर्माण का कार्य पूरा किया जाना है।

2. **रानीगंज कोलफील्ड** : रानीगंज कोलफील्ड में 4 अस्थिर स्थलों के पुनर्वास की योजना में ईसीएल के कमान क्षेत्र के भीतर केंदा ग्राम, सामडीह ग्राम, रिपयूजी बस्ती तथा हरीशपुर ग्राम को स्थानांतरित करने की परिकल्पना की गई है। उपर्युक्त ग्रामों के पुनर्वास की स्थिति निम्नानुसार है :

केन्दा : पुनर्वास स्थल की पहचान की गई थी लेकिन ग्रामीणों द्वारा उसे स्वीकार नहीं किया गया। पुनर्वास के लिए वैकल्पिक स्थल को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण प्रगति पर है। ग्रामीणों को अभी अपने भू–स्वामित्व के कागजात प्रस्तुत करने हैं।

सामडीह : कई पुनर्वास स्थलों का प्रस्ताव किया गया था परंतु ग्रामीणों ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। अब उन लोगों ने पुनर्वास के बजाय भूमि तथा अवसंरचना के मुआवजे का दावा किया है जो अनुमोदित योजना के कार्यक्षेत्र के बाहर है। संभाव्य मुआवजा सहित घरों को आकलित कर लिया गया है।

रिपयूजी बस्ती : कई बैठकों तथा विचार–विमर्श के पश्चात पुनर्वास स्थलों की पहचान की गई और ग्रामीणों द्वारा स्वीकार की गई है। स्थल बैद्यनाथपुर–गोविंदपुर साइडिंग के पास है और यह पूर्व–स्वामियों की पुरानी भूमिगत खान के ऊपर है। सीएमपीडीआईएल द्वारा स्थल की स्थिरता का अध्ययन किया जा रहा है और इसके पश्चात सीएमपीडीआईएल पुनर्वास करबे की योजना बनाएगा। सामजिक–आर्थिक सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है।

हरीशपुर : पुनर्वास स्थल की पहचान की गई लेकिन ग्रामीणों द्वारा उसे स्वीकार नहीं किया गया। घरों के सर्वेक्षण में ग्रामीणों द्वारा सहयोग नहीं किया जा रहा है।

अतः ग्रामीणों की अनिच्छा तथा असहयोग के कारण पुनर्वास की बहुत कम प्रगति हुई है।

इस योजना के अंतर्गत 1 करोड रुपये निर्मुक्त किए गए हैं और अभी तक मामूली राशि (लगभग 0.42 लाख रु.) खर्च की गई है।

(ङ) धीमी प्रगति के कारण, 1998 में ईसीएल में एक कोर समिति गठित की गई थी जिसमें जिला मजिस्ट्रेट, बर्धवान, सीएमडी, ईसीएल, प्रधान सचिव, वाणिज्य तथा उद्योग, पश्चिम बंगाल और सीएमपीडीआईएल के अधिकारी शामिल हैं। कोर समिति ने निर्णय लिया कि ग्रामीणों को या तो ईसीएल की भूमि में अथवा गैर–कोयलाधारी क्षेत्र में सरकारी कब्जे वाली भूमि पर पुनर्स्थापित किया जाना चाहिए ताकि पुनर्वास का कार्य शीघ्र क्रियान्वित किया जा सके। तदनन्तर, ग्रामीणों से विचार–विमर्श करने के लिए तथा पुनर्वास कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए जून 1998 में एडीएम, असानसोल तथा ईसीएल और सीएमपीडीआईएल के महाप्रबंधक स्तर के अधिकारियों के कोर समूह का गठन किया गया था। सभी चार स्थलों के लिए ग्रामीण समितियां गठित की गई हैं। हरीशपुर ग्राम के पुनर्वास के लिए, नवंबर, 2001 में, मुख्यमंत्री प. बंगाल तथा कायेला एवं खान मंत्री के बीच बैठक हुई थी। इस बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार एक तकनीकी समिति गठित

की गई है और उक्त समिति ने भी मामले की जांच की है। यह निर्णय लिया गया है कि पुनर्वास के लिए राज्य सरकार द्वारा मंगलपुर के स्थान पर वैकल्पिक स्थलों की पहचान की जाएगी।

कम्प्यूटर खरीद में भ्रष्टाचार 61

2926. श्री रामजी मांझी : क्या उप-प्रधान मंत्री 20 नवम्बर, 2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 237 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) से (ग) इस बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

अखिल भारतीय शिक्षा परिषद

सूचना प्रौद्योगिकी में अध्यापकों की कमी 61-62

2927. श्री ए. नरेन्द्र : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा देश में निकट भविष्य में सूचना प्रौद्योगिकी में अध्यापकों की कमी के संबंध में कोई अध्ययन कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) से (ग) जी, नहीं। अखिल भारतीय शिक्षा परिषद शिक्षकों की गुणवत्ता तथा उनकी उपलब्धता बढ़ाने हेतु कई कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है। अर्ली फैकल्टी इंडक्शन कार्यक्रम तकनीकी पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत मेधावी छात्रों को शिक्षण को व्यवसाय के रूप में अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जिसके तहत प्रोत्साहन के तौर पर प्रतिष्ठित संस्थानों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में शामिल होने के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम तकनीकी शिक्षकों को उच्च अर्हता प्राप्त करने के अवसर प्रदान करता है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में अधिकाधिक छात्रों को आकर्षित करने के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु छात्रवृत्ति की राशि भी बढ़ा दी है।

मौरीशस **भारत-मौरीशस सहयोग** अंतर्राष्ट्रीय 62-

2928. श्री मोहन रावले : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 2002 में अपने दौरे के दौरान मौरीशस के उप–प्रधान मंत्री ने उनके साथ बातचीत की थी और जैव प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने के लिए अपने देश की इच्छा व्यक्त की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या दोनों देशों के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) दोनों देश इस पर कार्य करने के लिए कहां तक सहमत हो गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) भारत के वित्त मंत्री के निमंत्रण पर अपने दिल्ली दौरे के दौरान 7.4.02 को मौरीशस गणतंत्र के उप प्रधान मंत्री एवं वित्त मंत्री डा. पौल आर. बेरेंगर ने मानव संसाधन विकास मंत्री के साथ शिष्टाचार मुलाकात की। बैठक में उन्होंने एक दूसरे को विभिन्न क्षेत्रों यथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, शिक्षा, आर्थिग सहयोग, के क्षेत्र में विद्यमान परिदृश्य की जानकारी दी तथा संभावित सहयोग के निम्नलिखित क्षेत्रों को भी अभिचिन्हित किया :

(i) करारबद्ध लेबर रूट के संबंध में शोध अध्ययन करना;

(ii) मौरीशस में पर्यटन का विकास;

(iii) कला एवं संस्कृति के एक माध्यम के रूप में तथा एक उद्योग के रूप में सिनेमा का विकास;

(iv) भाषा शिक्षण तथा हिंदी भाषा में शिक्षक प्रशिक्षण संचालित करने के लिए मौरीशस को सहायता।

मार्च 2002 में नई दिल्ली में जैव–प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत और मौरीशस के बीच समझौता ज्ञापन में हस्ताक्षर किए जाने का संदर्भ था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

तकनीकी शिक्षा पाठ्यक्रमों में अंशकालिक शिक्षण हेतु पेशेवर

2929. श्री रमेश चेन्नितला : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षकों की संख्या बढ़ाने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के क्रम में तकनीकी शिक्षा पाठ्यक्रमों में अंशकालिक शिक्षण हेतु पेशेवरों को नियुक्त करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके लिए पाठ्यक्रमों की पहचान की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) से (घ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से प्राप्त सूचना के अनुसार तकनीकी शिक्षा पाठ्यक्रमों में अंशकालिक शिक्षण के लिए व्यावसायियों की नियुक्ति करने के लिए उन्होंने किसी योजना को अनुमोदित नहीं किया है। तथापि, वे संस्थानों में विजिटिंग संकाय, सहायक संकाय की नियुक्ति को प्रोत्साहित करते हैं।

गृह सचिव का तेहरान दौरा

2930. श्री जय प्रकाश :
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :

क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में गृह सचिव के तेहरान दौरे के दौरान आतंकवाद और सुरक्षा संयुक्त कार्यदल (जेडब्ल्यूजी) गठित करने के लिए भारत और ईरान ने प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोनों देशों के बीच अन्य कौन से समझौते हुए?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान।

अनुसंधान हेतु अपर्याप्त वित्त पोषण

2931. श्री टी. टी. वी. दिनाकरन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यय सुधार आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट में पाया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अपर्याप्त वित्त पोषण के कारण विश्वविद्यालय अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) अनुसंधान को प्रोत्साहित करने हेतु विश्वविद्यालयों को और धनराशि प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) जी, हां। इस संबंध में व्यय-सुधार आयोग में अपनी हाल ही की रिपोर्ट में निम्नलिखित टिप्पणियां की हैं :

"अध्यापन तथा अनुसंधान, दोनों के मानकों के लिए सहायता प्रदान करना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जिम्मेदारी है। तथापि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास उपलब्ध संसाधनों के अंतर्गत अनुसंधान की हिस्सेदारी काफी कम है। समान रूप से अन्य वैध कारणों के अलावा यह स्थिति भी विश्वविद्यालयों के लिए उत्तरदायी है कि वे देश में अनुसंधान तथा विकास प्रयास में प्रमुखता को लगातार खोते जा रहे हैं।"

(ख) और (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनुसंधान में अधिक निधियन के लिए व्यय सुधार आयोग की सामान्य सिफारिशों से सहमत है। तथापि अनुसंधान परियोजनाओं सहित विभिन्न कार्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों को अनुदानों का संवितरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को उपलब्ध कराई गई निधियों की मात्रा पर निर्भर करता है। वित्तीय संकट के बावजूद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लिए अनुसंधान

चिंता का एक मुख्य विषय रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अपनी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अनुसंधान के लिए विश्वविद्यालयों/कालेजों तथा शिक्षकों को सहायता प्रदान करता रहा है जिसमें निम्नलिखित बातें भी शामिल हैं :

1. अंतर–विषयक क्षेत्रों में शिक्षण तथा अनसंधान,
2. विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए सहायता,
3. मानविकी, सामाजिक विज्ञान, कला, विधि तथा इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी में विशेष सहायता–कार्यक्रम,
4. शिक्षकों के लिए अनुसंधान परियोजनाएं,
5. विज्ञान शिक्षा तथा अनुसंधान हेतु उच्च केंद्र,
6. अनुसंधान पुरस्कार,
7. अनसंधान अध्ययेतावृत्ति,
8. अनुसंधान कार्यशाला, सेमिनार।

सरकारी स्थान अधिनियम 65-66

2932. श्री किरीट सोमैया : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूस्वामियों द्वारा सरकारी स्थान अधिनियम के दुरुपयोग को रोकने हेतु इसमें संशोधन करने का विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किराएदारों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या मंत्रालय ने चर्चा की थी और पुनः नए मार्ग निर्देश जारी किए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्सबधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या विभिन्न सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने मार्गनिर्देशों को स्वीकार कर लिया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या विधि विशेषज्ञों ने अपनी राय में यह अनुरोध किया है कि मार्गनिर्देशों को अधिनियम का अंग बना दिया जाना चाहिए;

(झ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ञ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) और (ख) किराएदार कार्रवाई समितियों द्वारा यथा–प्रकाशित शिकायतों एवं सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के प्रावधानों का उल्लंघन करने संबंधी मामलों की जांच करने तथा अधिनियम जिसमें मंत्रालय द्वारा 14.1.1992 को जारी दिशा–निर्देश अनिवार्य रूप से शामिल होंगे, की धारा 18 के अंतर्गत नियमावली बनाने की संभावना की जांच करने हेतु शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा एक अंतः गृह समिति का गठन किया गया था।

(ग) भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को उनके नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/वित्तीय संस्थाओं को सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के प्रावधानों का वास्तविक एवं असली किराएदारों के खिलाफ दुरुपयोग न करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए समय–समय पर पत्र लिए गए हैं।

(घ) से (छ) समिति ने किराएदार संघों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उपक्रमों जिनके खिलाफ किराएदारों की शिकायतें लंबित हैं, के प्रतिनिधियों के साथ कई बैठकें आयोजित की थीं। चर्चा के बाद समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि दिनांक 14.1.1992 के दिशानिर्देश सरकारी स्थान अप्राधिकृत अधिभागियों की बेदखली अधिनियम, 1971 का अंग नहीं बन सकते हैं। समिति ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि दिनांक 14.1.1992 के दिशानिर्देशों की 1971 का अंग नहीं बन सकते हैं। समिति ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि दिनांक 14.1.1992 के दिशानिर्देशों की पुनरावृत्ति, उनका ईमानदारी से अनुपालन करने हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर दबाव डालने के लिए "एक सरकारी संकल्प" के रूप में की जा सकती है। सरकारी संकल्प को भारत के राजपत्र में दिनांक 8.6.2002 को अधिसूचित कर दिया गया है।

(ज) जी, नहीं।

(झ) और (ञ) प्रश्न नहीं उठते।

अंडमान और निकोबार

श्रीलंकाई निवासियों का पुनर्वास 67

2933. श्री ए. सी. जोस : क्या उप प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने कट्यल के उन श्रीलंकाई निवासियों के पुनर्वास का निर्णय लिया है जिन्हें जनजातीय क्षेत्र में रबड़ की खेती का कार्य करने के लिए मुख्य भूमि से अंडमान एवं निकोबार लाया गया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) और (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद 67-68

2934. श्री सुबोध मोहिते : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद ने हाल ही में "बुंदेलखंड मध्यकालीन कला और वास्तुशास्त्र" नाम की अनुसंधान परियोजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) परियोजना के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई; और

(घ) उन व्यक्तियों के नाम और योग्यता क्या है जिन्हें परियोजना आवंटित की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद ने बताया है कि परिषद ने ऐसी कोई परियोजना आरंभ नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

दिल्ली + अवस्थापना 68-74

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बनाए जा रहे फ्लाई ओवरों के निर्माण की प्रगति

2935. श्री परसुराम माझी : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बनाए जा रहे फ्लाई ओवरों के निर्माण की प्रगति क्या है;

(ख) क्या केंद्र सरकार का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कुछ अतिरिक्त फ्लाई ओवर बनाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) से (ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उन फ्लाईओवरों/अधोमार्गों (अंडर पास), जो बन रहे हैं तथा जिनका प्रस्ताव विभिन्न एजेंसियों द्वारा किया गया है, की सूचियां क्रमशः संलग्न विवरण–I और II में दी गई हैं।

विवरण-I

बन रहे फ्लाईओवरों का ब्यौरा

एजेंसी	फ्लाईओवर/अधोमार्ग (अंडर पास)	प्रगति प्रतिशत में समापन की संभावित तारीख
1	2	3
दिल्ली विकास प्राधिकरण	1. वजीराबाद रोड–रोड सं. 66 चौराहा	87%
	2. रा. राजमार्ग–24 नौयडा मोड़ चौराहा	58%
	3. रिंग रोड–सराय कालेखां को रोड एंट्री चौराहे पर ग्रेड सेपरेटर	32%
	4. रिंग रोड–रा. राजमार्ग–24 बाई पास चौराहे पर ग्रेड–सेपरेटर	48%
	5. पंखा रोड पर बिल्ली रेवाड़ी लाइन लेबल क्रासिंग पर आरओबी	04%

1	2	3
	6. स्टेशन रोड–पंखा रोड चौराहे पर हाफ फ्लाईओवर	1.5%
	7. जीटी रोड तथा रोड सं. 66 अर्थात उप–मार्ग के चौराहे पर हाफ फ्लाई ओवर	09%
	8. गाजीपुर फेट काम्पलैक्स के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 24 बाई पास पर ग्रेड सेपरेटर	6.5%
	9. जोसेफ बी. टीटो मार्ग–लाला लाजपत राय मार्ग अर्थात उप मार्ग चौराहे पर ग्रेड सेपरेटर	अभी शुरू हुआ है
	10 जीटी रोड तथा रोड सं. 56 (क्लोवर लीब्ज तथा साइट रैम्पस)	अभी शुरू हुआ है
	11. कैंटोनमेंट के माध्यम से रा.राजमार्ग–8 को संपर्क रोड द्वारका का निर्माण अर्थात पालम से द्वारका सेक्टर 1 तथा 7 के निर्मित क्षेत्र में फ्लाई ओवर	0.2%
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1. एंड्रयूजगंज (रिंग रोड)	31.05.2003
सरकार/लोक निर्माण विभाग	2. धोलाकुआं (रिंग रोड)	30.9.2003
	3. मायापुरी (रिंग रोड)	15.4.2003
	4. सफदरजंग (रिंग रोड)	31.3.2003
	5. पंज़ाबी बाग (रिंग रोड)	31.3.2003
	6. ब्रिटानिया चौक (रिंग रोड)	30.4.2004
	7. बी. एवेन्यू (रिंग रोड)	31.3.2004
	8. मां आनंद मई मार्ग (बाह्य रिंग रोड) (कालका मंदिर के पास)	31.3.2004
	9. मालवीय नगर (बाह्य रिंग रोड) (पंचशील क्लब के पास)	31.3.2004
दिल्ली पर्यटन और परिवहन	1. मधुबन चौक, रोहिणी में अधो मार्ग	16.10.2003
विकास निगम (डीटीटीडीसी)	2. रिंग रोड पर राजा गार्डन फ्लाइओवर पर रैम्प्स	30.4.2003
	3. रिंग रोड पर श्रीनिवास पुरी से लाजपतनगर तक फ्लाईओवर	17.4.2004
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग	1. खेड़ाकलां को रोड	2004
प्राधिकरण (एनएचएआई)	2. लिबासपुर को रोड	2004
	3. मुरथल	2004
	4. गन्नौर	2004

विवरण-II

निर्माण हेतु प्रस्तावित फ्लाईओवरों के ब्यौरे

एजेंसी	फ्लाईओवर/अंडरपास
1	2
दिल्ली सरकार/लोक निर्माण विभाग	1. आरओबी–मार्जिनल बंद रोड (आईटीओ से नोएडा मोड के बीच)
	2. आरओबी–वजीराबाद रोड (रोड नं. 63)
	3. पंजाबी बाग क्लब
	4. पटेल रोड (मोती नगर)
	5. मूलचंद अंडर पास
	6. रोड नं. 37 चौराहा
	7. नेहरू प्लेस, नजदीक लोटस टैम्पल
	8. एनएच–I जीटी रोड (मुकर्बा चौक)
	9. रोड नं. 58 पर पुल के नीचे रोड
	10. स्टेशन रोड एवं एनएच–8 (धौला कुआं के समीप)
	11. बैरन रोड जंक्शन अंडरपास की रिंग रोड के साथ अदला–बदली
	12. अरूणा आसफ अली एवं नेल्सल मंडेला मार्ग (बाहरी रिंग रोड)
	13. विवेकानंद एवं पूर्वी मार्ग (बाहरी रिंग रोड)
	14. बनोले जुआरेज मार्ग (बाहरी रिंग रोड)
दिल्ली नगर निगम	1. रामा मार्ग क्रासिंग तथा शिवाजी मार्ग चौराहे पर (मोती बाग के समीप) ग्रेड सेपरेटर
	2. बीएसजैड मार्ग चौराहे और डीडीयू मार्ग पर ग्रेड सेपरेटर
	3. डीडी गुप्ता रोड चौराहे और रानी झांसी मार्ग पर ग्रेड सेपरेटर
	4. आर्य समाज रोड फैज रोड तथा रिंग रोड चौराहे पर ग्रेड सेपरेटर
	5. पंखा रोड और नजफगढ़ रोड चौराहे पर ग्रेड सेपरेटर
	6. दिल्ली गेट पर जवाहर लाल नेहरू मार्ग और सुभाष मार्ग
	7. रिज रोड और पूसा रोड चौराहे पर ग्रेड सेपरेटर
	8. सुभाष नगर में नजफगढ़ रोड पर ग्रेड सेपरेटर का निर्माण
	9. जेल रोड पर किर्बी प्लेस चौराहे पर ग्रेड सेपरेटर का निर्माण
	10. जनकपुरी डी ब्लाक के समीप पंखा रोड चौराहे पर ग्रेड सेपरेटर का निर्माण

1	2
दिल्ली नगर निगम	11. जेल रोड पर हरी नगर बस डिपो चौराहे पर ग्रेड सेपरेटर का निर्माण
	12. पंखा रोड व जनकपुरी चौराहे पर ग्रेड सेपरेटर का निर्माण
	13. रेलवे स्टाफ क्वार्टर हकीकत राय मार्ग के समीप लाजपत नगर–I पर आरओबी का निर्माण
	14. जोरावर सिंह रोड, गोखले रोड को नया बाजार के साथ जोड़ते हुए आरओबी
	15. फायर स्टेशन के समीप रानी झांसी रोड पर बाड़ा हिंदू राव चौक बरफखाना पर ग्रेड सेपरेटर व उत्थित मार्ग का निर्माण
	16. अजमेरी गेट चौराहे पर डीबी गुप्ता रोड व आसफ अली रोड क्रासिंग पर ग्रेड सेपरेटर
	17. सुभाष नगर में नजफगढ़ रोड पर ग्रेड सेपरेटर का निर्माण
	18. दरियागंज रोड और सुभाष मार्ग के टी जंक्शन पर ग्रेड सेपरेटर
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	1. राय तुला राम मार्ग जंक्शन
	2. पालम जंक्शन
	3. महिपालपुर व इंदिरा गांधी हवाई अड्डा जंक्शन
	4. रजोकरी जंक्शन
	5. उद्योग विहार जंक्शन
	6. आईएफएफसीओ (इफको) जंक्शन
	7. सोहना जंक्शन (राजीव चौक)
	8. वज़ीराबाद चौराहा
	9. पानीपत उत्थित राजमार्ग

सूचना प्रौद्योगिकी और कम्प्यूटर शिक्षा संस्थानों की स्थापना 73-74

2936. श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बोडो आदिवासी बहुल क्षेत्रों में इन पिछड़े क्षेत्रों के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में इन पिछड़े क्षेत्रों के आदिवासी युवकों को तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सूचना प्रौद्योगिकी और कम्प्यूटर शिक्षा के कुछ संस्थानों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) और (ख) जी, हां। असम के बोडो जनजातीय बहुल क्षेत्रों में जनजातीय युवाओं को विभिन्न प्रौद्योगिकीय/व्यावसायिक विषयों में शिक्षा प्रदान करने हेतु भारत सरकार ने केंद्र द्वारा वित्त पोषित एक प्रौद्योगिकी संस्थान खोलने का प्रस्ताव किया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता। ग्रामीण क्षेत्र

जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के कार्यकरण संबंधी समीक्षा 74-76

2937. श्री अनन्त नायक : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष प्रत्येक राज्य में विशेषकर उड़ीसा राज्य में इन अभिकरणों द्वारा किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उड़ीसा के अनुसूचित जिलों में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के कार्यकरण को चुस्त-दुरुस्त करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील) : (क) और (ख) मंत्रालय समय-समय पर डीआरडीए के कार्यों की समीक्षा करती रही है। डीआरडीए जिला परिषदों के संगठनों को सुविधा और सहायता प्रदान कर रही हैं और गरीबी कम करने के प्रयासों में आवश्यक कार्यकारी और तकनीकी सहायता प्रदान कर रही हैं, ताकि ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं के तहत उपलब्ध निधियों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित हो सके। गरीबी कम करने के प्रयासों के लिए आवश्यक सहायता और संसाधनों का उपयोग करने के मद्देनजर डीआरडीए को लाइन विभागों, पंचायती राज संस्थाओं, बैंकों और अन्य वित्तीय संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों के साथ-साथ तकनीकी संस्थानों के साथ समन्वय करना होता है। डीआरडीए को विभिन्न योजनाओं जैसे, स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई), संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई), इंदिरा आवास योजना के कार्यान्वयन की गहन निगरानी भी करनी होती है और उनके द्वारा प्राप्त निधियों के संबंध में वित्तीय नियंत्रण सुनिश्चित करना होता है।

(ग) से (ङ) मंत्रालय ने उड़ीसा सहित सभी राज्यों में डीआरडीए के और राज्यों के अधिसूचित जिलों के कार्यों को सुदृढ़ और पुनर्गठित करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। गरीबी उन्मूलन के प्रयास को समन्वित करने के लिए जिला स्तर पर एक प्रभावी एजेंसी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 1.4.1999 से उड़ीसा सहित सभी राज्यों में और राज्यों के अधिसूचित जिलों में एक नई केंद्र प्रायोजित योजना, "डीआरडीए प्रशासन" शुरू की गई थी। योजना के दिशा निर्देशों में डीआरडीए के शासी निकाय के गठन और संरचना, उसके प्रशासनिक स्वरूप, स्टाफ के पैटर्न और कार्मिक नीतियों का प्रावधान है। सभी राज्यों को इन दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना होता है।

कर्नाटक रेल, मेट्रो 76

बेंगलूर मेट्रो परियोजना हेतु अध्ययन रिपोर्ट

2938. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली मैट्रो रेल निगम ने बेंगलूर मैट्रो परियोजना हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) पर काम शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दिल्ली मैट्रो रेल परियोजना से बेंगलूर हेतु अध्ययन रिपोर्ट के कब तक प्राप्त किए जाने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) जी, हां।

(ख) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बंगलौर मैट्रो रेल परियोजना फेज-I के लिए है जिसमें मैसूर रोड से वय्याप्पनहल्ली तक का 18 किमी. लंबा ईस्ट-वेस्ट कोरीडोर तथा यशवंतपुर से लेकर आरवी रोड तक का 14.5 किमी लंबा नार्थ साउथ कोरीडोर शामिल हैं। दोनों कोरीडोर मैजेस्टिक में एक-दूसरे को क्रॉस करेंगे जहां पर रेक्स के ट्रांसफर के लिए एक जोड़ने वाली लॉइन बिछाई जानी है।

(ग) विस्तृत परियेाजना रिपोर्ट 31 मार्च, 2003 तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है।

राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद 76-77

अल्पसंख्यक संस्थाओं को सहायता

2939. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कतिपय राज्य सरकरों ने उर्दू डीटीपी केन्द्र चलाने के लिए अल्पसंख्यक संस्थाओं को वित्तीय सहायता हेतु अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार विशेषकर महाराष्ट्र का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) से (ग) राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन है। यह परिषद, स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से 'डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन्स एंड मल्टीलिंगुअल डैस्क टाप पब्लिशिंग" नामक एक योजना कार्यान्वित करती है। राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद को संबद्ध राज्य सरकारों द्वारा भेजे गए स्वैच्छिक संगठनों के निम्नलिखित आवेदन प्राप्त हुए हैं :

1.	महाराष्ट्र	1
2.	जम्मू व कश्मीर	4
3.	मणिपुर	1
4.	उत्तर प्रदेश	1

उक्त प्रस्तावों पर योजना के मानदण्डों के अनुसरण में कार्रवाई की जा रही है।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 77-78

2940. श्री दिनशा पटेल : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय साक्षरता मिशन (एनएलएम) को चुस्त–दुरूस्त बनाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) और (ख) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की प्रौढ़ साक्षरता योजनाओं के प्रशासनिक तथा वित्तीय मानदण्डों में 1.4.2000 से संशोधन किया गया है। इन संशोधित योजनाओं की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं :

(i) साक्षरता के प्रति समेकित दृष्टिकोण अपनाना।

(ii) गैर–सरकारी संगठनों, महिला मण्डलों, पंचायती राज संस्थाओं तथा युवा क्लबों, आदि के साथ उनलके कार्यकलापों में सहयोग देने हेतु जिला साक्षरता समितियों को पूर्ण स्वतंत्रता

(iii) अवशिष्ट निरक्षरता उन्मूलन को सतत शिक्षा योजना शामिल करना

(iv) राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरणों को वित्तीय तथा प्रशासनिक शक्तियां सौंपना

(v) ग्रामीण क्षेत्रों को शामिल करने के लिए जन शिक्षण संस्थाओं के कार्यकलापों का विस्तार करना।

खनिजों की रायल्टी दरें खनिज 78-

2941. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक खनिज की प्रति टन और यथा मूल्य आधार पर क्या रायल्टी निर्धारित की गई है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष प्रत्येक उत्पादन करने वाले प्रत्येक राज्य द्वारा खनिजों पर रायल्टी की कितनी धनराशि प्राप्त की गई;

(ग) प्रत्येक खनिज पर प्रति टन रायल्टी की नवीनतम दर क्या है;

(घ) क्या सरकार को अनुचित रूप से कोयला समेत विभिन्न खनिजों पर रायल्टी के निर्धारण के संबंध में राज्य सरकारों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) सरकार द्वारा उनकी समस्याओं पर ध्यान देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(छ) क्या सरकार का विचार खनिज की रायल्टी दरों में संशोधन करने का अधिकार पुनः संबंधित राज्यों को देने का है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) प्रमुख खनिजों [खान और खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर एक्ट) की धारा 3 (ङ) के तहत परिभाषित गौण खनिजों को छोड़कर अन्य खनिज] पर रायल्टी की दरें केन्द्र सरकार द्वारा एमएमडीआर एक्ट की धारा 9(3) के तहत अधिसूचित की जाती हैं। रायल्टी की दरें टनेज या यथामूल्य आधार पर नियत की जाती हैं। प्रमुख खनिजों (कोयला, लिग्नाइट और भराई हेतु बालू को छोड़कर) पर रायल्टी दरों को पिछली बार राजपत्र अधिसूचना, जीएसआर 713 (ई) दिनांक 12.9.2000 के मार्फत अधिसूचित किया था और इनमें 11.9.2003 से पहले बढ़ोतरी नहीं की जा सकती है। कोयले और लिग्नाइट

की रॉयल्टी दरों में पिछला संशोधन क्रमशः राजपत्र अधिसूचना जीएसआर 572(ई) दिनांक 16.8.2002 और जीएसआर 187(ई) दिनांक 15.3.2001 के मार्फत किया गया था। इन अधिसूचनाओं की प्रतियां क्रमशः 27.11.2000, 3.12.2002 और 24.4.2001 को लोक सभा के पटल रखी गई थीं। एमएमडीआर एक्ट की धारा 3(ङ) के तहत परिभाषित गौण खनिजों की रॉयल्टी दरें संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अपनी–अपनी गौण खनिज रियायत नियमावली (एमएमसीआर) के तहत नियत की जाती हैं।

(ख) प्रमुख खनिजों (ईंधन खनिजों को छोड़कर) पर रॉयल्टी दरें केन्द्र सरकार द्वारा नियत और निर्धारित की जाती हैं परंतु रायल्टी के कारण प्रोद्भूत होने वाली राशि संबंधित राज्य सरकारों द्वारा एकत्र की जाती है जिसके आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

(ग) गैर–ईंधन खनिजों हेतु प्रतिटन आरओएम कीमत केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है। कोयला मंत्रालय ने सूचित किया है कि लिग्नाइट की प्रति टन शुद्ध कीमत (एक्स प्लांट नेवेली) 900.64 रु. प्रति टन है। कोयले के विभिन्न ग्रेडों की प्रति टन आर.ओ.एम कीमत संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) से (च) प्रमुख खनिजों की रॉयल्टी दरों में परिवर्तित करने के संबंध में केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से समय–समय पर अभ्यावेदन प्राप्त होते रहते हैं। परम्परागत रूप से, प्रमुख खनिजों पर रायल्टी दरों की समीक्षा करने के लिए संबंधित मंत्रालय द्वारा एक अध्ययन दल गठित किया जाता है। जिसमें राज्य सरकारों, उद्योग, तकनीकी संस्थानों तथा अन्य संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाता है। सभी स्टेक धाकरो के साथ व्यापक विचार–विमर्श करने के बाद अध्ययन दल अपनी सिफारिशें देता है। इस अध्ययन दल की सिफारिशों के आधार पर रॉयल्टी की दरों का निर्णय किया जाता है।

(छ) से (झ) गौण खनिजों हेतु रायल्टी दरें संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अपनी अपनी एमएमसीआर के तहत निर्धारित और अधिसूचित की जाती हैं। प्रमुख खनिजों पर रायल्टी दरें केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित और अधिसूचित की जाती हैं ताकि इन खनिजों की रायल्टी दरों में देश भर में एकरूपता बनी रहे। प्रमुख खनिजों की रॉयल्टी दरें नियत करने संबंधी इस प्रणाली में परिवर्तन करने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

विवरण

कोल इंडिया लिमिटेड (सी आई एल)

(अगस्त, 2002 में आर ओ एम कोयला मूल्य)

गैर–ईंधन कोयला : विशिष्ट कोलिरीज में उत्पादित कोयला रानीगंज (ग्रेड व्यापार)	
क	1450
ख	1370
ग	1170
घ	950
ङ	574
च	440
छ	320
विशिष्ट कोलिरीज में उत्पादित कोयला नान लॉग फ्लेम कोयला	
क	1177
ख	1059
ग	870
घ	694
ङ	524
च	417
छ	298
विशिष्ट कोलिरीज में उत्पादित कोयला एसपी खानें	
क	1628
ख	1447
ग	1211
घ	974
ङ	630
च	502
छ	358

विशिष्ट कोलिरीज में उत्पादित कोयला
एमयूजीएमए–नान लॉग फ्लेम कोयला

क	1345
ख	1197
ग	1000
घ	804
ङ	591
च	476
छ	327

इस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
विशिष्ट कोलिरीज में गैर–ईंधन कोयला
राजमहल फील्ड लॉग फ्लेम कोयला

घ	915

नान लॉग फ्लेम कोयला

ङ	703
च	597
छ	479

कुकिंग कोयला

वाशरी ग्रेड–I	1575
वाशरी ग्रेड–II	1305
वाशरी ग्रेड–III	964
वाशरी ग्रेड–Iv	896

सेमी कुकिंग और वीकली कुकिंग कोयला रानीगंज

सेमी कुकिंग ग्रेड–I	1420
सेमी कुकिंग ग्रेड–II	1180

भारत कुकिंग कोल लिमिटेड

नान कुकिंग कोयला

क	1135
ख	1030
ग	847
घ	710
ङ	562
च	448
छ	321

कुकिंग कोयला
विशिष्ट कोलिरीज में उत्पादि कोयला

इस्पात ग्रेड–I	1970
इस्पात ग्रेड–II	1650
वाशरी ग्रेड–I	1440
वाशरी ग्रेड–II	1200
वाशरी ग्रेड–III	900
वाशरी ग्रेड–IV	830
वाशरी ग्रेड–I	1337
वाशरी ग्रेड–II	1107
वाशरी ग्रेड–III	819
वाशरी ग्रेड–IV	762

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड
नॉन कुकिंग कोयला
विशिष्ट कोलफील्ड्स में उत्पादित कोयला

क	1330
ख	1203
ग	1006
घ	857
ङ	609
च	487
छ	348

विशिष्ट कोलिरीज में उत्पादित कोयला

क	1248
ख	1129
ग	944
घ	804

नॉन लॉग फ्लेम कोयला

क	1166
ख	1049
ग	862
घ	721
ङ	565
च	453
छ	323

कुकिंग कोयला

वाशरी ग्रेड–I	1351
वाशरी ग्रेड–II	1120
वाशरी ग्रेड–III	828
वाशरी ग्रेड–IV	771

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड
नॉन कुकिंग कोयला
लॉग फ्लेम कोयला

क	979
ख	885
ग	740
घ	633

नॉन लॉग फ्लेम कोयला

क	912
ख	819
ग	674
घ	566
ङ	445
च	351
छ	250

वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
नान कुकिंग कोयला

क	1148
ख	1083
ग	1012
घ	956
ङ	743
च	620
छ	467

कुकिंग कोयला

वाशरी ग्रेड–II	970
वाशरी ग्रेड–III	880

साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.
नान कुकिंग कोयला
विशिष्ट कोलिरीज में उत्पादित कोयला

क	1110
ख	1040
ग	890
घ	770
ङ	545
च	415
छ	300

लॉग फ्लेम कोयला

क	1000
ख	940
ग	810
घ	700

नॉन लॉग फ्लेम कोयला

क	940
ख	880
ग	750
घ	630
ङ	520

च	410
छ	300
सेमी कुकिंग एण्ड वीकली कुकिंग कोयला	
सेमी कुकिंग ग्रेड–I	1200
सेमी कुकिंग ग्रेड–II	1000
नार्दन कोलफील्ड लि.	
नॉन कुकिंग कोयला	
लॉग फ्लेम कोयला	
क	1147
ख	1039
ग	867
घ	740
नान लॉग फ्लेम कोयला	
क	1072
ख	964
ग	792
घ	664
ङ	527
च	420
छ	300
नार्थ इर्स्टर्न कोयला क्षेत्र	
कोयला का ग्रेड और यूएचवी रेंज (के. कैलोरी/कि.ग्रा.)	
क 6200–6299	1148
ख 5600–6199	778

[हिन्दी]

जम्मू और कश्मीर 85-87

ग्रामीण महिला अधिकारिता योजना

2942. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में विशेषकर जम्मू और कश्मीर में ग्रामीण महिला विकास और अधिकारिता योजना कार्यान्वित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि प्रदान की गई है और पिछले एक वर्ष के दौरान इसमें क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जस कौर मीणा) : (क) जी, हां। स्व–शक्ति (ग्रामीण महिला विकास तथा सशक्तीकरण) परियोजना प्रायोगिक आधार पर 9 राज्यों, अर्थात बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल में कार्यान्वित नहीं की जा रही है।

(ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) इस स्कीम के अंतर्गत पिछले एक वर्ष अर्थात 2002–2003 में परियोजना कार्यान्वयन राज्यों को 24.17 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। अब तक 9 राज्यों के 57 जिलों और 323 ब्लाकों में महिलाओं के 17527 स्व–सहायता समूह गठित किए जा चुके हैं। उनमें से 4824 समूहों को आयोत्पादन कार्यकलापों के लिए ऋण के प्रयोजनों हेतु बैंकों के साथ संबद्ध किया गया है। 9 परियोजना राज्यों में इन समूहों की बचत और अंतर–ऋण क्रमशः 11.34 करोड़ रुपए और 19.28 करोड़ रुपए हैं।

विवरण

स्कीम का राज्य वार ब्यौरा

राज्य	जिलों की संख्या	ब्लाकों की संख्या	गांवों की संख्या	स्वसहायता समूहों की संख्या	कुल सदस्यता
1	2	3	4	5	6
बिहार	1	6	113	400	5271
छत्तीसगढ़	3	14	395	560	8729
गुजरात	8	57	1281	2705	45422
हरियाणा	3	23	649	1498	22439
झारखंड	5	22	638	1600	22985

1	2	3	4	5	6
कर्नाटक	7	29	993	2142	38744
मध्य प्रदेश	9	39	1140	2476	31883
उत्तर प्रदेश	18	119	1681	5586	65997
उत्तरांचल	3	14	398	560	7766
कुल	57	323	7288	17527	249236

[अनुवाद]

विद्यालय

स्कूलों में ई-लर्निंग अग्रणी परियोजना 87-88

2943. श्री वी. वेत्रिसेलवन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश भर के अनेक भागों में बीस स्कूलों में ई–लर्निंग अग्रणी परियोजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश भर में 60,000 स्कूलों में उक्त परियोना शुरू करने का निर्णय किया है; और

(घ) यदि हां, तो राज्य सरकार को इस परियोजना को सफल बनाने के लिए क्या प्रोत्साहन प्रदान किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) और (ख) जी, हां। संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने ज्ञान के क्षेत्र में इंटरनेट तथा इन्ट्रानेट यंत्रों तथा कम्प्यूटर साधित तकनीकों को समाकलित करने के लिए 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वयन हेतु एक विशिष्ट कार्यक्रम "विद्या वाहिनी" तैयार किया है। इस कार्यक्रम में सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी संबंधी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने, शिक्षा प्रदान करने के लिए सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करने हेतु शिक्षकों के प्रशिक्षण; देश में सरकारी/सरकारी–सहायता प्राप्त स्कूलों को पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या तथा अन्य अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने पर ध्यान केंन्दित किया गया है। प्रारंभ में यह प्रायोगिक परियोजना 7 जिलों अर्थात कुप्पम (आंध्र प्रदेश), गांधी नगर (गुजरात), हजारीबाग (झारखंड), दक्षिण 24 परगना, (पश्चिमी बंगाल), परली बैजनाथ (महाराष्ट्र), लखनऊ तथा इलाहबाद (उत्तर प्रदेश) में कार्यान्वित की जा रही है। राज्य सरकारें इस प्रायोगिक परियोजना के कार्यान्वयन में पूरी तरह से भाग ले रही हैं। राज्य सरकारों के परामर्श से संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने उपर्युक्त प्रत्येक जिले में 20 सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों का चयन किया है और शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रत्येक जिले में एक प्रशिक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है। राज्य सरकारों द्वारा इन स्कूलों में स्थल निर्माण कार्यकलाप शुरू किया गया है। प्रत्येक चयनित स्कूल में एक सर्वर, 10 मल्टी–मीडिया पर्सनल कंप्यूटर, जो स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क से संबद्ध हैं, एक नेटवर्क प्रिंटर, यूपीएस, सीवीटी, 29" रंगीन टीवी तथा 128 केबीपीएस की इंटरनेट कनेक्टिविटी वीएसएटी के माध्यम से स्थापित की गई है। इन पर्सनल कंप्यूटरों में कार्यालय उपकरणों, विश्वकोशों तथा वाइरस, उत्पादक यंत्रों तथा पाठ्यक्रम–पाठ्यचर्या जैसे शिक्षा संबंधी साफ्टवेयर लगाया गया है।

(ग) और (घ) इस प्रायोगिक परियोजना के पूरा हो जाने के बाद ही संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 60,000 स्कूलों में परियोजना के कार्यान्वयन पर विचार किया जाएगा।

ग्रामीण विकास कार्यक्रम

सूचना, शिक्षा और संचार अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में नीतियां/योजनाएं 88-89

2944. श्री पी. डी. एलानगोवन : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार के पास देश में ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की नीतियों और योजनाओं का प्रचार करने हेतु सूचना शिक्षा और संचार का कोई विशेष अभियान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा देश में विकास योजनाओं और जन कल्याण परियोजनाओं के प्रचार और प्रसार करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित, संवितरित और उपयोग की गई?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील) : (क) से (ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा

क्रियान्वित किए जा रहे ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के बारे में ग्रामीण क्षेत्रों में लक्ष्य समूहों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए मंत्रालय द्वारा संचार के उपलब्ध अधिकांश साधनों के जरिए सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियां चलाई जा रही हैं। प्रिंट मीडिया में अखिल भारत स्तर पर हिन्दी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में समय-समय पर विज्ञापन प्रकाशित किए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के बीच वितरित किए जाने के लिए विभिन्न भाषाओं में कार्यक्रमों से संबंधित पुस्तिकाएं और इश्तहार भी प्रकाशित किए जाते हैं। विभिन्न कार्यक्रमों से संबंधित दिशा-निर्देश, नियम पुस्तक और मूल्यांकन अध्ययन भी आवश्यकतानुसार छापे जाते हैं। देश की सभी पंचायतों को एक पाक्षिक न्यूजलेटर, जो हिन्दी में छपता है और एक मासिक न्यूजलेटर जो अंग्रेजी और 11 क्षेत्रीय भाषाओं में छपता है, भी मुफ्त भेजे जाते हैं जिनमें मंत्रालय के कार्यक्रम, सफलता की कहानियां, ग्रामीण प्रौद्योगिकी और अन्य विभागों की विकास योजनाओं से संबंधित सामग्री होती है। इलेक्ट्रोनिक मीडिया (श्रव्य और श्रव्य-दृश्य) में ऑडियो/वीडियो स्पॉट के साथ-साथ आधा घंटे का एक कार्यक्रम हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं में दूरदर्शन/आकाशवाणी से तैयार और प्रसारित किया जाता है।

(घ) ब्यौरे इस प्रकार हैं :

क्र.सं.	वर्ष	आवंटन (लाख रु. में)	उपयोग (लाख रु. में)
1	1999-2000	2395.00	2395.00
2	2000-2001	2060.00	2060.00
3	2001-2002	1881.72 + 3580.00* (बचत में पुनर्विनियोग द्वारा)	5461.72

[हिन्दी] कारागार, केन्द्रीय 89-90

केन्द्रीय कारागार में हिरासत में हुई मौतें

2945. श्री सुरेश पासी : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय कारागारों में कितने कैदियों की मृत्यु हुई;

(ख) क्या केन्द्रीय कारागारों में कैदियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इस संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई थीं;

(घ) सरकार द्वारा कारागारों में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार देश में विभिन्न जेलों में 1999, 2000 और 2001 के दौरान क्रमशः 861, 799 और 774 कैदियों की मृत्यु हुई।

(ख) से (घ) विगत तीन वर्षों के दौरान कैदियों से दुर्व्यवहार करने की कोई विशिष्ट शिकायतें भारत सरकार के ध्यान में नहीं आई हैं। चूंकि जेल राज्य का विषय है, अतः जब कभी जेल प्रशासन के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त होती हैं तो इन्हें समुचित कार्रवाई हेतु संबंधित राज्य सरकारों को भेज दिया जाता है। केन्द्र सरकार कैदियों के साथ मानवीय व्यवहार करने सहित जेल प्रशासन को विभिन्न पहलुओं पर परामर्श देने के साथ-साथ जेलों और कैदियों की दशा में सुधार लाने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती रही है।

[अनुवाद] शिक्षा विद्यालय, छात्र 90-91

छात्रों हेतु कृतक बल

2946. श्री गंता श्रीनिवास राव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार छात्रों की समस्याएं हल करने हेतु कृतक बल गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) से (ग) सरकार ने छात्रों की समस्याओं के समाधान हेतु 26 फरवरी, 2003 को प्रख्यात शिक्षाविदों का एक कार्यबल गठित किया है। यह कार्यबल अन्य बातों के साथ-साथ शिक्षा के वाणिज्यिकरण, छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ताओं पर मुद्रा-स्फीति का प्रभाव तथा मूल्य सूचकांक के साथ छात्रवृत्तियों को संबद्ध करने की संभावना, शिक्षा के उद्देश्य से प्रदत्त सभी अक्षय निधियों के लिए आयकर में छूट

देने, समाज सेवा के कार्यों तथा सेना प्रशिक्षण को शिक्षा का अनिवार्य अंग बानने, राष्ट्रीय संस्कृति, आवश्यकताओं तथा अकांक्षाओं के साथ शिक्षा पाठ्यचर्या को मिलाने, प्रत्येक जिले में महिला विश्वविद्यालयों तथा महिला छात्रावासों की स्थापना, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए छात्रावासों की स्थितियों में सुधार और व्यावसायिक शिक्षा के विस्तार आदि जैसे विषयों की जांच करेगा।

बलात्कार के मामलों हेतु विशेष न्यायालय

2947. **डा. वी. सरोजा :**
श्री गंता श्रीनिवास राव :
श्री रमेश चेन्नितला :

क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बलात्कार के मामलों को निपटाने हेतु विशेष न्यायालयों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे मामलों के शीघ्र निपटान हेतु कोई समय सीमा भी निर्धारित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान।

(ग) और (घ) राज्य सरकार, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 11 के तहत, उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद, किसी भी मामले या मामलों की किसी श्रेणी के विचारण के लिए विशेष न्यायालय स्थापित कर सकती है।

[हिन्दी]

अधिकारियों को विदेशों में प्रशिक्षण

2948. **श्री रामशकल :**
श्री ए. नरेन्द्र :
श्री मंजय लाल :

क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों में आज तक केन्द्र सरकार के कितने अधिकारियों को विदशों में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया है;

(ख) इस उद्देश्य के लिए खर्च की गई विदेशी मुद्रा का विभागवार और वर्षवार अलग–अलग ब्यौरा क्या है;

(ग) उन्हें प्रदान किए गए प्रशिक्षण की प्रकृति क्या है;

(घ) इस प्रकार के प्रशिक्षण द्वारा प्राप्त ज्ञान का उपयोग सरकार के विभागों में किस सीमा तक किया गया है;

(ङ) क्या इस प्रकार की प्रशिक्षण सुविधाएं देश में उपलब्ध नहीं हैं; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) पिछले तीन वर्ष के दौरान, आज तक, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा विशेष में प्रशिक्षण के लिए भेजे गए अधिकारियों की कुल संख्या 193 है।

(ख) पिछले तीन वर्ष के दौरान आज तक कार्गिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा विदेश में प्रशिक्षण के लिए भेजे गए अधिकारियों पर निम्नानुसार विदेशी मुद्रा खर्च की गई :

वर्ष, 2000–2001	ब्रिटिश पाउण्ड 3,77,729
वर्ष, 2001–2002	यू.एस. डालर 1,73,329 और ब्रिटिश पाउण्ड 2,25,240
वर्ष, 2002–2003 (दिनांक 06.03.2003 को मौजूद स्थिति के अनुसार)	ब्रिटिश पाउण्ड 2,38,044 और यू.एस. डालर 2,78,537

(ग) उपुर्यक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम, मोटे तौर पर, लोक नीति, लोक प्रशसन और प्रबंधन क्षेत्रों से संबंधित होते हैं।

(घ) से (च) उपर्युक्त प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, अधिकारियों को वैश्विक रूप से सुलभ लोक प्रशासन और प्रबंधन की सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों और तकनीकों से अवगत करवाते हैं और उपर्युक्त पाठ्यक्रम अधिकारियों का ज्ञान एवं कौशल उन्नत करने के भी साधन हैं।

[अनुवाद] आपदा, भूकंप

भूकंप पीड़ितों का पुनर्वास

93-96

2949. श्री पी. एस. गढ़वी :
श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया :
श्रीमती रेणूका चौधरी :

क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के भूकंप के दो वर्ष पश्चात सरकार ने भूकंप पीड़ितों के पुनर्वास में हुई प्रगति की समीक्षा की है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा प्राप्त केन्द्रीय सहायता और विदेशी सहायता की मात्रा कितनी है और अब तक हुए पुनर्वास संबंधी कार्य और उस पर आए खर्च का ब्यौरा क्या है;

(ग) अभी भी कितना पुनर्वास कार्य किया जाना शेष है;

(घ) सरकार को इस बात की जानकारी है कि कई गैर-सरकारी संगठनों ने जनवरी 2001 के भूकंप के कारण आपदा से निपटने के लिए क्षमता सृजन हेतु नेशनल सेन्टर फार पीपुल्स एक्शन इन द डिसेस्टर प्रीपेयर्डनेस (एनसीपीडीपी) से स्वयं को अलग कर लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) गुजरात में क्षमता सृजित करने वाले कार्यक्रम के लिए सरकार द्वारा दिए गए निर्देश क्या हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) गुजरात सरकार और गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (जीएसडीएमए) नियमित रूप से गुजरात आपातकालीन भूकंप पुनर्निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत किए कार्य की प्रगति की समीक्षा करते हैं।

(ख) भारत सरकार ने आपदा राहत निधि (सीआरएफ) के केन्द्रीय अंशदान के रूप में 131.14 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि से 585.00 करोड़ रुपए की राशि जारी की है जिसमें वित्तीय वर्ष 2000-2001 के दौरान भूकंप राहत कार्यों के लिए 500.00 करोड़ रुपए शामिल हैं। वर्ष 2001-2002 के दौरान सीआरएफ के केन्द्रीय हिस्से के रूप में 117.01 करोड़ रुपए और भूकंप राहत कार्यों पर खर्च के लिए एनसीसीएफ से 994.37 करोड़ रुपए जारी किए गए।

अनुमानित निर्माण लागत और भूकंप पुनर्निर्माण कार्यक्रम के लिए प्रस्तावित धन की व्यवस्था का ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। जीएसडीएमए ने 28 फरवरी, 2003 तक विभिन्न सैक्टरों में 2280.83 करोड़ रुपए वितरित किए। जीएसडीएम को विभिन्न देशों के व्यक्तियों/निगमों/फैडरेशनों और एसोसिएशनों से सीधे 6110270/-रु. की विदेशी सहायता प्राप्त हुई है।

(ग) जहां तक एशियन डेवलेपमेंट बैंक से सहायता प्राप्त पुनर्निर्माण परियोजना का संबंध है, सभी प्रमुख सैक्टरों में इस परियोजना के अंतर्गत विभिन्न सैक्टरों में कार्य मार्च, 2005 तक पूरा कर लिया जाएगा।

(घ) से (च) जीएसडीएमए ने एनसीपीडीपी के सहयोग से क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए एक पायलेट परियोजना शुरू की है। इसमें मॉडल मकानों के निर्माण और एक सार्वजनिक इमारत के रिट्रोफिटिंग के प्रदर्शन के माध्यम से राज मिस्त्रियों और इंजीनियरों को प्रशिक्षण देना सम्मिलित है और इस कार्य को पांच जिलों जैसे कच्छ, पाटन, राजकोट, सुरेन्द्र नगर और जामनगर के 16 ताल्लुकों में 484 भूकंप प्रभावित गांव में शुरू किया गया था।

एनसीपीडीपी द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे पूरे कार्यक्रम में मुख्य भूमिका ग्राम समिति को दी गई है। इस कार्यक्रम में आपदा से निपटने की तैयारी और न्यूनीकरण के लिए पहले-पहल कार्रवाई करने के लिए स्थानीय समुदाय को तैयार रखने पर बल दिया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत की गई प्रगति के ब्यौरे निम्न प्रकार से हैं :

क्र.सं. ब्यौरे	नमूना घर	रिट्रोफिटिंग	वाटर टैंक
1. पूरा किया गया	138	191	167
2. डल्यू/पी	192	51	130
कुल	330	242	297
पूरे किए गए कार्य/ चल रहे कार्य का प्रतिशत	68.18%	50.00%	61.36%

इससे पता चलता है कि कार्य अभी जारी है हालांकि प्रगति उतनी तेज नहीं है जितनी की सोची गई थी।

विवरण

अनुमानित पुनर्निर्माण लागत और गुजरात आपातकालीन भूकंप पुनर्निर्माण कार्यक्रम के लिए प्रस्तावित धन व्यवस्था के ब्यौरे

(रुपए करोडों में)

सैक्टर	धन देने वाली एजेंसियां					
	विश्व बैंक	एडीबी	नीदरलैण्ड सरकार	यूरोपियन कमीशन	जी.ओ.जी. और अन्य	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7
आवास	1606	120	–	–	735	2461
क्षतिग्रस्त सिंचाई व्यवस्था	315	–	–	–	32	347
सार्वजनिक भवन	270	–	–	–	27	297
रिट्रोफिरिंग	75	–	–	–	10	85
सड़क और भवन	300	72	–	–	45	417
शहरी ढांचा	–	504	–	–	100	604
ग्रामीण जल आपूर्ति	–	336	–	–	70	406
विद्युत	–	216	–	–	108	324
स्वास्थ्य	–	–	–	172	186	358
शिक्षा	155	–	170	–	435	760
अन्य	583	408	–	–	786	1777
कुल	3304	1653	170	172	2534	7836

95-97 **वेतन आयोग में विसंगतियां**

2950. श्री जे. एस. बराड़ : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि केन्द्रीय सचिवालय–सेवा (सीएसएस) संगठनों ने पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में विसंगतियों के बारे में बताया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विसंगतियां हटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इस संबंध में किस समय तक अंतिम निर्णय लिया जाना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय सचिवालय–सेवा का प्रतिनिधित्व करने वाले संघों ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की विभागीय समिति में अन्य बातों के साथ–साथ, केन्द्रीय सचिवालय–सेवा के सहायक–ग्रेड को उच्चतर वेतनमान दिए जाने का मुद्दा उठाया है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त विभागीय विसंगति–समिति में इस मुद्दे पर विचार–विमर्श किए जाने के पश्चात उपर्युक्त समिति द्वारा यह मुद्दा छोड़ दिया गया।

[हिन्दी]

97 **भोपाल गैस दुर्घटना की महिला पीड़ितों को दी जा रही पेंशन**

2951. कुंवर अखिलेश सिंह : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल गैस दुर्घटना की महिला पीड़ितों ने वर्तमान में उन्हें दी जा रही पेंशन में बढ़ोतरी की मांग है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी महिला पीड़ितों की संख्या कितनी है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया अथवा लेने का प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) : (क) मध्य प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार ऐसी कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद] भारत - बांग्लादेश। संबंध सीमा

इण्डो-बांग्ला सीमा पर गैर-कानूनी पशु व्यापार 97-98

2952. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत–बांग्ला सीमा पर जारी गैर–कानूनी पशु व्यापार की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त सीमा पर इस प्रकार के गैर–कानूनी पशु व्यापार को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (ग) जी हां, श्रीमान। वर्ष 2001 और 2002 के दौरान भारत–बांग्लादेश सीमा पर सी.सु. बल द्वारा क्रमशः 36,026 तथा 49,593 पशु पकड़े गए। इस तरह के अवैध पशु–व्यापार पर अंकुश लगाने तथा सीमा पर पशुओं की तस्करी के साथ–साथ अन्य अवैध गतिविधियां भी रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :

(i) गश्त के द्वारा सीमा की चौबीसों घंटे निगरानी;

(ii) भारत–बांग्ला देश सीमा के साथ–साथ बाड़ लगाना;

(iii) विशेष अभियान चलाना;

(iv) आसूचना नेटवर्क का उन्नयन;

(v) नाइटविजन डिवाइसों का प्रयोग;

(vi) गश्त/नाका ड्यूटियों के लिए नफरी में वृद्धि;

(vii) बेहतर निगरानी के लिए सीमा चौकियों तथा निगरानी बुर्जों को आगे ले जाना।

नागरिक घोषणा पत्र 98-99

2953. श्री पवन कुमार बंसल : क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सेवा प्रदान करने वाले सभी विभागों जैसे बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और राज्य सरकारों को नागरिक घोषणा पत्र बनाने की सलाह दी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में जारी किए गए मुख्य निर्देश क्या हैं;

(ग) क्या इस प्रकार के घोषणा पत्र तैयार और लागू कर दिए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) जी, हां।

(ख) इस संबंध में मोटे तौर पर जारी किए गए दिशा–निर्देश संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) जी, हां। केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों/संगठनों द्वारा 79 नागरिक चार्टर तैयार किए गए हैं तथा विभिन्न राज्य सरकारों/संघ–शासित प्रशासनों के संगठनों द्वारा 498 नागरिक चार्टर तैयार किए गए हैं।

विवरण

नागरिक चार्टर--दिशा--निर्देश

(i) चार्टर का आधार हमारे द्वारा दी जाने वाली सेवा की गुणवत्ता के संबंध में नागरिकों/उपभोक्ताओं/ग्राहकों की असंतुष्टि होती है।

(ii) चार्टर उपयोगी बन सके इसलिए वह सरल होना चाहिए।

(iii) चार्टर केवल वरिष्ठ विशेषज्ञों द्वारा ही नहीं बनाया जाना चाहिए बल्कि निचले स्तर के कर्मचारियों, जो इसे अंतिम रूप से कार्यान्वित करेंगे, तथा प्रयोक्ताओं (वैयक्तिक संगठनों) से विचार--विमर्श करके बनाया जाए।

(iv) चार्टर की केवल घोषणा करने मात्र से ही हमारे कार्य करने के तरीके में परिवर्तन नहीं आएगा। परस्पर संवाद तथा प्रशिक्षण के माध्यम से एक उत्तरदायी वातावरण बनाएं।

(v) प्रदान की जा रही सेवा(ओं) का शुरू में उल्लेख करें।

(vi) प्रत्येक सेवा के सामने प्रयोक्ता के अधिकार, सेवा का स्तर और उन स्तरों का अनुपालन नहीं होने पर प्रयोक्ताओं को उपलब्ध उपायों का उल्लेख किया जाए।

(vii) कार्यविधियां/लागत/प्रभार आदि चार्टर में विनिर्दिष्ट स्थानों पर ऑनलाइन/सूचना बोर्डों/पुस्तिकाओं/पूछताछ काउंटरों आदि पर उपलब्ध कराए जाएं।

(viii) इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख करें कि यद्यपि चार्टर में उल्लिखित वचनबद्धताएं वाद--योग्य नहीं हैं, तथापि, वे स्वयं अपने प्रति तथा प्रयोक्ता के प्रति पूरा किए जाने वाले वायदे के रूप में हैं।

(ix) प्रतिक्रियाएं एवं सुझाव प्राप्त करने के लिए एक ढांचा तैयार करें और चार्टर की समीक्षा के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाएं।

(x) अलग--अलग सेवाओं और किसी मंत्रालय/विभाग के संबद्ध अथवा अधीनस्थ संगठनों/एजेंसियों के लिए अलग से चार्टर बनाए जा सकते हैं।

भेषजीय क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, L 100

2954. श्री रतन लाल कटारिया : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने भेषज के क्षेत्र में शोध के लिए किसी अन्य देश के साथ समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो दवा विकास, नैदानिक परीक्षण और दवाओं के संयुक्त उत्पादन इत्यादि के क्षेत्र में सहयोग के लिए आगे आने वाले देशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) भेषज शोध में विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जाएगी तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राज्यों में पंचायती चुनाव 100-101

2955. श्री के. पी. सिंह देव : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारें समय पर पंचायती चुनाव कराने में असफल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में अब तक सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(घ) क्या इन सरकारों ने वह केन्द्रीय धनराशि लौटा दी है जो उन्हें पंचायती चुनावों के लिए आवंटित की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील) : (क) जी, हां।

(ख) अरुणाचल प्रदेश, झारखंड और उत्तरांचल समय पर पंचायत चुनाव नहीं करा पाए हैं। अरुणाचल प्रदेश के मामले में राज्य ने अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण देने से संबंधित संवैधानिक प्रावधान लागू न करने की मांग की थी क्योंकि वहां मूल रूप से अनुसूचित जातियां नहीं हैं। इसके फलस्वरूप उचित

कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए मई, 2001 में अरुणाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम पास किया गया। उत्तरांचल के मामले में वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश में से राज्य का गठन किया गया था। राज्य ने अब बताया है कि मार्च, 2003 में चुनाव होंगे। झारखंड राज्य एक नवगठित राज्य है और यहां राज्य के अनुसूचित–5 वाले क्षेत्रों में जनजातीय लोगों के लिए आरक्षण के प्रतिशत के बारे में विवाद है।

(ग) इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों और पंचायती राज मंत्रियों तथा संबंधित सचिवों से बार–बार अनुरोध किया जाता रहा है कि पंचायत चुनवा करवाए जाएं।

(घ) और (ङ) पंचायत चुनावों के लिए कोई केन्द्रीय निधि रिलीज नहीं की जाती हैं। चूंकि कोई निधि रिलीज नहीं की गई है इसलिए इसकी वापसी का प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राज्य प्रशासनिक अधिकरण 101-102

2956. श्री जयश्री बैनर्जी :
श्री आर. एल. जालप्पा :

क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश और कर्नाटक सरकारों से इन राज्य प्रशासनिक अधिकरणों को समाप्त करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है और किस समय तक इस संबंध में सरकार द्वारा अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) जी, हां।

(ख) कर्नाटक–सरकार का यह मत था कि एल. चन्द्र कुमार बनाम भारत संघ के मुकदमे में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के मद्देनजर, राज्य प्रशासनिक अधिकरण द्वारा लिए गए निर्णयों को उच्च न्यायालय में, किसी खंड न्यायपीठ के समक्ष रिट याचिकाएं दायर करके चुनौती दी जा सकती है, अतः कर्नाटक प्रशासनिक अधिकरण अनावश्यक हो गया है।

मध्य प्रदेश सरकार ने इस तर्क के आधार पर मध्य प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण को समाप्त करने का निर्णय लिया है कि उसे (उपर्युक्त राज्य सरकार को) हुए अनुभव के अनुसार, उपर्युक्त अधिकरण, जिन उद्देश्यों से स्थापित किया गया था, वे उद्देश्य, उस सीमा तक पूरे नहीं हुए हैं जहां तक सेवा से संबद्ध विवादों को तत्परतापूर्वक अंततः निबटा दिए जाने का लक्ष्य हासिल नहीं हो पाया है। मध्य प्रदेश–सरकार का यह मत था कि एल. चन्द्र कुमार और अन्य बनाम भारत–संघ के मुकदमे में, उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के उपरांत प्रशासनिक अधिकरण, न्यायिक सोपान क्रम में अतिरिक्त पड़ाव बन गए हैं, जिससे विशेषज्ञता से युक्त माने जाने वाले तथा भारी काम के बोझ से दबे उच्च न्यायालयों के विकल्प माने जाने वाले इन अधिकरणों की प्रभावोत्पादकता बहुत कम हो गई है।

(ग) राज्य सरकार के अनुरोध पर विचार किए जाने का प्रश्न, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 में, प्रशासनिक अधिकरणों को समाप्त कर दिए जाने, अधिकरणों में लंबित चल रहे मुकदमे किसी अन्य मंच को अंतरित कर दिए जाने और अधिकरणों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों और अन्य कर्मचारियों के सेवा से जुड़े हितों जैसी आनुषंगिक आकस्मिकताओं से निबटने के समर्थकारी प्रावधान कर दिए जाने के उपरांत ही उठेगा।

[अनुवाद] आंध्र प्रदेश कोयला खान

सिंगरैनी खान मजदूरों द्वारा हड़ताल 102-104

2957. श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया :
श्रीमती रेणूका चौधरी :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूर संघों ने 13 फरवरी, 2003 का दिन आंध्र प्रदेश के सिंगरैनी खान मजदूरों के साथ एकजुटता दिवस के रूप में मनाया और उस दिन स्थाई प्रकृति की नौकरियों के निजीकरण और इन्हें ठेकेदारी पर दिए जाने के विरोध में आम हड़ताल की गई;

(ख) यदि हां, तो सिंगरैनी खदान मजदूरों की मुख्य मांगें क्या हैं;

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने आपदा निवारण समूह गठित किया है;

(ङ) यदि हां, तो इस समूह के निवेश पद क्या हैं; और

(च) कोयले की कमी से निबटने और मजदूरों के हितों के संरक्षण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कोल इंडिया लि. तथा नेयेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि. द्वारा सूचित किए अनुसार उनके संबंधित क्षेत्राधिकारों में 13.2.2003 को सिंगरैनी कोलियरीज कंपनी लि. में हड़ताल के समर्थन में कोई हड़ताल नहीं हुई है।

(ख) श्रमिकों द्वारा की गई मुख्य मांगें निम्नानुसार हैं :

(i) एससीसीएल में कोई निजीकरण और संविदाकरण नहीं किया जाना।

(ii) कोयागुडम ओपनकास्ट परियोजना में संविदाकरण को रोकना और सतही खनिक को तत्काल हटाना।

(iii) निजी रोगी वाहनों, सुरक्षा सेवाओं, निजी वाहनों को किराए पर लेने जैसे विगत में प्रारंभ किए गए विभिन्न निजीकरण उपायों को वापस लेना।

(iv) आश्रित रोजगार (जिसे अनुवंशिक रोजगार-योजना के नाम से जाना जाता है) प्रदान करने हेतु कंपनी की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को पुनः लागू करना।

(v) कंपनी सभी झोपड़-पट्टी क्षेत्रों में विद्युत देना जारी रखे।

(ग) एससीसीएल के प्रबंधन ने श्रमिकों को हड़ताल नोटिस में उठाई गई मांगों पर तथ्यात्मक स्थिति से अवगत कराने के लिए पर्चों (पैम्पलेटों), दीवार पोस्टरों, विज्ञापनों, इलेक्ट्रोनिक मीडिया आदि के माध्यम से सभी कदम उठाए हैं। प्रबंधन तथा आंध्र प्रदेश सरकार ने भी स्थिति को स्पष्ट करते हुए यूनियन के नेताओं को पत्र लिखे हैं। श्रमिकों को यह संसूचित किया गया कि एससीसीएल ने अपने व्यवसाय, स्वामित्व और अधिकार अथवा परिसंपत्तियों को किसी निजी एजेंसी को हस्तांतरित नहीं किया है। केवल कुछ नॉन-कोर क्रियाकलापों को ठेका श्रम (विनियम तथा उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों के भीतर चरणबद्ध रूप से बाह्य स्रोतों से करवाया/ऑफ-लोडिड किया जा रहा है। यह भी संसूचित किया गया कि एससीसीएल में कर्मचारियों की कोई छंटनी अथवा अनिवार्य सेवानिवृत्ति नहीं की जा रही है।

(घ) और (ङ) हड़ताल की अवधि के दौरान स्थिति पर नजर रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि कहीं जबरदस्ती काम न रोका जाए, विशेष सचति (कोयला) की अध्यक्षता में एक अन्तर-मंत्रालयीय आपदा समाधान दल (सीआरजी), प्रत्येक सप्ताह बैठक कर रहा था जिसमें विद्युत मंत्रालय, रेलवे, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), कोल इंडिया लि. (सीआईएल) और सिंगरैनी कोलियरीज कंपनी लि. (एससीसीएल) के प्रतिनिधि शामिल थे।

(च) हड़ताल की अवधि के दौरान एससीसीएल द्वारा खानों को प्रभावी रूप से चलाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए :

(i) सभी वफादार श्रमिकों, सभी अधिकारियों तथा पुलिस विभाग का सहयोग मांगा गया।

(ii) प्रतिदिन औसतन 64000 टन कोयले का प्रेषण किया गया।

(iii) लिंक्ड विद्युत गृहों के लिए समुचित कोयला आपूर्ति तथा स्टाक अनुरक्षित किए गए।

(iv) एससीसीएल प्रबंधन द्वारा कोयला मंत्रालय को किए गए एक अनुरोध पर एससीसीएल से लिंक्ड कुछ विद्युत गृहों को कोल इंडिया लि. से कोयला आपूर्तियां व्यपवर्तित (डायवर्टिड) कर दी गईं।

[हिन्दी]

नैनो तकनीक का विकास 104-105

2958. श्री ब्रह्मानन्द मंडल :
श्री सी. श्रीनिवासन :
श्री अम्बरीश :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा नैनो तकनीक के विकास पर कितना खर्च करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या इस क्षेत्र में निजी कंपनियों की भागीदारी की योजना है;

(ग) इस तकनीक के विकास में सरकार को क्या लाभ मिलने की संभावना है और किस क्षेत्र में इसके उपयोगी रहने की संभावाना है; और

(घ) इस तकनीक के विकास पर सरकार द्वारा खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा") : (क) से (घ) सरकार ने लगभग 100 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ 10वीं पंचवर्षीय योजना "नैनो मैटिरियल्स साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव (एनएसटीआई)" नामक एक नए कार्यक्रम की शुरूआत इस क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए की है। इसमें निजी समूहों की भागीदारी सहित उद्योग जगत का सहयोग शामिल है।

नैनो प्रौद्योगिकी के स्वास्थ्य एवं जैव प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रोनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी, पदार्थ आदि के क्षेत्रों में काफी अनुप्रयोग हैं। आधुनिक सुविधाएं, अवसंरचना तथा श्रम शक्ति उपलब्ध कराने के लिए महत्वपूर्ण कदम पहले ही उठाए गए हैं। चूंकि यह कार्यक्रम हाल ही में शुरू किया गया है, अतः इसके प्रभाव के मूल्यांकन के बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। चालू वर्ष में नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास पर लगभग 15 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

दिल्ली मतदाता सूची विदेशी नागरिक

मतदाता सूचियों में विदेशी नागरिकों के नाम

5-106

2959. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **उप-प्रधान** मंत्री दिनांक 19.12.2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4675 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली की मतदाता सूची में कितने विदेशी नागरिकों के नाम शामिल हैं; और

(ख) इन नामों को हटाने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) जिन विदेशी राष्ट्रिकों के नाम मतदाता सूचियों में हैं उनके मामलों की जांच करना और इस प्रकार मतदाता सूचियों से उनके नाम हटाना एक सतत प्रक्रिया है।

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि अभी तक 75 अवैध बांग्लादेशी आप्रवासियों के नाम मतदाता सूचियों से हटाए गए हैं।

कोयला खनन 106

2960. श्री लक्ष्मण गिलुवा :
श्री राम टहल चौधरी :

क्या **कोयला** मंत्री यह यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड ने श्रम उत्पादकता कार्यक्रम के तहत सतह से गहराई में जाकर कोयला उत्खनन के लिए कोई समय–सीमा निर्धारित की है; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम के तहत की गई कार्यवाहियों और इसकी मुख्य विशेषताओं का ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत धन का आवंटन 106–107

2961. श्री ब्रजमोहन राम :
श्री अनन्त नायक :

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का क्रियान्वयन सभी जिलों में, विशेषकर राज्यों के अधिसूचित जिलों में किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इस योजना के अंतर्गत अब तक आवंटित खाद्यान्न/धन का जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस योजना के अंतर्गत डीआरडीए ने उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर दिए हैं,

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील) : (क) से (छ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

धार्मिक स्थान दिल्ली

107 **मंदिरों की सुरक्षा**

2962. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिड़ला मंदिर, नई दिल्ली के गर्भ–गृह से 5 करोड़ रुपए के आभूषणों को लूटने के लिए जनवरी, 2003 के दूसरे सप्ताह में मंदिर में हथियार बंद डकैती का प्रयास किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों को देखते हुए इस मंदिर की और दिल्ली में अन्य मंदिरों की सुरक्षा अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान। तथापि, दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में महत्वपूर्ण धार्मिक स्थानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रबंध किए हैं। इनमें धार्मिक स्थानों के समीप सादे कपड़ों में पुलिस कार्मिकों की तैनाती तथा महत्वपूर्ण त्यौहारों के अवसर पर अतिरिक्त बल तैनात करना शामिल है।

[हिन्दी] केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग सरकारी आवास

107-111 **के.लो.नि.वि. द्वारा अपनाए गए मानदंड**

2963. डा. बलिराम : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी आवासों के निर्माण और रखरखाव के लिए लगभग वही 10 से 15 साल पुराने मानदंड अपनाए जाते हैं जो अब निरर्थक हो चुके हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार के.लो.नि. वि. के मानदंडों में संशोधन कर टाइप–I के सरकारी आवासों में निर्वातक पंखे, जालीदार दरवाजे और खिड़कियां लगाए जाने का प्राक्धान करने का है;

(ग) यदि हां, तो ऐसा प्रावधान कब तक किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) कार्यालय वास के निर्माण और अनुरक्षण से संबंधित वित्तीय मानदंड हर वर्ष लागत सूचकांक जारी करके अद्यतन किए जाते हैं। अपनाए गए मानदंडों में समय–समय पर संशोधन किया जाता है। टाइप–I से टाइप–III के क्वार्टरों के निर्माण संबंधी मानदंडों में वर्ष 1989 में और टाइप–IV के मकानों के लिए वर्ष 1992 में संशोधन किया गया था।

(ख) से (घ) जी, नहीं। फिलहाल, टाइप–I के मकानों में एक्जास्ट फैन, जालीदार दरवाजे और खिड़कियां लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। जालीदार खिड़कियां केवल रसोईघर में लगाई जाती हैं। तथापि "आवंटिती के अनुरोध पर अनुमेय–परिवर्धन/परिवर्तन" स्कीम के तहत अतिरिक्त सुविधाओं का प्रबंध किया जा सकता है। जिसका ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

आवंटिती के अनुरोध पर अनुमेय परिवर्धन/परिवर्तन

1. फ्लैट/क्वार्टर में परिवर्धन/परिवर्तन हेतु केवल निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं :

ए. सिविल निर्माण कार्य

I. मदें, जिनके लिए अनुमानित लागत की 10 प्रतिशत राशि आवंटिती से वसूली जाती है :

(i) रसोईघर का नवीनीकरण जिसमें चिमनी तोड़ना, यदि हां, वर्किंग प्लेटफार्म पर मार्बल/कोटा पत्थर लगाना, उपयुक्त सिंक और ड्रेनेज बोर्ड लगाना, डाडो में सफेद ग्लेज टाइल लगाना और शेल्फों का नवीकरण आदि का कार्य शामिल है।

(ii) मार्बल फ्लोरिंग और पाइपों और क्रोमियम प्लेटेड फिटिंग्स के साथ डाडो में सफेद ग्जेल टाइलें लगाकर शौचालय का नवीनीकरण।

(iii) पाइपों सहित भूमिगत पानी की टंकियां/लाफ्ट टैंक।

(iv) दरवाजों/खिड़कियों के लिए वायर गेज शटर।

(v) शीशे और कांच की शेल्फ आदि सहित वॉश–बेसिन।

(vi) अतिरिक्त कपबोर्डों की व्यवस्था।

(vii) वरांडा आदि कवर करके अपयोग हेतु अतिरिक्त जगह बनाना।

(viii) खिड़कियों में पेलमेट/पदर की रींड/ग्रिल।

(ix) प्रवेश द्वार/दरों पर मैजिक आई और सुरक्षा संबंधी अन्य सामग्री लगाना।

(x) क्वार्टरों के चारों और लोहे के गेट सहित कांटेदार तार की बाड़।

II. मदें, जिनके लिए आवंटितियों से अनुमानित लागत की 20 प्रतिशत राशि वसूली जाती है :

(i) बांस की पट्टियां।

(ii) जीने में गिराया जा सकने वाला शटर की व्यवस्था।

III. मदें, जिनके लिए आवंटितियों से अनुमानित लागत की 100 प्रतिशत राशि वसूली जाती है :

(i) परिसरों के आसपास के क्षेत्रों में अनुमोदित प्रणाली से उपयुक्त सामग्री लगाकर पेविंग करना।

(ii) भारतीय शैली के डब्ल्यूसी को यूरोपियन शैली के डब्ल्यूसी में परिवर्तित करना और इसके विपरीत का कार्य।

(iii) फ्लोरिंग में परिवर्तन।

(iv) दीवारों में बेहतर सामग्री/पेंट से रंग–रोगन करना।

(v) पेंट आदि सहित मकान के अंदर किए गए रंगों में परिवर्तन।

(vi) मकान के अंदर और सर्वेंट क्वार्टर और मकान के बीच सप्लेट बैंबू, चिकन मेश, लकड़ी के विकल्पों आदि के द्वारा विभाजन की व्यवस्था।

(vii) कारों/स्कूटरों और पालतू जानवरों के लिए अस्थाई शेडों की व्यवस्था।

(viii) विभाजन और दरवाजे/खिड़कियां आदि बनाकर/हटाकर बरांडे में परिवर्तन।

बी. बिजली के कार्य

I. मदें, जिनके लिए आवंटितियों से अनुमानित लागत की 10 प्रतिशत राशि वसूली जाती है :

(i) अतिरिक्त पावर पाइंट/लाइट पांइट लगाना।

(ii) एसी (औद्योगिक टाइप) के लिए अतिरिक्त सॉकेट लगाना।

(iii) लाइट ब्रेकेट बदलना।

(iv) बल्बों के स्थान पर ट्यूबलाइटें लगाना।

(v) अतिरिक्त लाइट पांइट लगाना।

(vi) मुख्य मकान से सर्वेंट क्वार्टर तक कॉल वेल पाइंट सहित अतिरिक्त कॉल बेल लगाना।

II. मदें, जिनके लिए आवंटितियों से अनुमानित लागत की 10 प्रतिशत राशि वसूली जाती है :

(i) अतिरिक्त छत के पंखे/एक्जास्ट फैन लगाना।

(ii) फैंसी लाइट फिटिंग लगाना।

(iii) प्रांगण और गेट पिलर पर अतिरिक्त लाइट लगाना (टाइप–vii ओर टाइप–viii को छोड़कर)।

(iv) मकान के चारों ओर फ्लडलाइट लगाना।

(v) वाइरिंग और प्लंबिंग के कार्यों में ए/ए सहित हीटर/गीजर/बूस्टर पंप लगाना।

(vi) काम्पैट फ्लोरेस्सेंट लाइटें और फिटिंग लगाना।

(vii) मकान में बिजली का लोड बढ़ाने के कारण यदि आवश्यक हो तो फोडर पीलर के स्थान पर मकान में ही केबल लगाना।

2. एक वित्त वर्ष के दौरान विभिन्न टाइप के मकानों में किए जा सकने वाले परिवर्धनों/परिवर्तनों की अधिकतम सीमा निम्नलिखित है। जिन मदों के लिए आवंटितियों से 100 प्रतिशत

लागत की वसूली की जाएगी उनके लिए यह प्रतिबंध लागू नहीं हैं :

क्वार्टर का टाइप	मौजूदा वित्तीय सीमा (रुपए)
I	2900
II	4000
III	4000
IV	10500
डी–I और डी–II फ्लैट	21700
सी–I और सी–II फ्लैट	26000
VII और VIII	39000

दिल्ली पुलिस

मध्य जिला पुलिस (सेन्ट्रल डिस्ट्रिक्ट पुलिस)

2964. श्री चन्द्रेश पटेल :
111-112 **श्री आदि शंकर :**
श्री जी. जे. जावीया :

क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान दिल्ली के मध्य जिले में, विशेषकर करोलबाग पुलिस थाने में, आपराधिक मामलों से संबंधित कितनी शिकायतें और प्राथमिकी दर्ज की गई हैं;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान कुछ शिकायतें पुलिस उपायुक्त, दरियागंज और सहायक पुलिस आयुक्त, करोलबाग के कार्यालयों में भी दर्ज की गई थीं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इन पर क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) 1 मार्च, 2002 से 28 फरवरी, 2003 तक की अवधि के दौरान केन्द्रीय जिले में आपारधिक मामलों से संबंधित प्राप्त शिकायतों की संख्या 12023 थी, जिसमें से 2589 शिकायतें करोलबाग पुलिस स्टेशन में प्राप्त हुईं। इसी प्रकार, इसी अवधि के दौरान केन्द्रीय जिले में दर्ज किए गए मामलों की संख्या 5328 थी जिसमें से 693 मामले करोल बाग पुलिस स्टेशन में दर्ज किए गए।

(ख) और (ग) जी, हां। श्रीमान इनमें से चार शिकायतें प्रथम दृष्ट्या जांच के दौरान साबित हो गईं और इन मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्टें दर्ज कर दी गईं।

[अनुवाद]

आवास क्षेत्र 112-22

आवास योजनाओं का कार्यान्वयन

2965. श्री शीशराम सिंह रवि :
श्री दिन्सा पटेल :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार आवास क्षेत्र के लिए व्यापक नीतिगत ढांचा तैयार करने और विशेषकर समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए सामाजिक आवास कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करने के लिए उत्तरदायी है;

(ख) यदि हां, तो क्या शासन के राष्ट्रीय एजेंडे के अनुसार प्रतिवर्ष दो मिलियन अतिरिक्त आवासीय इकाइयों का निर्माण किया जाना था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या नौवीं योजना के अंत तक "सब के लिए आवास" वाला महत्वाकांक्षी कार्यक्रम बुरी तरह से विफल हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) गुजरात सहित विभिन्न राज्यों में वर्षवार और राज्य–वार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए और क्या उपलब्धियां प्राप्त की गईं; और

(छ) सरकार ने भविष्य में इस कार्यक्रम को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) से (ग) यद्यपि आवास विषय राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आता है तथापि केन्द्र सरकार द्वारा देश में सामान्यतया लोगों की, विशेषकर कमजोर वर्गों के लोगों की आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवास स्टॉक में वृद्धि करने के उद्देश्य से व्यापक नीति तैयार की गई है। राज्य सरकारों द्वारा आवास नीति के विस्तृत मानदंडों को ध्यान में रखते हुए मकानों की कमी को दूर करने हेतु अपनी कार्य योजनाएं तैयार करना अपेक्षित है। राष्ट्रीय शासन

कार्यसूची में सबके लिए आवास को एक प्राथमिकता क्षेत्र घोषित किया गया है और इस राष्ट्रीय शासन कार्यसूची के साथ राष्ट्रीय आवास एवं पर्यावास नीति, 1998 में प्रत्येक वर्ष दो मिलियन मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। दो मिलियन आवास कार्यक्रम वर्ष 1998–99 में शुरू किया गया था जिसके तहत राज्य सरकार एजेंसियों तथा आवास सहकारी समितियों द्वारा हडको तथा अन्य ऋणदाता एजेंसियों से वित्तीय सहायता लेकर प्रत्येक वर्ष शहरी क्षेत्रों में 7 लाख तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्गों व निम्न आय वर्गों के लिए 13 लाख मकान बनाए जाने अपेक्षित हैं।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। समग्र प्रगति संतोषजनक है। शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हडको द्वारा स्वीकृत मकानों के ब्यौरे संलग्न विवरण–I में दिए गए हैं।

(च) पिछले चार वर्षों 1998–99 से 2001–2002 के दौरान दो मिलियन आवास कार्यक्रम के तहत हडको तथा आवास सहकारी समितियों द्वारा स्वीकृत मकानों के गुजरात सहित (वर्षवार और राज्यवार) ब्यौरे संलग्न विवरण–II तथा III में दिए गए हैं।

(छ) सरकार द्वारा दो मिलियन आवास कार्यक्रम की प्रगति की निगरानी उच्चतम स्तर पर की जाती है। राज्य सरकारों से कहा गया है कि संबंधित एजेंसियों को अपने लक्ष्य जल्दी पूरे करने को कहा जाए।

विवरण-I

हडको (शहरी)

वर्ष	लक्ष्य (रिहायशी यूनिट)	रिहायशी यूनिट स्वीकृत
1998–1999	4,00,000	4,30,399
1999–2000	4,00,000	4,60,218
2000–2001	4,00,000	4,70,881
2001–2002	4,00,000	4,01,078
कुल	16,00,000	17,62,576

हडको (ग्रामीण)

वर्ष	लक्ष्य (रिहायशी यूनिट)	रिहायशी यूनिट स्वीकृत
1	2	3
1998–1999	6,00,000	6,34,638
1999–2000	6,00,000	6,54,050
2000–2001	6,00,000	7,32,131
2001–2002	6,00,000	3,33,113
कुल	24,00,000	23,53,932

सहकारी क्षेत्र (शहरी)

वर्ष	लक्ष्य (रिहायशी यूनिट)	स्वीकृत/वित्तपोषित रिहायशी यूनिटों की सं.		
		प्रमुख संघ	अन्य सहकारी सं.	कुल
1998–1999	1,00,000	1,47,844	27,100	1,74,944
1999–2000	1,00,000	61,308	26,910	88,218
2000–2001	1,00,000	55,368	25,531	80,899
2001–2002	1,00,000	37,877	35,782	73,659
कुल	4,00,000	3,02,397	1,15,323	4,17,720

हडको से इतर आवास वित्त संस्थान

रिहायशी यूनिटों की संख्या

वर्ष	लक्ष्य	अनुमोदित आवास वित्त संस्थान हडको को छोड़कर	पब्लिक सेक्टर बैंक	कुल
1	2	3	4	3+4
1998–1999	2,00,000	1,85,817	60,633	2,46,450
1999–2000	2,00,000	1,82,424	1,28,080	3,10,504
2000–2001	2,00,000	2,24,370	2,25,205	4,49,504
2001–2002	2,00,000	2,51,940	2,17,144	4,69,084
कुल	8,00,000	8,44,551	6,31,062	14,75,613

आवास वित्त संस्थानों के राज्य–वार ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

विवरण-II

दो मिलियन आवास कार्यक्रम (हडको)

31.3.2002 की स्थिति के अनुसार

क्र.सं.	राज्य	वार्षिक लक्ष्य	स्वीकृत मकान														
			1998–99			1999–2000			2000–2001			2001–2002			कुल		
			शहरी	ग्रामीण	कुल	शहरी	ग्रामीण	कुल	शहरी	ग्रामीण	कुल	शहरी	ग्रामीण	कुल	शहरी	ग्रामीण	1998–02
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	आंध्र प्रदेश	73457	33083	249378	282441	34316	139745	174061	24298	295362	319660	4000	124681	128681	95677	809188	904843
2.	अरुणाचल प्रदेश	1509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1600	0	1600	1600	0	1600
3.	असम	55948	26250		26250				314		314		50	50	26546	50	26614
4.	बिहार	37185	383		383										383	0	383
5.	छत्तीसगढ़	23780										10000	0	10000	10000	0	10000
6.	दिल्ली	19621										2016	0	2016	2016	0	2016
7.	गुजरात	67993	13976	4011	17987	21970		21970	3059		3059	2318	123	2441	41323	4134	45457
8.	हरियाणा	15289	2046		2046	664	644								2710	0	2710
9.	हिमाचल प्रदेश	4120		10941	10941										0	10941	10941
10.	जम्मू–कश्मीर	13296										557	0	557	557	0	557
11.	झारखंड	19158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
12.	कर्नाटक	59782	133708	149808	283516	55900	56711	112611	148384	184808	333192	43679	107796	151475	381671	499123	880794
13	केरल	30200	67568	96075	163643	64725	55200	119925	74800	31667	106467	1330	24600	25930	208423	207542	415965

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
14.	मध्य प्रदेश	55487	50000		50000							2200	0	2200	52200	0	52200
15.	महाराष्ट्र	110585	18713		18713	343		343	3442		3442	4888	0	4888	27484	0	27487
16.	मणिपुर	9946										80	0	80	80	0	80
17.	मेघालय	8271														0	
18.	मिजोरम	10262											379	379		379	379
19.	नागालैंड	6565										40	0	40	40	0	40
20.	उड़ीसा	31016	12000	11700	23700	100000	137688	237688	10284		10284	905	0	905	123189	149388	272577
21.	पंजाब	22337										10000	0	10000	10000	0	10000
22.	राजस्थान	62880										8280	2000	10280	8280	2000	10280
23.	तमिलनाडु	843999	18142	37725	55867	30800	33200	63800	11150	25294	36444	34712	46586	81298	94604	142805	237409
24.	त्रिपुरा	7124				1700		1700	150		150	522	0	522	2372	0	2372
25.	उत्तर प्रदेश	91180	44550		44550							125000	0	125000	169550	0	169550
26.	उत्तरांचल	11269										2167	600	2767	2167	600	2767
27.	प. बंगाल	604492	10000	75000	85000	150000	231506	381506	195000	195000	390000	8858	26298	35156	363858	527804	891662
28.	पांडिचेरी	1705										170	0	170	170	0	170
	कुल	1000000	430399	634638	1065036	460218	654050	1114268	470881	732131	1203012	263923	333113	597036	1625421	2358932	3979353
हुडको निवास (आरएफ तथा ऋण)#												75283		75283	75283	0	75283
अन्य योजनाएं#												61872		61872	61872	0	61872
	सकल योग	1000000	430399	634638	1065037	460218	654050	1114268	470881	732131	1203012	401078	333113	734191	1762576	2353932	4116508

विवरण-III

1998–1999, 1999–2000, 2000–2001 व 2001–2002 के दौरान दो मिलियन आवास कार्यक्रम के अंतर्गत आवास सहकारी की राज्य वार प्रगति

राज्य/संघ शासित प्रदेश	बनाई गई/वित्त पोषित आवास यूनिटों की संख्या				कुल
	1998–99	1999–2000	2000–2001	2001–2002	
1	2	3	4	5	6
अंदमान और निकोबार	10	–	–	–	10
आंध्र प्रदेश	1287	1039	677	654	3657
असम	1316	2340	–	2306	5962
बिहार	1985	–	2129	8	4322
चंडीगढ़	1070	67	–	4184	5321
दिल्ली	8793	4388	2563	197	15941
गोवा	562	3021	3117	4906	11906
गुजरात	1811	3259	2138	1816	9024
हरियाणा	167	419	366	4565	5517
हिमाचल प्रदेश	139	52	42	240	473
जम्मू–कश्मीर	350	26	91	19	486
कर्नाटक	1838	1880	1264	2192	7174
केरल	7538	10534	10575	9695	38342
मध्य प्रदेश	2712	224	368	731	4035
महाराष्ट्र	9257	10233	12775	14773	47038
मणिपुर	132	176	–	–	308
मेघालय	78	3	–	88	169
मिजोरम	–	–	–	–	–
नागालैंड	–	49	7	–	56
उड़ीसा	1784	680	812	185	3461
पाण्डिचेरी	167	177	74	83	501
पंजाब	4093	4489	3923	6308	18813

1	2	3	4	5	6
राजस्थान	1039	1191	107	756	3093
तमिलनाडु	121630	42947	37377	14956	216910
त्रिपुरा	10	24	28	–	62
उत्तर प्रदेश	6744	298	1029	2100	10171
पश्चिम बंगाल	432	702	937	2696	2071
उत्तरांचल	–	–	–	196	196
छत्तीसगढ़	–	–	–	5	5
कुल	174944	88218	80899	73659	417720

छात्रों को छात्रवृत्ति

2966. श्री टी. गोविन्दन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य देशों की सरकारों/विश्वविद्यालयों विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य के लिए छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) और (ख) जी, हां।

भारत सरकार द्वारा समय–समय पर विभिन्न विदेशों के साथ चलाए गए विभिन्न सांस्कृतिक/शैक्षिक विनिमय कार्यक्रमों के अंतर्गत सामान्यतः मानविकी, भाषा, विज्ञान, इंजीनियरिंग और चिकित्सा आदि से संबंधित विभिन्न विषयों में स्नातकोत्तर/पीएचडी/डॉक्टोरल–उत्तर अनुसंधान हेतु छात्रों को छात्रवृत्तियां दी जाती हैं।

[हिन्दी]

जल संरक्षण योजना में पंचायतों को लगाया जाना

2967. श्री रामचन्द्र पासवान : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जल संरक्षण योजना को क्रियान्वित करने का कार्य पंचायती राज संस्थानों को सौंप दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई दिशा–निर्देश जारी किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) पंचायती राज संस्थानों द्वारा इन्हें कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील) : (क) से (घ) माननीय प्रधान मंत्री जी ने हरियाली नाम से एक नया कार्यक्रम 27.1.2003 को शुरू किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय के सभी वाटरशेड विकास कार्यक्रमों नामतः सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी), मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डीडीपी) तथा समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी) को पंचायती राज संस्थाओं के जरिए कार्यान्वित किया जाएगा। भविष्य में स्वीकृत की जाने वाली सभी नई वाटरशेड विकास परियोजनाओं का कार्यान्वयन मध्यवर्ती पंचायत/जिला पंचायत, जो परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करेंगी, से तकनीकी सहायता के साथ ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाएगा। यदि मध्यवर्ती/जिला पंचायत के पास ग्राम पंचायतों की सहायता करने के लिए कोई तकनीकी कर्मचारी उपलब्ध नहीं हों तो इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त सरकारी समनुरूप विभागों/स्वायत्त एजेंसियों/स्वयंसेवी संगठनों का चयन किया जाएगा।

मेट्रो रेल सेवा, शुरू करने के प्रस्ताव

2968. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :
योगी आदित्यनाथ :

श्री अशोक ना. मोहोल :
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जहां मेट्रो रेल सेवा शुरू करने के प्रस्ताव केन्द्र सरकार को मिले हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का विचार मुंबई मेट्रो परियोजना की अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यह अध्ययन रिपोर्ट कब तक तैयार कर लिए जाने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) जी, नहीं। तथापि, इन राज्यों में मेट्रो परियोजना शुरू करने की संभावना का पता लगाने के लिए अध्ययन करने हेतु कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ख) यद्यपि महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई मेट्रो रेल हेतु एक मास्टर प्लान तैयार करने के लिए परामर्शी सेवा देने तथा प्राथमिकता कॉरीडोर के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड (डीएमआरसी) से संपर्क किया है, राज्य सरकार ने डीएमआरसी को अभी तक इस परामर्शी अध्ययन का कार्य नहीं सौंपा है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद] हथियार + राष्ट्रीय सुरक्षागार्ड

123-24 **प्राणघातक प्रभाव रहित हथियारों का प्रयोग**

2969. डा. मन्दा जगन्नाथ :
श्री विनय कुमार सोराके :
श्री कोडीकुन्नील सुरेश :
श्री सवशीभाई मकवाना :

क्या **रक्षा प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय सुरक्षागार्ड (एनएसजी) ने लोगों को बंधक बनाए जाने से उपजे संकट की स्थिति में ऐसे हथियारों या गैसों के उपयोग की अनुमति मांगी है जो जानलेवा न हो, जैसा कि 14 फरवरी, 2003 के 'द इंडियन एक्सप्रेस' में समाचार प्रकाशित हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने बंधक बनाए जाने से उत्पन्न संकट की स्थिति में ऐसे हथियारों के उपयोग का अनुमोदन कर दिया है जो जानलेवा नहीं है;

(घ) क्या इस संबंध में प्रशिक्षण हेतु सुरक्षा कर्मियों को इंग्लैण्ड भेजे जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते हैं।

[हिन्दी] भोपाल गैस दुर्घटना 124-25

भोपाल गैस पीड़ितों को चिकित्सा सुविधा

2970. श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव मिला है जिसमें भोपाल गैस पीड़ितों को मेट्रो एरिया नेटवर्क के जरिए चिकित्सा लाभ पहुंचाने हेतु पहचान पत्र (स्मार्ट कार्ड) जारी करने के लिए राज्य को 10 करोड़ रुपए की राशि निर्गत करने की बात कही गई है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) : (क) और (ख) इस अनुरोध के साथ प्रस्ताव प्राप्त हुआ है कि इसका निधियन यूनियन कार्बाइड कंपनी द्वारा दी गई मुआवजा धन राशि में से भारतीय रिजर्व बैंक के पास पड़ी हुई अप्रयुक्त धन राशि से किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार यूनियन कार्बाइड से प्राप्त धन राशि भोपाल गैस पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए निर्धारित

की गई है। अभी तक सभी मुआवाजा दावों का निपटान नहीं हुआ है।

नवोदय विद्यालयों का खोला जाना

2971. श्री वाई. जी. महाजन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कतिपय राज्य सरकारों ने अपने–अपने राज्यों में नवोदय विद्यालय खोलने के लिए केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या निर्णय लिए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने के लिए राज्य सरकारों से नवोदय विद्यालय समिति द्वारा प्रस्ताव प्राप्त करना एक सतत प्रक्रिया है। इस समय विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त 30 प्रस्तावों पर विभिन्न स्तरों पर कार्रवाई की जा रही है। इसका राज्यवार ब्यौरा विवरण में संलग्न है।

विवरण

जवाहर नवोदय विद्यालय संस्वीकृत करने के लिए लंबित प्रस्तावों का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	लंबित प्रस्तावों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	01
2.	असम	02
3.	बिहार	02
4.	छत्तीसगढ़	05
5.	गुजरात	02
6.	हरियाणा	02
7.	झारखंड	01
8.	महाराष्ट्र	01
9.	मध्य प्रदेश	03
10.	मेघालय	01
11.	मिजोरम	02
12.	उड़ीसा	05
13.	उत्तर प्रदेश	01
14.	पश्चिम बंगाल	02
	कुल	30

[अनुवाद]

अपराधों को दर्ज किया जाना

2972. श्री भास्करराव पाटील :
श्री कमल नाथ :

क्या **उप प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रकाश में आए कई आपराधिक मामले पुलिस द्वारा बहाने बाजी या अन्य कारणों से दर्ज ही नहीं किए जाते हैं जिसका परिणाम यह होता है कि वास्तविक तथ्य सामने नहीं आ पाते हैं, जैसा कि 17 फरवरी, 2003 के 'द स्टेट्समैन' में समाचार प्रकाशित हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पुलिस और संबंधित राज्य द्वारा आपराधिक मामले को समुचित रूप से दर्ज करने और इनकी सूचना प्रकाशित करने को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (ग) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। अपराधों का पता लगाने, उनका पंजीकरण, जांच–पड़ताल और रोकथाम करने की जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है। राज्य सरकारों से यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है कि पुलिस स्टेशनों में अपराध आसानी से पंजीकृत किए जाते हैं।

भारत सरकार, समय–समय पर राज्य सरकारों को मामलों के पंजीकरण सहित दांडिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में सुधार लाने पर और ज्यादा ध्यान देने की सलाह देती रही है।

127

एसबेस्टोज की सुरक्षा संबंधी अनुसंधान

2973. श्री सईदुज्जमा : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आईटीआरसी, और लखनऊ और एनआईओएच, नागपुर जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की कतिपय अन्य अनुसंधान और विकास संस्थाओं ने सुरक्षा और एसबेस्टोज के स्वास्थ्य संबंधी पहलुओं के संबंध में अग्रणी कार्य किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि विश्व के कई देशों द्वारा एस्बेस्टोज पर प्रतिबंध लगा दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इन देशों के नाम क्या हैं और इसके क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत ''बचदा'') : (क) और (ख) जी, हां। आईटीआरसी और एनआईओएच ने एसबेस्टोज पर स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय मानीटरिंग संबंधी अध्ययन किए हैं। इन प्रयासों से अंतःपात्रे और अंतर्जीव मॉडलों का उपयोग करते हुए एसबेस्टोज की विषाक्तता की क्रियाविधि तैयार की गई है; और व्यावसायिक दृष्टि से प्रभावित होने वाली आबादी का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है।

(ग) और (घ) कुछ यूरोपीय संघ राष्ट्रों ने निवारक उपाय के रूप में एसबेस्टोज पर प्रतिबंध लगा दिया है।

[हिन्दी]

विदेशी नागरिक 127-29

बांग्लादेशियों/पाकिस्तानियों को वापस उनके देश छोड़ने पर होने वाला व्यय

2974. श्री चन्द्रकांत खैरे :
श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या उप प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 फ़रवरी, 2003 के 'दोपहर का सामना' (मुंबई संस्करण) में 'बांग्लादेश/पाक नागरिकों को उनके देश वापस छोड़ने पर होने वाला व्यय' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले के तथ्य क्या हैं और इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार बांग्लादेश/पाक नागरिकों को वापस उनके देश छोड़े जाने की प्रक्रिया को सुधारने के लिए क्या कदम उठा रही है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान आज की तिथि तक राज्यवार कितने बांग्लादेशी/पाकिस्तानी नागरिकों को वापस उनके देश छोड़ा गया?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) और (ख) जी, हां। श्रीमान। राज्य सरकार प्रत्येक निर्वासित व्यक्ति पर प्रति दिन 16 रु. की दर से भत्ते के रूप में और इस संबंध में अनुरक्षी पार्टी पर 500 रु. यात्रा व्यय के रूप में खर्च कर रही हैं।

(ग) राज्य सरकारों को, बांग्लादेशियों और पाकिस्तानी राष्ट्रिकों सहित अवैध विदेशियों का पता लगाने और उन्हें निर्वासित करने के लिए विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 के उपबन्धों और उसके तहत बनाए गए नियमों का सख्ती से अनुपालन करने के संबंध में समय-समय पर सलाह दी जाती रही हैं।

(घ) ब्यौरे क्रमशः संलग्न विवरण-I और II में दिए गए हैं।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत से निर्वासित बांग्लादेशी राष्ट्रिक

क्र.सं.	राज्य	बांग्लादेशी राष्ट्रिक		
		2000	2001	2002 (30.6.02 की स्थिति के अनुसार)
1	2	3	4	5
1.	अरुणाचल प्रदेश	3	3	–
2.	असम	1492	555	4
3.	बिहार	3	–	4

1	2	3	4	5
4.	दिल्ली	411	262	69
5.	झारखंड	–	–	1
6.	महाराष्ट्र	78	156	21
7.	कर्नाटक	–	–	6
8.	उड़ीसा	–	–	21
9.	राजस्थान	131	80	–
10.	तमिलनाडु	–	–	16
11.	त्रिपुरा	318	–	44
12.	उत्तर प्रदेश	349	272	2
13.	पश्चिम बंगाल	3255	6526	–
	कुल	6040	7854	188

विवरण-II

वर्ष 2000 से 2002 (अप्रैल 2002 तक) के दौरान भारत से निर्वासित पाकिस्तानी राष्ट्रिक

क्र.सं.	राज्य	2000	2001	2002 (अप्रैल तक)
1.	आन्ध्र प्रदेश	13	–	1
2.	चण्डीगढ़	25	5	–
3.	गुजरात	1	335	–
4.	महाराष्ट्र	33	37	–
5.	पंजाब	17	53	8
6.	राजस्थान	2	2	–
7.	उत्तर प्रदेश	1	2	3
8.	जम्मू–कश्मीर	8	–	–
9.	दिल्ली	8	7	3
10.	गोवा	–	49	–
11.	कर्नाटक	–	–	1
	कुल	108	490	17

जम्मू और कश्मीर

लंबित शिक्षा परियोजनाएं 130

2975. श्री सुबोध राय : क्या संसाधन विकास मंत्री 26.11.2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1241 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवश्यक जानकारी प्राप्त कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) से (ग) जम्मू तथा कश्मीर राज्य सरकार से प्राप्त स्पष्टीकरण की जांच की जा रही है। इन प्रस्तावों पर जैसे ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा इस संबंध में सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद] संघीय कानून प्रवर्तन एजेंसी

कानून लागू करने वाली एजेन्सी 130-31

2976. श्री विनय कुमार सोराके :
श्री टी. एम. सेल्वागनपति :

क्या उप प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने विभिन्न राज्य स्तरों पर कार्य करने वाली एक कानून लागू करने वाली एजेंसी की स्थापना करने के लिए केन्द्र के प्रस्ताव पर हाल ही में गंभीर आपत्ति प्रकट की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि अधिकांश राज्यों ने आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास योजनाओं की निगरानी करने के लिए सरकार के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र और राज्यों के बीच इन मुद्दों पर कोई आम सहमति हुई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) और (ख) आन्तरिक सुरक्षा पर मुख्यमंत्रियों के हाल के

सम्मेलन में एक संघीय कानून प्रवर्तन एजेंसी के गठन पर विचार–विमर्श किया गया था। तथापि, कुछ राज्यों की इस धारणा के कारण कि इससे लोक व्यवस्था बनाए रखने की उनकी जिम्मेवारी का अतिक्रमण होगा, इस प्रस्ताव पर आम सहमति नहीं बन सकी।

(ग) जी नहीं, श्रीमान।

(घ) से (च) प्रश्न ही नहीं उठते।

औषधि 131

औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश (डी.पी.सी.ओ) में थोक औषध

2977. श्री पी. आर. खूंटे : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश में कतिपय थोक औषधों को शामिल करने की बात पर न्यायालय में मुकदमा हार गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) थोक औषधों के नाम क्या हैं और आज की स्थिति के अनुसार न्यायालय में इस मामले की स्थिति क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) : (क) से (ग) मुम्बई उच्च न्यायालय ने अपने 31 अगस्त, 2001 के आदेश में अन्य बातों के साथ–साथ, यह निर्णय दिया है कि, सात प्रपुंज औषधियां नामतः सिप्रोफ्लोक्सासिन, डाक्सिसाइक्लीन, ग्लाइपिजाइड, सालबुटामोल, थियोफाइलीन, नारफ्लोक्सासीन तथा क्लोक्सासिलीन, औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के दायरे में नहीं आती हैं। इस आदेश के विरुद्ध, रसायन और पेट्रो रसायन विभाग ने भारत के उच्चतम न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका को स्वीकार कर लिया है।

131-32 उच्च शिक्षा

2978. श्री टी. एम. सेल्वागनपति : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी पांच वर्षों में उच्च शिक्षा के लिए आने वाले विद्यार्थियों की संख्या नौ मिलियन से बढ़कर 14 मिलियन हो जाएगी; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बढ़ती हुई संख्या का सामना करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) और (ख) उच्चतर शिक्षा के विकास हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय की दसवीं पंचवर्षीय योजनाओं के प्रस्ताव में अन्य बातों के साथ–साथ उच्चतर शिक्षा में संगत आयु–वर्ग (17–23) के न्यूनतम 10 प्रतिशत के नामांकन प्राप्त किए जाने की अनिवार्यता को लक्ष्य बनाया गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रणनीति में पारंपरिक तथा मुक्त शिक्षण पद्धतियों दोनों को शामिल किया जाएगा। अधिक व्यापक उच्चतर शिक्षा परिदृश्य तैयार करने में सहायता के लिए सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग और मौजूदा अवसंरचना के अधिकतम उपयोग को अनिवार्य माना जा रहा है।

भूमि, बंजर 132-33

जैव-डीजल ऊर्जा के लिए बंजर भूमि का उपयोग

2979. श्री के. येरननायडू : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जैव–डीजल ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए करंजी के वृक्ष लगाकर ग्रामीण बंजर भूमि को उपयोग में लाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अनुसंधान और विकास में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) इस संबंध में कब तक परिणाम प्राप्त होने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील) : (क) से (ग) विभिन्न प्रकार के वानस्पतिक तेलों की विशेषताओं का विश्लेषण करने, विभिन्न प्रकार के अखाद्य तेलों को बायो–डीजल में बदलने, वर्तमान में प्रयोग में लाए जा रहे इंजनों पर इन बायो–ईंधनों के प्रभाव का पता लगाने, प्रयोग में लाए जाने वाले बायो–ईंधन ब्लैंड्स की अधिकतम मात्रा का पता लगाने, विभिन्न प्रकार के बायो–ईंधनों के प्रयोग के लिए इंजनों के विनिर्देशनों का निर्धारण करने आदि के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के संबंध में विभिन्न अनुसंधान और विकास संगठनों के जरिए देश में अनुसंधान और विकास संबंधी कार्य किए जा रहे हैं। अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय भी पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों में एथानॉल ब्लैंड्स और अन्य बायो–ईंधनों का उपयोग किए जाने के संबंध में

नीति संबंधी एक विश्लेषणात्मक अध्ययन कर रहा है। इस अध्ययन से एथनॉल के उपयोग तथा मोटर ईंधन में बदलाव संबंधी प्रौद्योगिकी, इनके आर्थिक और वित्तीय लागत लाभ विश्लेषण, इनकी उपलब्धता, पेट्रोलियम उत्पादों के विकल्प के रूप में बायो–ईंधनों के उपयोग के मैक्रो और माइक्रो आर्थिक प्रभावों, आदि की समीक्षा होने की आशा है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के चल रहे वाटरशेड विकास कार्यक्रमों नामतः समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बंजरभूमि/अवक्रमित भूमि पर जटरोफा करकास, कारंजा, आदि जैसे बायो–ईंधन के वृक्ष लगाने सहित वृक्षारोपण करना एक महत्वपूर्ण कार्यकलाप है।

कोल इंडिया लिमिटेड में सांविधिक खनन पर्यवेक्षकों की भर्ती

133-34

2980. श्री बसुदेव आचार्य : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों में वर्ष–वार तथा सहायक कंपनी–वार कितने सांविधिक खनन पर्यवेक्षकों की भर्ती की गई;

(ख) खानों की सुरक्षा में खनन पर्यवेक्षकों की क्या भूमिका है;

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि हाल ही में कोयला खानों में सांविधिक पर्यवेक्षकों की संख्या में कमी आई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है?

कोयला मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भर्ती किए गए सांविधिक खान सर्वेयरों की संख्या निम्नानुसार है :

कंपनी	2000	2001	2002	योग
1	2	3	4	5
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
भारत कोकिंग कोल लि.	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सेंट्रल कोलफील्ड्स लि.	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	03	शून्य	01	04
साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	शून्य	शून्य	21	21
नार्दर्न कोलफील्ड्स लि.	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
महानदी कोलफील्ड्स लि.	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लि.	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(ख) कोयला खान विनियम (सीएमआर) 1957 के विनियम 35 के अनुसार, सर्वेक्षणों तथा तलमापन के लिए और खान अधिनियम, 1952 अथवा उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों, अथवा आदेशों के तहत अपेक्षित नक्शों और सेक्शनों को तैयार करने के लिए प्रत्येक खान में सर्वेयरों को सांविधिक रूप से नियुक्त किया जाना होता है। खान सर्वेयरों के सांविधिक कर्तव्यों को सीएमआर 1957 के विनियम 49 के अंतर्गत निर्धारित किया जाता है।

(ग) से (ङ) वर्तमान में, सांविधिक कार्यों के लिए कोल इंडिया लि. में समग्र रूप से सर्वेयरों की कमी नहीं है।

आई.डी.पी.एल. पर विद्युत प्रभार की देय राशि

134-35

2981. श्री के. ई कृष्णमूर्ति : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि हैदराबाद की आईडीपीएल इकाई राज्य सरकार के विद्युत प्रभार की बढ़ती हुइ देय राशि के कारण विद्युत आपूर्ति समस्याओं का सामना कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केंद्रीय योजना के अंतर्गत राज्य को जारी की गई धनराशि के विरुद्ध विद्युत प्रभार की देय राशि का समायोजन करने हेतु आंध्र प्रदेश सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) सेंट्रल पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी एपी लिमिटेड तथा आंध्र प्रदेश गैस पावर कारपोरेशन लिमिटेड को, 31.12.2002 तक आईडीपीएल से प्राप्त होने वाले विद्युत प्रभार क्रमश रु. 66.51 करोड़ तथा रु. 8.07 करोड़ हैं।

(ग) से (ङ) राज्य सरकार को यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि भारत सरकार को राज्य सरकार से प्राप्त होने वाली ऋणराशि के विरुद्ध आईडीपीएल द्वारा विद्युत प्रभार की देय राशि का समायोजन करने का उनका प्रस्ताव व्यवहार्य नहीं है। राज्य सरकार से यह भी अनुरोध किया गया है कि आईडीपीएल, हैदराबाद को विद्युत आपूर्ति बंद न करे।

[हिन्दी]

दिल्ली

होम गार्ड्स

2982. श्री आदि शंकर :
श्री जी. जे. जावीया :
श्री चन्देश पटेल :

क्या उप प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिनांक 25.11.2002 और 06.01.2003 को दिल्ली होम गार्ड्स में जवानों की भर्ती और उनकी अन्य समस्याओं से संबंधित अखिल भारतीय होम गार्ड कल्याण एसोसिएशन से ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर क्या कार्रवाई की गई अथवा किए जाने की संभावना है; और

(घ) इसका क्या परिणाम निकला?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) और (ख) सरकार को, अखिल भारतीय होम गार्ड कल्याण एसोसिएशन का दिनांक 25 नवम्बर, 2002 का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें, अन्य बातों के साथ, होम गार्ड राहत निधि स्थापित करने, पुलिस कार्मिकों को यथा स्वीकार्य सेवा निवृत्त लाभ उन्हें भी देने और महंगाई भत्ते की अदायगी की मांग की गई है।

(ग) और (घ) होमगार्ड एक स्वयंसेवी संगठन है और बम्बई होम गार्ड्स अधिनियम, 1947, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भी लागू है, में निहित उपबंधों के अनुसार होम गार्ड्स स्वयंसेवक का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, जिसके समाप्त होने पर उसे सेवामुक्त कर दिया जाता है। तथापि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सेवामुक्त स्वयंसेवकों को अन्य विभागों में भर्ती की संभावनाओं का पता लगाने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है।

[अनुवाद] नई दिल्ली नगर पालिका परिषद

एन.डी.एम.सी. द्वारा आवंटन 136-37

2983. श्री सालखन मुर्मू : क्या उप प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एनडीएमसी द्वारा दुकानों, कियोक्स, स्टॉलों आदि के आवंटन में आरक्षण किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान और दिनांक 31.12.2002 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए किए गए आवंटनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अखिल भारतीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति उत्थान एसोसिएशन ने वर्ष 2002 और 2003 के दौरान एनडीएमसी के साथ विभिन्न मुद्दे उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक मुद्दे पर क्या कार्रवाई की गई?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) गत तीन कैलेंडर वर्षों के दौरान नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने किसी भी श्रेणी के व्यक्तियों (सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों सहित) को कोई भी दुकान, खोखा, स्टाल इत्यादि आवंटित नहीं किए।

(ग) और (घ) जी हां, श्रीमान। एसोसिएशन ने गत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों/अनूसचित जनजातियों और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को किए गए आवंटनों तथा दुकानों, खोखों इत्यादि के आवंटन में अपनाई गई प्रक्रियाओं

के बारे में सूचना मांगी थी। एसोसिएशन को इस संबंध में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण
डी.डी.ए. पार्क 137-38

2984. डा. रमेश चंद तोमर : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में डीडीए के ऐसे पार्क कहां–कहां हैं जहां पर वार्षिक पुष्प प्रदर्शनियां आयोजित की गईं;

(ख) क्या यह सच है कि कृत्रिम तालाबों के खोदे जाने, टेंट लगाने और बच्चों के लिए मनोरंजन की सुविधाएं प्रदान करने से ये पार्क बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह सच है कि पुष्प प्रदर्शनियां आयोजित करने से हुई क्षति की मरम्मत करने में लगभग छः माह का समय लग जाता है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या इन प्रमुख पार्कों में पेयजल, शौचालयों और टहलने के लिए उचित स्थान जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है और इनका रख–रखाव केवल ऐसी पुष्प प्रदर्शनियों को आयोजित करने के समय ही किया जाता है; और

(छ) यदि हां, तो सरकार इन पार्कों के नियमित रख–रखाव को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठा रही है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने सूचित किया है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान पुष्प प्रदर्शनी ग्रेटर कैलाश–I में लेडी श्रीराम कालेज के सामने डीडीए पार्क में आयोजित की गई थी।

(ख) से (ङ) प्रदर्शनी के दौरान लॉन की मामूली क्षति को प्रदर्शनी के बाद तत्काल ठीक कर दिया गया था।

(च) और (छ) पेयजल और शौचालय सुविधाएं पार्क में उपलब्ध हैं और इनकी उचित देखभाल की जा रही है। तथापि डीडीए ने पेयजल सुविधा सहित एक शौचालय ब्लाक बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित (बीओटी) आधार पर निर्मित करने की योजना बनाई है।

प्रौद्योगिकी पार्क
प्रौद्योगिकी पार्कों की स्थापना 138-39

2985. श्री सवशीभाई मकवाना : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आज की स्थिति के अनुसार प्रौद्योगिकी पार्कों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) निर्धारित लक्ष्यों और इनकी तुलना में प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा") : (क) और (ख) सरकार का देश में प्रौद्योगिकी पार्कों की स्थापना करने का कोई विशेष नियोजित कार्यक्रम नहीं है। तथापि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग उत्कृष्टता वाले अकादमिक संस्थानों के आस–पास विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमवृत्ति पार्कों (एसटीईपी) को संवर्धित तथा विकसित करने में रत है ताकि एस एण्ड टी कार्मिकों के बीच उद्यमवृत्ति को बढ़ावा दिया जा सके। विभाग द्वारा अब तक 14 एसटीईपी को सहायता दी है। इसके द्वारा जानकारी आधारित उद्यमों को संवर्धित एवं विकसित करने हेतु हाल ही में टेक्नोलॉजी बिजनेस इन्क्यूबेटर्स (टीबीआई) पर एक योजना भी शुरू की गई है। यह विभाग ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्कों तथा महिला प्रौद्योगिकी पार्कों को आम सुविधा एवं प्रौद्योगिकी संस्थान केंद्रों के रूप में बढ़ावा भी दे रहा है। ये स्थानीय संसाधनों के आधार पर प्रौद्योगिकी सशक्तिकरण प्रदान करते हैं।

जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जैव प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेर सुविधाओं, पायलट प्लांट्स, मानव संसाधन विकास आदि को परियोजना प्रस्तावों की वरीयता के आधार पर विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा स्थापित की जा रही बायो टेक पार्कों के एक भाग के रूप में सहयोग देने का प्रस्ताव है।

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा देश से साफ्टवेयर निर्यात को बढ़ावा देने हेतु हाई स्पीड डाटा कम्यूनिकेशन लिंक्स एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराकर 1991 में साफ्टवेयर टेक्नोलाजी पार्क ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) की स्थापना की गई थी। एसटीपीआई द्वारा अब तक देश में विभिन्न राज्यों में 37 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्कों की स्थापना की जा चुकी है।

विश्व भर के अनुभवों के आधार पर विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा निजी संस्थानों, वित्तीय संस्थानों एवं अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों के विकास एवं वृद्धि हेतु निवेश प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी पार्कों की योजना बनाई जा रही है और संवर्धन किया जा रहा है।

विश्वविद्यालय

139 **विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति**

2986. श्री होलखोमांग हौकिप : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति के लिए क्या मानदंड अपनाया गया है;

(ख) किसी विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु किसी व्यक्ति के लिए मान्यता प्राप्त अर्हता क्या है;

(ग) क्या कुलपतियों की नियुक्ति में कोई विवाद होने की दशा में सरकार को कोई भूमिका निभानी होती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्तियां विजिटर द्वारा संबंधित विश्वविद्यालयों के अधिनियमों/संविधियों के अनुसार की जाती हैं। इन अधिनियमों/संविधियों में सामान्यतया इस उद्देश्यार्थ गठित प्रख्यात व्यक्तियों की किसी एक समिति द्वारा अनुशंसित पैनल से चयन करने का प्रावधान है।

(ख) यद्यपि कुलपति के पद पर नियुक्ति के लिए किसी विशिष्ट अर्हता को निर्धारित नहीं किया गया है, समिति से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इस पैनल में शामिल किए जाने के लिए प्रशासनिक समक्षता तथा नेतृत्व कौशलों वाले प्रख्यात शिक्षाविदों पर विचार-विमर्श करें।

(ग) और (घ) चूंकि कुलपतियों की नियुक्ति की प्रक्रिया केंद्रीय विश्वविद्यालयों के अधिनियमों/संविधियों में विशेष रूप से दी गई है, अतः कुलपतियों की नियुक्ति में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं दिखाई देता और इस प्रकार इस संबंध में सरकार को कोई भूमिका नहीं सौंपी गई है।

विश्वविद्यालय

139-40 **इंटरनेशनल इंडियन एसोसिएशन फॉर कनाडियन स्टडीज**

2987. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर विश्वविद्यालय में कनाडियन स्टडीज के तत्वावधान में 9 जनवरी से 13 जनवरी, 2003 के बीच तीसरा एशियाई और पंद्रहवां इंटरनेशनल इंडियन एसोसिएशन फॉर कनाडियन स्टडीज का प्रतिष्ठित सम्मेलन आयोजित किया था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में किन मुख्य विषयों पर चर्चा की गई;

(ग) इस सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया; और

(घ) इसके क्या परिणाम निकले?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) जी, हां।

(ख) इस सम्मेलन में जिन विषयों पर चर्चा की गई वे भारत, कनाडा तथा एशिया-प्रशांत क्षेत्रों के संदर्भ में "वैश्वीकरण तथा उपभोक्तावाद" विषय के आपपास केंद्रित रहे।

(ग) भारत सहित 8 देशों से विद्वानों ने इस सम्मेलन में भाग लिया।

(घ) इस सम्मेलन के मुख्य विषय के अंतर्गत वे शैक्षिक पत्र प्रस्तुत किए गए थे जो स्थाई विकास, पर्यावरण, उच्चतर शिक्षा, साहित्य, संस्कृति आदि क्षेत्रों में कनाडा, भारत तथा एशिया-प्रशांत क्षेत्र के बीच तुलनात्मक अध्ययन से संबद्ध हैं। इससे छात्रों तथा संकाय-सदस्यों को कनाडाई-अध्ययन में अनुसंधान कार्यक्रम के नए क्षेत्रों का पता लगाने में सहायता मिलेगी।

140-41 **रोजगार अवसरों के संबंध में 'इमेजेज' पत्रिका**

2988. श्री मोहन रावले : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 'इमेजेज' पत्रिका द्वारा देश में खुदरा क्षेत्र (रिटेल सेक्टर) में रोजगार अवसरों के संबंध में किए गए अध्ययन की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने इस अध्ययन की जांच की है और इसमें दिए गए सुझावों पर ध्यान दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मद्रास उर्वरक (फर्टिलाइजर) लिमिटेड की बिक्री

2989. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय ईरानियन आयल कंपनी (एनआईओसी) ने सरकार को मद्रास (फर्टिलाइजर) लिमिटेड (एमएफएल) की बिक्री हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया है;

(ख) यदि हां, तो एमएफएल में एनआईओसी की भागीदारी कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार एमएफएल को बेचने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या निजी/सार्वजनिक क्षेत्र की किन्हीं पार्टियों ने एमएफएल और गैर–अर्थक्षम उर्वरक इकाइयों को खरीदने में रुचि दिखाई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) : (क) से (घ) सरकारी क्षेत्र के गैर–महत्वपूर्ण उपक्रमों में अपने साम्य को 26 प्रतिशत तक या इससे कम करने की सरकार की नीति के अनुसार, मद्रास फर्टिलाइजर्स लि. (एमएफएल) में सरकार द्वारा धारित 58.74 प्रतिशत साम्य पूंजी में से 32.74 प्रतिशत का विनिवेश प्रबंध नियंत्रण के हस्तांतरण सहित किसी नीतिपरक क्रेता को करने का निर्णय लिया गया है। एमएफएल में नेशनल ईरानियन ऑयल कम्पनी (एनआईओसी) की 25.77 प्रतिशत साम्य पूंजी है। एनआईओसी ने एमएफएल में अपनी साम्य पूंजी का विनिवेश करने के लिए एक समझौता ज्ञापन अनुबंध करने की इच्छा दर्शाई है।

(ङ) और (च) एमएफएल के मामले में "रुचि की अभिव्यक्ति" नए सिरे से आमंत्रित की जानी है। क्योंकि दो उर्वरक सहकारी समितियों नामतः इफको और कृभको को उर्वरक कंपनियों की विनिवेश प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दे दी गई है। फैक्ट में मामले में "रुचि की अभिव्यक्ति" पहले ही आमंत्रित की जा चुकी है।

निशक्त व्यक्तियों हेतु शिक्षा

2990. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने निशक्त व्यक्तियों के लिए समेकित शिक्षा तथा उनके लिए शिक्षा/व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार में आरक्षण के संबंध में कुछ प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केंद्र सरकार ने संबंधित राज्य सरकारों/गैर–सरकारी संगठनों से कुछ स्पष्टीकरण मांगे हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त स्पष्टीकरण उनके मंत्रालय को प्राप्त हो चुका है;

(घ) यदि हां, तो सरकार कितने प्रस्तावों का निपटान कर चुकी है और कितने प्रस्ताव उसके पास मंजूरी हेतु लंबित है; और

(ङ) केंद्र सरकार द्वारा कब तक इन प्रस्तावों का निपटान किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) से (ङ) विकलांग बच्चों हेतु समेकित शिक्षा की केंद्र प्रायोजित स्कीम के तहत, लघु से सामान्य विकलांगता वाले बच्चों को आवश्यक सुविधाएं मुहैया करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य–क्षेत्रों/गैर–सरकारी संगठनों को शत–प्रतिशत सहायता दी जाती है जिसका उद्देश्य इन बच्चों को सामान्य स्कूल प्रणाली में शामिल करना है। आंध्र सरकार ने 'विकलांग बच्चों हेतु समेकित शिक्षा' के संबंध में चार प्रस्ताव अग्रेषित किए हैं। राज्य सरकार को वर्तमान वर्ष के लिए प्रथम किस्त के रूप में 63,31,700/– रु. की राशि दी गई है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम सोसायटी को वर्तमान वर्ष के लिए विकलांग बच्चों हेतु समेकित शिक्षा घटकों के तहत प्रथम किस्त के रूप में 3,30,625/– रु. की राशि भी दी गई है।

वर्ष 2002–2003 के लिए, 'विकलांग बच्चों हेतु समेकित शिक्षा' कार्यक्रम के गैर–सरकारी संगठन सेक्टर के तहत डीलर्स सोसायटी, नन्दयाल को 12,64,512/– रुपये और क्रांति एजुकेशन सोसायटी, कुरनूल को 17,03,518/– की राशि दी गई थी।

उर्वरक उद्योग के नियंत्रण रहित क्षेत्र

2991. श्री वाई. वी. राव : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने उर्वरक उद्योग के नियंत्रण रहित क्षेत्र में सभी एनपीके/फास्फेट उर्वरक निर्माताओं के लिए सिर्फ एक राजसहायता की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है और इस संबंध में क्या अंतिम निर्णय लिया गया है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) पूर्व में, एनपी के उर्वरकों के विभिन्न ग्रेडों की रियायत दरें डीएपी और एमओपी की रियायत दरों के आधार पर निकाली जाती थीं। सरकार ने मिश्रित उर्वरकों के नियामक सुपुर्दगी मूल्य निर्धारण के लिए एनपी के उर्वरकों के लागत मूल्य अध्ययन को टैरिफ आयोग को सौंप दिया है। सरकार को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में टैरिफ आयोग ने एनपी के उर्वरकों के उत्पादन के लिए आयातित अमोनिया या गैस आधारित अमोनिया का प्रयोग कर रही इकाइयों और नेफ्था/ईंधन तेल से अमोनिया प्राप्त कर रही इकाइयों के लिए एन पोषक की मात्रा के लिए पृथक मूल्य की अनुशंसा की है। रिपोर्ट की जांच के पश्चात टैरिफ आयोग की अनुशंसा में समुचित आशोधन के उपरांत भारत सरकार ने रिपोर्ट को 1.4.2002 से कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है। संशोधित नीति के अधीन नेफ्था/ईंधन तेल के माध्यम से अमोनिया का प्रयोग कर रही मिश्रित उर्वरक उत्पादक इकाइयों की 'नाइट्रोजन' की प्रति इकाई लागत गैस और आयातित अमोनिया की तुलना में महंगे फीडस्टॉक के लिए अधिक निर्धारित की गई है।

[हिन्दी]

असिस्टेंट कमांडेन्ट परीक्षा

2992. श्री बीर सिंह महतो : 143-44
प्रो. दुखा भगत :

क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के एलडीई के तहत असिस्टेंट कमांडेंट परीक्षा, 2002 के बौद्धिक प्रश्न के प्रश्न–पत्र में गलतियां थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त परीक्षा को पुनः आयोजित करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) से (घ) केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में सहायक कमांडेंट के पद हेतु सीमित विभागीय प्रतियोगिता (लिमिटेड डिपार्टमेंटल कम्पेटीटिव) परीक्षा (एलडीसीई) के प्रश्न पत्र के हिंदी रूपांतर में कतिपय मुद्रण संबंधी गलतियां थीं। इन्हें ठीक कर दिया गया था और उनकी घोषणा परीक्षा के दौरान परीक्षा कक्ष में ही कर दी गई थी। परीक्षार्थियों को स्पष्ट रूप से यह बता दिया गया था कि हिंदी रूपांतर में कोई भी संदेह होने पर, वे अंग्रेजी रूपांतर की सहायता ले लें जिसके मुद्रण में कोई गलती नहीं है।

उक्त एलडीसीई के परिणाम को पहले ही अंतिम रूप दिया जा चुका है और उसे प्रकाशित भी कर दिया गया है।

[अनुवाद]

रोजगार गारंटी योजना के तहत खाद्यान्नों का आवंटन

144-45

2993. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों से केंद्र सरकार संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अनुसार रोजगार गारंटी योजना के तहत खाद्यान्नों के आवंटन हेतु कोई अनुरोध प्राप्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केंद्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस योजना के अंतर्गत राज्यों को खाद्यान्न कब तक आवंटित किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील) : (क) से (घ) रोजगार गारंटी योजना को

कार्यान्वित करने के लिए संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत खाद्यान्न रिलीज करने के लिए महाराष्ट्र सरकार से अनुरोध प्राप्त हुआ था। चूंकि रोजगार गारंटी योजना राज्य क्षेत्र की योजना है और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना केंद्र सरकार की आवंटन आधारित योजना है इसलिए संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना से रोजगार गारंटी योजना के लिए अलग से खाद्यान्न रिलीज करना संभव नहीं है। तथापि, दिशा–निर्देशों के अनुसार यदि संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसियों के पास अधिक खाद्यान्न हैं तो अन्य राज्य क्षेत्रों की योजनाओं की निधियों का संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत अनुमति प्राप्त कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

[हिन्दी]

बी.सी.सी.एल. के श्रमिकों को बकाया राशि का भुगतान

2994. प्रो. रीता वर्मा : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई 1996 से दिसंबर, 2000 के दौरान भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के श्रमिकों को कुल कितनी बकाया धनराशि का भुगतान किया गया है;

(ख) क्या गलत आंकड़ों की वजह से अधिक भुगतान किया जा चुका है;

(ग) यदि हां, तो अधिक भुगतान की गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या बकाया धनराशि का भुगतान विभिन्न एजेंसियों के मजदूरी आडिट रिपोर्ट के आधार पर किया गया था;

(ङ) यदि हां, तो उन एजेंसियों के नाम क्या हैं जिनकी सलाह अथवा रिपोर्ट के आधार पर बकाया राशि का भुगतान किया गया था;

(च) क्या उन एजेंसियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जुलाई, 1996 से दिसम्बर, 2000 की अवधि के लिए बीसीसीएल के मजदूरों की बकाया वेतन के रूप में अंतर्ग्रस्त कुल राशि 528.27 करोड़ रु. थी।

(ख) और (ग) केवल कुछ कर्मचारियों को उनके समयोपरि भत्ते के कारण अधिक भुगतान किया गया था। बकाया वेतन का बिल तैयार करते समय, गलती से समयोपरि भत्ते की अधिकतम सीमा को ध्यान में नहीं रखा गया था।

कुल 1,53,555 कर्मचारियों में से 2,578 को, कुल 528.27 करोड़ रु. के बकाया भुगतान में से 99.43 लाख रु. राशि का अधिक भुगतान किया गया था। अधिक भुगतान की राशि को उनके वेतन बिल से वसूल किया गया है/किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) जी, हां। भुगतान, पूर्व–लेखा परीक्षा के पश्चात किया गया था। बकाया वेतन की लेखा–परीक्षा में जो फर्म लगाए गए थे उनकी सूची नीचे दी गई है :

(i) मैसर्स डीएन डोकानिया एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, धनबाद।

(ii) मैसर्स पीएस केशरी एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, धनबाद।

(iii) मैसर्स सिंह मुखर्जी एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, रांची।

(iv) मैसर्स जार्ज रीड एंड कंपनी चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, कोलकाता।

(v) मैसर्स पी.के. बैनर्जी एंड कंपनी लागत लेखाकार, धनबाद।

(vi) मैसर्स एस. बैनर्जी एंड कंपनी लागत लेखाकार, धनबाद

(vii) मैसर्स यूएस प्रसाद एंड कंपनी चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, पटना।

(viii) मैसर्स कोनार मुस्तफी एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, पटना।

(ix) मैसर्स एसएन दास एंड कंपनी लागत लेखाकार, धनबाद।

(x) मैसर्स कर्मकार सामंत एंड ऐसोसिएट्स लागत लेखाकार, सीतारामपुर।

(xi) मैसर्स घोशाल एंड घोशाल चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, कोलकाता।

(xii) मैसर्स एमपी सिन्हा एंड कंपनी लागत लेखाकार, धनबाद।

(xiii) मैसर्स दास वैरग्य एंड एसोसिएट्स, लागत लेखाकार, कोलकाता।

(xiv) मैसर्स श्याम दास बंदोपाध्याय एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, धनबाद।

(च) और (छ) कार्य की कुल मात्रा तथा लेखा–परीक्षा करने के लिए लेखापरीक्षकों को दिए गए समय को देखते हुए, कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तथापि, उनके कार्य निष्पादनों पर निगरानी रखी जा रही है।

[अनुवाद]

147-56 **पंचायती राज का विकेंद्रीकरण**

2995. श्री पी. राजेन्द्रन : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं योजना के दौरान पंचायती राज संस्थाओं के कार्यान्वयन और इन को बढ़ावा देने हेतु उठाए गए कदम और संविधान में यथापरिकल्पित विकेंद्रीकरण के संबंध में प्राप्त उपलब्धियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त योजनावधि के दौरान स्थानीय स्वशासन हेतु निर्धारित सरकार व्यय के हिस्से का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील) : (क) राज्य विधानमंडलों में ग्यारहवीं अनुसूची में वर्जित 29 विषयों सहित पंचायतों को निधियों, कार्यों और कार्मिकों को अंतरित करने का अधिकार निहित है। इस संबंध में अंतरण की स्थिति संलग्न विवरण–I में दी गई है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों/राज्य के पंचायती राज मंत्रियों के साथ विचार विमर्शों और सम्मेलनों तथा पत्राचार के माध्यम से जोर देती रही है कि पंचायती राज संस्थाओं को और अधिकार सौंपे जाएं।

(ख) केंद्रीय वित्त आयोगों की सिफारिशों के आधार पर वित्त मंत्रालय द्वारा स्थानीय निकाय के अनुदान रिलीज किए जाते हैं। नौवीं योजना अवधि के दौरान दसवें/ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर रिलीज के लिए निर्धारित राज्यवार संलग्न निधियां विवरण–II में दी गई हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जवाहर रोजगार योजना/जवाहर ग्राम समृद्धि योजना/स्वर्णजयंती ग्रामीण रोजगार योजना जैसे अपने कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए इस अवधि के दौरान पंचायतों हेतु निधियां भी निर्धारित की गई थीं, जिन्हें संलग्न विवरण–III में दिया गया है।

विवरण-I

पंचायती राज संस्थाओं को निधियों, कार्यों और कार्मिकों के साथ विभागों/विषयों के अंतरण की स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पंचायतों को अंतरित विभागों/विषयों की सं.		
		निधियों के साथ	कार्यों के साथ	कार्मिकों के साथ
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	05	17	02
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–
3.	असम	–	29	–
4.	बिहार	–	20	–
5.	झारखंड	–	–	–
6.	गोवा	6	6	–
7.	गुजरात	15	15	15
8.	हरियाणा	–	16	–
9.	हिमाचल प्रदेश	02	25	07
10.	कर्नाटक	29	29	29
11.	केरल	15	26	15
12.	मध्य प्रदेश	10	23	09
13.	छत्तीसगढ़	10	29	09
14.	महाराष्ट्र	18	18	18
15.	मणिपुर	–	22	04
16.	उड़ीसा	05	25	03
17.	पंजाब	–	07	–
18.	राजस्थान	–	29	–

1	2	3	4	5
19.	सिक्किम	24	24	24
20.	तमिलनाडु	–	29	–
21.	त्रिपुरा	–	12	–
22.	उत्तर प्रदेश	12	13	09
23.	उत्तरांचल	12	13	09
24.	पश्चिम बंगाल	12	29	12
25.	अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह	06	06	06
26.	चंडीगढ़	–	–	–
27.	दादरा और नगर हवेली	–	03	03
28.	दमन और दीव	05	09	03
29.	दिल्ली	पंचायती राज संस्थाओं को अभी पुनर्जीवित किया जाना है।		
30.	पांडिचेरी	–	–	–
31.	लक्षद्वीप	–	06	–

संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रावधान जम्मू एवं कश्मीर, मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड राज्यों में लागू नहीं होते हैं।

विवरण-II

नौवीं योजना अवधि के दौरान पंचायती राज संस्थाओं को दसवीं एवं ग्यारहवें वित्त आयोग के अनुदान

(लाख रुपये में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दसवें वित्त आयोग का अनुदान 1997–98	दसवें वित्त आयोग का अनुदान 1998–99	दसवें वित्त आयोग का अनुदान 1999–2000	ग्यारहवें वित्त आयोग का अनुदान 2000–2001	ग्यारहवें वित्त आयोग का अनुदान 2001–2002
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	8,775.00	8,775.00	8,775.00	15,204.83	15,204.83
अरुणाचल प्रदेश	113.00	113.00	113.00	556.85	556.85
असम	3,334.00	3,334.00	3,334.00	4,668.95	4,668.95
बिहार	12,679.00	12,679.00	12,679.00	10,875.00	10,875.00
छत्तीसगढ़	–	–	–	4,200.39	4,200.39
गोवा	148.00	148.00	148.00	185.45	185.45
गुजरात	4,800.00	4,800.00	4,800.00	6,960.87	6,960.87
हरियाणा	2,066.00	2,066.00	2,066.00	2,941.75	2,941.75
हिमाचल प्रदेश	804.00	804.00	804.00	1,313.38	1,313.38
जम्मू–कश्मीर	940.00	940.00	940.00	1,488.14	1,488.14
झारखंड	–	–	–	4,825.85	4,825.85

1	2	3	4	5	6
कर्नाटक	5,544.00	5,544.00	5,544.00	7,882.35	7,882.35
केरल	4,470.00	4,470.00	4,4700.00	6,592.58	6,592.58
मध्य प्रदेश	8,717.00	8,717.00	8,717.00	10,109.33	10,109.33
महाराष्ट्र	8,675.00	8,675.00	8,675.00	13,134.58	13,134.58
मणिपुर	233.00	233.00	233.00	375.43	375.43
मेघालय	217.00	217.00	217.00	512.16	512.16
मिजोरम	73.00	73.00	73.00	157.11	157.11
नागालैंड	116.00	116.00	116.00	257.33	257.33
उड़ीसा	5,025.00	5,025.00	5,025.00	6,911.76	6,911.76
पंजाब	2,584.00	2,584.00	2,584.00	3,092.71	3,092.71
राजस्थान	5,306.00	5,306.00	5,306.00	9,818.96	9,818.96
सिक्किम	47.00	47.00	47.00	105.85	105.85
तमिलनाडु	7,184.00	7,184.00	7,184.00	9,322.36	9,322.36
त्रिपुरा	349.00	349.00	349.00	569.19	569.19
उत्तर प्रदेश	18,988.00	18,988.00	18,988.00	23,342.67	23,342.67
उत्तरांचल	–	–	–	3,040.00	3,040.00
पश्चिम बंगाल	8,336.00	8,336.00	8,337.00	11,554.59	11,554.59
कुल	109,523.00	109,523.00	109,524.00	1,60,000.00	1,60,000.00

विवरण-III

नौवीं योजना अवधि के दौरान जवाहर रोजगार योजना/जवाहर ग्राम समृद्धि योजना/ स्वर्णजयंती ग्राम रोजगार योजना–II के अंतर्गत आवंटित निधि

(लाख रु. में)

क्र.सं. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1997–98	1998–99	1999–2000	2000–01	2001–02
1 2	3	4	5	6	7
1. आंध्र प्रदेश	15528.9	11703.4	9319.52	8727.55	9921.52
2. अरुणाचल प्रदेश	159.37	257.32	204.90	456.91	519.38
3. असम	5111.22	6686.18	5324.02	11872.04	13495.28
4. बिहार	30458.60	38340.77	30529.68	16476.68	18730.78

1	2	3	4	5	6	7
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	3692.90	4197.85
6.	गोवा	172.20	172.20	137.12	128.41	145.98
7.	गुजरात	5699.44	4405.58	3508.04	3285.21	3734.65
8.	हरियाणा	1369.22	2591.88	2063.84	1932.75	2197.16
9.	हिमाचल प्रदेश	547.18	1091.54	869.16	813.95	925.31
10.	जम्मू–कश्मीर	1111.89	1350.93	1075.71	1007.38	1145.20
11.	झारखंड	0.00	0.00	0.00	12113.79	13771.01
12.	कर्नाटक	10427.12	8838.13	7037.56	6590.54	7492.16
13.	केरल	3793.66	3965.64	3157.73	2957.15	3361.70
14.	मध्य प्रदेश	19677.78	19433.93	15474.69	10798.86	12276.64
15.	महाराष्ट्र	16927.42	17470.82	13911.52	13027.87	14810.16
16.	मणिपुर	204.27	448.24	356.92	795.90	904.72
17.	मेघालय	239.02	502.19	399.88	891.69	1013.61
18.	मिजोरम	100.69	116.21	92.53	206.33	234.54
19.	नागालैंड	256.21	344.48	274.30	611.66	695.29
20.	उड़ीसा	12597.20	13386.90	10659.61	9982.52	11348.19
21.	पंजाब	973.75	1259.63	1003.01	939.30	1067.80
22.	राजस्थान	8175.55	6711.09	5343.85	5004.41	5689.04
23.	सिक्किम	93.28	128.66	102.45	228.45	259.69
24.	तमिलनाडु	14037.96	10348.85	8240.50	7717.07	8772.80
25.	त्रिपुरा	265.32	809.31	644.43	1437.02	1633.50
26.	उत्तरांचल	0.00	0.00	0.00	1960.17	2228.37
27.	उत्तर प्रदेश	37841.25	42194.35	33598.18	29503.89	33540.13
28.	पश्चिम बंगाल	13916.74	14876.87	11846.03	11093.58	12611.24
29.	अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह	94.31	117.89	93.87	84.64	96.21
30.	दादरा और नगर हवेली	51.18	77.81	61.96	55.87	63.51

1	2	3	4	5	6	7
31.	दमन और दीव	30.16	37.70	30.02	27.07	30.77
32.	लक्षद्वीप	47.28	59.10	47.06	42.43	48.23
33.	पांडिचेरी	92.34	115.42	91.91	86.00	97.76
	कुल	200000.00	207843.56	165500.00	164550.01	187060.00

कनाडा

वीसा का उदारीकरण विदेश मंत्री

2996. श्री वी. वेत्रिसेलवन : क्या उप प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

155

(क) क्या भारत और कनाडा ने वीसा जारी किए जाने की प्रक्रिया को उदार बनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप किस हद तक भारतीय व्यापार के बढ़ने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

155-57

भेषज उद्योग का विकास

2997. श्री पी. डी. एलानगोवन : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में, विशेषकर तमिलनाडु में भेषज उद्योग का विकास करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भेषज उद्योग परियोजना को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ आवंटित, जारी की गई और उपयोग में लाई गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या यह सच है कि केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही भेषज उद्योगों के कार्यनिष्पादन की निगरानी करने में कठिनाई महसूस कर रही हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) : (क) से (घ) सरकार ने फरवरी, 2002 में "भेषज नीति–2002" घोषित की। इसमें भेषज उद्योग के सतत वृद्धि और विकास के लिए ढांचा का प्रावधान किया गया है। इस नीति की मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार हैं :

(क) जन साधारण की खपत वाली अच्छी गुणवत्ता की आवश्यक दवाओं की समुचित मूल्य पर देश में प्रचुर उपलब्धता सुनिश्चित करना।

(ख) भेषज क्षेत्र में कारोबार मूलक बाधाओं को कम करते हुए गुणवत्ता वाले लागत प्रभावी उत्पादन और भेषजों के निर्यात के लिए स्वदेशी सक्षमता को सुदृढ़ करना।

(ग) गुणवत्ता को भारतीय भेषज उद्योग की एक आवश्यक विशेषता बनाने और भेषजों के युक्तियुक्त प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए औषधों और भेषजों के उत्पादन एवं वितरण पर गुणवत्ता नियंत्रण की प्रणाली को सुदृढ़ करना।

(घ) भारत भेषजों में अनुसंधान एवं विकास में उच्चतर स्तर के निवेश को सारणीबद्ध करने के अनुरूप माहौल सृजित करके भारत के लिए संगत या विशेष क्षेत्री बीमारियों पर विशेष ध्यान संकेंद्रित करते हुए और देश में आवश्यकताओं के अनुरूप भेषज क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करना।

(ङ) भेषज उद्योग के लिए प्रोत्साहन ढांचा सृजित करना जो भेषज उद्योग में नए निवेश को बढ़ावा दे और

नई प्रौद्योगिकियों और नए औषधों के लाने में प्रोत्साहन दे।

कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका के परिणामस्वरूप 12.11.2002 को एक आदेश हुआ जो सरकार पर भेषज–नीति 2002 की मूल्य नियंत्रण व्यवस्था लागू करने पर रोक लगाता है। सरकार ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की है।

(ङ) और (च) भेषज उद्योग का अनेक एजेंसियों द्वारा मानीटर किया जाता है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने एक राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) की स्थापना की है जो भेषज क्षेत्र में कीमतों को मानीटर करने के लिए विशिष्ट रूप में उत्तरदायी है।

[हिन्दी] शहरी सुधार प्रोत्साहन कोष

157-

स्टॉम्प शुल्क

2998. श्रीमती जयश्री बैनर्जी :
श्री सुरेश रामराव जाधव :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार का प्रस्ताव पूरे देश में स्टॉम्प शुल्क की दर एक समान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जमीन की खरीद–बिक्री हेतु स्टॉम्प शुल्क की दर कम करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों को इस संबंध में कोई दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं/किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) से (ङ) 10वीं योजना के अंत तक देश भर में अधिकतम 5 प्रतिशत तक स्टाम्प शुल्क को तर्कसंगत बनाने के लिए शहरी सुधार उपाय के रूप में लिया जा रहा है, जिसे शहरी सुधार प्रोत्साहन कोष के अंतर्गत, केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को परिचालित करार ज्ञापन के मसौदे में शामिल कर लिया गया है।

158-59

प्रतिदिन भोजन में ली जाने वाली कैलोरी

2999. डा. सुशील कुमार इन्दौरा :
श्री नवल किशोर राय :

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्ष 2000 की एक रिपोर्ट के अनुसार एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए प्रतिदिन भोजन में 1800 कैलोरी की आवश्यकता होती है;

(ख) यदि हां, तो क्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवार उक्त मानदंड के अनुसार संतुलित आहार ले रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे संतुलित आहार को प्रदान करने हेतु अनुमानित व्यय कितना बढ़ाया जा रहा है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील) : (क) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद हमारे देश में वयस्कों के लिए ऊर्जा की निम्नलिखित मात्रा की सिफारिश करती है :

कार्य की किस्म	पुरुषों के लिए ऊर्जा (आरडीए मात्रा)	महिलाओं के लिए ऊर्जा (आरडीए)
स्थानबद्ध	2425	1875
सामान्य	2875	2225
भारी	3800	2925

(ख) और (ग) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अधीन राष्ट्रीय पोषण मानीटरिंग ब्यूरो के अनुसार लगभग 48 प्रतिशत परिवार कैलोरी और प्रोटीन दोनों की समुचित से अधिक मात्रा लेते हैं और 20 प्रतिशत कैलोरी और प्रोटीन दोनों की अपर्याप्त मात्रा लेते हैं।

(घ) और (ङ) सरकार जनसंख्या की पोषण संबंधी सुधारने

के लिए देश में विभिन्न स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है जो नीचे दिए अनुसार हैं :

- संबंधित कृषि संबंधी उत्पादन,
- आय सर्जन योजना के माध्यम से लोगों की क्रय शक्ति सुधारना,
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से इमदादी लागत पर अनिवार्य खाद्य मदों की उपलब्धता
- स्तनपान को बढ़ावा देने सहित दुग्धपान प्रक्रियाओं में अपेक्षित परिवर्तन करने तथा जागरूकता को बढ़ाने के लिए पोषण शिक्षा।
- अनुपूरक दुग्धपान कार्यक्रम :
  1. समेकित बाल विकास सेवा योजना (आईसीडीएस)
  2. प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषणिक सहायता कार्यक्रम,
  3. गेहूं आधारित अनुपूरक पोषण कार्यक्रम,
  4. प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना (पीएमजीवाई)।

निम्नलिखित विशेष लघु–पोषक अभाव अव्यवस्था को रोकने के लिए कार्यक्रम :

1. राष्ट्रीय आयोडिन अभाव अव्यवस्था नियंत्रण कार्यक्रम,
2. पुनरोत्पादक तथा शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के एक भाग के रूप में विटामिन ए की कमी की वजह से अंधेपन को रोकने के लिए रोग निरोधन कार्यक्रम, और
3. लघु पोषण कुपोषण के नियंत्रण के लिए प्रायोगिक परियोजना भी कार्यान्वयनाधीन है।

[अनुवाद]

159-60 **राजस्थान की अरावली पहाड़ियों में स्थित खनन क्षेत्र**

3000. श्री ताराचन्द भगोरा : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए राजस्थान की अरावली पहाड़ियों में स्थित खनन क्षेत्रों में वनरोपण कार्य शुरू करने का है;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने इस मामले को पर्यावरण और वन मंत्रालय के साथ उठाने का निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) से (ग) पर्यावरण और वन मंत्रालय (एमओईएफ) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत खनन क्षेत्रों, चाहे वे राजस्थान की अरावली पहाड़ियां हों या देश का कोई अन्य क्षेत्र हो, में वनरोपण कार्य से संबंधित मामलों को देखता है।

पर्यावरण और वन मंत्रालय ने सूचित किया है कि हरियाली की क्षति को न्यूनतम करने और खनन के कारण आसपास के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों का उपशमन करने हेतु केंद्र सरकार वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत खनन के लिए वन क्षेत्र संबंधी मंजूरी इस निर्धारित शर्त के अधीन प्रदान करती है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा परियोजना लागत पर गैर–वन भूमि पर अथवा डबल डिग्रेडिड वन भूमि पर, जैसा भी मामला हो, प्रतिपूरक वनरोपण किया जाएगा। पर्यावरण और वन मंत्रालय प्रयोक्ता एजेंसी के लिए खनन क्षेत्र के चारों ओर सुरक्षा जोन के निर्माण तथा अनुरक्षण की शर्त भी निर्धारित करता है। जहां तक खनन क्षेत्रों, चाहे वह अरावली क्षेत्र हो अथवा कोई अन्य क्षेत्र हो, में वनरोपण कार्यक्रम का संबंध है, इसे सामान्यतः खनन कार्य समाप्त हो जाने के तुरंत बाद, प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रस्तुत और राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पुनरुद्धार योजना के अनुसार किया जाता है।

पर्यावरण और वन मंत्रालय नेशनल एफोरेस्टेशन एंड इको–डवलपमेंट बोर्ड (एनएईबी) के मार्फत देश–भर में वनरोपण कार्यक्रम पर पर्याप्त राशि का निवेश भी करता है बशर्ते कि राज्य सरकार इस प्रयोजनार्थ कोई योजना प्रस्तुत करे।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का 160-161
गैर-योजना व्यय

3001. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2002–2003 के दौरान उनके मंत्रालय के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने गैर–योजना व्यय में कटौती करने के सरकार के निदेश का अनुपालन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे सरकारी क्षेत्र के उपक्रम–वार क्या परिणाम प्राप्त हुए?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) : (क) से (ग) इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को योजना भिन्न बजटीय सहायता क्रियाशील इकाइयों की कार्यकारी पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने, निष्क्रिय इकाइयों की संरक्षण लागत और कर्मचारियों के वेतन और मजदूरी को पूरा करने के लिए दी जाती है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की केवल अनिवार्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 2002–03 (संशोधित अनुमान) में निम्नलिखित योजना भिन्न बजटीय प्रावधान किए गए हैं :

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का नाम	2002–03
1.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लि.	271.00
2.	फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	320.00
3.	पाइराइट्स, फास्फेट्स एंड कैमिकल्स लि.	36.00
4.	प्रोजेक्ट्स एंड डवलपमेंट इंडिया लि.	17.00
5.	इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि.	263.00
6.	हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लि.	–
7.	बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि.	–
8.	बंगाल इम्यूनिटी लि.	5.70
9.	स्मिथ स्टैनस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लि.	3.20

Delhi

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की सिफारिशें 161-163

3002. श्रीमती श्यामा सिंह : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने विभिन्न विकास योजनाओं की अनुशंसा की है और हाल ही में अपने प्रारूप को अनुमोदन हेतु केंद्र सरकार को प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में की गई विभिन्न सिफारिशों का अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) चालू योजना अवधि में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्य कराने की सरकार की क्या नीति है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) से (घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने क्षेत्रीय योजना–2001 की समीक्षा करने की क्षेत्रीय योजना 2021 तैयार करने के लिए आठ अध्ययन दलों का गठन किया है जिनमें विशेषज्ञ, सरकारी और गैर–सरकारी सदस्य शामिल हैं। इन अध्ययन दलों की सिफारिशों के आधार पर बोर्ड ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना–2021 का प्रारूप तैयार करके सरकार को प्रस्तुत किया है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा 12 जुलाई, 2000 को आयोजित उनकी 25वीं बैठक में गठित उच्च स्तरीय दल द्वारा प्रारूप रिपोर्ट पर विचार करने के बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की धारा 12 के तहत आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे।

प्रारूप रिपोर्ट का उद्देश्य "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विस्तार और संतुलित विकास" है। इसके उद्देश्यों में निम्नलिखित भी शामिल हैं :

– भावी विकास के लिए उपयुक्त आर्थिक आधार पर मुहैया कराना।

– सक्षम और किफायती रेल तथा सडक आधारित परिवहन प्रणालियां मुहैया कराना।

– पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव को कम करना।

– अधिक संसाधन जुटाना और निजी निवेश को सरल, आकर्षित बनाना और उनका दिशानिर्देशन करना।

– चुने हुए शहरों में दिल्ली के समान शहरी अवस्थापना सुविधाएं जैसे परिवहन, बिजली, दूरसंचार, पीने का पानी, सीवरेज, जल निकासी आदि मुहैया कराकर उनका विकास करना।

– अच्छी कृषि योग्य भूमि बचाने और उसका संरक्षण करने तथा बंजर भूमि का उपयोग शहरी प्रयोजनों

हेतु करने के लिए एक तर्कसंगत भूउपयोग प्रणाली उपलब्ध कराना।

– सामाजिक न्याय और संसाधन अधिकार के साथ निरंतर विकास को बढ़ावा देना।

– जीवन स्तर विशेषकर निर्धन तथा वंचित वर्गों के संबंध में सुधार करना।

– संस्थानों के विकेंद्रीकरण के माध्यम से विकास प्रक्रिया में लोगों के प्रभावी सहयोग को बढ़ावा देना।

(ङ) वर्तमान क्षेत्रीय योजना–2001 का उद्देश्य दिल्ली में भीड़भाड़ कम करना और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का संतुलित व व्यवस्थित विकास करना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने एनसीआर में 172 योजनाओं के वित्त प्रबंध में मदद की है जिनमें से 84 योजनाएं पूरी हो गई हैं और 88 योजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने भी योजना के कार्यान्वयन के लिए अनेक उपाय किए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) परिवहन, दूरसंचार, बिजली और उद्योग से संबंधित 4 कार्यात्मक योजनाएं तैयार करना।

(ii) उत्तर प्रदेश और राजस्थान उप क्षेत्रों के लिए उप–क्षेत्रीय योजनाएं तैयार करना।

(iii) एनसीआर क्षेत्र के विकास के लिए राज्य सरकार/एजेंसियों को ऋण सुविधाएं प्रदान करना ताकि दिल्ली पर दबाव को कम किया जा सके।

कोयला खनन

नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में उत्पादन कार्यों को अनुबंध पर कराना

3003. श्री सुनील खां : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के प्रबंधन ने अपने नियंत्रण वाली खानों में उत्पादन कार्यों को अनुबंध पर कराने का सहारा लिया है;

(ख) यदि हां, तो ठेकेदारों के अधीन कितने लोग काम कर रहे हैं और खानों में उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ठेकेदारों द्वारा किए गए कार्यों में कोई कार्य ठेका श्रम अधिनियम के तहत निषेधात्मक श्रेणी में आता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स की टीकक तथा तीरप ओ.सी. खानों में ऊपरी मलबे तथा कार्बनयुक्त शेल को हटाने के लिए प्रतिष्ठित ठेकेदारों से हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी किराए पर ली जा रही है।

(ख) कोल इंडिया लि. द्वारा सूचित किए अनुसार नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स में ठेकेदारों के अधीन कार्य कर रहे व्यक्तियों की संख्या निम्नानुसार है :

(i) टीकक – 170

(ii) तीरप – 374

पिछले दो वर्षों के दौरान टीकक तथा तीरप में खानों का उत्पादन निम्नानुसार है :

		2001–02	2002–03
टीकक	कार्बनयुक्त शेल (टन में)	1,25,025	1,20,360
	हार्ड स्टोन (घन मीटर में)	11,91,106	11,70,980
तीरप	कार्बनयुक्त शेल (टन में)	3,34,894	2,71,934
	हार्ड स्टोन (घन मीटर में)	35,44,633	27,64,043

(ग) जैसा कि सूचित किया गया है, कोल इंडिया लि. तथा इसकी अनुषंगी कंपनियां ठेका श्रम (विनियमन तथा उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के अधीन प्रतिबंधित कार्यों को करने के लिए ठेके पर कोई श्रमिक नहीं लगाती हैं।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

महासागर विकास योजना

164-165

महासागर विकास स्कीमें

3004. श्री जे. एस. बराड़ : क्या महासागर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2003–2004 और 2004–2005 के दौरान महासागर विकास हेतु अनुमोदित योजना एवं स्कीमें कौन–कौन सी हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : वर्ष 2003–2004 और 2004–2005 तथा दसवीं योजना के दौरान महासागर विकास के लिए अनुमोदित आयोजना तथा आयोजना–भिन्न स्कीमों का ब्यौरा इस प्रकार है :

आयोजना स्कीमें :

1. ध्रुवीय विज्ञान
2. बहुधात्विक पिंडिका कार्यक्रम
3. समुद्र प्रेक्षण और सूचना सेवा
4. समुद्री अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी विकास
5. राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान
6. तटीय अनुसंधान जलयान
7. महाद्वीपीय शेल्फ की बाह्य सीमाओं का सीमांकन
8. भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र का व्यापक स्वाथ गंभीरतामापी सर्वेक्षण
9. गैस हाइड्रेट अन्वेषण तथा दोहन के लिए प्रौद्योगिकी विकास
10. नए अनुसंधान जलयानों की प्राप्ति
11. लक्ष्मी बेसिन का भू–भौतिकीय अध्ययन।

आयोजना भिन्न स्कीमें

1. समुद्र वैज्ञानिक अनुसंधान जलयान सागर कन्या
2. मात्स्यिकी समुद्र वैज्ञानिक अनुसंधान जलयान सागर संपदा।

[हिन्दी] ग्रामीण क्षेत्र 165-66

जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के कर्मचारियों का विलय

3005. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के कर्मचारियों का जिला पंचायतों के साथ विलय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस विलय से पहले जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के कर्मचारियों की सहमति ली गई थी;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

(ङ) क्या राज्य सरकारों द्वारा ये निदेश जारी किए गए थे कि जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के कर्मचारी अपने विलय के बाद भी पहले की तरह सभी सुविधाओं का लाभ प्राप्त करते रहेंगे;

(च) क्या राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान इन कर्मचारियों को पांचवें वेतन आयोग के लाभ दिए जा रहे हैं;

(छ) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों ने इन कर्मचारियों को पांचवें वेतन आयोग के लाभों को देने से इंकार कर दिया है; और

(ज) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील) : (क) से (ज) 1.4.1999 को जारी "डीआरडीए प्रशासन योजना" के दिशा–निर्देशों के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ऐसे निदेश जारी किए गए थे कि स्टाफ को लाइन विभागों में लेने के लिए राज्य ग्रामीण विकास विभाग को तत्काल 3–5 वर्षीय योजना तैयार करनी चाहिए। राज्यों से प्राप्त जानकारी के आधार पर कुछ राज्यों ने जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के कर्मचारियों को जिला/पंचायतों में ले लिया है। अन्य राज्यों में डीआरडीए के कर्मचारी लाइन विभाग में रख लिए गए हैं या उन्हें रख लिए जाने की प्रक्रिया चल रही है। डीआरडीए से संबंधित कर्मचारी उन विभागों के प्रासंगिक नियमों द्वारा शासित होते हैं जिनमें उन्हें रखा जाता है और संबंधित विभागों के कर्मचारियों के समान लाभ के पात्र होते हैं।

[अनुवाद] राष्ट्रीय पुस्तक न्यास 166-67

नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा नए बिक्री केंद्र खोलना

3006. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल बुक ट्रस्ट ने दिल्ली के बाहर अनेक नए बिक्री केंद्र खोले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि नेशनल बुक ट्रस्ट दिल्ली में बिक्री केंद्र खोल रहा है;

(घ) यदि हां, तो दिल्ली जैसे शहरी क्षेत्रों में बिक्री केंद्र खोलने का क्या उद्देश्य है; और

(ङ) नेशनल बुक ट्रस्ट इनका विस्तार करने और इसे विकासशील तथा संगत संगठन बनाने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) और (ख) दिल्ली से बाहर केवल एक बिक्री केंद्र खोला गया है। यह बिक्री केंद्र महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक के परिसर में अप्रैल, 2002 में खोला गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सम्पर्ण देश में अपने विस्तृत प्रकाशन, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय पुस्तक मेलों तथा चलती–फिरती पुस्तक विक्रय और प्रदर्शनियों का आयोजन करके राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने देश में पुस्तकों एवं पठन अभिरुचि को प्रोत्साहन देने में अपनी प्रासंगिकता में पर्याप्त वृद्धि की है।

167-68

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आवंटन/उपयोग

3007. प्रो. ए. के. प्रेमाजम : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2000–2001 के लिए प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कार्य को पूरा करने हेतु आधारभूत न्यूनतम सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत नियत किए गए धन का एक हिस्सा उपलब्ध कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक राज्यों द्वारा उपयोग किए गए उक्त धन का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राज्य सरकारों के पास प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना की निगरानी करने हेतु कोई तंत्र है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील) : (क) से (ग) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पूर्ववर्ती न्यूनतम बुनियादी सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत अपूर्ण सड़क कार्यों को पूरा करने के लिए 2000–01 में 672.26 करोड़ रु. जारी किए गए हैं। रिलीज तथा उपयोग की गई निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) कार्यक्रम को राज्य सरकारों द्वारा चुनिंदा कार्यकारी एजेंसियों द्वारा निष्पादित किया जा रहा है जो मुख्यतया: लोक निर्माण कार्य विभाग/ग्रामीण इंजीनियरिंग सर्विस/ ग्रामीण कार्य विभाग आदि होते हैं। कार्यकारी एजेंसी तथा नोडल विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कार्यों की प्रगति की निगरानी की जाती है।

विवरण

पीएमजीएसवाई–2000–01 के अंतर्गत पूरे हो चुके बीएमएस सड़क कार्य

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	रिलीज की गई राशि	31.1.03 तक उपयोग की गई राशि
1.	अरुणाचल प्रदेश	34.95	34.95
2.	असम	17.00	17.00
3.	गोवा	4.35	4.35
4.	हिमाचल प्रदेश	60.00	59.31
5.	महाराष्ट्र	64.64	64.64
6.	मणिपुर	40.00	31.33
7.	मेघालय	34.95	34.95
8.	मिजोरम	8.03	8.03
9.	नागालैंड	19.75	19.08
10.	राजस्थान	29.84	19.87
11.	सिक्किम	13.16	13.16
12.	त्रिपुरा	24.75	24.75
13.	उत्तर प्रदेश	315.00	315.00
14.	दमन और दीव	5.00	0.35
15.	पांडिचेरी	0.84	0.84
	कुल	672.26	647.61

डुप्लीकेटर्स/ऑफसेट मशीनों की खरीद

3008. श्री अधीर चौधरी : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुद्रण निदेशालय ने वर्ष 1990 से 1998 के बीच 5.09 करोड़ रुपये की लागत की 49 डुप्लीकेटर्स/ऑफसेट मशीनों की खरीद की थी;

(ख) यदि हां, तो इन मशीनों/डुप्लीकेटर्स की खरीद किए जाने के क्या औचित्य हैं;

(ग) पूर्ण निर्धारित क्षमता को प्राप्त न करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या 24 मशीनों के संबंध में, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के जांच दल ने क्षमता उपयोगिता की प्रतिशत का अनुमान लगाया है जो कि 4.67 प्रतिशत से लेकर 36.82 प्रतिशत तक है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) और (ख) लेखा परीक्षा के एक विशेष जांच दल ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया था कि मुद्रण निदेशालय ने विभिन्न भारत सरकार प्रेसों के लिए जनवरी, 1990 से मार्च 1998 के दौरान 5.09 करोड़ रुपये कीमत की 49 मशीनें खरीदी थीं। इन मशीनों में डुप्लीकेटरों और ऑफसेट मशीनों के अलावा विभिन्न प्री–प्रिंटिंग और पोस्ट–प्रिंटिंग मशीनें शामिल थीं। इसमें से डुप्लीकेटरों/आफसेट मशीनों की कीमत करीब 3 करोड़ रु. थी। डुप्लीकेटर/आफसेट मशीनें विभिन्न भारत सरकार प्रेसों के आधुनिकीकरण/उपलब्ध मुद्रण सुविधाओं के उन्नयन के लिए खरीदी गई थीं।

(ग) से (ङ) लेखा परीक्षा के विशेष जांच दल ने 24 मशीनों की क्षमता उपयोग की प्रतिशतता 4.67 प्रतिशत से 36.82 प्रतिशत के बीच आंकी थी। लेखा परीक्षा ने "दर क्षमता" के आधार पर इस क्षमता उपयोग का आंकलन किया था, जो मशीन की अधिकतम गति को कुल वार्षिक कार्य घंटों के साथ गुणा करके निकाली गई थी। लेखा परीक्षा को यह स्पष्ट कर दिया गया है कि "क्षमता उपयोग" मशीन की "वार्षिक आकलित क्षमता" के अनुसार निकाला जाता है न कि दर क्षमता के अनुसार क्योंकि अधिकतम गति केवल आदर्श स्थितियों में ही प्राप्त की जा सकती है जो व्यवहारिक रूप में नहीं होती। किसी मशीन विशेष के चलने की गति कार्य की प्रकृति और विभिन्न अन्य कारकों पर निर्भर करती है। इसके अलावा समय के साथ–साथ मशीन को परिचालन क्षमता में भी कमी आती है। मशीनों की "वार्षिक आकलन क्षमता" नियमित अंतरालों पर आंकी जाती है और समय के साथ–साथ बदलती रहती है। लेखा परीक्षा को भी इस संबंध में दिनांक 7.8.2001 को बता दिया गया था और लेखा परीक्षा से अभी तक अन्य कोई टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई हैं।

[हिन्दी] दिल्ली पुल 170

उपरिपुल का निर्माण

3009. डा. बलिराम : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नई दिल्ली में पालम और बिजवासन रेलवे समपारों पर एक उपरिपुल का निर्माण करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त पुल को जनता के लिए कब तक खोले जाने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) से (ग) पालम में उपरिसेतु के मामले में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उन्होंने पालम रेलवे स्टेशन के निकट रेवाड़ी रेलवे लाइन के ऊपर कैंटोनमेंट से होते हुए द्वारका तक एक ऊपरिसेतु की योजना बनाई है। यह ऊपरिसेतु लगभग 6 किमी. लंबा है और इसकी अनुमानित लागत लगभग 100 करोड़ रुपये है। ऊपरिसेतु के मार्च, 2005 तक बन जाने की योजना है।

बिजवासन रेलवे क्रासिंग के मामले में ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं।

[अनुवाद] कोल इंडिया लिमिटेड 170-73

नया लिंकेज अथवा स्नैप्ड लिंकेज को पुनर्बहाल करना

3010. श्री नरेश पुगलिया : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड ने किसी नए लिंकेज अथवा स्नैप्ड लिंकेज को पुनर्बहाल करने की अनुमति न देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनियां गैर–महत्वपूर्ण क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए कोयले की बिक्री की अपनी प्रणाली/प्रक्रिया बनाने के लिए अधिकृत हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने गैर–महत्वपूर्ण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को कोयले की बिक्री करने से संबंधित अपनी बिक्री नीति बनाई है और उक्त बिक्री नीति लागू हो गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(च) खुली बिक्री योजना के अंतर्गत साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा बिक्री के लिए प्रस्तुत किए गए कोयले की गुणवत्ता कैसी है और इस प्रकार की बिक्री से सम्बद्ध शर्तें क्या हैं;

(छ) क्या कोलफील्ड्स इंडिया लिमिटेड का विचार स्नैप्ड लिंकेज को पुनर्बहाल न करने के अपने निर्णय की समीक्षा करने का है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) और (ख) जी, हां। दिनांक 6.6.2001 को हुई बैठक में सीआईएल बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय के अनुपालन में यह निर्णय लिया गया था कि लिंकेज/प्रायोजन की व्यवस्था के माध्यम से नॉन–कोर क्षेत्र को कोयले की बिक्री की व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाए। तदनुसार नॉन–कोर क्षेत्र को नए लिंकेज दिया जाना तथा पुराने लिंकेज को दुबारा शुरू करना बंद कर दिया गया है। नॉन–कोर क्षेत्र में उपभोक्ताओं हेतु पहले से जारी किए गए लिंकेज में कोई परिवर्तन करने के लिए अथवा नए लिंकेज जारी करने, समाप्त कर दिए गए/हो गए लिंकेजों को पुनः शुरू करने/पुनरुद्धार करने के लिए भी सीआईएल अथवा कोयला कंपनियों के पास कोई प्रावधान/गुंजाइश नहीं है।

कोल इंडिया लि. के बोर्ड द्वारा 6.6.2001 को लिए गए उपर्युक्त निर्णय के उपरांत कोयला मंत्रालय ने जनवरी, 2003 में नॉन–कोर क्षेत्र हेतु नई कोयला बिक्री नीति प्रतिपादित की है इस नीति के अंतर्गत विद्यमान लिंकेजों का समाप्त किए गए लिंकजों से भिन्न सत्यापन करके और सही पाए गए मामलों को अधिकतम अनुमेय मात्रा (एमपीक्यू) के स्तर तक ही सीमित किया जा सकता है। तथापि, ईंधन आपूर्ति करारों (एफएसए) की अधिक निष्पक्ष व्यवस्था के आधार पर उपलब्धता के अधीन, कोयले की अतिरिक्त मात्रा की पेशकश की जा सकती है।

संयोजित उपभोक्ताओं को अब उपलब्ध कराई जा रही एमपीक्यू मात्रा को छोड़ कर अन्य कोई खुले लिंकेज नहीं होंगे। अपने एमपीक्यू के अतिरिक्त कोयले की मांग करने वाले उपभोक्ताओं, पुराने लिंकेजों से अधिक की मांग करने वाले उपभोक्ताओं तथा कोयले की मांग करने वाले नए उपभोक्ताओं के साथ समान व्यवहार किया जाना होता है और उन्हें कोयला कंपनियों के साथ एफएसए में शामिल होने की अनुमति देनी होगी।

(ग) से (ङ) जी, हां। सीआईएल बोर्ड ने अपनी दिनांक 6.6.2001 को हुई बैठक में सहायक कंपनियों को नॉन–कोर क्षेत्र के उपभोक्ताओं को कोयले की बिक्री हेतु अपनी स्वयं की प्रणाली/प्रक्रिया विकसित करने के लिए भी प्राधिकृत करने का भी निर्णय लिया। तदुपरांत, कोयला मंत्रालय द्वारा प्रतिपादित नॉन–कोर कोयला बिक्री नीति को एसईसीएल सहित सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों में लागू कर दिया गया है। सीआईएल द्वारा कार्यान्वयन संबंधी रीतियां तैयार की जा रही हैं।

(च) कोर क्षेत्र तथा नियमित नॉन–कोर क्षेत्र के उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने के बाद जब भी अधिशेष कोयला उपलब्ध होता है तो "बी" से "एफ" श्रेणी में आने वाले नॉन–कोकिंग कोयले के विभिन्न ग्रेडों को खुली बिक्री योजना (ओएसएस) के अंतर्गत कोयले की बिक्री की जाती है। जब भी बुकिंग, पेशकश की गई मात्रा से अधिक होती है तो सहज प्रचालन तथा कानून और व्यवस्था की समस्या से बचने के लिए सक्षम प्राधिकरी के समुचित अनुमोदन के साथ, बुकिंग के पहले दिन यथानुपात आवंटन की शर्त के अधीन ओएसएस में किए गए प्रावधान के अनुसार, प्रथम आओ प्रथम पाओ के आधार पर बुकिंग स्वीकार की जाती है। यदि पहले दिन पेशकश की गई मात्रा से बुकिंग से होती है तो तत्पश्चात बुकिंग पहले आओ पहले पाओ के आधार पर स्वीकार की जाती है।

(छ) कोयला सहायक कंपनियों का वर्तमान में, समाप्त किए गए लिंकेजों को पुनः शुरू किए जाने की समीक्षा किए जाने का प्रस्ताव नहीं है।

(ज) और (झ) ऊपर (छ) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

सरकारी कर्मचारी, पेंशनभोगी
पेंशन हेतु आयु सीमा 173

3011. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पेंशन प्राप्त करने की आयु-सीमा निर्धारित करने, पेंशनभोगियों को दी जाने वाली महंगाई राहत को कम करने और पेंशन के परिणत के स्तर में कमी लाने आदि पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विश्वविद्यालय, दिल्ली 173-74
दिल्ली विश्वविद्यालय

3012. श्री राजो सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रहे छात्रों की संख्या कितनी है और इनमें से कितने छात्र विश्वविद्यालय एवं प्रत्येक महाविद्यालय में छात्रावास की सुविधा का लाभ उठा रहे हैं;

(ख) क्या गत पांच वर्ष के दौरान छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो क्या बाहर से दिल्ली आने वाले ऐसे और छात्रों को छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कोई कदम उठाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या केंद्र सरकार बाहर से आने वाले छात्रों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर दिल्ली विश्वविद्यालय एवं इसके 79 महाविद्यालयों में और छात्रावासों की व्यवस्था करने हेतु कोई योजना बना रही है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) से (छ) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार इस विश्वविद्यालय में नामांकित विद्यार्थियों की कुल संख्या 2,99,850 है जिनमें से विश्वविद्यालय के शिक्षण विभागों और कालेजों में 1,35,733 विद्यार्थी नियमित विद्यार्थी हैं और शेष पत्राचार पाठ्यक्रम और सतत शिक्षा स्कूल, नन-कॉलेजिएट महिला शिक्षा बोर्ड और बाह्य विद्यार्थी प्रकोष्ठ में नामांकित हैं। इस विश्वविद्यालय और इसके कालेजों में छात्रावास सुविधा का लाभ उठा रहे विद्यार्थियों की संख्या 7,489 है। विगत तीन वर्ष के दौरान विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि के कारण शैक्षिक सत्र 2002-2003 में तीन नए छात्रावास बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त, एक और छात्रावास का निर्माण किया जा रहा है और दसवीं योजना के दौरान छात्रों के लिए तीन छात्रावासों तथा छात्राओं के लिए तीन छात्रावासों का निर्माण करने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय महिला आयोग 174-75

3013. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने यह सिफारिश की है कि सिविल सेवाओं में महिलाओं के लिए पर्याप्त आरक्षण होना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग ने सिविल सेवाओं में महिलाओं के प्रतिशत के संबंध में कोई अध्ययन कराया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या निकले?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जस कौर मीणा) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय महिला आयोग ने वर्ष 1996-97 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत नौकरियां/पद आरक्षित रखे जाने चाहिए।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

फसल, धान 175

धान के 'जीनों' का वर्गीकरण

3014. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वैज्ञानिकों ने धान के "जीनों" का वर्गीकरण करने (जीन तैयार करने) में सफलता प्राप्त कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप धान के उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि होने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा") : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा दिल्ली विश्वविद्यालय के भारतीय वैज्ञानिकों ने धान के क्रोमोसोम सं. 11 पर विद्यमान सभी जीनों की डीकोडिंग अथवा उनके पूर्ण अनुक्रमण में सफलता हासिल की है। भारतीय योगदान 15.38 मेगाबेस रहा जबकि वचनबद्धता 10 मेगाबेस की थी। इस प्रकार यह अंतर्राष्ट्रीय चावल जीनोम अनुक्रमण कार्यक्रम के समय से बहुत पहले समाप्त हो गया। भारत अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में जून, 2000 में शामिल हुआ था। पूर्ण धान जीनोम में लगभग 62,000 जीन हैं। भारतीय वैज्ञानिकों ने इन जीनों में से 2000 की पहचान कर ली है। भारतीय वैज्ञानिकों ने मार्करों की पहचान तथा जीन लक्षण–वर्णन पर कार्य किया है ताकि धान की पैदावार बढ़ाने के लिए प्रजनन में उनका प्रयोग किया जा सके।

(ग) मौजूदा अनुसंधान स्तर पर उत्पादन में होने वाली वृद्धि का सही आकलन नहीं किया जा सकता है। जीन की खोज करने तथा कार्यात्मक जिनोमिक्स के लिए धान का जीनोम सार्वजनिक क्षेत्र में मुक्त रूप से उपलब्ध है। अधिक ध्यान इस बात पर केंद्रित है कि धान की पौषणिक गुणवत्ता में सुधार किया जाए और अधिक पैदावार वाली अजैविक तथा जैविक भार प्रतिरोधी किस्में विकसित की जाएं।

[अनुवाद]

बाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना का विस्तार 176

3015. डा. मन्दा जगन्नाथ : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से बाढ़ पीड़ित शहरी गरीबों के लिए आवास हेतु बाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना का विस्तार किए जाने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केंद्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) जी, हां।

(ख) जहां तक प्राकृतिक आपदा से ग्रसित शहरी गरीबों को आवास मुहैया करने का संबंध है, आंध्र प्रदेश सरकार को सूचित किया गया था कि स्मल निवासियों हेतु आवास निर्माण के लिए बाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना (बाम्बे) के अंतर्गत 100 प्रतिशत सब्सिडी मुहैया करना संभव नहीं है। केंद्र प्रवर्तित स्कीम में लागत का मात्र 50 प्रतिशत तक की संघ रारकार की सब्सिडी का ही प्रावधान है तथा शेष राज्य सरकार के संसाधनों द्वारा अथवा स्थानीय निकायों अथवा अन्य संसाधनों अथवा हडको ऋण से पूरा किया जाएगा।

[हिन्दी]

दिल्ली
नई दिल्ली नगर पालिका परिषद
बकाए कर की वसूली 176-77

3016. कुंवर अखिलेश सिंह : क्या **उप-प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगर पालिका ने दूतावासों, राज्य सरकारों के भवनों और केंद्र सरकार के विभागों से बिजली, पानी और सम्पत्ति कर से संबंधित अपने बकाए की वसूली हेतु केंद्र सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें कितनी राशि संलिप्त है; और

(ग) सरकार द्वारा नई दिल्ली नगर परिषद के अनुरोध पर क्या निर्णय लिया गया है और चूककर्ताओं से बकाए की शीघ्र वसूली हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) से (ग) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने दूतावासों और केंद्र/राज्य सरकारों के भवनों पर बिजली और जल प्रभार का बकाया राशि वसूली के मामले में, केंद्र सरकार से हस्तक्षेप करने का विशिष्ट अनुरोध नहीं किया है। इन सम्पत्ति कर की अदायगी से भी छूट प्राप्त हैं। तथापि, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने, दूतावासों पर सम्पत्ति कर लगाने का प्रस्ताव किया था, जिसे इस आधार पर स्वीकार नहीं किया गया कि दूतावासों के संबंध में, इस प्रकार का कर लगाना, अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत अनुमेय नहीं है।

[अनुवाद] ग्रामीण क्षेत्र पेयजल

177-84

डीपवैल हैंडपम्पों को लगाया जाना

3017. श्री अशोक ना. मोहोल :
श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों में त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम और प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के पेयजल घटक के अंतर्गत केंद्रीय सहायता से लगाए गए डीपवैल हैंडपम्प कार्य नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें बगैर उचित सर्वेक्षण के ही लगाया गया है?

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केंद्र सरकार ने इस मामले की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी क्या निष्कर्ष निकले;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में इस प्रयोजनार्थ त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम और प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को कितनी केंद्रीय सहायता प्रदान की गई है;

(च) क्या सरकार ने राज्यों को डीपवैल हैंडपम्पों को लगाने हेतु अनुदेश जारी किए हैं, और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील) : (क) से (घ) ग्रामीण पेयजल आपूर्ति राज्य का विषय है। भारत सरकार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी) तथा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (पीएमजीवाई) के पेयजल घटक के अंतर्गत इस कार्य में राज्यों के लिए वित्तीय सहायता को बढ़ाती है। जल आपूर्ति प्रणाली के चयन जैसे कि हैंडपम्प, पाइप द्वारा जल आपूर्ति योजना सहित एआरडब्ल्यूएसपी तथा पीएमजीवाई के अंतर्गत योजनाएं बनाने तथा कार्यान्वयन करने की शक्तियां राज्य सरकार को सौंपी गई हैं। डीपवैल हैंडपम्पों के ब्यौरे जो काम नहीं कर रहे हैं, भारत सरकार स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

(ङ) विगत 3 वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान एआरडब्ल्यूएसपी के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को दी गई केंद्रीय सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण–I तथा ग्रामीण पेयजल घटक सहित पीएमजीवाई के संदर्भ में ब्यौरे संलग्न विवरण–II में दिए गए हैं।

(च) और (छ) चूंकि एआरडब्ल्यूएसपी तथा पीएमजीवाई के अंतर्गत योजनाएं बनाने तथा कार्यान्वयन करने की शक्तियां राज्यों को सौंपी गई हैं। डीपवैल हैंड पम्प लगाने के लिए राज्यों हेतु विशेष अनुदेश जारी नहीं किए गए हैं।

विवरण-I

विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान डीडीपी के अंतर्गत शुरू किए गए कार्य सहित त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी) के अंतर्गत रिलीज

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1999–2000	2000–2001	2001–2002	2002–2003*
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	12534.37	13259.00	14277.64	14173.92
2.	अरुणाचल प्रदेश	1980.80	2182.50	2455.91	2488.50

1	2	3	4	5	6
3.	असम	2090.00	5459.78	5357.67	5252.50
4.	बिहार	4690.00	0.00	0.00	3703.00
5.	छत्तीसगढ	–	1580.00	3977.00	2443.00
6.	गोवा	0.00	888.59	727.50	0.00
7.	गुजरात	7842.20	17485.00	9776.30	6644.75
8.	हरियाणा	3857.67	1899.18	3475.92	1473.00
9.	हिमाचल प्रदेश	3107.95	5384.50	6457.21	5639.00
10.	जम्मू–कश्मीर	3190.72	3694.00	6292.10	6194.00
11.	झारखंड	–	2359.50	1809.50	1531.50
12.	कर्नाटक	11409.40	8419.62	13861.68	11724.50
13.	केरल	4568.30	4022.42	5045.00	1899.30
14.	मध्य प्रदेश	12330.44	9529.00	9077.00	7159.00
15.	महाराष्ट्र	17302.37	16934.00	19659.00	8414.50
16.	मणिपुर	0.00	0.00	821.50	913.00
17.	मेघालय	779.20	1644.08	1215.51	1957.00
18.	मिजोरम	696.00	1161.99	1634.10	699.00
19.	नागालैंड	579.20	822.61	1700.40	1236.00
20.	उड़ीसा	4847.93	3106.50	4852.09	3112.50
21.	पंजाब	2320.64	1783.00	1985.50	2581.00
22.	राजस्थान	15654.37	20512.00	20713.73	22395.96
23.	सिक्किम	695.59	325.00	696.80	597.00
24.	तमिलनाडु	8958.28	7308.00	8956.00	6358.00
25.	त्रिपुरा	1662.00	1521.00	2026.70	867.00
26.	उत्तर प्रदेश	14825.12	10884.83	13063.35	6511.00
27.	उत्तरांचल	–	2304.00	3447.88	1541.50
28.	पश्चिम बंगाल	5606.45	7837.31	8947.63	4272.50

1	2	3	4	5	6
29.	अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	दादरा और नगर हवेली	0.00	3.50	0.00	0.00
31.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	141529.00	152310.91	172310.62	131781.93

*14.2.2003 की स्थिति के अनुसार।

नोट : 2000-01 के दौरान छत्तीसगढ़ झारखंड तथा उत्तरांचल राज्य सृजित किए थे।

विवरण-II

2000–01, 2001–02 तथा 2002–03 के लिए पीएमजीवाई के अंतर्गत आवंटन तथा एसीए की रिलीज

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	ए.सी.ए. आवंटन 2000–01	रिलीज	ए.सी.ए. आवंटन 2001–02	रिलीज	ए.सी.ए. आवंटन 2002–03	रिलीज*
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	14206.00	10664.60	15911.00	14490.40	15644.00	
2.	अरुणाचल प्रदेश	6817.00	5617.68	6617.00	6435.00	6500.00	
3.	असम	17957.00	9427.46	20112.00	20112.00	19000.00	
4.	बिहार	21946.00	11909.38	24579.00	14132.47	24173.00	
5.	छत्तीसगढ़	3140.00	2355.00	3517.00	3076.40	3435.00	
6.	गोवा	48.00	62.65	67.00	76.85	72.00	
7.	गुजरात	8479.00	5020.44	7256.00	4718.40	7122.00	
8.	हरियाणा	1678.00	1491.00	1879.00	1879.00	1834.00	
9.	हिमाचल प्रदेश	7061.00	8850.74	7908.00	7908.00	7000.00	
10.	जम्मू–कश्मीर	17168.00	6434.25	19217.00	14603.00	18000.00	
11.	झारखंड	6779.00	5084.25	7592.00	1898.00	7446.00	
12.	कर्नाटक	7513.00	6949.31	8415.00	7665.00	8273.00	

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	केरल	6908.00	4148.60	7737.00	7156.30	7808.00	
14.	मध्य प्रदेश	11377.00	8152.18	9225.00	7034.07	8500.00	
15.	महाराष्ट्र	9913.00	7618.31	11103.00	8163.79	10917.00	
16.	मणिपुर	4856.00	2549.40	5439.00	3602.42	4800.00	
17.	मेघालय	4069.00	3826.57	4546.00	4546.00	4112.00	
18.	मिजोरम	4041.00	3008.46	5041.00	4713.23	4300.00	
19.	नागालैंड	4113.00	4134.88	4528.00	4303.75	4528.00	
20.	उड़ीसा	9655.00	7652.15	11038.00	11038.00	10863.00	
21.	पंजाब	4040.00	4040.00	4525.00	4298.75	4442.00	
22.	राजस्थान	9640.00	9201.00	10797.00	10797.00	10611.00	
23.	सिक्किम	2811.00	2043.32	3798.00	3798.00	3000.00	
24.	तमिलनाडु	10479.00	9278.91	11736.00	11736.00	11547.00	
25.	त्रिपुरा	5083.00	5083.00	7084.00	7084.00	5000.00	
26.	उत्तर प्रदेश	33635.00	33614.45	37671.00	3586.65	37087.00	
27.	उत्तरांचल	1256.00	942.00	3907.00	37871.00	7000.00	
28.	पश्चिम बंगाल	16782.00	15522.25	18796.00	17858.00	18490.00	
	कुल	249660.00	192482.24	280259.00	244377.48	271302.00	

*पीएमजीवाई के अंतर्गत उनकी आवंटित निधियों के 50 प्रतिशत की प्रथम किस्त सभी राज्यों को रिलीज की गई।

अति विशिष्ट व्यक्ति विशेष सुरक्षा ग्रुप

पूर्व प्रधान मंत्रियों हेतु विशेष सुरक्षा गार्ड

183-85

3018. श्री विनय कुमार सोराके : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्व प्रधान मंत्रियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए प्रदान की जा रही विशेष सुरक्षा गार्ड की तैनाती को पांच वर्ष से हटाकर एक वर्ष करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली पुलिस कर्मियों की तैनाती में समवर्ती कमी किए जाने की भी योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) और (ख) विशेष संरक्षा ग्रुप (संशोधन) विधेयक, 2003 के अनुसार किसी भी भूतपूर्व प्रधान मंत्री और उनके परिवार के नजदीकी सदस्यों को एक वर्ष के लिए और एक वर्ष के बाद, खतरे की आशंका के आधार पर एसपीजी कवर दिए जाने का प्रस्ताव है। इस विधेयक को चालू सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों ने पारित कर दिया है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

महाविद्यालय, इंजीनियरिंग/प्रबंधन

इंजीनियरिंग/प्रबंधन कालेज

185

3019. श्री श्रीनिवास पाटील : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि एआईसीटीई से संबद्ध निजी प्रबंधन वाले और स्ववित्त पोषित इंजीनियरिंग/प्रबंधन कालेजों में कार्यरत अध्यापकों को निर्धारित ग्रेड और भत्ते इत्यादि का भुगतान नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अध्यापकों को शोषण से बचाने हेतु एआईसीटीई द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि अधिकांश निजी प्रबंधन/वित्त पोषण वाले इंजीनियरिंग/प्रबंधन कालेज लम्बे समय से अपने शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को भविष्य निधि सुविधाएं प्रदान नहीं कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या एआईसीटीई नियमों में ऐसे दोषी प्रबंधन के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही का प्रावधान है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राजय मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) से (ङ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से प्राप्त सूचना के अनुसार, समन्वित तथा समान दृष्टिकोण तथा कोटिपरक शिक्षा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने तकनीकी संस्थाओं में शिक्षकों के लिए मॉडल वेतनमान तथा शर्तें घोषित की हैं। निजी स्व वित्तपोषी तकनीकी संस्थाओं के लिए मार्च 2000 में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा घोषित मॉडल में भविष्य निधि के भुगतान का भी प्रावधान है जिसकी दर संबंधित राज्य सरकार सेवा में शिक्षकों के लिए उपलब्ध दर से कम नहीं है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम 1987 में इन वेतनमानों का कार्यान्वयन न करने पर दंडात्मक कार्रवाई करने हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

[हिन्दी]

शिक्षा, उच्च

185-87

उच्च शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति

3020. श्री रामदास आठवले : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उच्च शिक्षा में निजी क्षेत्र की भागीदारी को अनुमति देने का निर्णय लिया है--जैसा कि दिनांक 29 दिसम्बर, 2002 के 'दैनिक जागरण' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसकी निबंधन और शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या यह सच है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें प्रत्येक विद्यार्थी को उच्च शिक्षा हेतु बड़ी मात्रा में अनुदान राशि प्रदान कर रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अपनी नीति की समीक्षा और शुल्क ढांचे में सुधार करने तथा गरीब विद्यार्थियों की शिक्षा प्राप्त करने में सहायता हेतु कारगर उपाय करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) और (ख) हालांकि 1992 में यथा संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के निर्देश के अनुसरण में उच्चतर शिक्षा के वित्त पोषण का मुख्य दायित्व सरकार का है फिर भी गैर-सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक अभिकरणों को समूचे देश में शिक्षा के सभी क्षेत्रों में सहभागिता हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अलावा सरकार ने हाल ही में भारत शिक्षा कोष का गठन किया है ताकि विभिन्न शैक्षिक उद्देश्यों के लिए वास्तविक आवश्यकताओं और उपलब्ध बजटीय संसाधनों के बीच के अंतर को पाटने के लिए अतिरिक्त बजटीय सहायता जुटाई जा सके।

(ग) से (ङ) सरकार उच्चतर शिक्षा पर खर्च की गई राशि को मानव संसाधनों में निवेश मानती है और इस क्षेत्र के लिए योजनागत आवंटनों में लगातार वृद्धि करती रही है। तथापि, अतिरिक्त आंतरिक संसाधनों का सृजन करने और उच्चतर शिक्षा के उद्देश्य को गंभीरता से लेने के दृष्टिकोण से सरकार ने हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सामान्य तौर पर विश्वविद्यालय/कालेज प्रणाली में तथा विशेष तौर पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थानों में शुल्कों को तर्कसंगत बनाने के लिए कहा है। साथ ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि शुल्कों में वृद्धि के साथ ही वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से शैक्षिक ऋणों की उपलब्धता तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं

अन्य लाभावंचित वर्गों के लिए उदार निःशुल्कता और छात्रवृत्तियों के प्रावधान में अनिवार्य रूप से वृद्धि हो।

[अनुवाद] दिल्ली नगर निगम 187-88

फार्म हाउसों में समारोह

3021. श्री रामजी मांझी : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम का विचार फार्म हाउसों में सभी प्रकार के समारोहों पर प्रतिबंध लगाने का है क्योंकि उन स्थानों पर व्यावसायिक गतिविधियों के कारण यातायात अवरुद्ध हो जाता है जैसा कि दिनांक 3 दिसंबर, 2002 के "दि टाइम्स ऑफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें मामले के क्या तथ्य प्रकाशित किए गए हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार को फार्म हाउसों में सभी ऐसी व्यावसायिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाए जाने संबंधी दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश की जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या प्रतिबंध के बावजूद दिल्ली में बड़ी संख्या में फार्म हाउसों का उपयोग व्यावसायिक प्रयोजन यथा विवाह, पार्टियों और अन्य ऐसे समारोहों के लिए किया जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा प्रतिबंध को लागू करने और फार्म हाउस मालिकों के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) और (ख) फार्म हाउसों के दुरुपयोग के खिलाफ सघन अभियान चलाने की मंशा के बारे में तथा व्यवसायिक गतिविधियों में शामिल वैसे फार्म हाउसों के मालिकों को दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) द्वारा जनवरी–2003 से वैसे उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध सख्त कार्रवाई किए जाने के आशय की चेतावनी देते हुए दिल्ली नगर निगम द्वारा दिल्ली के प्रमुख समाचार पत्रों में दिनांक 13.12.2002 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की गई।

(ग) दिल्ली उच्च न्यायालय में "कॉमन कॉज बनाम उप–राज्यपाल तथा अन्य" नाम से एक जनहित याचिका दायर की गई जिसमें फार्म हाउसों का दावतों तथा अन्य व्यापारिक गतिविधियों के लिए दुरुपयोग किए जाने को रोकने के लिए एमसीडी को निर्देश देने की मांग की गई।

(घ) उपर्युक्त जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान ही सीडब्ल्यूपी सं. 5509/1997 में माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 14.12.99 के निर्देशों के अनुसार एमसीडी द्वारा प्रधान सचिव (शहरी विकास) दिल्ली सरकार के परामर्श से फार्महाउसों का दावतों तथा अन्य व्यवसायिक गतिविधियों के लिए दुरुपयोग करने पर फार्म हाउस के मालिकों के विरुद्ध दिल्ली नगर निगम अधिनियम डीएमसी एक्ट की धारा 347 तथा 417 के तहत कार्रवाई करने के लिए एक नीति बनाई गई। तथापि, दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 30.3.2000 को यह याचिका खारिज कर दी गई।

(ङ) और (च) किसी फार्म हाउस में किसी व्यवसायिक गतिविधि की सूचना मिलते ही एमसीडी द्वारा दिल्ली नगर निगम (डीएमसी) अधिनियम के प्रावधानों के तहत उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

आवास और शहरी विकास निगम 188-190

हडको द्वारा सह-निर्माण परियोजनाओं का वित्त पोषण

3022. श्री टी. एम. सेल्यागनपति : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड ने देश में सह–निर्माण परियोजनाओं के वित्तपोषण का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि हडको ने शहरी अवसंरचना प्रदान किए जाने के संबंध में 7500 करोड़ रुपये व्यय करने का निर्णय भी लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) और (ख) आवास और नगर विकास निगम लि. (हडको) बायो–मास/बागैस–आधारित सह–निर्माण विद्युत परियोजनाओं का वित्तपोषण करता है। इन परियोजनाओं में गन्ना मिलों से गन्ने के अवशिष्ट तथा किसानों द्वारा पोषित अन्य बायो–मास का, बिजली उत्पत्ति हेतु बतौर ईंधन उपयोग किया जाता है। हडको द्वारा 31.1.2003 तक

मंजूर सह–निर्माण परियोजनाओं के ब्यौर संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) वर्ष 2002–2003 के लिए शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अंतर्गत हडको के लिए 4800 करोड़ रु. का ऋण मंजूर करने तथा 3300 करोड़ रु. का ऋण जारी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। चालू वर्ष के दौरान इन लक्ष्यों की तुलना में 31.1.2003 की स्थिति अनुसार हडको ने 128 शहरी अवस्थापना स्कीमों के लिए 10136.56 करोड़ रु. का ऋण मंजूर किया है, जिनकी कुल परियोजना लागत 21304.67 करोड़ रु. है। चालू वित्त वर्ष के दौरान विभिनन शहरी अवस्थापना स्कीमों के लिए 31.1.2003 तक 3431.40 करोड़ रु. की धनराशि जारी की गई है।

विवरण

हडको द्वारा वित्तपोषित बायो–मास/बागैस आधारित विद्युत परियोजनाओं के ब्यौरे

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	स्कीम का नाम	संस्थापित क्षमता (मेगावाट में)	परियोजना लागत	ऋण राशि
1.	ओंगाले, आंध्र प्रदेश में बायो–मास आधारित विद्युत संयंत्र	4.50	1286.08	282.87
2.	चगालु, आंध्र प्रदेश में बागैस आधारित सह–निर्माण संयंत्र	22.50	2707.82	1895.47
3.	अनंतपुर जिला, आंध्र प्रदेश में बायो–गैस आधारित विद्युत संयंत्र की स्थापना	6.00	2087.00	800.00
4.	जुलाकाल, जिला मेंडक, आंध्र प्रदेश में बायो–मास आधारित विद्युत संयंत्र की स्थापना	40.00	15850.00	3170.00
5.	मुद्धुल, बीजापुर कर्नाटक में बागैस आधारित सह–निर्माण संयंत्र	12.25	2509.77	1722.67
6.	मंडेया, कर्नाटक में बागैस आधारित सह–निर्माण संयंत्र	28.00	7634.88	5726.16
7.	कुकुवाड़ा, देवनगिरी, कर्नाटक में बागैस आधारित सह–निर्माण संयंत्र की स्थापना	24.00	8158.00	5710.00
8.	चिकोडी, कर्नाटक में बागैस आधारित सह–निर्माण संयंत्र की स्थापना	20.00	5560.00	3892.00
9.	बेलाड, बगवाड़ी, बेलगाम, जिला कर्नाटक में बागैस आधारित सह–निर्माण संयंत्र की स्थापना	14.00	3949.80	3660.00
10.	सांगली, महाराष्ट्र में बागैस आधारित सह–निर्माण संयंत्र	12.50	4005.47	1647.82
	कुल	183.75	53748.82	27506.99

190 – 194 **जन शिक्षण संस्थान की स्थापना**

3023. डा. एम. वेंकटस्वामी :
श्रीमती निवेदिता माने :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रौढ़ों हेतु अनौपचारिक शिक्षा और तकनीकी कौशल प्रदान करने हेतु "जब शिक्षण संस्थानों" की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इस योजना के अंतर्गत 31 दिसम्बर, 2001 के अनुसार तथा आज तक देश में राज्यवार कितने केंद्र स्थापित किए गए हैं; और

(घ) इस योजना के अंतर्गत अब तक कुल कितनी धनराशि स्वीकृत और व्यय की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) जी, हां।

(ख) जन शिक्षण संस्थान की योजना व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल स्तरोन्नयन कार्यक्रम संचालित करने के लिए अनौपचारिक, प्रौढ़ और सतत शिक्षा योजना के रूप में तैयार की गई है। यह प्रौढ़ शिक्षा के प्रति बहु–संयोजक या बहु–निष्पादनकारी दृष्टिकोण पर आधारित है। जन शिक्षण संस्थान अपने पाठ्यक्रमों और कार्यकलापों में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े तथा शैक्षिक रूप से वंचित वर्गों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

(ग) आज की तारीख तक संस्वीकृत 120 जन शिक्षण संस्थानों की राज्य–वार संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) 2001–02 के दौरान योजना के तहत 25.00 करोड़ रु. की राशि खर्च की गई तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अभी तक 22.04 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है।

विवरण

जन शिक्षण संस्थानों की राज्य वार सूची

क्र.सं.	जन शिक्षण संस्थान का स्थान	क्र.सं.	जन शिक्षण संस्थान का स्थान
1	2	1	2
	आंध्र प्रदेश	9.	हिंदुपुर
1.	हैदराबाद		**अरुणाचल प्रदेश**
2.	गुंटूर	10.	नाहरलागुन
3.	विशाखापटनम		**असम**
4.	विजयवाड़ा	11.	सिल्चर
5.	रंगारेड्डी	12.	कामरूप
6.	काकिनाड़ा		**बिहार**
7.	ओंगोल	13.	गया
8.	तिरुपति	14.	पटना
		15.	दरभंगा
		16.	नालंदा
	छत्तीसगढ़		**कर्नाटक**
17.	रायपुर	35.	बंगलौर
	दिल्ली	36.	मैसूर
18.	आर.के. पुरम, नई दिल्ली	37.	टुमकुर
19.	जहांगीरपुरी, दिल्ली (प्रयास)	38.	कारवाड़
		39.	रायचूर
	गोवा	40.	शिमोगा
20.	पारवारी	41.	कोलार
	गुजरात	42.	माण्ड्या
21.	अहमदाबाद		**केरल**
22.	सूरत	43.	तिरुवनन्तपुरम
23.	वडोदरा	44.	कालिकट
24.	भरूच	45.	त्रिचूर
25.	मेहसाना (कलोल)	46.	कोट्टायम
26.	कच्छ	47.	कोल्लम्
	हरियाणा	48.	इडुक्की
27.	फरीदाबाद		**मध्य प्रदेश**
28.	सिरसा	49.	इंदौर
29.	सोनीपत	50.	सतना
	जम्मू और कश्मीर	51.	उज्जैन
30.	जम्मू	52.	ग्वालियर
	झारखंड	53.	रतलाम
31.	जमशेदपुर	54.	भोपाल
32.	धनबाद	55.	गुना
33.	हजारीबाग	56.	मुरैना
34.	रांची	57.	भिंड

1	2	1	2
58.	दतिया		**राजस्थान**
	महाराष्ट्र	79.	अजमेर
59.	वर्ली (मुंबई)	80.	कोटा
60.	नागपुर	81.	जयपुर
61.	धारावी (मुंबई)	82.	जोधपुर
62.	औरंगाबाद	83.	बीकानेर
63.	पुणे	84.	धौलपुर
64.	कोल्हापुर		**तमिलनाडु**
65.	नासिक	85.	चेन्नई
66.	सिंधुदुर्ग	86.	कोयम्बटूर
67.	नन्ददरबार	87.	मदुरै
68.	वाशिम	88.	तिरूचिरापल्ली
	मणिपुर	89.	रामनाथपुरम
69.	थौबाल	90.	शिवगंगा (कुंदराकुंदी)
	मिजोरम	91.	शिवाकाशी (विरूधी नगर)
70.	आईजोल		**उत्तर प्रदेश**
	उड़ीसा	92.	कानपुर
71.	राउरकेला	93.	लखनऊ
72.	कटक	94.	गाजियाबाद
73.	भुवनेश्वर	95.	फैजाबाद
74.	क्योंझर	96.	वाराणसी (वैरागी शिक्षण संस्थान)
75.	अंगुल	97.	वाराणसी
76.	पुरी	98.	उन्नाव
77.	धेनकनाल	99.	इलाहाबाद (भारतीय विकास अध्ययन एवं शोध संस्थान)
	पंजाब	100.	इलाहाबाद (डा. अम्बेडकर कल्याण सोसायटी)
78.	मोहाली (रूपनगर)		**उत्तरांचल**
101.	बस्ती	113.	नैनीताल (भीमताल)
102.	अम्बेडकर नगर		**पश्चिमी बंगाल**
103	सुल्तानपुर	114.	कोलकाता
104.	जौनपुर	115.	नरेन्द्रपुर (दक्षिणी 24 परगना)
105.	प्रतापगढ़	116.	हल्दिया (पूर्व मिदनापुर)
106.	बाराबंकी	117.	जलपाईगुड़ी
107.	गौंडा	118.	पुरूलिया
108.	बांदा	119.	हावड़ा
109.	कुशीनगर		**संघ राज्य क्षेत्र**
110.	फरूखाबाद		**चंडीगढ़**
111.	पीलीभीत	120.	चंडीगढ़
112.	बहराइच		

कर्नाटक में अप्रयुक्त कोलार स्वर्ण खानें 194 - 95

3024. श्री बसुदेव आचार्य : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कर्नाटक में 10 वर्ष पुरानी कोलार स्वर्ण खानों की अप्रयुक्त खानों का विकास करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या हाल ही में एक अप्रयुक्त खान के संयुक्त विकास हेतु बीजीएमएल अधिकारी एसोसिएशन और भारतीय खनिज निगम के बीच एक समझौता हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) से (ग) जी, नहीं। कोलार गोल्ड माइंस को भारत गोल्ड लिमिटेड (बीजीएमएल) द्वारा प्रचालित किया गया था। यह खान 100

वर्ष से अधिक पुरानी है। जब भारी घाटे और अव्यवहार्य प्रचालनों के कारण बीजीएमएल की नेट वर्थ पूर्णतया इरोडिड हो गई तो इसे औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) को भेजा गया। जून, 2000 में बीआईएफआर ने यह निर्णय लिया कि यह उचित, न्यायोचित और जनहित में है कि बीजीएमएल को रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 की धारा 20 (I) के अंतर्गत समाप्त कर दिया जाए। बीआईएफआर के आदेश का औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण अपीलीय प्राधिकरण द्वारा भी समर्थन किया गया। तदंतर सरकार ने 1.3.2001 से औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25 (ओ) के अंतर्गत कंपनी के समापन को अनुमोदन प्रदान कर दिया। बीजीएमएल के समापन का मामला कर्नाटक उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, जहां इसकी सुनवाई पूरी हो गई और निर्णय की प्रतीक्षा है।

(घ) और (ङ) बीजीएमएल भारत सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है और इसलिए भारत सरकार के अनुमोदन के बिना कंपनी के संबंध में किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किए जा सकते हैं। बीजीएमएल अधिकारी संघ ने भारतीय खनिज निगम के साथ करार, यदि कोई हो, पर हस्ताक्षर करने के लिए भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया है।

खनिज अंचेषण

खनिजों के दोहन हेतु प्रस्ताव

195-198 **3025. श्री गन्ता श्रीनिवास राव :** क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार को राज्य सरकारों से वर्ष 2002–2003 के दौरान खनिजों के दोहन हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक राज्यवार कितने आवेदनों को स्वीकृत किया गया है; और

(घ) शेष आवेदनों को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) से (घ) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर एक्ट) की धारा 10 (3) के तहत खनिज गवेषण हेतु टोही परमिट (आरपी) और पूर्वेक्षण लाइसेंस (पीएल) संबंधित राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तथापि, एमएमडीआर एक्ट की प्रथम अनुसूची में शामिल खनिजों हेतु आरपी अथवा पीएल प्रदान करने से पूर्व राज्य सरकारों को केंद्र सरकार का पूर्व अनुमोदन लेना अपेक्षित है। केंद्र सरकार के स्तर पर न्यूनतम संभव समय में त्वरित निर्णय लेने के प्रयास किए जाते हैं। तथापि, कुछ मामलों में, राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्ताव अधूरे पाए जाते हैं और परिणामस्वरूप, ऐसे मामलों के शीघ्र निपटान के लिए राज्य सरकारों से पूरी सूचना/अतिरिक्त सूचना प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है।

2002–2003 के दौरान (1.4.2002 से 28.2.2003), राज्य सरकारों द्वारा एमएमडीआर अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत टोही परमिट और पूर्वेक्षण लाइसेंस के 92 प्रस्ताव केंद्र सरकार के अनुमोदनार्थ भेजे गए और केंद्र सरकार ने इन प्रस्तावों का निपटान (अनुमोदन/वापस) कर दिया है। इससे संबंधित ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	2002–2003 के दौरान (28.2.2003 तक) केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित टोही परमिट	2002–2003 के दौरान (28.2.2003 तक) केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित पूर्वेक्षण लाइसेंस	2002–2003 के दौरान (28.2.2003 तक) केंद्र सरकार द्वारा नामंजूर/लौटाए गए टोही परमिट	2002–2003 के दौरान (28.2.203 तक) केंद्र सरकार द्वारा नामंजूर/लौटाए गए पूर्वेक्षण लाइसेंस
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	4	1	2	–
2.	गोवा	–	–	3	–
3.	कर्नाटक	9	–	7	1

1	2	3	4	5	6
4.	मध्य प्रदेश	8	4	–	1
5.	महाराष्ट्र	–	2	–	–
6.	उड़ीसा	6	13	–	2
7.	राजस्थान	3	3	–	–
8.	झारखंड	1	–	–	–
9.	छत्तीसगढ़	15	5	–	2
	कुल	46	28	12	6

सकल योग : 92

197-98 **मेट्रो रेल की संरक्षा/सुरक्षा**

3026. श्री परसुराम माझी : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेट्रो रेलवे के सामने सुरक्षा खतरे के मद्देनजर दिल्ली और कोलकाता में मेट्रो रेलवे और उसके यात्रियों को पर्याप्त संरक्षा/सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) जी, हां।

(ख) निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

दिल्ली

(i) दिल्ली पुलिस में से ही दिल्ली मेट्रो रेल पुलिस के नाम से एक विशेष यूनिट बनाई गई है जो मेट्रो रेल पटरियों और संस्थापनाओं की बाउंड्रियों के भीतर अधिगमन को नियंत्रित करने तथा कानून और व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होगी।

(ii) मेट्रो संपत्ति की सुरक्षा और संरक्षा के लिए स्टेशनों, डिपो और ट्रैक पर निजी सिक्योरिटी तैनात की गई है।

(iii) विस्फोटक सामग्रियों का पता लगाने के लिए मेट्रो परिसर में दो खोजी कुत्तों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

(iv) यात्रियों की समुचित जांच/छानबीन के लिए सभी स्टेशनों के प्रवेश द्वारों पर डोर फ्रेम मैटल डिटेक्टर लगाए गए हैं। इस प्रयोजन से स्टाफ को हाथ में पकड़े जाने वाले मैटल डिटेक्टर दिए गए हैं।

कोलकाता

(i) मैट्रो रेलवे पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) द्वारा सुरक्षा मुहैया की जा रही है।

(ii) राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) कार्मिकों द्वारा भी समय-समय पर सुरक्षा कार्यकलाप किए जाते हैं।

(iii) सुरक्षा व्यवस्थाओं में क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन (सीसीटीवी) और मैटल डिटेक्टरों आदि का उपयोग शामिल है।

कम लागत वाली सफाई योजना 198-99

3027. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने शुष्क शौचालयों को कम लागत वाले पोर फ्लश शौचालयों में परिवर्तित करने हेतु कोई कम लागत वाली सफाई योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों में ऐसी योजना शुरू की गई है;

(ग) क्या ऐसी योजना मध्य प्रदेश में भी शुरू की गई है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या ऐसी कोई योजना उक्त राज्य में शुरू किए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) जी, हां।

(ख) स्कीम 21 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में आरंभ की गई है, ये आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, पश्चिम बंगाल और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) लागू नहीं।

(ङ) मध्य प्रदेश में कम लागत सफाई स्कीम के तहत 7061.00 लाख रुपये की परियोजना लागत पर 34 स्कीमों को मंजूरी दी गई है जिसमें 3142.78 लाख रुपये की भारत सरकार की सब्सिडी तथा 288 कस्बों में 7510 मैला ढोने वालों की मुक्ति हेतु 272957 यूनिटों के निर्माण/परिवर्तन के लिए 3509.53 लाख रुपये का हडको ऋण शामिल है।

199 **महिला पुलिस कर्मियों का उत्पीड़न**

3028. श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के कुछ पुलिस थानों में महिला पुलिस कर्मियों के यौन उत्पीड़न की उन्हें जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो 2002–2003 के दौरान कितने मामले सरकार के ध्यान में आए; और

(ग) ऐसे मामलों में लिप्त अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) से (ग) वर्ष 2002–2003 के दौरान ऐसे दो मामले थे जिनमें पुरुष सहयोगियों द्वारा यौन उत्पीड़न करने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई थीं। दिल्ली पुलिस ने इन दोनों शिकायतों की प्रारम्भिक जांच शुरू कर दी है।

दिल्ली में पार्कों का रख-रखाव 200-201

3029. डा. रमेश चंद तोमर : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री 18.2.2003 के अतारांकित प्रश्न संख्या 147 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीन तरफ से लगभग फुटपाथ स्तर पर चारदीवारी बनाने, बैलों से खींची जाने वाली घास काटने की मशीनें प्रयुक्त करने, पेयजल, शौचालय सुविधाओं की कमी को पूरा करने और ऊबड़–खाबड़ पत्थरों से बनी सैरगाहों को प्रयोग में लाने तक आवारा कुत्तों से निपटने के संबंध में तथ्यों पर आधारित पुख्ता जानकारी हासिल करने हेतु कोई तत्स्थानिक सर्वेक्षण कराया गया था;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले;

(ग) भारी राशि खर्च करने के बावजूद भी खराब रखरखाव के क्या कारण हैं और उसके लिए निर्धारित निधियों का उचित उपयोग सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) इस पार्क में कमियों को दूर करने हेतु क्या योजना बनाई जा रही है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) से (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने बताया है कि :

(i) इस प्रदर्शनी पार्क की चारदीवारी को जानबूझकर नीचा रखा गया है ताकि वहां से गुजरने वाले व्यक्ति पार्क के दृश्य का आनंद ले सकें।

(ii) वर्तमान में घास केवल पावर लॉन मोअर से काटी जा रही है।

(iii) पेयजल तथा शौचालय की सुविधा पार्क में उपलब्ध है तथा उनका समुचित रखरखाव किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त डीडीए ने पेयजल सुविधाओं सहित एक शौचालय ब्लॉक बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित करो (बिल्ड, ऑपरेट तथा ट्रांसफर) (बीओटी) आधार पर बनाए जाने की योजना बनाई है।

(iv) पार्क के रफ सैडस्टोन पैदलपथों का रखरखाव समुचित रूप से किया जा रहा है।

सामान्यतः पार्क का समुचित रखरखाव किया जा रहा है।

स्वतंत्रता सेनानी

पाठ्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानियों की जीवनियां

3030. श्री मोहन रावले : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आज के युवाओं को अनेकों स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांति–कारियों, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया, की जीवनियों के बारे में कोई जानकारी नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनकी जीवनियों को सभी सरकारी, निजी स्कूलों और विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में शामिल करने हेतु कोई कदम उठाए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो किस हद तक सफलता मिली है; और

(घ) यदि नहीं, तो स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों की जीवनियों को पाठ्यक्रमों में शामिल करके उन्हें कब तक उचित श्रद्धांजलि दी जाएगी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) से (घ) यह कहना सही नहीं है कि विद्यार्थियों को स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों की जीवनियों के बारे में जानकारी नहीं है क्योंकि विद्यालय स्तर की पाठ्य विवरणिकाओं में उनकी जीवनियों और उपलब्धियों का विवरण शामिल है। इस प्रकार विद्यार्थियों को देश की स्वतंत्रता हासिल करने में स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किए गए बलिदान की जानकारी होती है।

201-202

घरेलू भेषज उद्योग का संवर्धन

3031. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि घरेलू भेषज उद्योग का संवर्धन कुल विश्व बाजार के एक प्रतिशत से कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा विश्व बाजार में घरेलू हिस्सा बढ़ाने हेतु क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) : (क) से (ग) सरकार ने फरवरी, 2002 में "भेषज नीति–2002" घोषित की है। इस नीति के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

(क) जन साधारण की खपत वाली अच्छी गुणवत्ता की आवश्यक दवाओं की समुचित मूल्य पर देश में प्रचुर उपलब्धता सुनिश्चित करना।

(ख) भेषज क्षेत्र में कारोबार मूलक बाधाओं को कम करते हुए गुणवत्ता वाले लागत प्रभावी उत्पादन और भेषजों के निर्यात के लिए स्वदेशी सक्षमता को सुदृढ़ करना।

(ग) गुणवत्ता को भारतीय भेषज उद्योग की एक आवश्यक विशेषता बनाने और भेषजों के युक्तियुक्त प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए औषधों और भेषजों के उत्पादन एवं वितरण पर गुणवत्ता नियंत्रण की प्रणाली को सुदृढ़ करना।

(घ) भारत में भेषजों में अनुसंधान एवं विकास में उच्चतर स्तर के निवेश को सारणीबद्ध करने के अनुरूप माहौल सृजित करके भारत के लिए संगत या विशेष क्षेत्री बीमारियों पर विशेष ध्यान संकेद्रित करते हुए और देश की आवश्यकताओं के अनुरूप भेषज क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करना।

(ङ) भेषज उद्योग के लिए प्रोत्साहन ढांचा सृजित करना जो भेषज उद्योग में नए निवेश को बढ़ावा दे और नई प्रौद्योगिकियों और नए औषधों के लाने में प्रोत्साहन दे।

कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका के परिणामस्वरूप 12.11.2002 को एक आदेश हुआ जो सरकार पर भेषज–नीति 2002 की मूल्य नियंत्रण व्यवस्था लागू करने पर रोक लगाता है। सरकार ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की है।

नगरपालिका अधिनियम का कार्यान्वयन 202-206

3032. श्री पी. राजेन्द्रन : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान संविधान में परिकलित विकेंद्रीकरण के संबंध में राज्य–वार क्या प्रगति हुई

है और देश में नगरपालिका अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में क्या संवर्धनात्मक कदम उठाए गए हैं; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान सरकारी व्यय का कितना अंश स्थानीय स्वशासन हेतु राज्य–वार निर्धारित किया गया है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) संविधान (74वां संशोधन अधिनियम), 1992 दिनांक 1.6.1993 से लागू किया गया था। अधिनियम में दी गई व्यवस्था के अनुसार, सभी राज्य सरकारों ने अपने नगरपालिका कानूनों में संशोधन करके अथवा संविधान (74वां संशोधन अधिनियम) के उपबंधों के अनुसार नया व्यापक नगरपालिका कानून बनाकर उक्त अधिनियम के आधारभूत उपबंध कार्यान्वित किए हैं। संशोधित राज्य नगरपालिका कानूनों में नगरपालिकाओं के संघटन और गठन, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए पदों की आरक्षण, नगरपालिकाओं की नियत कार्य अवधि, नगरपालिकाओं की कार्यात्मक और वित्तीय शक्तियां, राज्य वित्त आयोग की स्थापना, जिला नियोजन समितियों और मेट्रोपोलिटन नियोजन समितियों के गठन आदि की व्यवस्था की गई है। संविधान (74वां संशोधन अधिनियम) के उपबंधों का अनुपालन करते हुए, झारखंड और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र को छोड़कर, सभी राज्यों ने नगरपालिका निकायों के चुनाव कर लिए हैं शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए राज्यों द्वारा राज्य वित्त आयोग भी गठित किए गए हैं। चूंकि संविधान की राज्य सूची के प्रविष्टि–5 के अनुसार नगरपालिका राज्य विषय है, अतः स्थानीय निकाय सुचारु ढंग से कार्य करें इसके लिए आवश्यक उपाय करने का दायित्व मुख्यतः राज्य सरकारों का है। संविधान (74वां संशोधन अधिनियम), के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए संघ सरकार द्वारा राज्य सरकारों को यथा संभव सहयोग और मार्गदर्शन दिया जा रहा है।

(ख) जैसा कि उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर में कहा गया है नगरपालिका राज्य विषय है। इसके आलोक में, स्थानीय स्वायत्तशासनों के लिए विनिर्दिष्ट सार्वजनिक व्यय का ब्यौरा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा नहीं रखा जाता है। तथापि, 11वें वित्त आयोग ने 2000–05 की अवधि के दौरान स्थानीय निकायों द्वारा नागरिक सेवाओं के लिए शहरी निकायों को 400 करोड़ रु. प्रति वर्ष दिए जाने की सिफारिश की है। राज्यवार आवंटित और जारी राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया है।

विवरण

ईएफसी की सिफारिशों के अनुसार जारी स्थानीय निकाय अनुदान

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	पंचायती राज संस्थाएं					शहरी स्थानीय निकाय				
		वार्षिक	जारी राशि				वार्षिक	जारी राशि			
		नियतन	2000-01	2001-02	2002-03	कुल	नियतन	2000-01	2001-02	2002-03	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	15204.83	0.00	15204.83	7602.41	22807.24	3293.14	1646.58	4102.56	2483.71	8232.85
2.	अरुणाचल प्रदेश	556.85	278.42	0.00	0.00	278.42	13.67	6.84	6.83	20.50	34.17
3.	असम	4668.95	0.00	4668.95	2334.47	7003.42	430.84	215.42	215.42	646.26	1077.10
4.	बिहार	10875.00	0.00	10875.00	16312.50	27187.50	1340.94	0.00	0.00	3352.35	3352.35
5.	छत्तीसगढ़	4200.39	2100.00	6300.79	4200.38	12601.17	572.23	286.10	858.36	572.23	1716.69
6.	गोवा	185.45	92.72	278.19	92.72	463.63	92.73	46.36	139.10	46.36	231.82
7.	गुजरात	6960.87	0.00	6960.87	10441.30	17402.17	2650.46	1325.22	1325.24	3975.69	6626.15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	हरियाणा	2941.75	1470.88	4412.63	2941.74	8825.25	732.80	366.40	1099.20	732.80	2198.40
9.	हिमाचल प्रदेश	1313.38	656.68	1970.08	656.69	3283.45	77.84	38.92	38.92	116.76	194.60
10.	जम्मू–कश्मीर	1488.14	744.06	744.08	0.00	1488.14	313.16	156.58	156.58	469.74	782.90
11.	झारखंड	4825.76	0.00	0.00	0.00	0.00	537.00	0.00	0.00	1342.50	1342.50
12.	कर्नाटक	7882.35	3941.18	11823.53	3941.17	19705.88	2496.39	1248.20	1248.19	3744.58	6240.97
13.	केरल	6592.58	3296.28	9888.88	3296.29	16481.45	1504.91	752.46	2257.36	752.45	3762.27
14.	मध्य प्रदेश	10109.00	5054.70	15163.30	10109.00	30327.00	2548.00	1274.00	1274.00	3822.00	6370.00
15.	महाराष्ट्र	13134.58	6567.28	19701.88	6567.29	32836.45	6325.09	3162.54	9787.64	3162.54	15812.72
16.	मणिपुर	375.43	187.72	563.15	0.00	750.87	87.92	43.96	43.96	131.88	219.80
17.	मेघालय	512.16	256.08	768.24	256.08	1280.40	53.98	27.00	26.98	80.97	134.95
18.	मिजोरम	157.11	78.56	235.67	78.55	392.78	76.89	38.44	115.34	38.44	192.2
19.	नागालैंड	257.33	128.66	386.01	128.66	643.33	35.72	17.86	17.86	53.58	89.30
20.	उडीसा	6911.76	3455.88	10367.64	3455.88	17279.40	799.20	399.60	1198.80	399.60	1998.00
21.	पंजाब	3092.71	0.00	0.00	1546.35	1546.35	1094.53	547.26	547.27	1641.79	2736.32
22.	राजस्थान	9818.96	4909.48	14728.44	4909.48	24547.40	1988.32	994.16	2982.48	994.16	4970.80
23.	सिक्किम	105.85	52.92	158.79	50.92	264.63	4.16	2.08	2.08	6.24	10.40
24.	तमिलनाडु	9322.36	4661.18	13983.54	4661.18	23305.90	3867.34	1933.66	5801.02	1933.67	9668.35
25.	त्रिपुरा	569.19	284.60	853.79	284.59	1422.98	80.32	40.16	120.48	40.16	200.80
26.	उत्तर प्रदेश	23342.67	11671.34	34014.01	11671.33	58356.68	4557.64	2278.90	6836.38	2278.82	11394.10
27.	उत्तरांचल	3040.00	1520.00	4560.00	0.00	6080.00	475.00	237.42	237.58	712.50	1187.50
28.	पश्चिम बंगाल	11554.59	5777.30	17331.89	5777.29	28886.48	3949.78	1974.90	5924.66	3949.78	11849.34
	कुल	160000.00	57185.92	206944.18	101318.27	365448.37	40000.00	19061.02	46064.29	37502.06	102627.37

सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में अ.जा./अ.ज.जा. हेतु आरक्षण

3033. श्री पी. डी. एलानगोवन :
श्री सालखन मुर्मू :

क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों, दोनों में वंचित लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने हेतु कोई विशेष योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसा करते समय सरकारी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में रोजगार के अवसरों में

अचानक आई कमी जैसी विभिन्न समस्याओं को ध्यान में रखा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा ऐसी समस्याओं का समाधान करते हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार का प्रस्ताव बकाया रिक्तियों को भरने हेतु 50 प्रतिशत की सीमा को हटाने के लिए संविधान में संशोधन करने का है जैसा कि 21 जनवरी, 2003 के 'दि हिंदुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित हुआ है; और

(च) यदि हां, तो उसे कब तक पुरःस्थापित किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) से (घ) इस बारे में जानकारी सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) और (च) इस दृष्टि से, संविधान में एक संशोधन पहले ही कर दिया गया है, जिससे राष्ट्र को बकाया चली आ रही/अग्रेनीत रिक्तियों को एक अलग और विशेष समूह की रिक्तियां मानने और उन्हें किसी वर्ष में भरी जा सकने वाली अधिकतम 50 प्रतिशत तक की आरक्षित रिक्तियों की सीमा से मुक्त रखने का अधिकार मिल गया है।

गुजरात 207-208

दाऊद की गतिविधियां

साम्प्रदायिक दंगे

3034. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 दिसम्बर, 2002 के 'दि हिंदुस्तान टाइम्स' में दाऊद द्वारा गुजरात में साम्प्रदायिक तनाव बढ़ाने हेतु धन भेजने के संबंध में प्रकाशित रिपोर्ट की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की कोई जांच कराई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(घ) क्या कोई गिरफ्तारी की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा ऐसी गतिविधियां रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) से (च) जी हां, श्रीमान। गुजरात में साम्प्रदायिक स्थिति के संदर्भ में जवाबी हिंसा करवाने के लिए विदेशों में स्थित अपने अड्डों से कार्य कर रहे दाऊद इब्राहिम और उसके साथियों सहित अपराध जगत के ग्रुपों की योजनाओं के बारे में पहले भी रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। बताया जाता है कि इन तत्वों ने भारत में पहुंचाने के लिए धन एकत्र किया है और आतंकवादियों से संबंधित हार्डवेयर की तस्करी करने और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विस्फोट करने की योजना बनाई।

जांच पड़ताल एजेंसियां संदिग्ध तत्वों/संस्थानों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रख रही हैं। गुजरात सरकार ने सूचित किया है कि इस संबंध में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है।

केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को अपने-अपने क्षेत्रों में शांति और साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए पर्याप्त एहतियात बरतने के लिए उनके साथ आसूचना का आदान-प्रदान करती रही है और समय-समय पर उन्हें सलाह देती रही है। देश में साम्प्रदायिक स्थिति पर प्रभाव डालने वाले व्यक्तियों/संगठनों की गतिविधियों पर कानून प्रवर्तन एजेंसियां निरंतर निगरानी रखती हैं और संगत कानूनों के अंतर्गत कार्रवाई सहित, जहां कहीं आवश्यक होता है, उपयुक्त उपाय किए जाते हैं।

[हिन्दी]

2004 को विज्ञान जागरूकता वर्ष के रूप में मनाना 208-09

3035. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2004 को विज्ञान जागरूकता वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्य योजना तैयार की गई; और

(ग) सरकार द्वारा इसे समयबद्ध रूप से लागू करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा") : (क) से (ग) वर्ष 2004 को विज्ञान जागरूकता वर्ष के रूप में मनाने

के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव सरकार के निरीक्षणाधीन है। विस्तृत कार्य योजना तैयार की जा रही है।

[अनुवाद]

औषधि 209

नकली दवाएं

3036. श्रीमती श्यामा सिंह :
कुंवर अखिलेश सिंह :

क्या **उप-प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने ऐसे कई गिरोहों का पता लगाया है जो गत तीन वर्षों से राजधानी में नकली दवाओं के उत्पादन और बिक्री में लिप्त थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में की गई जांच के क्या परिणाम निकले;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में औषध नियंत्रक तथा नकली दवाओं के उत्पादकों के बीच सांठगांठ का भी मूल्यांकन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) से (ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान (अर्थात 1 मार्च, 2000 से 28 फरवरी, 2003 के बीच) दिल्ली पुलिस ने नकली दवाओं के निर्माण/बेचने के 14 मामले दर्ज किए और इन मामलों के संबंध में 45 व्यक्ति गिरफ्तार किए। इनमें से दस मामलों का न्यायिक निर्णय के लिए न्यायालय में चालान कर दिया है। इन मामलों की जांच-पड़ताल से किसी भी मामले में औषध नियंत्रक और नकली दवाओं के निर्माताओं के बीच किसी सांठ-गांठ का पता नहीं चला है।

विश्वविद्यालय विकलांग 209-10

विश्वविद्यालयों में विकलांगों हेतु सीटों का आरक्षण

3037. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी विश्वविद्यालयों में विकलांग छात्रों के लिए 3 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त दिशा-निर्देशों का सभी विश्वविद्यालयों द्वारा अनुपालन किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने उन सभी विश्वविद्यालयों को समग्र पहुंच सुविधाएं निर्मित करने हेतु धन देने की पेशकश की है जो विकलांग लोगों के लिए 3 प्रतिशत सीट आरक्षित करते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा विकलांग छात्रों की पहुंच में विश्वविद्यालयों को लाने के प्रयोजन हेतु कितनी निधियां आवंटित की गई हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) से (ग) जी, हां। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को इस आशय के अनुदेश जारी किए हैं कि वे विकलांग विद्यार्थियों के लिए 3 प्रतिशत सीटें आरक्षित करें और इस आरक्षण नीति का कड़ाई से पालन करें।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राज्य स्तर पर कोयला खनन 210-12

3038. प्रो. रीता वर्मा : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी राज्य सरकार ने संशोधित कोयला खनन नीति के अंतर्गत कोयला प्रखंड प्राप्त करने के पश्चात अपने स्तर पर कोयला खनन करने का कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों के प्रस्तावों के मद्देनजर कोल इंडिया लि. ने इस प्रयोजनार्थ अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो किस आधार पर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है और उन कोयला खदानों के नाम क्या हैं जिनके लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया गया है?

कोयला मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) और (ख) दिसम्बर, 2001 में घोषित की गई संशोधित कोयला खनन नीति राज्य सरकार की कंपनियों/उपक्रमों को कोयला खनन की अनुमति देती है। उक्त नीति के अंतर्गत निम्नलिखित राज्य सरकारों/राज्य सरकार के उपक्रमों ने केंद्र सरकार को कोयला खनन ब्लाकों के आवंटन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं :

(i) पश्चिम बंगाल खनिज विकास तथा व्यापार निगम लि. (पश्चिम बंगाल सरकार का उपक्रम)

(ii) टेनूघाट विद्युत निगम लि. (झारखंड सरकार का उपक्रम)

(iii) राज्य खनिज विकास निगम (झारखंड सरकार का उपक्रम)

(iv) महाराष्ट्र राज्य खनन विकास निगम (महाराष्ट्र सरकार का उपक्रम)

(v) छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम (छत्तीसगढ़ सरकार का उपक्रम)

(ग) और (घ) कोल इंडिया लि. ने निम्न ब्लॉकों के संबंध में अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किया है क्योंकि उसकी इन ब्लॉकों में खनन करने की कोई योजना नहीं है।

1. पश्चिम बंगाल खनिज विकास तथा व्यापार निगम लि.

ब्लाक/क्षेत्र

दीवानगंज हरिसिंघा

खगरा–जॉयदेव

गंगारामचक

अर्धग्राम

भदूलिया–गंगारामचक

2. टेनूघाट विद्युत निगम लि. (झारखंड सरकार का उपक्रम)

ब्लाक/क्षेत्र

सिमारा

अंगवाली

पीपराडीह

3. राज्य खनिज विकास निगम (झारखंड सरकार का उपक्रम)

ब्लाक/क्षेत्र

एन.के. कोलफील्ड –मित्रा

एन.के. कोलफील्ड –बाबूपारा

एन.के. कोलफील्ड –गोंडलपारा

एन.के. कोलफील्ड –बदम

एन.के. कोलफील्ड –सेरेनगारा

पचवारा कोलफील्ड

4. महाराष्ट्र राज्य खनन निगम

ब्लाक/क्षेत्र

बेलगांव

माजरा

चिनोरा

वरोरा पश्चिम (उत्तर)

वरोरा पश्चिम (दक्षिण)

निराद–मालेगांव

कोसार डंगरगांव

बंधक (पूर्व तथा पश्चिम)

बिठठल–रुकमर–रूईकोट

अर्दवान–मुकुदवन

मंगली–हीरापुर

जमनी–पौनार–अदकोली

नन्दोरी

हिवरदार सिंधवधोना

बोकारा

तकली का नन्दोरी तक उत्तरी विस्तार

5. छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम

तारा

[अनुवाद] मुद्रणालय, सरकारी 213-214

लिनो-टाइप मशीनों की खरीद

3039. श्री अधीर चौधरी : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1989 में सरकारी मुद्रणालयों के आधुनिकीकरण की अनुमति दी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लिनो–टाइप प्रौद्योगिकी पुरानी हो गई है और 1988 से इसे चरणबद्ध तरीके से हटाया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या दो लिनो–टाइप मशीनें 18.66 लाख रुपये में खरीदी गई थीं और सितम्बर, 1990 में नासिक मुद्रणालय में अधिष्ठापित की गई थीं; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त पुरानी मशीनों को खरीदने का औचित्य क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) और (ख) वर्ष 1988–89 के दौरान निम्नलिखित भारत सरकार मुद्रणालयों का आधुनिकी–करण/आंशिक रूप से आधुनिकीकरण करने का काम हाथ में लिया गया।

1. भारत सरकार, मुद्रणालय (फोटोलियो), मिंटो रोड,
2. भारत सरकार, मुद्रणालय, कोराट्टी,
3. भारत सरकार मुद्रणालय, (लेटरप्रेस) फरीदाबाद
4. भारत सरकार, मुद्रणालय, नीलाखेड़ी,
5. भारत सरकार, मुद्रणालय, नासिक
6. भारत सरकार, मुद्रणालय, कोयम्बटूर
7. भारत सरकार, मुद्रणालय, अलीगढ़।

(ग) से (ङ) डीजीएस एंड डी के माध्यम से दो लिनो–टाइप मशीनें खरीदी गईं और वर्ष 1990 में लगाई गई थीं। लिनो–टाइप मशीनें, यांत्रिक कम्पोजिंग मशीनें हैं। ये लेटरप्रेस प्रिंटिंग मशीनों के टेक्स्ट बनाने के लिए आवश्यक हैं जो उस समय भारत सरकार मुद्रणालय, नासिक में मुख्य मुद्रण मशीनें थीं। दो लिनो टाइप मशीनें लेटर प्रेस प्रिंटिंग मशीनों के उत्पादन को चालू रखने हेतु दो पुरानी मशीनों को बदलने हेतु खरीदी गई थीं। ये मशीनें लेटर प्रेस प्रिंटिंग की तकनीकी जरूरत के मुताबिक थीं जो उस समय नासिक मुद्रणालय में मुख्यतः प्रौद्योगिकी उपयोग में लाई जा रही थीं।

पुलिस सुधार 214-15

3040. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या उप प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री के. पद्मनाभैया की अध्यक्षता वाली पुलिस सुधार संबंधी समिति की सभी सिफारिशों की जांच कर ली गई है और केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा इन्हें लागू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो क्या सिफारिशें अभी लागू की जानी हैं; और

(ग) इन सिफारिशों को लागू करने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (ग) पुलिस सुधारों पर पद्मनाभैया समिति ने पुलिस व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं के संबंध में लगभग 240 सिफारिशें की हैं। सरकार ने इन सभी सिफारिशों की जांच की। जांच करने के पश्चात संवर्ग आवंटन नीति की समीक्षा, सीधी भर्ती वाले भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों को जिले का प्रभार सौंपना, न्यायिक मैजिस्ट्रेट के रूप में भारतीय प्रशासन सेवा/भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी तैनात करना, शहरों में पुलिस आयुक्त प्रणाली, एनआईसीएफएस के प्रभाग, उप महानिरीक्षक के रूप में पैनल में न रखे गए अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति इत्यादि के संबंध में 23 सिफारिशें स्वीकार नहीं की गई हैं।

भर्ती, प्रशिक्षण, पदों के आरक्षण, अपराध निवारण में जनता को शामिल करने, प्रतिबद्धता, पुलिस कार्मिक की भर्ती, पुलिस में निचले रैंकों को शक्तियों का प्रत्यायोजन, बीट प्रणाली को पुनः शुरू करना, 1 : 4 अनुपात के साथ कांस्टेबलों की भर्ती का युक्तीकरण, कांस्टेबलों की भर्ती हेतु निम्नतम अर्हता के रूप में 10+2 और अधिकतम आयु सीमा 20 वर्ष निर्धारित करना, जनशक्ति का आकलन, कांस्टेबलों के अलावा उप–निरीक्षक और पुलिस उपाधीक्षक के स्तर पर भर्ती इत्यादि से संबंधित 192 सिफारिशें कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों को भेज दी गई हैं।

शेष 25 सिफारिशें आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई हेतु संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भेजी गई हैं।

विश्वविद्यालयों में अध्ययन बोर्ड

3041. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की योजना पाठ्यक्रमों और शिक्षा पद्धति के संबंध में निर्णय करने हेतु शैक्षिक परिषद की बजाय विश्वविद्यालयों में अध्ययन बोर्डों को शक्ति प्रदान करने की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्वविद्यालयों को नई प्रणाली अपनाने हेतु वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो सारे भारत में विश्वविद्यालयों हेतु प्रोत्साहन देने की योजना का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) से (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, विश्वविद्यालयों, जो स्वायत्त और स्व–शासी संस्थाएं हैं, को अपनी–अपनी शैक्षिक परिषदों और अध्ययन बोर्डों के माध्यम से पाठ्यक्रम के संबंध में निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त है।

ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति

3042. श्री वी. वेत्रिसेलवन : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड को ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति करने में कोई कठिनाई हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा ताप विद्युत के संयंत्रों को पर्याप्त मात्रा में कोयले की आपूर्ति न करने के क्या कारण हैं;

(घ) राज्य–वार ताप विद्युत संयंत्रों के पास उपलब्ध कोयला भंडार की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा विद्युत संयंत्रों को कोयले की नियमित आपूर्ति करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कोयला मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) से (ग) कोल इंडिया लि. (सीआईएल) को तापीय विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति करने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही है।

वर्ष 2000–01, 2001–02 तथा 2002–03 (जनवरी, 2003 तक) के दौरान देश में कोयला लिंकेजों की तुलना में तापीय विद्युत संयंत्रों को प्रेषण के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

(आंकड़े मिलियन टन में)

वर्ष	लिंकेज	प्रेषण	मूर्तिकरण
2000–2001	214.14	208.46	97%
2001–2002	222.53	216.87	97%
2002–2003 (जनवरी 2003 तक)*	192.06	182.00	95%

*अनंतिम

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि कोयला लिंकेज के संबंध में प्रेषण पर्याप्त है। यह, देश में वर्तमान वर्ष में गंभीर सूखे के बावजूद जिससे तापीय विद्युत संयंत्रों* द्वारा कोयले की खपत उच्च स्तर पर हुई।

(घ) 28 फरवरी, 2003 की स्थिति के अनुसार केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) यथा प्रस्तुत तापीय विद्युत संयंत्रों की कोयला स्टॉक की स्थिति के राज्य–वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) विद्युत स्टेशनों को मासिक कोयला प्रेषण स्थाई लिंकेज समिति (अल्पावधि) द्वारा किया जाता है जिसकी प्रत्येक तिमाही में बैठक होती है और यह एक अंतर–मंत्रालयीय निकाय है जिसके अध्यक्ष, विशेष सचिव (कोयला) हैं और इसमें विद्युत मंत्रालय, रेल मंत्रालय, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण और औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। यह समिति तापीय विद्युत संयंत्रों सहित कोर क्षेत्र को कोयले के नियमित तथा समुचित संचरण का समन्वय करने के लिए एक तंत्र के रूप में कार्य करती है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी विद्युत स्टेशन अपने पास पर्याप्त कोयला स्टॉक रखते हैं, सीआईएल तथा इसकी अनुषंगियां सदैव राज्य विद्युत बोर्ड/विद्युत उपयोगिताओं के साथ निकट संपर्क बनाए रखती हैं। कुछ मामलों में, जब किन्हीं कारणों से लिंकड स्रोतों से आपूर्ति बाधित हो जाती है,

सीआईएल यह सुनिश्चित करता है कि इन स्रोतों से होने वाली आपूर्तियों में कमी की प्रतिपूर्ति अन्य स्रोतों से आपूर्ति करके की जाती है। उन मामलों में जहां एसईबी/विद्युत उपयोगिताओं के पास काफी रकम बकाया होती है, सीआईएल तथा इसकी अनुषंगियों को देयों की वसूली को सुकर बनाने के लिए कोयला आपूर्तियों को नियंत्रित करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। 28.2.2003 को सीआईएल की बकाया देय राशि 6000 करोड़ रुपये से अधिक है।

विवरण

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा सूचित किए अनुसार 28 फरवरी, 2003 को तापीय विद्युत गृहों के स्टाक की स्थिति

(आंकड़े हजार टन में)

राज्य	विद्युत स्टेशन	स्टॉक
1	2	3
दिल्ली	बदरपुर	178
	आईपी	17
	राजघाट	5
	कुल	170
हरियाणा	फरीदाबाद	31
	पानीपत	100
	कुल	131
पंजाब	भटिंडा	49
	एल.एच.एम.	96
	रोपड़	103
	कुल	248
राजस्थान	कोटा	92
	सूरतगढ़	60
	कुल	152
उत्तर प्रदेश	अनपारा	421
	हरदुआगंज़	27
	दादरी	160
	ओबरा	335
	पंकी	5
	परीचा	14
	रीहांद	128
	सिंगरौली	346
	टांडा	65
	ऊंचाहार	123
	कुल	1624
गुजरात	अहमदाबाद	9
	गांधीनगर	94
	सिक्का	62
	उकाई	169
	वनक बोरी	158
	कुल	492
छत्तीसगढ़	कोरबा (ईस्ट)	117
	कोरबा (वेस्ट)	196
	कोरबा एस.टी.पी.एस.	312
	कुल	625
आन्ध्र प्रदेश	कोठागुंडम	229
	मदनपुर	90
	नेल्लोर	2
	रामागुंडम	6
	सिमाधरी	255
	आरडीएम एसटीपीएस	359

1	2	3
	विजयवाड़ा	127
	कुल	1068
तमिलनाडु	इन्नोरे	77
	मेत्तुर	182
	नार्थ चेन्नई	105
	तूतीकोरिन	222
	कुल	586
कर्नाटक	रायचुर	97
बिहार	बरौनी	2
	मुजफ्फरपुर	6
	कहलगांव	143
	कुल	151
झारखण्ड	पतरातु	79
	तेनुघाट	139
	बोकारो	286
	चन्द्रपुर	286
	कुल	790
महाराष्ट्र	भुसावल	47
	चन्द्रापुर	130
	दहानु	47
	कापडखेड़ा	161
	कोराडीह	208
	नासिक	74
	पारस	8
	पारली	38
	कुल	713
मध्य प्रदेश	अमरकंटक	31
	बरसिंगपुर	364
	सतपुड़ा	179
	विंध्याचल	672
	कुल	1246
पश्चिम बंगाल	मेजीआ	173
	दुर्गापुर (डीवीसी)	31
	बंदेल	24
	सीईएससी कोलकाता	16
	साउथ जेन	20
	दुर्गापुर (डीपीएल)	78
	कोलाघाट	47
	बकरेश्वर	32
	संतालडीह	18
	टीटागढ़	22
	बुदजे–बुदजे	59
	फरक्का	350
	कुल	870
उड़ीसा	तलचेर	77
	तलचेर एसटीपीएस	326
	आईबी घाटी	79
	कुल	482
असम	बोंगाईगांव	0
समग्र भारत	कुल	9445

220-265 **छोटे और मध्यम कस्बों की समेकित विकास योजना**

3043. श्री अशोक ना. मोहोल :
श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री भर्तृहरि महताब :

श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री ब्रजमोहन राम :
श्री सी. श्रीनिवासन :
श्री अम्बरीश :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटे और मध्यम कस्बों की समेकित विकास योजना के आरंभ होने से उसके अंतर्गत किए गए कुल बजटीय आवंटन का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत आज की तारीख के अनुसार राज्यवार उपयोग की गई कुल राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आज की तारीख के अनुसार वर्षवार और राज्यवार विभिन्न सरकारों द्वारा अपने शहरों और कस्बों के विकास हेतु केन्द्रीय सहायता हेतु प्रस्तुत की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान राज्यवार अनुमोदित/अस्वीकृत/लंबित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ङ) राज्यवार व्यय की गई राशि सहित विकसित किए गए शहरों/कस्बों के क्या नाम हैं;

(च) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष–वार केन्द्रीय सहायता प्रदान किए गए शहरों/कस्बों के नाम क्या हैं; और

(छ) योजनाओं के लंबित रहने के क्या कारण हैं और केन्द्र सरकार द्वारा लंबित योजनाओं को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) और (ख) छोटे और मझोले कस्बों का एकीकृत विकास स्कीम (आईडीएसएमटी) के अंतर्गत 28.2.2003 तक 59219.67 लाख रुपए तक की केन्द्रीय सहायता जारी की गई है और जारी केन्द्रीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा तथा राज्यों द्वारा उपयोग की गई राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ग) से (च) सूचना संलग्न विवरण–II में दी गई है।

(छ) निर्धारित समय के भीतर राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किए गए और उनके वार्षिक नियतन के अनुसार केन्द्रीय सहायता जारी की गई। तदनुसार कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। तथापि चालू वर्ष (2002–03) के दौरान राज्यों के वार्षिक नियतन से ऊपर और अधिक वाले तथा समय सीमा के बाद प्राप्त प्रस्ताव प्रक्रियाधीन हैं और उन पर अगले वित्त वर्ष में विचार किया जाएगा। संबंधित राज्यों की राज्य स्तरीय मंजूरी समितियों द्वारा सिफारिश वाले कस्बे, जो सरकार के विचाराधीन हैं, का ब्यौरा संलग्न विवरण–III में है।

विवरण-I

1979–80 से 28.2.2003 तक आईडीएसएमटी स्कीम के अंतर्गत शामिल कस्बे, जारी केन्द्रीय सहायता तथा सूचित व्यय

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	शामिल कस्बे	जारी केन्द्रीय सहायता	सूचित व्यय
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	99	5530.26	8230.99
2.	अरुणाचल प्रदेश	8	151.00	167.12
3.	असम	35	1225.77	1201.88
4.	बिहार	36	1147.38	1089.62
5.	छत्तीसगढ़	22	1033.67	1026.39
6.	गोवा	9	204.00	118.72
7.	गुजरात	73	3771.07	6005.12
8.	हरियाणा	19	1419.00	1252.36
9.	हिमाचल प्रदेश	18	763.06	796.94
10.	जम्मू–कश्मीर	10	642.22	753.29
11.	झारखंड	13	418.76	439.58
12.	कर्नाटक	111	5200.32	4267.57
13.	केरल	42	2135.06	3530.75
14.	मध्य प्रदेश	97	3763.73	3504.76
15.	महाराष्ट्र	126	7519.25	13077.81

1	2	3	4	5
16	मणिपुर	22	632.60	631.52
17.	मेघालय	8	411.50	471.87
18.	मिजोरम	10	479.40	849.85
19.	नागालैण्ड	9	350.99	618.91
20.	उड़ीसा	62	2169.63	2334.68
21.	पंजाब	35	1635.60	2741.82
22.	राजस्थान	54	2787.22	4714.47
23.	सिक्किम	10	250.89	327.62
24.	तमिलनाडु	132	5063.52	5620.25
25.	त्रिपुरा	13	498.81	782.49
26.	उत्तरांचल	6	342.00	113.32
27.	उत्तर प्रदेश	135	5103.06	5286.45
28.	पश्चिम बंगाल	90	4076.94	5290.73
29.	अंदमान और निकोबार द्वीप	1	92.00	124.00
30.	दादरा और नगर हवेली	2	112.22	16.38
31.	दमन और दीव	1	23.00	0.00
32.	लक्षदीप	1	25.00	0.00
33.	पांडिचेरी	7	240.75	159.55
	सकल योग	1316	59219.67	75547.21

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान आईडीएसएमटी के अंतर्गत अनुमोदित प्रस्ताव (नए तथा चालू), जारी केन्द्रीय सहायता और सूचित खर्च (28 फरवरी, 2003 के अनुसार)

(लाख रुपये में)

राज्य	क्र.सं.	कस्बा	जारी केन्द्रीय सहायता				संचयी खर्च
			वर्ष 2000–02	वर्ष 2001–02	वर्ष 2002–03	3 वर्ष कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
आंध्र प्रदेश	1.	दुनी	30.00	30.00		60.00	78.00
	2.	तिरुपति			53.14	52.00	217.78
	3.	गढ़वाल			18.91	18.00	83.00
	4.	भोगीर			26.40	26.00	65.70
	5.	इलूरू			105.67	53.00	321.68
	6.	बोबोली	23.00	22.94		45.94	40.57
	7.	गाजुवाका	25.00			55.00	
	8.	रामागुन्डम	40.00			70.00	
	9.	महबूबनगर	34.00			64.00	

1	2	3	4	5	6	7	8
आंध्र प्रदेश	10.	मडापेट्टा	8.00			30.00	9.97
	11.	तेनाली	57.00			57.00	
	12.	नालगोंडा	36.50			36.50	
	13.	नंदयाल		63.00	32.50	95.50	
	14.	सूरयापेट			75.00	75.00	
	15.	बापातला			58.00	58.00	
	16.	कोवूर			45.00	45.00	
	17.	नुजोवीडू		45.00		45.00	
	18.	सिरसिला		41.90		41.00	
	19.	पेंडेना		14.20		14.20	
	20.	अनन्तपुर		57.50	57.50	115.00	
	21.	सदाशिवपेट		37.50		37.50	
	22.	अनकापल्ले		48.00		48.00	
	23.	कादिरी		70.00	4.00	74.00	
	24.	मानचेरियर			75.00		
	25.	नरसापुर			67.50		
	26.	बेल्लमपल्ली			29.00		
	27.	समालकोटा			45.00		
	28.	सालूर			20.00		
		उप–योग	263.50	608.04	534.62	1216.64	817.60
अरुणाचल प्रदेश	29.	रोयेंग		16.00	8.00	24.00	
		उप–योग		16.00	8.00	24.00	
असम	30.	गोपालपाड़ा		55.00		55.00	49.00
	31.	रंगिया		29.30		29.30	31.75
	32.	बोकारखाट	15.00			15.00	
	33.	डिगबोई	16.00			16.00	

1	2	3	4	5	6	7	8
असम	34.	डिब्रूगढ़		105.00		105.00	
	35.	होजाई		45.00		45.00	
	36.	विश्वनाथ चरियाली		24.00		24.00	
	37.	गोसाई गांव			24.00		
	38.	सोनारी			24.00		
	39.	गोहपुर			24.00		
	40.	उदलगुरी			24.00		
	41.	बिजनी			24.00		
	42.	उत्तरी गौहाटी			24.00		
	43.	बिलासीपारा			24.00		
		उप–योग	31.00	258.30	168.00	289.30	80.75
बिहार	44.	फारविसगंज		69.99		69.99	25.14
	45.	अररिया	15.00			15.00	
	46.	खगड़िया	15.00			15.00	
	47.	नरकटियागंज		41.00		41.00	
	48.	औरंगाबाद		45.00		45.00	
	49.	भभुआ		44.50		44.50	
	50.	दरभंगा			90.00		
		उप–योग	30.00	200.49	90.00	230.49	25.14
छत्तीसगढ़	51.	बैकुंठपुर		22.20		22.20	
	52.	दुर्ग			105.00		
	53.	पेन्ड्रा			24.00		
	54.	दल्ली–राजहारा			19.00		
	55.	चम्पा	30.00			30.00	47.83
	56.	जांजगीर	30.00			30.00	91.72
	57.	बलोद	16.00			32.00	28.76

1	2	3	4	5	6	7	8
छत्तीसगढ	58.	रायपुर	90.00			90.00	40.20
	59.	काठगोडा		16.00	8.00	24.00	
	60.	धमतरी		50.00	25.00	75.00	
	61.	कोरबा		70.00	35.00	105.00	117.56
		उप–योग	166.00	158.20	216.00	408.20	326.07
गोवा	62.	कैनाकोना	8.00			8.00	
		उप–योग	8.00			8.00	
गुजरात	63.	बोरसाद	22.09			44.09	79.97
	64.	पेटलाग	8.67			16.17	80.24
	65.	सावरकुण्डला	2.50			8.50	21.26
	66.	बावला	30.00			41.00	205.61
	67.	मोदासा	2.00			60.00	175.69
	68.	इदार	25.00			50.00	119.92
	69.	आनन्दी	70.00			96.00	467.00
	70.	बारडोली	30.00	30.00		60.00	85.95
	71.	जामनगर	90.00			180.00	707.96
	72.	भावनगर	71.40			144.40	447.92
	73.	अम्बाजी	13.50			19.45	49.45
	74.	मांडवी	29.00			44.50	8.07
	75.	डकार		32.00		48.00	28.76
	76.	धोलका	5.60			27.60	65.16
	77.	अंजार	8.00			30.00	
	78.	उना	8.00			30.00	53.35
	79.	उमरेट	8.00			30.00	39.56
	80.	गांधीधाम	70.00			70.00	86.63
	81.	जैतपुर	50.00			50.00	

1	2	3	4	5	6	7	8
गुजरात	82.	घरगधरा	48.00			48.00	
	83.	कपड़वंज	30.00			30.00	
	84.	कांदीनार		33.00		33.00	
	85.	बांकानेर		45.00		45.00	
	86.	लीम्बडी		45.00		45.00	
	87.	धंधुका		45.00		45.00	43.32
	88.	खेडा		45.00		45.00	
	89.	प्रान्तीज		45.00		45.00	
	90.	कडी		30.00	43.60	73.60	
	91.	बागसारा		40.00	5.00	45.00	
	92.	खम्भालिया		40.00	5.00	45.00	
	93.	मनसा			32.00		
	94.	बालासिनोर			45.00		
		उप–योग	621.76	430.00	130.60	1549.31	2815.82
हरियाणा	95.	बरवाला	30.00		60.00	74.16	
	96.	चरखीदादरी	30.00			60.80	115.50
	97.	यमुनानगर	60.00		62.58	105.00	116.99
	98.	पेहोबा	19.60	10.40	30.00	53.00	53.00
	99.	भीवानी	60.00		109.82	60.00	
	100.	अम्बाला सिटी	65.00		131.10	65.00	
	101.	सिरसा		70.00	35.00	105.00	
	102.	हासी		50.00	25.00	75.00	
	103.	कुरुक्षेत्र		75.00		75.00	
		उप–योग	264.60	205.40	393.50	658.00	359.65
हिमाचल प्रदेश	104.	नाहन	32.65			64.65	125.14
	105.	उना	15.29			30.29	51.47

1	2	3	4	5	6	7	8
हिमाचल प्रदेश	106.	रामपुर	16.00	16.00		33.00	67.33
	107.	धर्मशाला	32.50	32.50		90.00	73.10
	108.	सोलन	8.00		60.00	30.00	4.00
	109.	थेयोग			27.64	12.00	5.30
	110.	कुल्लू			32.00	16.00	
	111.	पालमपुर	16.00			16.00	6.54
	112.	नालागढ़	16.00	32.00		48.00	19.65
	113.	ज्वालामुखी		16.00	8.00	24.00	9.90
	114.	पोटासाहिब		8.00	16.00	24.00	
	115.	बिलासपुर			24.00		
	116.	सुन्दर नगर			45.00		
	117.	कोटखई			24.00		
		उप–योग	136.44	104.50	236.64	387.94	362.43
जम्मू व कश्मीर	118.	सोपोर	38.24			38.24	67.05
	119.	जम्मू		145.00		215.00	201.17
	120.	अनन्तनाग		75.00		75.00	
	121.	पुलवामा			44.40		
		उप–योग	38.24	220.00	44.40	328.24	268.22
झारखण्ड	122.	हजारीबाग			75.00		
		उप–योग			75.00		
कर्नाटक	123.	मण्डया	70.47			115.47	96.18
	124.	बीजापुर	46.95			85.95	64.53
	125.	लक्ष्मेश्वर	2.00			38.91	31.83
	126.	सावानुर	18.30			36.65	26.60
	127.	गडगविवागरी	70.49			115.49	91.47
	128.	मलूर	23.82			47.82	43.18

1	2	3	4	5	6	7	8
कर्नाटक	129.	कुण्डापुरा	4.11			46.94	38.32
	130.	सिदलाघट्टा	18.20			38.20	38.67
	131.	अरसिकेरे	54.58		54.58	64.64	
	132.	हुनसूर	56.43			56.43	46.63
	133.	गजेन्द्रगढ़		60.00		60.00	48.31
	134.	सिरा	60.00			60.00	49.78
	135.	बांगरपेट	21.85			43.70	53.01
	136.	कोप्पल	60.00			60.00	57.81
	137.	कुड्डूर		31.13		56.28	85.67
	138.	होलेनरसीपुरी		29.50		59.00	89.14
	139.	चिन्चाली		32.00		32.00	21.44
	140.	मुड्डेबिहाल	18.14	11.86		30.00	68.14
	141.	हरपनहल्ली		60.00		60.00	46.14
	142.	चेन्नागिरी		32.00		32.00	24.16
	143.	रान		32.00		32.00	30.39
	144.	हसन		120.00		120.00	103.11
	145.	सिमोगा			73.73	19.00	49.99
	146.	मानवी	4.00			26.00	
	147.	दावनगिरी	40.00			70.00	
	148.	गुलबर्ग	53.00			83.00	
	149.	आठानी	15.00			15.00	
	150.	अलंद	30.00			30.00	
	151.	बिरूर	30.00			30.00	
	152.	देवनहल्ली	14.00			14.00	
	153.	चामराजनगर		30.00	15.00	45.00	
	154.	मुडरागी		12.30		12.30	

1	2	3	4	5	6	7	8
कर्नाटक	155.	केरूर		22.90		22.90	
	156.	हनागल		45.00		45.00	
	157.	इन्दी		45.00		45.00	
	158.	टुमकुर		50.00	45.00	95.00	
	159.	कोन्नूर			24.00		
	160.	खानापुर			19.00		
	161.	यादगिरी			35.50		
	162.	अरकलगुद			8.50		
	163.	महालिंगपुर			38.00		
	164.	मुलगुंड			24.00		
	165.	भालका			43.70		
	166.	चित्तगुप्पा			23.17		
	167.	अनेकल			32.62		
	168.	नेलामंगला			16.80		
	169.	हलीयाला			19.80		
	170.	चन्नारायापटन			20.51		
	171.	बेतवाला			25.98		
	172.	अलनावर			24.00		
	173.	अन्नीगिरी			35.00		
	174.	होसदुर्ग			12.32		
	175.	बेल्लारी			42.98		
	176.	बागलकोट			58.64		
		उप–योग	710.97	613.69	638.25	1833.25	1269.29
केरल	177.	कोझीकोड	90.00			180.00	248.87
	178.	चेंगनूर	62.00			62.00	88.00
	179.	बरकाला	57.75			57.75	69.47

1	2	3	4	5	6	7	8
केरल	180.	नेडूमंगद		60.00		60.00	81.50
	181.	पठानमथिट्टा		24.50		49.50	98.66
	182.	मुवत्तुपूजा		24.00		44.00	34.31
	183.	नार्थपेरायुर	30.00			30.00	
	184.	कुडुनगल्लर		15.00	7.50	22.50	
	185.	इरन्जलाकुडा		45.00		45.00	
	186.	पाला		40.00	5.00	45.00	
	187.	पोन्नानी		50.00	25.00	75.00	
	188.	कुन्नमकुलम			24.00		
	189.	अंगमाली			45.00		
		उप–योग	239.75	258.50	106.50	670.75	620.81
मध्य प्रदेश	190.	खड़वा	30.44			60.44	85.90
	191.	बियोरा		30.00		60.00	100.00
	192.	बेरासिया		16.00		32.00	55.75
	193.	नरसिंगढ़	54.98			54.98	45.00
	194.	अशोकनगर	48.78			48.78	41.42
	195.	सिहोरा	30.00			30.00	70.19
	196.	उमरिया		60.00		60.00	63.96
	197.	मैहर	27.00			27.00	40.38
	198.	धनपुरी	16.00			16.00	
	199.	नागोद	16.00			16.00	
	200.	नाउगोंग	30.00			30.00	19.65
	201.	सोनकुच	13.00			13.00	
	202.	बरवानी		45.00		45.00	
	203.	जवाद		24.00		24.00	
	204.	राजपुर		24.00		24.00	

1	2	3	4	5	6	7	8
मध्य प्रदेश	205.	चौराई		24.00		24.00	
	206.	गढ़ाकोडा		45.00		45.00	
	207.	सिढ़ी		40.00	5.00	45.00	
	208.	रायसेन		45.00		45.00	
	209.	चुरहट		24.00		24.00	
	210.	लाहर		24.00		24.00	
	211.	हट्टा		45.00		45.00	
	212.	अकोदिया			24.00		
	213.	जीरापुर			24.00		
	214.	मंगावन			22.92		
	215.	बिरसिंहपुर			24.00		
	216.	खिलचीपुर			24.00		
	217.	तेन्दुखेड़ा			24.00		
	218.	रामपुरनइकिन			24.00		
	219.	मनसा			24.00		
	220.	साजाकोट			45.00		
	221.	रामपुर बागेलन			24.00		
	222.	शिवपुरी			86.95		
	223.	सुजलपुर			35.00		
	224.	आरोन			24.00		
	225.	राघागढ़			35.00		
	226.	भिण्ड			66.25		
	227.	मचलपुर			24.00		
	228.	अमरवारा			24.00		
	229.	खुजनेर			24.00		
	230.	गोविन्दगढ़			24.00		
		उप–योग	266.20	446.00	608.12	793.20	521.85

1	2	3	4	5	6	7	8
महाराष्ट्र	231.	बसमथ नगर	13.81			51.00	127.64
	232.	मनवथ	28.50			49.00	100.25
	233.	औसा	11.20			23.20	92.66
	234.	गेओराय	18.00			36.00	115.13
	235.	सावन्वाड़ी	28.80			39.50	146.02
	236.	मुर्तुजापुर	7.00			37.67	136.65
	237.	पराला	36.00			36.00	95.60
	238.	अलीबाग	14.00			28.00	75.28
	239.	पुलगांव	29.00			58.00	102.12
	240.	उमरंड	4.00			58.00	109.17
	241.	वइजापुर	34.00			58.00	112.23
	242.	इचलकरंजी	10.00			140.00	490.06
	243.	वाई	30.00			60.00	165.31
	244.	अजनगांव सुरजी	30.00			60.00	142.45
	245.	नेहकर	30.00			60.00	169.16
	246.	कलम्ब	16.00			32.00	85.56
	247.	दरियापुर	51.52			71.00	122.15
	248.	अमरावती	90.00	90.00		180.00	373.31
	249.	सहादा	30.00			60.00	115.59
	250.	नवापुर	30.00	30.00		60.00	114.49
	251.	कुरूदवाद	32.00			64.00	144.77
	252.	संगोला	30.00			60.00	261.08
	253.	घाटनजी	16.00			32.00	68.71
	254.	गंगाखेट		50.60		75.60	50.61
	255.	सिलोद		60.00		90.00	84.05
	256.	सतना	8.00			30.00	7.37

1	2	3	4	5	6	7	8
महाराष्ट्र	257.	धामनगांव	8.00			30.00	17.40
	258.	रोहा		32.00		48.00	30.80
	259.	कोल्हापुर	60.00	180.00		270.00	220.38
	260.	उमरखेद	30.00			30.00	13.08
	261.	फैजपुर	30.00			30.00	25.37
	262.	रावेर	30.00			30.00	25.37
	263.	जिन्तुर	30.00	60.00		90.00	55.32
	264.	देसाईगंज		16.00		16.00	
	265.	अकोला		135.00		135.00	175.12
	266.	खेद			24.00		
	267.	राजापुर			24.00		
	268.	जौहार			24.00		
	269.	लादूर			75.00		
	270.	तुमसार			23.00		
	271.	वाणी			24.50		
	272.	जलगांव			55.00		
	273.	धुले			55.00		177.08
	274.	सांगली–मिराज–कुपवाड			80.00		
	275.	श्रीरामपुर			32.50		
	276.	सिरपुर–वरवाड			25.00		
	277.	गधीगंलज			22.00		
	278.	उडवीर			75.00		
	279.	नादेड़–बघाला			112.00		
	280.	चन्द्रपुर			82.00		
	281.	इस्लामपुर			45.00		
	282.	परवानी			105.00		

1	2	3	4	5	6	7	8
महाराष्ट्र	283.	बीड			80.25		
		उप–योग	815.83	653.60	963.25	2227.97	4393.62
मणिपुर	284.	मयगइम्फाल	32.00			32.00	31.99
	285.	मोइरंग		24.00		24.00	
	286.	कुबी		24.00		24.00	
	287.	सुगनु			21.00		
	288.	काकचिंग–खोउनु			18.00		
	289.	क्वाटा			24.00		
	290.	वागनोई			24.00		
	291.	समुरऊ			24.00		
	292.	ओइनम			24.00		
	293.	एण्ड्रु			24.00		
	294.	सिंखोग–सिकमई			24.00		
	295.	हैरोक			24.00		
		उप–योग	32.00	48.00	207.00	80.00	31.99
मेघालय	296.	शिलोंग			123.60	61.80	20.64
		उप–योग	0.00		123.60	61.80	20.64
मिजोरम	297.	छम्पई		60.00		90.00	130.00
	298.	हनहथियाल		32.00		48.00	69.00
	299.	सैइहा		32.00		48.00	69.00
	300.	लिंगपुई		24.00		24.00	
	301.	मामित			24.00		
		उप–योग	0.00	148.00	24.00	210.00	268.00
नागालैण्ड	302.	वोकहा	32.00			32.00	56.78
	303.	फेक	15.00		16.00	15.00	50.15
	304.	दिमापुर	50.00			50.00	66.00

1	2	3	4	5	6	7	8
नागालैण्ड	305.	किफिर	15.00			15.00	22.75
		उप–योग	112.00		16.00	112.00	195.68
उड़ीसा	306.	ब्रह्मपुर	158.00			158.00	245.64
	307.	नीलगिरी		32.00		32.00	24.33
	308.	अट्ठामलिक	16.00	16.00		32.00	39.84
	309.	आनन्दपुर	4.00			26.00	
	310.	सोरो	5.00			27.00	
	311.	बालासोर	40.00			70.00	9.97
	312.	अस्का	16.00			16.00	
	313.	बांकी	16.00			16.00	12.94
	314.	करजिंया		16.00	8.00	24.00	
	315.	किसीगां		24.00		24.00	
	316.	बालूगांव		24.00		24.00	
	317.	राजगंगपुर		45.00		45.00	
	318.	चिकिटी		24.00		24.00	
	319.	तालचेर		40.00	5.00	45.00	
	320.	गुनुपुर		24.00		24.00	
	321.	रैरंगपुर		24.00		24.00	
	322.	सोनपुर			24.00		
	323.	नयागढ़			24.00		
	324.	खुरदा			44.68		
	325.	हिंजलीकट			24.00		
	326.	बौद्ध			24.00		
	327.	उडाला (टी)			22.84		
		उप–योग	255.00	269.00	176.52	611.00	332.27
पंजाब	328.	आनन्दपुर साहिब			14.24	15.00	92.59

1	2	3	4	5	6	7	8
पंजाब	329.	फतेहगढ़ साहिब		34.00		35.00	28.07
	330.	पट्टी			76.00	1.00	15.80
	331.	मुक्तसर		100.00		150.00	95.41
	332.	कपूरथला	24.00			46.00	42.05
	333.	नकोदर	8.00			30.00	45.03
	334.	जागराव	30.00			30.00	
	335.	दसुईया	16.00			16.00	
	336.	गढ़शंकर		16.00	8.00	24.00	
	337.	रमन–मंडी			24.00		
	338.	सार्दुलगढ़			24.00		
		उप–योग	78.00	150.00	146.24	347.00	318.95
राजस्थान	339.	नोकहा		30.00		30.00	87.87
	340.	शाहपुरा		33.00		65.00	76.83
	341.	कपासन	17.00			24.50	42.25
	342.	जैशलमेर		32.50		44.00	92.49
	343.	उदयपुर		5.00		105.00	236.50
	344.	बीकानेर	65.00	141.00		206.00	270.95
	345.	बेसनोक		32.00		56.00	
	346.	हनुमानगढ़	50.00			50.00	
	347.	बलात्र	30.00			30.00	
	348.	दिदवाना	30.00			30.00	
	349.	नाथद्वार		45.00		45.00	
	350.	भंदेर		24.00		24.00	
	351.	सूरतगढ़		45.00		45.00	
	352.	रावतभाटा			45.00		
	353.	टोंक			45.00		

1	2	3	4	5	6	7	8
राजस्थान	354.	पोखरन			24.00		
		उप–योग	192.00	387.50	114.00	734.50	836.56
सिक्किम	355.	सिंगताम		36.00		36.00	55.57
	356.	गंयजिंग	16.00			16.00	
	357.	सोखा	16.00			16.00	
	358.	रंगलीबजार		24.00		24.00	
		उप–योग	32.00	60.00		92.00	55.57
तमिलनाडु	359.	पोंनामरावती	14.09			28.09	82.83
	360.	ततइयानगरपेट्ठी	14.10			28.20	61.07
	361.	थुरइयुर	12.45		24.90	73.75	
	362.	चिन्नामनोर	18.87			37.87	64.40
	363.	नट्टारासनकोट्टई	9.66			19.31	37.85
	364.	देनकनीकोटा	11.59			23.19	47.90
	365.	सुरमपट्टी	26.04	26.04		77.17	84.99
	366.	ओड्डनछत्तरई	9.91	9.92		29.74	42.04
	367.	दिंदीगल	30.00		140.00	70.00	129.81
	368.	किनाथुकडवु	16.00			16.00	
	369.	क्लिार्थीकुलम	16.00		31.52	16.00	
	370.	पेराउरानी	16.00			16.00	
	371.	चेन्नाम	16.00			16.00	
	372.	पेरियाकुलम		30.00	15.00	45.00	
	373.	थन्जाऊर		105.00		105.00	
	374.	राजापल्यम		105.00		105.00	
	375.	पल्लाथुर		21.00		21.00	
	376.	शिवकासी		64.00		64.00	
	377.	उल्लंडुर पेट		24.00	24.00	48.00	

1	2	3	4	5	6	7	8
तमिलनाडु	378.	गुडलूर		45.00	45.00	45.00	
	379.	थोण्डी		24.00		24.00	
	380.	आर. एस. मंगलम		24.00	24.00	48.00	
	381.	चिन्नासलाम		24.00	24.00	48.00	
	382.	कल्लाकाडु		35.97	4.00	39.97	
	383.	तिरुपुर			105.00		
	384.	ओरथनाडु			24.00		
	385.	पुडुवलियाल			16.00		
	386.	इरांद			88.57		
	387.	अलमपल्यम			24.00		
	388.	पुड्डुकोट्टई			58.92		
	389.	पुदकोट्टई			31.75		
	390.	लालगड़ी			24.00		
	391.	अनुर			24.00		
	392.	मुसीरी			44.00		
	393.	तिरूकाटुपल्ली			16.55		
	394.	तिरुनेवेल्ली			72.90		
	395.	जलगंदापुरम			18.28		
		उप–योग	10.71	537.03	856.49	995.44	624.44
त्रिपुरा	396.	कुमारघाट		30.00		30.00	62.00
	397.	सीनामुरा	16.00	16.00		32.00	44.15
	398.	कमालपुर	16.00	16.00		48.00	44.02
	399.	तेलियामुरा		61.00		76.50	44.19
	400.	सबरूम			13.60	13.00	18.55
	401.	रानीरबाजार	16.00			16.00	5.73
		उप–योग	8.00	113.60	13.60	215.50	218.64

1	2	3	4	5	6	7	8
उत्तरांचल	402.	देहरादून		105.00		105.00	
	403.	हल्द्वानी–काठगोदाम		95.00		95.00	
	404.	पिथौरागढ़		40.00		40.00	
		उप–योग		240.00		240.00	
उत्तर प्रदेश	405.	बस्ती	79.18			79.18	80.51
	406.	खलीलाबाद	49.90			49.90	150.03
	407.	मुरादनगर	39.00			39.00	63.13
	408.	दादरी		33.74		33.74	66.95
	409.	लोनी	59.23			59.23	50.25
	410.	मुरादाबाद	114.00			114.00	860.00
	411.	मघार	15.75	15.75		31.49	42.79
	412.	बंसी	24.25			24.25	50.17
	413.	फफूंद		32.00		32.00	23.37
	414.	पालियाकला		37.40		37.40	39.36
	415.	मलिहाबाद		25.53		25.53	18.11
	416.	सारणपुर	82.00	82.96		164.96	205.17
	417.	फैजाबाद	41.55	41.58		83.13	133.90
	418.	अयोध्या		60.00		60.00	35.77
	419.	हरिहरपुर	10.00			10.00	
	420.	महाराजगंज	15.00			15.00	
	421.	काकोरी	16.00			16.00	
	422.	नियोत्नी	14.00			14.00	9.14
	423.	हरैया		12.00	6.00	18.00	
	424.	अमेठी		24.00		24.00	
	425.	खतौली		41.20		41.20	
	426.	सरधना		36.90		36.90	

1	2	3	4	5	6	7	8
उत्तर प्रदेश	427.	खोकरा		29.10		29.10	
	428.	बाबरपुर अजीतमल		24.00		24.00	
	429.	ओएल ढकवा		24.00		24.00	
	430.	गोहाड़		19.00		19.00	
	431.	मिलक		24.00		24.00	
	432.	हाडिया		24.00		24.00	
	433.	बिंबना		22.30		22.30	
	434.	झांसी		135.00		135.00	
	435.	मथुरा		93.70		93.70	
	436.	बांसगांव		24.00		24.00	
	437.	बनात		24.00		24.00	
	438.	दोस्तपुर		19.00		19.00	
	439.	निवारी		19.00		19.00	
	440.	तिलहर		20.00		20.00	
	441.	देवबंद		66.10	8.90	75.00	
	442.	गगोह			25.00		
	443.	अग्रवाल तातरी			24.00		
	444.	रानीपुर			24.00		
	445.	नगराम			24.00		
	446.	मोहम्मदाबाद			18.00		
	447.	मऊ			80.00		
	448.	काशगंज			72.50		
	449.	गढ़मुक्तेश्वर			45.00		
	450.	कर्नावाल			24.00		
	451.	पिलखुवा			30.44		
	452.	मवाना			12.50		
	453.	सदाबाद			40.00		

1	2	3	4	5	6	7	8
उत्तर प्रदेश	454.	घिरौंरे			24.00		
	455.	सएथावल			23.00		
	456.	मुगलसराय			60.00		
	457.	मोदीनगर			19.00		
	458.	मिर्जापुर			26.00		
	459.	मंझनपुर			24.00		
	460.	बलरामपुर			45.00		
	461.	बस्ती			15.00		
	462.	प्रतापगढ़			75.00		
	463.	निचलौल			24.00		
		उप–योग	559.55	1010.25	769.34	1555.01	1828.65
पश्चिम बंगाल	464.	चन्द्रकोना	7.60			14.60	16.56
	465.	वर्द्धमान	52.12			125.12	255.00
	466.	आसनसोल	196.40			196.40	236.00
	467.	तूफानगंज	16.00			32.00	70.12
	468.	गंगारामपुर	55.76			55.76	103.84
	469.	मेखलीगंज	1.00			33.00	93.26
	470.	सैंधिया		42.00		42.00	39.90
	471.	दिनहाटा		16.50		33.00	70.44
	472.	बदुरिया		14.00		64.00	144.79
	473.	हल्दीबाड़ी	16.00			32.00	82.46
	474.	दुलिया	35.00	35.00		70.00	68.18
	475.	डबराजपुर		58.50		81.00	36.90
	476.	दैनहट			30.00	15.00	25.00
	477.	टंकी	1.00	67.00		90.00	27.03
पश्चिम बंगाल	478.	पगरा	4.76		51.00	25.50	40.29
	479.	दुर्गापुर	36.00			68.00	99.71

1	2	3	4	5	6	7	8
पश्चिम बंगाल	480.	बनगांव	50.00			50.00	
	481.	रामजीवनपुर	16.00			16.00	17.41
	482.	खरार	13.50			13.50	12.82
	483.	खोरपई	14.00			14.00	18.64
	484.	तेहरपुर		13.50	7.00	20.50	
	485.	बेरडंगा		15.00		15.00	
	486.	जमुरिया		79.00		79.00	
	487.	जियागंज अजीमगंज		32.00		32.00	
	488.	कुपरसकैंप		22.00		22.00	
	489.	नालहट्टी		40.00		40.00	
	490.	दार्जिलिंग			50.00		
	491.	रायगंज			65.00		
	492.	जलपाईगुड़ी			50.00		
	493.	बेलूरघाट			70.00		
	494.	पुरूलिया			50.00		
	495.	कलना			25.00		
	496.	हटवा			50.00		
	497.	हल्दिया			78.40		
		उपयोग	515.14	434.50	526.40	1279.38	1458.35
		सकल योग	5617.00	7570.90	7186.07	17188.82	18050.99

विवरण-III

आईडीएसएमटी स्कीम के अंतर्गत शामिल करने हेतु राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा संस्तुत नए कस्बों के प्रस्ताव, जो विचाराधीन हैं

क्र.सं.	राज्य/कस्बे का नाम	1	2
1	2		
	I आंध्र प्रदेश		
1.	पीथापुरम		
2.	रायदुर्ग		
3.	कलाकोल		
4.	पुंगानूर		
5.	गंताकल		
6.	सतनापल्ली		
7.	येमीगननूर		
8.	ताड़ीपटरी		
9.	पेड्डापुरम		
	II छत्तीसगढ़		
10.	अरंग		
11.	रतनपुर		
12.	कुम्हारी		
13.	मासमन्ड		
14.	अम्बिकापुर		

1	2	1	2
15.	कुरूद	36.	खामगांव
16.	गंडई	37.	पंघरापुर
	III गुजरात	38.	गढ़चिरौली
17.	थानगढ़	39.	यवतमाल
18.	वीजापुर	40.	रत्नागिरि
19.	वादनगर		VII राजस्थान
20.	जामूसर	41.	अमेट
21.	खेरालू	42.	भीलवाड़ा
22.	गरियाधर	43.	अनूपगढ़
23.	वापी	44.	फलोडी
24.	छोटांडेपुर	45.	सादूल शहर
25.	सीहोर	46.	सुजानगर्ज
26.	हलेल	47.	संगरिया
	IV हिमाचल प्रदेश	48.	पिलीबंगा
27.	बडी		VIII उत्तर प्रदेश
28.	मनाली	49.	हैवरगढ़
29.	नारकंडा	50.	बिस्वान
30.	नारपुर	51.	अमेठी
	V केरल	52.	हरदोई
31.	पेरूम्बलूर	53.	महमूदाबाद
32.	वैकोम	54.	झिझंक
33.	अटिंगल	55.	सिकन्द्रा
	VI महाराष्ट्र		IX पश्चिम बंगाल
34.	सेगोव	56.	बहरामपुर
35.	अहमदनगर	57.	सिलीगुडी

[हिन्दी] अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. 266

अ.जा./अ.ज.जा. के रिक्त पद

3044. श्री रामदास आठवले : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न विभागों और उपक्रमों में विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत अ.जा./अ.ज.जा. के कुछ पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय के अंतर्गत इन विभागों और उपक्रमों में कार्यरत विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की पदोन्नति की गई है और नई भर्ती की गई है;

(घ) यदि हां, तो इस अवधि के दौरान और चालू वर्ष में आज तक विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत की गई नई भर्ती का वर्षवार और श्रेणीवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या अ.जा./अ.ज.जा. श्रेणियों से संबंधित व्यक्तियों की भर्ती और पदोन्नति के संबंध में निर्धारित नियमों का पालन किया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद] 266-67

केन्द्रीय ग्रामीण सफाई कार्यक्रम

3045. श्री रामजी मांझी :
श्रीमती जयश्री बैनर्जी :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या आज की तारीख के अनुसार कुल ग्रामीण घरों का केवल पांचवां हिस्सा केन्द्रीय ग्रामीण सफाई कार्यक्रम के सफाई कार्यक्रम के अंतर्गत लाया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) ग्रामीण भारत के सभी घरों को कब तक सफाई कार्यक्रम के अंतर्गत लाए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार ने केन्द्रीय ग्रामीण सफाई कार्यक्रम के अंतर्गत आवंटन में कमी की है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा योजना के अंतर्गत लक्ष्य प्राप्त करने हेतु आवंटन को बढाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील) : (क) से (च) जी, हां। यह सच है कि कुल ग्रामीण बसावटों के केवल 1/5 भाग में ही स्वच्छता सुविधाएं हैं। वर्ष 2000 में कराए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में इसका पता चला है। इसका मुख्य कारण ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति कम जानकारी और मौजूद गरीबी के साथ–साथ खुले में शौच की आम आदत है। भारत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज बढ़ाने को वरीयता देती है। इस उद्देश्य हेतु एक संशोधित कार्यनीति का पालन किया जा रहा है जिसके तहत एक "मांग जनित" जनोन्मुख संपूर्ण स्वच्छता अभियान परियोजनाएं कार्यान्वित की जाती हैं। अब तक देश में 185 संपूर्ण स्वच्छता अभियान परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। दसवीं योजना के अंत तक सभी जिलों में संपूर्ण स्वच्छता अभियान परियोजनाएं स्वीकृत करने का प्रस्ताव किया जाता है।

भारत सरकार दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 35 प्रतिशत के स्वच्छता कवरेज का लक्ष्य रख रही है।

यह सच नहीं है कि सीआरएसपी के अंतर्गत आवंटन कम हो गया है बल्कि यह प्रतिवर्ष धीरे–धीरे बढ़ रहा है। चूंकि टीएससी परियोजनाएं मांग जनित परियोजनाएं हैं, इसलिए यदि स्वच्छता की जरूरत होगी, तो देश में स्वच्छता कार्यक्रम के लिए और अधिक निधियां उपलब्ध कराई जाएंगी।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में पारिवारिक सलाह केन्द्र

3046. श्रीमती जयश्री बैनर्जी : 268-74
श्री प्रहलाद सिंह पटेल :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या केन्द्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड मध्य प्रदेश में पारिवारिक सलाह केन्द्र चलाने हेतु अनुदान सहायता देता है;

(ख) यदि हां, तो किन–किन सामाजिक संगठनों को सलाह केन्द्र चलाने हेतु अनुदान दिया गया है और कितनी राशि प्रदान की गई है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से पारिवारिक सलाह केन्द्र सफलतापूर्वक चलाए जा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सामाजिक संगठनों को पारिवारिक सलाह केन्द्र चलाने हेतु दिया जा रहा अनुदान रोक दिए जाने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जस कौर मीणा) : (क) से (घ) जी, हां। परिवार परामर्श केन्द्र चलाने वाले सामाजिक संगठनों के नाम और उन्हें प्रदत्त राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। मध्य प्रदेश में परिवार परामर्श केन्द्र सफलतापूर्वक चलाए जा रहे हैं।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

मध्य प्रदेश में स्वीकृत परामर्श केन्द्रों की सूची

क्र.सं.	संस्था का नाम और पता	जिला	यूनिट पता	स्वीकृत (रुपए)	निर्मुक्त (रुपए)
1	2	3	4	5	6
1.	गजेन्द्र शिक्षा समिति, राधेश्याम शिवहर का मकान, पानी की टंकी के पास, गोरमी, भिंड,	भिंड	वही	91834	45917

1	2	3	4	5	6
2.	भारतीय ग्रामीण महिला संघ, पुलिस ग्राउंड के पास, सिविल वार्ड, दमोह	दमोह	वही	82234	41117
3.	कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक न्यास, रायपुर शाखा, सरगांव, रायपुर	रायपुर	आजाद चौक, हांडी–पाडा गणमेश श्याम मंदिर के पास, रायपुर	97600	48800
4.	श्री गिरिराज महाराज बालवाडी झूलागढ़ समिति, जे.पी. शर्मा सोसोसाई बाबो हाउस, वार्ड 15, कोसमापुरम कॉलोनी, जिला शिवपुरी	शिवपुरी	वही	91834	91834
5.	अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, खेरमई मंदिर परिसर मानक भवन, राइट टाउन, जबलपुर	जबलपुर	वही	99360	49680
6.	विविध कार्यक्रम सम्पादन समिति, पीतमपुरा पीठ के निकट, जिला–दतिया	दतिया	वही	99360	89424
7.	जरखंडी शिक्षा समिति, 106, नीरजा नगर, जे.के. रोड, मलिक गोदाम के पास, भोपाल	भोपाल	वही	90880	90880
8.	ग्राम भारती महिला मंडल, पटखेड़ा, जिला–बैतूल	बैतूल	वही	100000	90000
9.	महिला परिषद, पोरसा, मुरैना	मुरैना	वही	98924	49462
10.	श्री वैष्णव शिक्षा समिति, रायसेन	रायसेन	वही	94300	99870 (90%)
11.	श्री महर्षि दयानंद आर्य शिक्षा समिति, खंडवा	खंडवा	वही		
12.	सहारा शिक्षा एवं कला विकास समिति, डिंडोरी	डिंडोरी	वही	87486	58734
13.	वीणा विकास समिति, लखेड़ापुरा, भोपाल	भोपाल	वही		
14.	गोपाल महिला मंडल, राधाकृष्ण मंदिर के पास, कलेक्ट्रेट रोड, मौहल्ला पुरा राजगढ़	राजगढ़	वही	56660	15830
15.	सूर्य सामाजिक जन–कल्याण समिति, नौवां साऊथ एवेन्यू, चौबे कॉलोनी, रायपुर	रायपुर	वही	38880	26940
16.	ग्रामोद्धार विद्यापीठ हरदा	हरदा	वही	39960	27480
17.	रेयियर कनवेंट एज्यूकेशन सोसायटी, सिहोर	सिहोर	वही	39960	27480
18.	कमला नेहरू महिला मंडल, नीमच,	नीमच	वही	30600	22800
19.	श्री राम शिक्षा समिति, ग्वालियर	शिवपुर	वही	15000	15000
20.	नवज्योति शिक्षा समिति, रायसेन	रायसेन	वही	15000	15000

1	2	3	4	5	6
21.	सर्वोदय निकेतन संस्थान, डिंडोरी	डिंडोरी	वही	15000	150000
22.	आदर्श महिला विकास, वाया शिक्षा समिति, सिद्धि	सिद्धि	वही	15000	15000
23.	अनुपम एज्यूकेशनल सोसायटी, सतना	सतना	वही	37290	26460
24.	विदिशा शैक्षणिक संस्थान, विदिशा	विदिशा	वही	39960	27480
25.	उत्कर्ष महिला एवं बाल कल्याण संस्था, शाजापुर	शाजापुर	वही	39960	27480
26.	सर्वांगीण विकास संस्थान, डाकघर मांडा, अमरपुर, डिंडोरी	मांडला	वही	15000	15000
27.	स्टार स्कूल समिति, 88 बैंक कालोनी, अन्नपूर्णा रोड, इंदौर	इंदौर	88, बैंक कॉलोनी, इंदौर	30720	22680
28.	अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, ई/5/9, अरेरा कॉलोनी, भोपाल	भोपाल	101, विवेक टावर, इंदिरा मार्किट, अरेरा कॉलोनी, भोपाल	100000	50000
29.	ग्रामीण विकास मंडली एसोसिएशन ट्रस्ट, मुंगेली, बोंडा बाजार, बिलासपुर–495334	बिलासपुर	तालपाड़ा, मुंगेली, बिलासपुर, छत्तीसगढ	85892	42946
30.	महिला समिति, 44, न्यू कॉलोनी, छत्तरपुर	छत्तरपुर	वही	100000	50000
31.	महिला युवा मंडल, लक्ष्मीदीप, हनुमान कॉलोनी, गुना–473001	गुना	वही	79760	39880
32.	अखिल भारतीय सामाजिक स्वास्थ्य संघ, गंडेवली सड़क, रामकुई, लश्कर, ग्वालियर	ग्वालियर	इंदिरा गांधी कामकाजी महिला होस्टल, एस.ए.एफ. रोड, कामपुर, ग्वालियर	86080	43040
33.	नवंकुर एज्यूकेशन सोसायटी, तरंग लाइब्रेरी, गणेश चौक, हरदा	होशंगाबाद	सोनी भवन, म.न. 69, आर.पी. सरेनी, गिरि कम्पाउण्ड, मीनाक्षी टाकीज के पास, होशंगाबाद	99360	4980
34.	अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, सेवा कुंज, 48/1, स्नेहलता कुंज, इंदौर	इंदौर	वही	100000	50000
35.	भारतीय ग्रामीण महिला संघ, 173, सिल्वर ओक्स कॉलोनी, वैशालीनगर, इंदौर	इंदौर	वही	77434	38717
36.	अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, पोस्ट बॉक्स न. 30, सिविल लाइन, सागर–1	सागर	एफ.एफ.सी., सैंट्रल बैंक के निकट, गोपालगंज, सागर	85120	42560

1	2	3	4	5	6
37.	पवित्र क्रूज सिस्टर्स एसोसिएशन, एच.सी. होम साइंस कॉलेज, अम्बिकापुर	सरगुजा	वही	82528	41264
38.	जिला महिला समिति, कलेक्टर हाउस के सामने शाहडोल	शाहडोल	वही	87040	43520
39.	सरोज बाल विद्या मंदिर, सिद्ध बाबा, टीकमगढ़–1	टीकमगढ़	पीलीकोठी जामा मस्जिद के सामने, सिविल लाइन रोड, टीकमगढ़	76000	38000
40.	महिला सभा, 111, संवाद रोड कलेक्ट्रेट कंपाउंड, खरगांव, पश्चिमी नीमच–1	खरगांव	वही	100000	50000
41.	महात्मा गांधी महिला एवं बाल कल्याण संस्थान, बस्तर, जबलपुर	बस्तर	वही	80314	40157

[अनुवाद] शिक्षा, उच्च 273-74

अंतर्राष्ट्रीय उच्च शिक्षा

3047. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या संसार भर के संस्थानों में अंतर्राष्ट्रीय छात्र समुदाय के प्रवेश के मामले में भारतीय छात्रों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश सन 2025 तक अन्तर्राष्ट्रीय उच्च शिक्षा की वृद्धि में एक प्रमुख देश के रूप में उभर रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या आस्ट्रेलियाई अनुसंधान एजेंसियों द्वारा किए गए अध्ययन से इस तथ्य का पता चल चुका है;

(घ) यदि हां, तो क्या भारत और चीन मिलकर अगले 25 वर्षों के भीतर अंतर्राष्ट्रीय उच्च शिक्षा की आधे से अधिक वैश्विक मांग का सृजन करेंगे;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) से (ङ) आस्ट्रेलिया की एक निजी कंपनी, आई.डी.पी. एजुकेशन द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार अनुमान है कि आगामी 25 वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा के लिए विश्व भर की आधी मांग केवल भारत और चीन से होने लगेगी।

(च) विश्वव्यापीकरण के माहौल में राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि होती रही है और अध्ययन के लिए भारतीय विद्यार्थियों का भी विदेश जाना इसी अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्ति का हिस्सा है। तथापि, भारतीय विश्वविद्यालयों में विदेशी विद्यार्थियों को अपेक्षाकृत और अधिक संख्या में आकर्षित करने के दृष्टिकोण से भारत सरकार ने विदेशी/अनिवासी भारतीय विद्यार्थियों के लिए सभी संस्थाओं में 15 प्रतिशत अधिसंख्य सीटों की अनुमति दी है। इसके अलावा सरकार ने विदेशों में भारतीय शिक्षा प्रोन्नयन समिति भी गठित की है जो विदेशों में भारतीय शिक्षा के प्रोन्नयन के लिए कार्यक्रमों और क्षेत्रों का पता लगाएगी, उन पर अपना विचार देगी तथा उन्हें कार्यान्वित करने की कार्यनीति तैयार करेगी।

आयोग्य पीसीआर ड्राइवर दिल्ली

3048. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सरकार द्वारा अनुमोदित इंडियन इंस्टीच्यूट और ड्राइवर ट्रेनिंग एंड रिसर्च द्वारा किए गए हाल ही में ड्राइविंग परीक्षण के दौरान कई पीसीआर ड्राइवर अयोग्य पाए गए जैसाकि दिनांक 16 फरवरी, 2003 के 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और कितने पीसीआर ड्राइवर बेसिक ड्राइविंग टेस्ट को भी पास नहीं कर पाए;

(ग) इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(घ) पीसीआर वैनों के लिए योग्य ड्राइवर होना सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) से (घ) दिल्ली पुलिस के ड्राइवरों को उनकी कुशलता में वृद्धि करने के लिए ड्राइविंग प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान द्वारा आयोजित पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए तैनात किया जाता है। इस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लेने वाले 322 पीसीआर वैन ड्राइवरों में से 19 ड्राइवर परीक्षण उत्तीर्ण करने हेतु न्यूनतम अपेक्षित 60 प्रतिशत अंक हासिल नहीं कर सके। उन्हें दोबारा प्रशिक्षण के लिए तैनात करने का निर्णय लिया गया है।

[हिन्दी]

275-76 **केन्द्रीय भंडार में ठेके के आधार पर नियुक्ति**

3049. डा. बलिराम : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान केन्द्रीय भंडार के चेयरमैन ने अनेक स्थानों पर ठेके के आधार पर कतिपय व्यक्तियों की नियुक्तियां की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जब केन्द्रीय भंडार निगम में स्थाई रिक्तियां हैं तो ठेके के आधार पर व्यक्तियों को नियुक्त करने का औचित्य क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) और (ख) केन्द्रीय भंडार की नीति के अनुसार, सेवानिवृत्त व्यक्ति, 64 वर्ष की आयु के होने तक और एक विशेष मामले के रूप में 65 वर्ष की आयु के होने तक, केन्द्रीय भंडार के अध्यक्ष के अनुमोदन से, किसी कार्य के लिए रखे जा सकते हैं। पिछले दो वर्ष के दौरान चार व्यक्ति, केन्द्रीय भंडार के अध्यक्ष के अनुमोदन से, संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए हैं। इस बारे में ब्यौरा, संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ग) केन्द्रीय भंडार के पद प्रायः कारोबार की स्थिति पर निर्भर करते हैं। तदनुसार कुछ मामलों में संविदा के आधार पर अनुभवी व्यक्ति नियुक्त करना आवश्यक हो जाता है, जिससे केन्द्रीय भंडार–संगठन को स्थिति विशेष से, सामंजस्य रखकर समुचित कार्रवाई करने की दृष्टि से अपेक्षाकृत अधिक लचीलापन भी मिल जाता है। तदनुसार, केन्द्रीय भंडार की अपेक्षा ध्यान में रखकर, संविदा के आधार पर नियुक्तियां की जाती हैं।

विवरण

केन्द्रीय भंडार में पिछले दो वर्षों अर्थात वर्ष 2001 और 2002 के दौरान भंडार के अध्यक्ष द्वारा, संविदा के आधार पर की गई नियुक्तियों की सूची

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	तैनाती का स्थान
1.	श्री ओ. सैम्युअल	कोचीन
2.	श्री ओ. पी. पाल	फरीदाबाद
3.	श्री एस. पी. चतुर्वेदी	लखनऊ
4.	श्री राधेश्याम गुप्ता	दिल्ली

[अनुवाद] पिछड़े क्षेत्र शिक्षा संस्थान, तकनीकी शिक्षा संस्थान, व्यावसायिक

276-77 **तकनीकी और व्यावसायिक संस्थानों की स्थापना**

3050. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विशेष रूप से देश के पिछड़े क्षेत्रों में तकनीकी शिक्षा संस्थान और व्यावसायिक संस्थान स्थापित करने हेतु प्रोत्साहन योजना चलाने का है ताकि शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ती क्षेत्रीय असमानता को कम किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को देश के अनेक भागों में तकनीकी शिक्षा संस्थानों में क्षेत्रीय असंतुलन की जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उन क्षेत्रों में नए संस्थान स्थापित करने हेतु निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) से (घ) अन्य क्षेत्रों की तुलना में तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश राज्यों में तकनीकी संस्थाओं की संख्या अधिक है क्योंकि इन राज्यों ने प्राइवेट तकनीकी संस्थानों की स्थापना करने के निमित्त बड़े पैमाने पर निजी पहल की है। देशभर में तकनीकी शिक्षा प्रणाली के सुनियोजित एवं समन्वित विकास हेतु सांविधिक निकाय अर्थात अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ऐसे क्षेत्रीय असंतुलन

से अवगत है और उन क्षेत्रों, में विशेषकर उत्तर तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों में, जहां ऐसे संस्थानों की संख्या कम है, नए संस्थान खोलने हेतु प्रोत्साहन दे रही है ताकि संतुलित वृद्धि हो सके। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने अपनी क्षेत्रीय समितियों को सलाह दी है कि वे प्रस्तावों पर विचार करते समय उन राज्यों से प्राप्त अनुरोधों पर विशेष ध्यान दें जहां पर तकनीकी संस्थाएं कम संख्या में हैं। समय-समय पर आयोजित तकनीकी शिक्षा के प्रभारी राज्य/संघ राज्य शिक्षा सचिवों के सम्मेलन में भी इस मामले पर चर्चा की गई और अनुकूलतम निजी पहल से क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने के लिए उनके सहयोग की अपेक्षा की गई। तथापि पूरे देश में समान मानदंड और स्तर बनाए रखने की अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए देश में तकनीकी संस्थाओं की स्थापना के निमित्त अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अधिसूसित विनियमों में निर्धारित मानदंडों में छूट देने की कोई योजना नहीं है।

277-78 **कर्नाटक में उर्वरक संयंत्र की स्थापना**

3051. श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि नौवीं योजना के दौरान कर्नाटक राज्य में एक भी उर्वरक संयंत्र स्थापित नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) : (क) और (ख) नौवीं योजना अवधि के दौरान कर्नाटक राज्य में कोई प्रमुख उर्वरक परियोजना स्थापित नहीं की गई है। देश में उर्वरक संयंत्रों की स्थापना के लिए किसी लाइसेन्स की आवश्यकता नहीं होती है और उद्यमी पर्यावरण मंजूरी के अधीन देश में कही भी उर्वरक परियोजना की स्थापना/विस्तार करने के लिए स्वतंत्र हैं।

[हिन्दी] इंजीनियरी परीक्षा भारतीय भाषा

इंजीनियरी से संबंधित पुस्तकें

3052. श्री राम पाल सिंह : 277-78
श्री पदमसेन चौधरी :
श्री जय प्रकाश :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भविष्य में अंग्रेजी भाषा को इंजीनियरी परीक्षा में अनिवार्य न बनाए रखने के संबंध में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त प्रयोजन हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पुस्तकों को हिन्दी सहित अन्य भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा और इस योजना से लाभ प्राप्त करने वाले छात्रों की संभावित संख्या क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) और (ख) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के दिशानिर्देशों और संयुक्त प्रदेश परीक्षा-आई.आई.टी. दिशानिर्देशों के अनुसार इंजीनियरी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अनिवार्य विषय के रूप में अंग्रेजी आवश्यक नहीं है।

(ग) और (घ) एक ऐसी योजना तैयार करने का प्रस्ताव है जिससे इंजीनियरी छात्रों को उचित मूल्य पर कोटिपरक इंजीनियरी पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति सुनिश्चित हो पाएगी। प्रारंभ में, इंजीनियरी में अवर स्नातक स्तर पर मुख्य विषयों में इससे 10 लाख से अधिक छात्रों के लाभान्वित होने की संभावना है।

[अनुवाद] विश्वविद्यालय, केन्द्रीय

विश्वविद्यालयों की केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में घोषणा 278-79

3053. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :
डा. चरणदास महंत :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश के कुछ विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में घोषित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को राज्य सरकारों से विश्वविद्यालय

के स्तर को केन्द्रीय विश्वविद्यालय के स्तर तक ऊपर उठाने के लिए प्रस्ताव मिले हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से प्राप्त प्रस्तावों का तथा राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) से (ङ) विगत एक वर्ष के दौरान राज्य विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने के संबंध में केन्द्र सरकार को निम्नलिखित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं :

(i) गुरू घासी दास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के लिए छत्तीसगढ़

(ii) मणिपुर विश्वविद्यालय के लिए मणिपुर

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के प्रावधानों के अनुरूप केन्द्र सरकार वर्तमान राज्य विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का दर्जा प्रदान करने के पक्ष में नहीं है।

तथापि, इलाहबाद विश्वविद्यालय के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा बहाल करने के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

कोयला परियोजनाएं
कोल इंडिया लिमिटेड

परियोजनाओं को बन्द करना 280-283

3054. श्री वी. वेत्रिसेलवन : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न सहायक कंपनियों द्वारा बड़ी संख्या में परियोजनाओं को अधर–बीच बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सहायक कंपनियों–वार उन परियोजनाओं को बंद करने के क्या कारण हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप कोल इंडिया लिमिटेड को हुई अनुमानित हानि कितनी है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार अथवा किसी वित्तीय संस्था उन परियोजनाओं को दोबारा शुरू करने के लिए आगे आई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना के लिए कोल इंडिया लिमिटेड को कितनी सहायता राशि प्रदान की गई है?

कोयला मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) और (ख) जी, हां। उन परियोजनाओं (20 करोड रुपए तथा इसे अधिक लागत वाली) के ब्यौरे जिन्हें बीच में बन्द करना पड़ा, बन्द करने के कारणों सहित, नीचे दिए हैं

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृति की तिथि	स्वीकृत पूंजी (करोड़ रु.)	आधारभूत क्षमता (एमटीवाई)	परियोजना को बन्द करने के कारण
1	2	3	4	5	6
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.					
1.	बकूलिया यू.जी.	अगस्त, 92	104.66	0.96	1. मंत्रियों के समूह, की सिफारिश पर जिसे फरवरी, 1994 में परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विलम्ब को कम करने के लिए विशिष्ट उपाय सुझाने के लिए गठित किया गया था। 2. निधि की बाध्यता।
2.	चिनाकुरी 1 तथा 2 यू.जी.	मार्च, 85	45.54	0.69	1. मंत्रियों के समूह, की सिफारिश पर जिसे फरवरी, 1994 में परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विलंब को कम करने

1	2	3	4	5	6
					के लिए विशिष्ट उपाय सुझाने के लिए गठित किया गया था। 2. निधि की बाध्यता।
3.	लौदोहा यू.जी.	मार्च, 88	49.34	0.68	प्रतिकूल भू–खनन स्थितियां।
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.					
4.	कपिलधारा यू.जी. संवर्धन	मार्च, 98	47.31	0.51	यह एक वृहत उत्पादन तकनोलॉजी परियोजना थी। जिस बोलीकर्ता को इच्छापत्र दिया गया था उसने समझौते को अंतिम रूप देने में अपनी असमर्थता जाहिर की है। इसीलिए यह एक प्रारंभ न हो सकने वाली परियोजना है।
5.	दुर्गा वेस्ट (पीएसएलडब्ल्यू)	दिस., 94	48.61	0.65	पीएलडब्ल्यू प्रौद्योगिकी को प्रारंभ करने के लिए एसईसीएल तथा सीएमई, चीन के मध्य करार पर हस्ताक्षार किए गए थे किन्तु यह कार्यान्वित नहीं हो सकी क्योंकि इस परियोजना के लिए हार्ड रूफ प्रबंधन तकनोलॉजी को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। यह अभी भी अवरुद्ध है और जैसे ही तकनोलॉजी के बारे में निर्णय लिया जाता है परियोजना को प्रारंभ करने के लिए निर्णय लिया जाएगा।
भारत कोकिंग कोल लि.					
6.	विश्वकर्मा ओसीपी	सित., 97	44.74	0.70	भूमि तथा पुनर्वास की समस्या। जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाता परियोजना को अवरुद्ध सूची में रखा गया है।
7.	ब्लाक III (कोकिंग) ओसीपी	अग., 91	45.97	0.45	आग की समस्या। जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाता परियोजना को अवरुद्ध सूची में रखा गया है।
8.	दामोदर ओसीपी	मार्च, 84	57.04	1.00	आग की समस्या
सैन्ट्रल कोलफील्ड्स लि.					
9.	हिन्दगिर ओसी	मार्च, 91	41.48	0.78	वन तथा गैर–वन भूमि के अधिग्रहण में समस्या।
10.	जरीदीह ओसी	अप्रैल, 93	48.83	0.60	प्रतिकूल भू–खनन स्थितियां और भूमि तथा पुनर्वास की समस्या।
11.	कर्मा ओसी	दिस., 90	47.71	0.80	वन तथा गैर–वन भूमि के अधिग्रहण में समस्या।
12.	पारेज ईस्ट यू.जी.	सित., 92	28.42	0.30	भूमि अधिग्रहण की समस्या।
13.	टरमी ओसी	मई, 91	29.55	0.50	वन तथा गैर–वन भूमि के अधिग्रहण में समस्या।

(ग) उक्त परियोजनाओं के लिए कुल अनुमानित व्यय 89.29 करोड़ रु. है और उसे विभिन्न पी. तथा एम. मदों हैम की अधिप्राप्ति संरचनात्मक ढांचे के विकास आदि पर खर्च किया गया है जिसका विद्यमान खानों द्वारा लाभप्रद रूप से उपयोग किया जा रहा है और उसका कुछ भविष्य की/नई परियोजनाओं में भी उपयोग करना जारी रखा जाएगा। इसलिए किए गए व्यय को हानि के रूप में नहीं माना जा सकता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उपर्युक्त भाग (घ) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

283-288

तेल आधारित उर्वरक संयंत्र

3055. श्री पी. डी. एलानगोवन : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की देश में और अधिक तेल आधारित उर्वरक संयंत्रों को विकसित करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में मौजूदा तेल आधारित उर्वरक संयंत्रों का राज्यवार कार्य–निष्पादन क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन संयंत्रों द्वारा उत्पादन किए गए और बेचे गए उर्वरकों की राज्य–वार कुल मात्रा और कीमत क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) : (क) निजी क्षेत्र में उर्वरक संयंत्रों की स्थापना करने के लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है और उद्यमी पर्यावरणीय मंजूरी की शर्त पर देश में कहीं भी उर्वरक संयंत्रों की स्थापना/विस्तार करने के लिए स्वतंत्र हैं। वर्तमान में देश में सरकारी क्षेत्र में तेल पर आधारित कोई नए उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) गत तीन वर्षों के दौरान तेल/एलएसएचएस आधारित मौजूदा उर्वरक संयंत्रों का राज्यवार उत्पादन निष्पादन नीचे दिया गया है :

(000 मी. टन)

राज्य और इकाई का नाम	उत्पाद और स्थापित क्षमता	उत्पादन		
		1999–2000	2000–2001	2001–2002
झारखंड एफआईसी, सिन्दरी	यूरिया–330	305.8	237.3	76.3
तमिलनाडु नवेली लिगनेट कारपोरेशन	यूरिया–153.5	17.2	97.2	62
गुजरात जीएनएफसी, बरूचा	यूरिया–636	615.8	639.4	644.1
	सीएन–142.5	126.7	128.6	138.8
	20 : 20–142.5	155.7	158.9	166.0
हरियाणा एनएफएल, पानीपत	यूरिया–511–5	532.8	492.8	511.6
पंजाब एनएफएल, नंगल, एनएफएल, भटिंडा	सीएन–320	155.4	107.1	41.6
	यूरिया–478.5	344.3	300.2	458.2
	यूरिया–511.5	543.3	478.6	514.1

वर्तमान में यूरिया एकमात्र उर्वरक है जिस पर सरकार का कोई सांविधिक मूल्य और संचलन नियंत्रण नहीं है तथा जिसका आवंटन आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 के तहत किया जाता है। इकाइयों द्वारा उत्पादित अन्य उर्वरक मामतः सीएएन और 20 : 20 : 0 नियंत्रणमुक्त हैं और उनकी बिक्री का प्रबोधन नहीं किया जाता। गत 3 वर्षों के दौरान तेल/एलएसएचएस आधारित मौजूदा उर्वरक संयंत्रों द्वारा यूरिया की राज्यवार बिक्री और सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित प्रचलित अधिकतम खुदरा मूल्य रूप में इसके मूल्य का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

देश में ईंधन तेल/एलएसएचएस आधारित मौजूदा उर्वरक संयंत्रों द्वारा बिक्री की गई यूरिया की कुल मात्रा और मूल्य

उत्पादक	राज्य	यूरिया की बिक्री ('000 टन)			यूरिया की बिक्री मूल्य (लाख रुपए)		
		1999–00	2000–01	2001–02	1999–00	2000–01	2001–02
1	2	3	4	5	6	7	8
एफसीआई–सिंदरी	बिहार	181.42	168.40	46.96	7256.68	7746.17	2160.07
	झारखंड		6.68	18.50		307.19	850.91
	उड़ीसा	27.80	27.65	16.35	1111.88	1271.95	752.19
	पश्चिम बंगाल	82.01	66.91	16.46	3280.36	3078.04	757.16
एफसीआई–सिंदरी	योग	291.22	269.64	98.27	11648.92	12403.35	4520.33
जीएनवीएफसी	आंध्र प्रदेश		19.23	22.15		884.67	1019.04
	छत्तीसगढ़		2.57	22.14		118.27	1018.62
	दादरा और नागर हवेली			0.42			19.32
	दमन व दीव			0.08			3.68
	दिल्ली	2.56	2.92	2.26	102.56	134.18	103.78
	गुजरात	224.78	236.49	232.26	8991.32	10878.45	10683.96
	हरियाणा	25.31	32.53	30.06	1012.52	1496.38	1382.62
	कर्नाटक		0.02			0.92	
	मध्य प्रदेश	45.33	44.58	44.16	1813.20	2050.45	2013.13
	महाराष्ट्र	43.02	60.61	60.32	1720.80	2788.15	2774.58
	पंजाब	49.71	59.32	66.31	1988.40	2728.67	3050.35
	राजस्थान	57.09	52.51	73.05	2283.44	2415.46	3360.07
	उत्तर प्रदेश	111.60	133.36	104.88	4463.88	6134.33	4824.48
	उत्तरांचल		2.50	2.00		115.00	92.00
जीएनवीएफसी	योग	559.40	646.63	660.08	22376.12	29744.93	30363.63
एनएफएल–भटिंडा	हरियाणा			29.90			1375.58
	पंजाब	423.60	438.46	426.31	16943.88	20169.30	19610.08

1	2	3	4	5	6	7	8
	राजस्थान	73.33	69.93	70.89	2933.28	3216.96	3260.71
एनएफएल–भटिंडा	योग	496.93	508.40	527.10	19877.16	23386.26	24246.37
एनएफएल–नांगल	चण्डीगढ़	0.73	0.25	0.30	29.20	11.50	13.80
	हिमाचल प्रदेश	19.17	19.88	22.73	766.80	914.48	1045.58
	जम्मू और कश्मीर	39.88	51.33	42.78	1595.20	2361.18	1967.97
	पंजाब	264.39	252.22	427.34	10575.56	11601.89	19657.73
एनएफएल–नांगल	योग	324.17	323.68	493.15	12966.76	14889.05	22685.08
एनएफएल–पानीपत	दिल्ली	5.04	0.48	0.92	201.76	22.17	42.50
	हरियाणा	420.21	407.48	343.79	16808.52	18743.90	15814.25
	पंजाब	80.75	131.96	68.13	3229.84	6069.98	3134.03
	उत्तर प्रदेश			61.87			2846.02
	उत्तरांचल			18.81			865.03
एनएफएल–पानीपत	योग	506.00	539.91	493.52	20240.12	24836.04	22701.83
नवेली लिग्नाइट	आंध्र प्रदेश	13.32	21.34	10.88	532.64	981.78	500.30
	कर्नाटक			0.62			28.38
	पांडिचेरी	3.62	3.51	4.97	144.68	161.51	228.44
	तमिलनाडु	17.54	54.89	41.24	701.44	2524.99	1897.09
नवेली लिग्नाइट	योग	34.47	79.75	57.70	1378.76	3668.27	2654.20

287-88

व्यावसायिक शिक्षा

3056. श्री अशोक ना. मोहोल : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यावसायिक शिक्षा संस्थाओं ने केन्द्र सरकार से केन्द्रीय सहायता को वर्ष में छात्रों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण से जोड़ने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही है; और

(ग) इन संस्थाओं द्वारा गत तीन वर्षों में प्रत्येक के दौरान प्रशिक्षण दिए गए छात्रों की अनुमानित संख्या का राज्य–वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी] अ जा/अ ज जा/अपिव 288-89

अनुसूचित जातियों/जनजातियों के रिक्त पद

3057. श्री रामदास आठवले : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय के अधीन विभिन्न विभागों और उपक्रमों में विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत अनुसूचित जातियों/जनजातियों के कुछ पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान मंत्रालय के अधीन इन विभागों और उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों को पदोन्नति दी गई है तथा नई भर्तियां भी की गई हैं;

(घ) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान उक्त अवधि तथा आज तक विभिन्न श्रेणियों में की गई नई भर्तियों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या अनुसूचित जातियों/जनजातियों की श्रेणियों से संबंधित व्यक्तियों की भर्ती और पदोन्नति के संबंध में निर्धारित नियमों का पालन किया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या उपचारी कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल रख दी जाएगी।

[अनुवाद] शिक्षा, उच्च 289-90

आयरलैंड के साथ सूचना और प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी और उच्च शिक्षा के संबंध में समझौता

3058. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयरलैंड के एक उच्च स्तरीय शिष्ट-मंडल ने भारत का दौरा करके सूचना प्रौद्योगिकी, जैव-प्रौद्योगिकी और उच्च शिक्षा के क्षेत्र पर विचार-विमर्श किया;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में दोनों देशों के बीच कोई समझौता हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सूचना प्रौद्योगिकी और शिक्षा के संबंध में होने वाले समझौतों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते। केन्द्रीय भंडार

पूर्ति और निपटान महानिदेशालय की कीमतें

290-91

3059. श्री शीशराम सिंह रवि :
श्री रघुनाथ झा :
श्री रामजी मांझी :

क्या उप **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भंडार में बेची जाने वाली अनेक वस्तुओं की कीमतें पूर्ति और निपटान महानिदेशालय की कीमतों से लगभग बराबर होती हैं;

(ख) यदि हां, तो लगभग रूप से मिलती हुई कीमतों वाली मदों को दर्शाते हए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने भी केन्द्रीय सरकार के विभागों/निकायों के लिए केन्द्रीय भंडार से स्टेशनरी की स्थानीय खरीद का आदेश देने वाले दिनांक 14.07.1981 के कार्यालय ज्ञापन को वापस लेने की सिफारिश की है;

(घ) क्या इस मामले को सचिवों की समिति के समक्ष रखा गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले;

(च) क्या सरकार को दिनांक 14.07.1981 के कार्यालय ज्ञापन के दुरुपयोग के संबंध में शिकायतें मिली हैं;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) इस पर केन्द्रीय सतर्कता आयोग की क्या प्रतिक्रिया रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) और (ख) आपूर्ति और निपटान-महानिदेशालय ने जिन वस्तुओं के संबंध में दर-संविदा-करार किया हो, केन्द्रीय भंडार, आपूर्तिकर्ताओं से उन वस्तुओं की आपूर्ति, उपर्युक्त करार की दर के बराबर कीमत पर करने का आग्रह करता है और उसमें

केन्द्रीय भंडार के कार्यालय का खर्च और कर्मचारियों के वेतन से जुड़ा खर्च उठाने के लिए थोड़ा सा मुनाफा जोड़ दिया जाता है। आपूर्ति और निपटान–महानिदेशालय ने जिन वस्तुओं के संबंध में दर–संविदा–करार नहीं किया हो, केन्द्रीय भंडार, उन वस्तुओं की आपूर्ति, अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक कीमत पर करवाने के निम्नलिखित प्रयत्न करता है :

(i) जहां, कहीं संभव हो, वस्तुएं सीधे निर्माताओं से खरीद ली जाती हैं।

(ii) पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं से वस्तुओं की निवेदित दरें आमंत्रित की जाती हैं।

(iii) आपूर्तिकर्ता से कीमत की गारंटी के बारे में यह वचन–पत्र ले लिया जाता है कि वह किसी अन्य ग्राहक को, केन्द्रीय भंडार को निवेदित की गई दर से कम कीमत पर वस्तु नहीं बेचेगा।

(ग) से (ज) केन्द्रीय सतर्कता–आयोग ने, अन्य बातों के साथ–साथ, दिनांक 14.07.1981 के कार्यालय–ज्ञापन की समीक्षा किए जाने का सुझाव दिया है। यह मुद्दा सरकार के विचाराधीन है।

महाविद्यालय, हिंदी प्रशिक्षण

291-92 **हिंदी प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना करना**

3060. श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सहायता से विभिन्न राज्यों में हिंदी प्रशिक्षण महाविद्यालयों की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो राज्य–वार, स्थान–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 2003–04 के दौरान विशेष रूप से गैर–हिंदी राज्यों में नए हिंदी प्रशिक्षण महाविद्यालय स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) से (घ) अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति और प्रशिक्षण की केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत वर्ष 1999–2000, 2000–2001 और 2001–2002 में मिजोरम राज्य सरकार को आइजोल में हिन्दी प्रशिक्षण कालेज स्थापित करने के लिए तीन किस्तों में कुल 340.49 लाख रुपए दिए गए हैं। किसी भी राज्य सरकार से कोई नया प्रस्ताव नहीं हुआ है।

शहरी जलापूर्ति और स्वच्छता परियोजनाओं हेतु बाहरी सहायता

292-94

3061. श्री प्रकाश वी. पाटील :
श्री चन्द्रनाथ सिंह :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें शहरी जलापूर्ति और स्वच्छता परियोजनाओं हेतु बाहरी सहायता प्राप्त करने हेतु प्रयास करती रही हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान और अब तक विभिन्न राज्यों विशेषकर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में परियोजनाओं हेतु ऐसी सहायता प्राप्त करने में राज्य–वार कितनी सफलता मिली है;

(ग) क्या विश्व बैंक अथवा किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने इन परियोजनाओं हेतु वित्तीय सहायता मुहैया कराने की पेशकश की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इन परियोजनाओं की राज्यवार वर्तमान स्थिति क्या है; और

(च) इन परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) जी, हां।

(ख) से (च) गत तीन वर्षों के दौरान विदेशी सहायता हेतु अनुमोदित की गई शहरी जल आपूर्ति एवं सफाई परियोजनाएं संलग्न विवरण में दी गई हैं। तथापि, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के लिए गत तीन वर्षों के दौरान विदेशी वित्तपोषण एजेंसियों द्वारा कोई परियोजना अनुमोदित नहीं की गई है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	परियोजना का नाम	विदेशी सहायता	विदेशी सहायता राशि (मिलियन में)	वर्तमान स्थिति	पूरी होने की संभावित तारीख
1.	प. बंगाल	कोलकाता में जल आपूर्ति प्रबंधन प्रणाली सुधार	फ्रांसीसी	360 फ्रेंच फ्रांक (एचएफ)	चालू	30.6.03
2.	प. बंगाल	प. बंगाल के 14 जिलों में जल आपूर्ति व कचरा प्रबंध	इतालवी	50 बिलियन लिरा	परियोजना करार पर 5.2.03 को हस्ताक्षर	इस समय बताई नहीं है
3.	मणिपुर	इंफाल शहर के लिए सीवेज अवस्थापना	फ्रांसीसी	8.735—यूरो	परियोजना करार पर 4.12.01 को हस्ताक्षर	31.3.06
4.	कर्नाटक	बंगलौर शहर में जल आपूर्ति व सीवरेज प्रणाली सुधार	फ्रांसीसी	50.0 एफएफ	चालू	30.06.03
5.	कर्नाटक	बंगलौर जल आपूर्ति व पर्यावरणीय सफाई मास्टर प्लान	आस्ट्रेलियाई	8.0 आस्ट्रेलियाई डालर	पूर्ण	जुलाई, 2002
6.	सिक्किम व मेघालय	गंगटोक व शिलांग जल आपूर्ति एवं पर्यावरणीय सफाई परियोजनाएं	आस्ट्रेलियाई	39.0 आस्ट्रेलियाई डालर	2003 के दौरान शुरू होने की आशा	कार्यक्रम 7 वर्ष के लिए है

जैव-उर्वरक संयंत्र

3062. श्री पी. डी. एलानगोवन :
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की देश में और अधिक आर्गेनिक और जैव-उर्वरक संयंत्र को विकसित करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक के दौरान उत्पादित किए गए और बेचे गए जैव-उर्वरक की राज्यवार कुल मात्रा और कीमत क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) : (क) और (ख) दसवीं योजना के दौरान सरकार का प्रस्ताव एक नई योजना "नेशनल प्रोजेक्ट ऑन आर्गेनिक फार्मिंग" कार्यान्वित करने का है जिसमें देश में कार्बनिक खेती के विभिन्न पहलुओं को बढ़ावा देने और सुसाध्य बनाने के लिए राष्ट्रीय कार्बनिक कृषि संस्थान और इसके क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना करना शामिल है। इस योजना में अन्य बातों के साथ-साथ फल और सब्जियों के अपशिष्ट जैसे कार्बनिक आदानों जैसी वाणिज्यिक उत्पादक इकाइयों, मिश्रित इकाइयों, जैव उर्वरक उत्पादन इकाइयों और कृमि भूमि पालन के लिए हेचरीज आदि को सहायता देना शामिल है।

(ग) राज्यवार जैव उर्वरक उत्पादन का विवरण संलग्न है।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार जैव उर्वरक उत्पादन

(टन में)

राज्यों का नाम	1999-2000	2000-2001	2001-2002
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	128.67	84.14	170.62

1	2	3	4
असम	234.78	64.02	62.32
बिहार	49.37	50.37	33.90
दिल्ली	95.13	199.84	0.74
गुजरात	654.68	776.32	662.51
हरियाणा	3.58	6.66	23.21
हिमाचल प्रदेश	2.38	3.61	5.88
झारखंड	34.24	38.06	29.21
कर्नाटक	503.84	637.11	702.07
केरल	245.40	304.49	294.22
मध्य प्रदेश	1713.07	1491.09	1756.21
महाराष्ट्र	1125.29	1411.83	2547.58
मणिपुर	11.40	1.67	0.23
उड़ीसा	33.07	74.21	100.62
पंजाब	1.70	2.03	2.0
राजस्थान	220.52	317.25	326.13
तमिलनाडु	1808.81	1771.30	1946.34
उत्तर प्रदेश	449.15	520.76	203.61
पश्चिम बंगाल	281.73	367.78	184.72
पाण्डिचेरी	37.85	26.08	31.40
योग	7631.66	8148.62	9083.52

[हिन्दी]

295 — 30

पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों की कार्य योजना

3063. श्री रामदास आठवले :
श्री कोडीकुनील सुरेश :

श्री परशुराम माझी :

क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने पुलिस बलों के आधुनिकीकरण हेतु केन्द्र सहायता के लिए कार्ययोजना/अनुरोध भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या कुछ राज्यों ने पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए केन्द्र सरकार के प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (ग) जी हां, श्रीमान। वर्ष 2002–03 के दौरान 28 में से 27 राज्यों ने पुलिस आधुनिकीकरण के लिए अपनी कार्य योजनाएं भेजी हैं। शक्ति प्राप्त समिति ने 26 राज्यों की योजनाओं पर विचार किया है। 23 राज्यों को पहले ही 626.29 करोड़ रु. की राशि रिलीज कर दी गई है। राज्यों को निधि, उनके लिए वर्ष 2000–01 तथा 2001–02 हेतु अनुमोदित की गई योजनाओं के बारे में धनराशि के इस्तेमाल संबंधी रिपोर्ट के आधार पर जारी की जा रही है। इसके अतिरिक्त, पुलिस आधुनिकीकरण के लिए निधि के वार्षिक आवंटन में से 8.77 करोड़ रुपए की राशि, सभी राज्यों में पोलनेट परियोजना के कार्यान्वयन के लिए समन्वय निदेशालय (पुलिस बेतार) को सौंप दी गई है। प्राप्त वार्षिक योजनाएं, अनुमोदित योजनाएं तथा जारी की गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। सिक्किम से कार्य योजना प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) जी नहीं, श्रीमान।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	2002–03 वार्षिक आवंटन (करोड़ रु. में)	शक्ति प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित योजना (करोड़ रु. में)	पोलनेट के लिए डी.सी.पी.डब्ल्यू को सौंपी गई निधि (रुपयों में)	पोलनेट के लिए निधि को छोड़कर शेष केन्द्रीय अंशदान (रुपयों में)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	82.00	130.25	60,26,390	64,52,31,958
2.	अरुणाचल प्रदेश	05.20	10.9659	17,01,478	5,02,98,522
3.	असम	38.70	78.59	34,50,718	16,34,99,282
4.	बिहार	54.00	योजना प्राप्त हुई	56,64,062	कार्रवाई चल रही है
5.	छत्तीसगढ़	19.00	33.381284	22,78,680	16,46,27,740
6.	गोवा	02.00	8.3679	6,97,828	1,93,02,172
7.	गुजरात	50.00	108.32	36,42,768	49,63,57,232
8.	हरियाणा	22.10	45.7150	23,53,666	21,86,46,334
9.	हिमाचल प्रदेश	06.70	योजना प्राप्त हुई	17,93,898	जारी की जा रही है
10.	जम्मू–कश्मीर	28.50	65.3943954	21,04,530	28,28,95,470
11.	झारखंड	18.00	25.4689803	26,93,726	12,46,51,175
12.	कर्नाटक	75.00	160.0116547	38,93,938	74,61,06,062
13.	केरल	31.50	72.00	30,38,428	24,82,31,110
14.	मध्य प्रदेश	53.00	93.6150	58,28,196	46,22,46,804
15.	महाराष्ट्र	92.10	151.73128	53,96,962	67,40,03,038
16.	मणिपुर	10.50	20.066396	13,69,288	58,95,712
17.	मेघालय	5.50	10.37	12,19,640	42,30,360
18.	मिजोरम	5.50	15.4177	8,18,462	5,41,81,538
19.	नागालैंड	13.50	12.95	13,52,294	6,34,27,550
20.	उड़ीसा	30.50	59.426744	36,25,824	16,19,24,176
21.	पंजाब	32.10	47.5561035	29,16,910	23,48,63,602
22.	राजस्थान	61.10	योजना प्राप्त हुई	51,42,370	जारी की जा रही है

1	2	3	4	5	6
23.	सिक्किम	03.20	योजना प्राप्त नहीं हुई	9,02,292	जारी की जा रही है
24.	तमिलनाडु	68.10	95.5232	55,31,650	67,54,68,350
25.	त्रिपुरा	05.60	27.550115	8,48,196	5,51,51,804
26.	उत्तर प्रदेश	123.52	219.8092328	86,75,290	59,52,24,710
27.	उत्तरांचल	06.58	49.28466	15,81,158	6,42,18,842
28.	पश्चिम बंगाल	56.50	योजना प्राप्त हुई	32,38,386	कार्रवाई चल रही है
	कुल	1000.00		8,77,87,026	626,28,83,543

[अनुवाद]

केन्द्रीय भंडार में आई.ए.एस. अधिकारी

3064. श्री रामजी मांझी : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक आईएएस अधिकारी चयनित होकर केन्द्रीय भंडार में आया था और उसके कार्यकाल पूरा करने से पहले ही केन्द्र–सरकार में पदस्थापित होने की अनुमति दे दी गई;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भविष्य में ऐसी स्थिति की पुनरावृत्ति रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) से (ग) जी, हां। अधिकारी की जिस समय, इस पद पर नियुक्ति की गई थी, उस समय, उन्हें, केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के अंतर्गत संयुक्त सचिव/समतुल्य पद पर नियुक्त किए जाने की दृष्टि से उपयुक्त पाए गए अधिकारियों के पैनल में शामिल नहीं किया गया था। बाद में, उन्हें, केन्द्र में संयुक्त–सचिव/समतुल्य पद पर नियुक्त किए जाने की दृष्टि से उपयुक्त पाए गए अधिकारियों के पैनल में शामिल किए जाने पर, उन्होंने केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के अंतर्गत अपनी संयुक्त सचिव के स्तर के पद पर तैनाती किए जाने का अनुरोध किया और तदनुसार उनकी भारत–सरकार में संयुक्त सचिव के स्तर के पद पर तैनाती कर दी गई।

[अनुवाद]

तकनीकी और अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में रिक्त पद

3065. श्री ब्रह्मानैया : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने एक रिपोर्ट सौंपी है जिसमें यह जिक्र किया गया है कि पूरे देश में विभिन्न तकनीकी और अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में शैक्षिक कर्मचारियों के 10,000 से अधिक पद रिक्त पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और तथ्य क्या हैं;

(ग) सरकारी महाविद्यालयों में कितने पद रिक्त हैं और वे कब से रिक्त पड़े हुए हैं;

(घ) क्या सरकार ने सरकारी महाविद्यालयों में ऐसी रिक्तियों के कारण की जांच कराई है; और

(ङ) यदि हां, तो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) से (ङ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने ऐसी कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। तथापि, देश के इंजीनियरी कालेजों सहित तकनीकी संस्थानों में शिक्षकों की सामान्य कमी है। सरकारी कालेजों में नियुक्तियां संबंधित प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाती हैं। रिक्त पदों के कार्यवृत्त ब्यौरे केन्द्र स्तर पर नहीं रखे जाते

हैं। रिक्त पदों को भरना एक परिवर्तनशील तथा सतत प्रक्रिया है। ये रिक्तियां मुख्य रूप से अन्य स्थानों पर उपलब्ध बेहतर अवसरों के मद्देनजर सक्षम व्यावसायिकों द्वारा शिक्षण व्यवसाय को अपनाने में अरुचि की वजह से, विशेषकर उच्चतर स्तर पर, उपयुक्त शिक्षकों के उपलब्ध न होने के कारण है। इस मामले को हल करने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने नई योजनाएं शुरू करके और विद्यमान योजनाओं को सुदृढ़ करके विभिन्न पहलों की शुरुआत की है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने प्रतिष्ठित संस्थाओं में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने वाले छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान करके प्रतिभाशाली छात्रों को शिक्षण के प्रति आकर्षित करने के लिए अर्ली फेकल्टी इन्डक्शन कार्यक्रम शुरू किया है ताकि प्रतिभाशाली छात्र शिक्षण को अपने कैरियर के रूप में अपना सकें। गुणवत्तापरक सुधार कार्यक्रम में तकनीकी शिक्षकों को उच्च अर्हताएं प्राप्त करने हेतु अवसर देने का प्रावधान है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने शिक्षण के प्रति और अधिक छात्रों को आकर्षित करने के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की छात्रवृत्ति राशि में भी वृद्धि की है।

[हिन्दी]

सरकारी कार्यालय
301-302

सरकारी इमारतों/आवासों में वातानुकूलित संयंत्रों पर प्रतिबंध

3066. श्रीमती जयश्री बैनर्जी : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी इमारतों और आवासों में वातानुकूलित संयंत्रों पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकारी इमारतों/आवासों में लगे वातानुकूलित संयंत्रों पर काफी प्रशासनिक खर्च हो रहा है और ज्यादा राशि के बिजली के बिल आने से बजट पर प्रतिकूल असर पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकारी इमारतों और आवासों में वातानुकूलित संयंत्रों की मांग में वृद्धि हुई है;

(च) यदि हां, तो क्या सरकारी इमारतों और आवासों में लगे वातानुकूलित संयंत्रों से पर्यावरण पर पड़ने वाले कुप्रभावों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में लगे वातानुकूलित संयंत्रों के सीमित प्रयोग के लिए निर्देश जारी किए जाएंगे; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) यह सच है कि वातानुकूलन संयंत्र (एयर कंडीशनिंग प्लांट) लगाने पर होने वाला व्यय विंडो टाइप एयर कंडीशनर लगाने पर होने वाले व्यय से अपेक्षाकृत अधिक है। वातानुकूलन संयंत्र लगाने तथा उनके रखरखाव का बजट क्लाइंट विभागों द्वारा दिया जाता है। उन भवनों में, जहां कई विभाग/मंत्रालय हैं तथा जिनके बिजली बिलों को भुगतान केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है, वातानुकूल संयंत्र लगाने से बिजली बिलों में बढ़ोतरी हुई है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) और (छ) प्रशीतक के रूप में उपयोग की जाने वाली कुछ सामग्रियां पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं। तथापि, सभी नए एयरकंडीशनरों में पर्यावरण के अनुकूल प्रशीतकों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। अभी वातानुकूलन संयंत्रों के उपयोग को सीमित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को और शक्तियां देना

302-303

3067. श्रीमती श्यामा सिंह :
डा. चरणदास महंत :
कुंवर अखिलेश सिंह :

क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को और शक्तियां देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को और शक्तियां देने की सिफारिश की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में अभी तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को और शक्तियां कब तक दिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) से (ङ) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने आयोग की शक्तियों में वृद्धि के लिए मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 में कतिपय संशोधन सुझाए हैं। अमनेस्टी इंटरनेशनल (एआई) ने भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को और शक्तियां देने की सिफारिश की है। सरकार ने इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है।

महाराष्ट्र विद्यालय छात्र

गरीब छात्रों को पुस्तकें देने का प्रावधान

303 **3068. श्री नरेश पुगलिया** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार से एनसीईआरटी की पुस्तकों का मूल्य कम करने का अनुरोध किया है क्योंकि वह सभी छात्रों को इतनी मंहगी पुस्तकें उपलब्ध कराने में कठिनाई महसूस कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के लिए शुल्क ढांचा

303-04

3069. श्री सुबोध मोहिते : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह निर्णय लिया है कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय अपने वार्षिक व्यय का कम से कम 15 प्रतिशत अर्जित करें;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने शुल्क ढांचे से संबंधित आनन्द कृष्ण और रहमान समिति की रिपोर्टों को लागू करने पर विचार किया है;

(घ) यदि हां, तो इस समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ङ) क्या ये सिफारिशें व्यय सुधार आयोग की सिफारिशों के समान ही हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इनमें क्या अन्तर है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) हाल ही में सरकार ने शुल्कों को तर्कसंगत बनाने के संबंध में आनन्द कृष्णन और महमूद-उर-रहमान समितियों की सिफारिशों सहित इस संबंध में प्राप्त विभिन्न सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सामान्य तौर पर विश्वविद्यालय/कालेज प्रणाली में और विशेष तौर पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थाओं के संदर्भ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को शुल्कों को तर्कसंगत बनाने के लिए कहा है।

(घ) आनन्द कृष्णन समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ दिल्ली स्थित कालेजों के लिए अनुरक्षण अनुदान मानदंडों की समीक्षा की सिफारिश की है, जबकि महमूद-उर-रहमान समिति ने केन्द्रीय और सम विश्वविद्यालयों में शुल्क संरचना में संशोधन की सिफारिश की है।

(ङ) और (च) व्यय सुधार आयोग ने अपनी 9वीं रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की है कि सामान्य उच्चतर शिक्षा के लिए शुल्कों को तर्कसंगत स्तर तक बढ़ाया जाए और शैक्षिक संस्थाओं के लिए सहायता अनुदान निर्धारित करने की वर्तमान प्रणाली में परिवर्तन किया जाए ताकि संस्थानों को जो अतिरिक्त संसाधनों का वे सृजन करते हैं, उनका एक हिस्सा अपने पास रखने की अनुमति हो जिसे वे गरीब परिवारों के विद्यार्थियों को निःशुल्कता तथा मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां प्रदान करने के अलावा अपनी अपेक्षाकृत कुछ अधिक महत्वपूर्ण और तात्कालिक आवश्यकताओं पर खर्च कर सकें।

304-05 **तटीय सुरक्षा**

3070. श्री टी. टी. वी. दिनाकरन : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैश्विक आतंकवाद के दृष्टिगत लम्बे पूर्वी तट के कारण तमिलनाडु को सुरक्षा संबंधी खतरे की सरकार को जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार तमिलनाडु

को सीमावर्ती राज्य मानते हुए इस स्थिति के समाधान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने का है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में तटवर्ती राज्यों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसे प्रस्तावों पर निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) से (ङ) सीमा पार से अवैध गतिविधियों के प्रति देश के तटों की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए, तमिलनाडु और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों सहित तटीय राज्यों की सरकारों को, तटीय सुरक्षा के लिए भावी योजनाएं तैयार करने की सलाह दी गई है, जिसके लिए कुछेक निर्देशक मानदण्डों की पहचान कर ली गई है जो परिचालित कर दिए गए हैं। कुछ तटीय राज्यों से इस संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हो गए हैं और इन प्रस्तावों की प्रारम्भिक संवीक्षा से पता चलता है कि पहचान किए गए और तटीय राज्यों को परिचालित तटीय सुरक्षा मानदण्डों पर पर्याप्त रूप से विचार नहीं किया गया है। अतः तटीय राज्यों को अपने प्रस्तावों को संशोधित करने की सलाह दी गई है, जिसमें मानदण्डों पर पर्याप्त रूप से विचार करने और कार्यान्वयन के लिए समय–सीमा निर्धारित करने तथा चरणबद्ध–वार वित्तीय आवश्यकता बताने के लिए कहा गया है। सरकार योजना के कार्यान्वयन के लिए यथा व्यवहार्य सहायता देगी।

तकनीकी महाविद्यालय/संस्थान

3071. श्री ए. ब्रह्मनैया :
प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तकनीकी महाविद्यालयों और संस्थानों से परामर्शदात्री सेवाओं एवं पुराने विद्यार्थियों की सहायता से अपना बजट 20 प्रतिशत बढ़ाने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सही है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अपने वित्त पोषण के लिए पूरी तरह से सरकार पर निर्भर है;

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या सरकार का विचार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की गतिविधियों के लिए मांग के अनुरूप धनराशि प्रदान करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) से (च) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान केन्द्र सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित है। तथापि उन्हें प्रायोजित शोध, परामर्शी सेवाओं इत्यादि के माध्यम से अपने संस्थान सृजित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इससे अर्जित आय को वे विभिन्न नवाचारी तथा विकास कार्यों को करने के लिए अपने पास रखते हैं। वर्तमान वित्त वर्ष से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के लिए फार्मूला आधारित निधियन पैटर्न शुरू किया है जिसमें परिणामों पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। इस निधियन पैटर्न के अन्तर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में शिक्षा तथा शोध के उच्च मानदंड सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न गतिविधियों जैसे छात्रों की संख्या, कार्यनिष्पादन, शोध एवं अन्य मामलों पर वास्तविक रूप से विचार करते हुए इन कार्यकलापों के आधार पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों हेतु अनुदान की राशि तय की जाती है।

मध्याह्न 12.00 बजे

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगली मद ले चुके हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभा के समक्ष कार्य को छोड़कर कुछ भी कार्यवाही–वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही–वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : महोदय, मैं श्री लालकृष्ण आडवाणी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) गृह मंत्रालय की वर्ष 2003–2004 की अनुदानों की विस्तृत मांगें (खंड 1) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 7158/2003]

(2) गृह मंत्रालय (विधानमंडल रहित संघराज्य क्षेत्रों) की वर्ष 2003–2004 की अनुदानों की विस्तृत मांगों (खंड 2) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 7159/2003]

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री शांता कुमार) : अध्यक्ष महोदय, मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय की वर्ष 2003–2004 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 7160/2003]

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वर्ष 2003–2004 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 7161/2003]

(2) महासागर विकास विभाग की वर्ष 2003–2004 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 7162/2003]

(3) विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय की वर्ष 2003–2004 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 7163/2003]

[अनुवाद]

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : महोदय, मैं श्री अनन्त कुमार की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय की वर्ष 2003–2004 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 7164/2003]

(2) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 58 के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण (विकसित नाजुल भूमि का निपटान) संशोधन नियम, 2002 जो 9 दिसम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 806(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 7165/2003]

(3) मंत्रियों के संबलमों और भत्तों से संबंधित अधिनियम, 1952 की धारा 11 की उपधारा (2) के अन्तर्गत मंत्री आवास (संशोधन) नियम, 2003 जो 21 फरवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 117(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 7166/2003]

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) इंडियन पेट्रोकैमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, वडोदरा के वर्ष 2001–2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन पेट्रोकैमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, वडोदरा का वर्ष 2001–2002 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल

पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7167/2003]

(3) रसायन और उर्वरक मंत्रालय की वर्ष 2003–2004 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 7168/2003]

[हिन्दी]

कोयला मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 की धारा 7क के अन्तर्गत कोयला खान पेंशन (संशोधन) योजना, 2003 जो 13 फरवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 108(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 7169/2003]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड, कोथागुडेम के वर्ष 2001–2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सिंगरेनी कोलयरीज कम्पनी लिमिटेड, कोथागुडेम का वर्ष 2001–2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 7170/2003]

[अनुवाद]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : महोदय, मैं श्री अरूण जेटली की ओर से वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की वर्ष 2003–2004 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 7171/2003]

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : महोदय, मैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय की वर्ष 2003–2004 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 7172/2003]

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2001–2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2001–2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7173/2003]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) बोर्ड ऑफ एप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, चेन्नई के वर्ष 2001–2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बोर्ड ऑफ एप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, चेन्नई के वर्ष 2001–2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7174/2003]

(3) (एक) राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति के वर्ष 2001–2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति के वर्ष 2001–2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7175/2003]

(5) (एक) राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7176/2003]

(7) (एक) क्षेत्रीय इन्जीनियरी महाविद्यालय, कुरुक्षेत्र के वर्ष 2001–2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) क्षेत्रीय इन्जीनियरी महाविद्यालय, कुरुक्षेत्र के वर्ष 2001–2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7177/2003]

(9) (एक) मालवीय क्षेत्रीय इन्जीनियरी महाविद्यालय, जयपुर के वर्ष 2000–2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मालवीय क्षेत्रीय इन्जीनियरी महाविद्यालय, जयपुर के वर्ष 2000–2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7178/2003]

(11) (एक) राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2000–2001 का वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2000–2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7179/2003]

(13) राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7180/2003]

(15) (एक) नागालैंड विश्वविद्यालय, कोहिमा के वर्ष 2000–2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नागालैंड विश्वविद्यालय, कोहिमा के वर्ष

2000–2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7181/2003]

[हिन्दी]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा') : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) सेन्ट्रल इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2001–2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सेन्ट्रल इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2001–2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7182/2003]

[अनुवाद]

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2001–2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2001–2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7183/2003]

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 की धारा 33 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (परिषद द्वारा नियुक्त प्रत्येक कर्मचारी की सेवा शर्तें) विनियम, 2002 जो 18 नवम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. 9–12/2002/एनसीटीई में प्रकाशित हुए थे।

(दो) राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (मान्यता के लिए आवेदन का प्ररूप, आवेदन प्रस्तुत करने की समय सीमा, मानदण्डों का निर्धारण और शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानक तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण आरम्भ करने की अनुमति) विनियम, 2002 जो 18 नवम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. 9–18/2002/एनसीटीई में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 7184/2003]

(2) राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2000–2001 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7185/2003]

(4) (एक) महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुम्बई के वर्ष 2001–2002 की वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुम्बई के वर्ष 2001–2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7186/2003]

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) आतंकवाद निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 48 के अन्तर्गत वर्ष 2002 के अन्तर्रोधनों के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 7187/2003]

(2) भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय में कम्प्यूटर के पद के वेतनमान के संबंध में संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र और अनिवार्य माध्यस्थम के अन्तर्गत माध्यस्थम बोर्ड द्वारा 1998 के सीए संदर्भ संख्या 1 में दिए गए अधिनिर्णय में संशोधन के बारे में विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 7188/2003]

अपराह्न 12.02 बजे

[अनुवाद]

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है :

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमों के नियम 186 के उप–नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे विनियोग (रेल) लेखानुदान विधेयक, 2003 को जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 6 मार्च, 2003 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमों के नियम 186 के उप–नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे विनियोग (रेल) विधेयक, 2003 को जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 6 मार्च, 2003 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

(तीन) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमों के नियम 186 के उप–नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे विनियोग (रेल) संख्यांक 2, विधेयक 2003 को जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 6 मार्च, 2003 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

अपराह्न 12.03 बजे

महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति

ग्यारहवां प्रतिवेदन

डा. (श्रीमती) बीट्रिक्स डिसूजा (नामनिर्दिष्ट) : महोदय, मैं "हिरासत में महिलाएं" विषय पर महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति (तेरहवीं लोक सभा) के तीसरे प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्रवाई के बारे में समिति का 11वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं।

अपराह्न 12.04 बजे

[हिन्दी] संसदीय समितियां

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति

तैंतालीसवां से पैंतालीसवां प्रतिवेदन

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :

(1) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2002–2003) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 35वें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 43वां प्रतिवेदन।

(2) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (डाक विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2002–2003) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 33वें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 44वां प्रतिवेदन।

(3) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (सूचना प्रौद्योगिकी विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2002–2003) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 36वें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 45वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.05 बजे

[हिन्दी] संसदीय समितियां

श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति

उनतीसवां प्रतिवेदन

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर) : अध्यक्ष महोदय, मैं "संविधान (चौरानवेवां संशोधन) विधेयक, 2002" के बारे में श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति के 29वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 20 लेते हैं। श्री रामजीलाल सुमन ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पर बोलेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह चौहान (विदिशा) : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में मतदाता सूचियों में व्यापक पैमाने पर गड़बड़ी हुई है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाएं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती (भोपाल) : अध्यक्ष जी, हमें सबसे पहले मध्य प्रदेश का मामला उठाने की अनुमति दी जाए। यह बड़ा महत्वपूर्ण मामला है।...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज सिंह चौहान : मध्य प्रदेश में निर्वाचन आयोग के आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है। वहां राज्यपाल के आदेश के बावजूद भी कलैक्टर को सस्पेन्ड नहीं किया जा रहा है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : शिवराज जी, कम से कम बात तो सुनिए, आप समझ जाएंगे। यह स्पष्ट प्रक्रिया है कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को सदैव ही 'शून्यकाल' से अधिक प्राथमिकता मिलती है। जीरो आवर तभी शुरू होगा जब कॉलिंग अटैन्शन नोटिस हो जाएगा। कॉलिंग अटैन्शन नोटिस के बाद जीरो आवर की शुरूआत करेंगे। तब आप अपनी बात कहिएगा।

(व्यवधान)

श्री शिवराज सिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, मैंने इस विषय पर कॉलिंग अटैन्शन नोटिस दिया है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, खनन के परिणामस्वरूप एक अत्यंत ही गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को स्थिति स्पष्ट करने दीजिए। इसके लिए नियम हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नियमों में उपबंध है कि ध्यानाकर्षण सूचनाओं को प्राथमिकता दी जाए। ध्यानाकर्षण समाप्त होने के बाद, मैं 'शून्य काल' शुरू करूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : 'शून्य काल' अभी तक शुरू नहीं हुआ है। आपने चिल्लाना क्यों शुरू कर दिया? क्या आप नहीं चाहते कि मैं नियमों का पालन करूं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री शिवराज सिंह चौहान : मैंने मध्य प्रदेश के विषय पर कॉलिंग अटैन्शन नोटिस दिया है। वहां लोकतंत्र की पवित्रता को अपमानित करने का प्रयत्न किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग के आदेश नहीं माने जा रहे हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृषि मंत्री अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर स्टेटमेंट पढ़ेंगे

(व्यवधान)

श्री शिवराज सिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, मैने कॉलिंग अटैन्शन नोटिस दिया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने कब कहा कि आपने नोटिस नहीं दिया है? वह प्रश्न नहीं उठता। नियमों में स्पष्ट रूप से उल्लेख हैं कि ध्यानाकर्षण सूचनाओं को पहली प्राथमिकता दी जाएगी।

(व्यवधान)

श्री शिवराज सिंह चौहान : अध्यक्ष जी, मेरा भी कॉलिंग अटैन्शन नोटिस है।

अध्यक्ष महोदय : कॉलिंग अटैन्शन नोटिस जिनका स्वीकार किया गया है, उसकी चर्चा हम शुरू कर रहे हैं। उसके बाद जीरो आवर में मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। किसी भी स्थिति में उससे पहले आपको बोलने का मौका मैं नहीं दे सकता।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी (मिरयालगुडा) : महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव के लिए सूचना दी है। मैंने शून्य काल के लिए सूचना नहीं दी है।...*(व्यवधान)* कृपया नियमों को देखिए स्थगन प्रस्ताव के लिए सूचना का ध्यानाकर्षण सूचनाओं के ऊपर प्राथमिकता दी जानी चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, 'शून्य काल' शुरू नहीं हुआ है। कृपया बैठ जाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री जयपाल रेड्डी, क्या आप कृपया मेरी बात सुनेंगे? स्थगन प्रस्ताव की सभी सूचनाएं अस्वीकार कर दी गई हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, अब आप अपना वक्तव्य दे सकते हैं। मैं कुछ और नहीं सुनूंगा। आप अपना वक्तव्य पढ़ते जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माफ करिए, मैं किसी भी माननीय सदस्य को उनके मन मुताबिक सभा को चलाने की अनुमति नहीं दूंगा। मंत्री महोदय कृपया वक्तव्य पढ़िए।

[हिन्दी]

रूल के मुताबिक काम नहीं होगा, ऐसे कभी हाउस चलेगा क्या?

(व्यवधान)

अपराह्न 12.09 बजे

[हिन्दी] फल और सब्जी, उत्पादन

320-33 **अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना** उत्तर प्रदेश

आलू उत्पादकों को, विशेषकर उत्तर प्रदेश में, लाभकारी मूल्य न दिए जाने के कारण उत्पन्न स्थिति

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : महोदय, मैं कृषि मंत्री जी का ध्यान अविलंबनीय लोक महत्व के निम्नलिखित

विषय की ओर दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस संबंध में वक्तव्य दें :

"आलू उत्पादकों को विशेषकर उत्तर प्रदेश में, लाभकारी मूल्य दिए जाने के कारण उत्पन्न स्थिति तथा सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदम।"

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह) : माननीय अध्यक्ष जी, जो सदस्य आगरा आते हैं, उन्होंने चिन्ता जाहिर की है कि आलू के उत्पादकों की कुछ समस्या है। केन्द्र सरकार की मार्केट इंटरवैन्शन की एक स्कीम है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, आपको वक्तव्य पढ़ना है।

श्री अजित सिंह : महोदय, कृषि मंत्रालय राज्य सरकारों के अनुरोध पर उन कृषि और बागवानी उत्पादों की खरीद के लिए मंडी हस्तक्षेप स्कीम क्रियान्वित करता है जिनको समर्थन स्कीम के अंतर्गत कवर नहीं किया गया होता है। अनुमोदित दिशा निर्देशों के अनुसार यदि किसी प्रकार का घाटा होता है तो उसको केन्द्र सरकार और संबंधित राज्य सरकार, उस जिंस की कुल खरीद मूल्य के 25 प्रतिशत तक, 50 : 50 के आधार पर वहन करती है। मंडी हस्तक्षेप स्कीम का मुख्य उद्देश्य किसानों के हितों की रक्षा करना है, ताकि बहुत अच्छी फसल होने के कारण बाजार में होने वाली भरमार की स्थिति में मूल्यों को आर्थिक स्तर से नीचे आ जाने पर उनको घाटे में बिक्री करने के लिए मजदूर न होना पड़े। न्यूनतम हस्तक्षेप मूल्य जिंस की उत्पादन लागत के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि 2002–03 के दौरान 102.00 लाख मी. टन आलू के उत्पादन होने का अनुमान है जबकि 2001–02 में 95.70 लाख मी. टन और 2000–01 में लगभग 84.00 लाख मी. टन आलू का उत्पादन हुआ था। सामन्य औसत गुणवत्ता वाले आलू की दर 138–239 रुपए प्रति क्विंटल तक थी। जबकि इसकी उत्पादन लागत 190 रु. प्रति क्विंटल थी। आलू की कीमत कम रहने, यहां तक कि इसके उत्पादन लागत से भी नीचे रहने के कारण उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि मंत्रालय से अनुरोध किया था कि चालू मौसम में मण्डी हस्तक्षेप स्कीम के अंतर्गत आलू की खरीद पर विचार किया जाए। मैंने उत्तर प्रदेश में आलू की खरीद के लिए मंडी हस्तक्षेप स्कीम का क्रियान्वयन किए जाने के लिए लखनऊ में राज्य सरकार के सथ 5.2.2003 को एक बैठक की थी। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि इस राज्य में 1 लाख मी. टन आलू की खरीद की जाएगी। यह भी निर्णय लिया गया था कि 50 हजार मी. टन आलू की खरीद नेफैड द्वारा और 50 हजार मी. टन की खरीद राज्य द्वारा नामित एजेंसियों द्वारा की जाएगी।

राज्य सरकार ने 1 लाख मी. टन आलू की खरीद के लिए मंडी हस्तक्षेप स्कीम का क्रियान्वयन किए जाने के लिए 7.2.2003 को एक प्रस्ताव भेजा था जिस पर इस मंत्रालय में 11.2.2003 को राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में विचार–विमर्श किया गया। राज्य सरकार ने सूचित किया कि सामान्य औसत गुणवत्ता वाले आलू की उत्पादन लागत 190 रु. प्रति क्विंटल बैठती है। राज्य सरकार के प्रस्ताव पर विचार करने के बाद केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में 22.2.2003 से 15.4.2003 तक की अवधि में 190 रु. प्रति क्विंटल के न्यूनतम हस्तक्षेप मूल्य की दर से 1 लाख मी. टन आलू की खरीद के लिए स्वीकृति दे दी। इस 1 लाख मी. टन में से 50 हजार मी. टन की खरीद नेफैड द्वारा की जानी थी। जबकि बाकी 50 हजार मी. टन राज्य नामित एजेंसियों द्वारा खरीदा जाना था। नेफैड और राज्य द्वारा नामित एजेंसियों ने मंडी हस्तक्षेप स्कीम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में आलू की खरीद के लिए 24 जिलों में अपने केन्द्र खोले थे। यह खरीद कार्य 22.2.2003 से शुरू हो गया है।

ऐसी सूचना मिली है कि सामान्य औसत गुणवत्ता वाले आलू के प्रचलित मूल्य में अब सुधार आया है और इस समय यह 200 रु. से 240 रु. प्रति क्विंटल के बीच चल रहा है। चूंकि औसत गुणवत्ता वाले आलू का मूल्य न्यूनतम हस्तक्षेप मूल्य अर्थात 190 रु. प्रति क्विंटल से ऊपर चल रहा है इसलिए किसान इस स्कीम के अंतर्गत अपने उत्पादों की बिक्री के लिए सामने नहीं आ रहे हैं। अतः अभी तक कोई खरीद नहीं हो पाई है। यद्यपि खरीद एजेंसियां, यदि उनके पास उत्पाद लाया जाता है तो उसको खरीदने के लिए तैयार हैं।

ऐसा अनुभव किया गया है कि मण्डी हस्तक्षेप स्कीम के क्रियान्वयन की उद्घोषणा से आलू के विपणन मूल्य में स्थिरता लाने में मदद मिली है और किसानों को उनका लाभकारी मूल्य सुनिश्चित हुआ है।

मण्डी हस्तक्षेप स्कीम के अंतर्गत आलू की खरीद शुरू करने के लिए अभी तक अन्य राज्यों से अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, माननीय कृषि मंत्री जी, चौ. चरण सिंह जी के पुत्र हैं, इसलिए मैं उनसे अपेक्षा करता था कि वे किसी और सवाल पर गंभीर हों या न हों, लेकिन किसानों के सवाल पर जरूर गंभीर होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है।

महोदय, मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आलू के संबंध में था और मैं उनसे यह अपेक्षा करता था कि वे आलू किसानों की सब दिक्कतों को समझते हैं, इसलिए निश्चित रूप से वे उनके साथ इंसाफ करेंगे न्याय करेंगे। अभी दो–तीन वर्षों से ऐसा दौर गुजरा है कि आलू किसान अपने आलू लेकर जयपुर या मुंबई की मंडियों में गया और वहां उसके आलू की जो कीमत थी, वह इतनी कम थी की तमाम किसान अपने आलूओं को मंडियों में ही छोड़कर भाग आए, वहां से चले आए, उन्हें पूरा मूल्य नहीं मिला। आज किसान अत्यधिक परेशान है–एक तो सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं है, उसे उन्नत किस्म के बीच उपलब्ध नहीं होते, बिजली का गंभीर संकट है, जलस्तर नीचे चला गया है और सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं है। आज आलू किसान अत्यधिक गंभीर संकट से गुजर रहा है। कृषि मंत्री जी के मुताबिक इस बार जो आलू की पैदावार होने की संभावना है...*(व्यवधान)*

कुमारी उमा भारती (भोपाल) : कॉलिंग अटैन्शन में इतना लंबा नहीं बोलना चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक नहीं है। यह सही तरीका नहीं है...*(व्यवधान)* अगर ये इस तरह बोलेंगी तो मैं बैठ जाता हूं।...*(व्यवधान)* महोदय यह कोई तरीका नहीं है...*(व्यवधान)*

कुमारी उमा भारती : आप लंबा भाषण मत दीजिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, यह सही नहीं है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे स्पष्ट करने दें।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, आपने कहा है कि इसके बाद आप उन्हें अनुमति दे देंगे। यहां तक कि सत्ता पक्ष की ओर से भी निरन्तर व्यवधान डाला जा रहा है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती : सोमनाथ जी, आप बीच में क्यों बोलते हैं।...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : उमा जी, आपको इतना गुस्सा शोभा नहीं देता।...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह एक संक्षिप्त वक्तव्य होना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि कृषि मंत्री जी के मुताबिक इस बार 102 लाख टन आलू उत्तर प्रदेश में पैदा होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक आलू पश्चिम बंगाल में पैदा होता है और इस बार यहां आलू की पैदावार ज्यादा हुई। मंत्री जी ने अभी जो बयान दिया, उन्होंने जो अधिकारियों के साथ बैठक की, उसमें यह निर्णय लिया गया कि उ.प्र. से एक लाख मीट्रिक टन आलू की खरीद की जाएगी और यह भी निर्णय लिया गया कि आलू की खरीद नेफैड और राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा की जाएगी। मैं नहीं जानता कि नेफैड कहां आलू खरीद रहा है और कितने खरीद केन्द्र बने हैं। नेफैड ने कहीं खरीद केन्द्र नहीं बनाएं। अभी अजित सिंह जी कह रहे थे कि मैं खोल कर आया हूं।...*(व्यवधान)*

श्री अजित सिंह : जी हां, मैं खोल कर आया हूं।

श्री रामजीलाल सुमन : इलाहाबाद में आप खरीद केन्द्र खोल कर आए हैं, बिल्कुल सही बात है। मंत्री जी स्वीकार करते हैं कि आलू उत्पादन की लागत दाम दो रुपए 12 पैसे प्रति क्विंटल के लगभग है। मंत्री जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि इलाहाबाद में आप जो केन्द्र खोलकर आए हैं, वह आलू की बिक्री 190 रुपए प्रति क्विंटल हो रही है और वहां भी किसान को पूरा भाव नहीं मिल रहा है। इसलिए पूरे प्रदेश में सरकार का जो वायदा था कि आलू खरीदने के लिए नेफैड द्वारा केन्द्र खोले जाएंगे, वहां नहीं खोले

गए। आप किन केन्द्रों को खोलने की बात कर रहे हैं। आपने कबूल किया है कि 212 रुपए प्रति क्विंटल लागत आई है और वहां भी किसान को 190 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से आलू का भाव मिल रहा है। जो सबसे प्रमुख समस्या है, उसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। मंत्री जी हम अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा से बाहर क्यों हैं? हमारी गुणवत्ता में क्या कमी है? क्या उसे जानने की हमने कभी कोशिश की? मैं समझता हूं कि उसमें सुधार की आवश्यकता है। किसान को सिंचाई के लिए बिजली, पानी और खाद अगर ठीक से नहीं मिलेगा तो वह कैसे खेती करेगा। यह सवाल आलू पैदा करने वाले किसान तक सीमित नहीं है, खेतिहर मजूदर तक उसका संबंध है। गांवों में लोगों को रोजगार मिलता है। यातायात और भाड़े का सवाल है। तमाम सवाल आलू पैदा करने वाली चीजों से जुड़े हुए हैं। इस सरकार को तत्काल आलू का समर्थन मूल्य घोषित करना चाहिए। अजित सिंह जी का बयान है कि सरकार 20 फरवरी से आलू खरीदना शुरू कर देगी।

आप एक बार मेहरबानी करके यह पता कर लें कि 20 फरवरी से नेफैड द्वारा आलू खरीदने की जो बात आपने कही थी, पूरे उत्तर प्रदेश में कितने केन्द्र स्थापित हो गए हैं? आप आलू का समर्थन मूल्य घोषित करने पर भी विचार करें। आपके उत्तर प्रदेश के एक वजीर फरमाते हैं, जो इन्हीं के चेले कोकब हमीद हैं, कि आलू का समर्थन मूल्य 350 रुपए प्रति क्विंटल होना चाहिए।...*(व्यवधान)* मैं खत्म कर रहा हूं।

पिछले दिनों एक डैलीगेशन विदेश गया, उ.प्र. के कृषि उत्पादन आयुक्त उसमें गए थे उनका बयान छपा है। उत्तर प्रदेश का आलू खाड़ी देशों की ओर चला। मैं सिर्फ 2–3 सवाल पूछना चाहता हूं–एक तो हम अपने आलू की गुणवत्ता सुधारने के लिए क्या कर रहे हैं? दूसरे मैं चाहता हूं कि आलू का समर्थन मूल्य घोषित होना चाहिए और वह समर्थन मूल्य कम से कम 400 रुपए प्रति क्विंटल हो। आपने एक कृषि निर्यात जोन भी बनाया था। वह जो जोन बनाया, उस पर कितना रुपया खर्च हुआ?...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज सिंह चौहान : आप पूरा भाषण आलू की गुणवत्ता पर आज ही करेंगे क्या, आप सीधी बात करें।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको इजाजत दी है, आप प्रश्न पूछिए।

श्री रामजीलाल सुमन : इस बारे में चौहान जी मुझे बताएंगे। मैं आपसे बाद में ज्ञानार्जन कर लूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं इनके अनुभवों का लाभ बाद में उठा लूंगा।

एक तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो आलू निर्यात जोन बनाया गया, उस आलू निर्यात जोन की उपयोगिता क्या रही, उस पर कितना रुपया खर्च हुआ और कितने किसान उससे लाभान्वित हुए? मेरी जो जानकारी है, उसके मुताबिक, सिर्फ 55 किसान लाभान्वित हुए हैं और वे भी सिर्फ 7–8 परिवारों के हैं। मैं आपकी मार्फत यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि दुबई में राज्य सरकार को जो प्रतिनिधिमंडल गया था, उसने कहा कि दुबई में आलू की खरीद होगी और वहां से खाड़ी देशों में आलू की खपत होगी, आलू का निर्यात होगा तो खाड़ी देशों में आलू का कितना निर्यात होने वाला है? इस सिलसिले में माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहूंगा कि 1963 से पहले सरकार द्वारा जो किसानों को दी जाने वाली छूट थी, वह सहकारी समितियों को मिलती थी। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के प्रयासों से उन्होंने इसे सीधे किसानों को देने का काम शुरू किया। मैं कृषि मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आलू को संरक्षण देने के लिए, आलू किसान को तबाही से बचाने के लिए, आलू किसान जो पैदा करता है, उसकी जो उत्पादन लागत बढ़ गई है, उसके चलते आलू किसानों की हालत कैसे सुधरे, उनको समर्थन मूल्य कैसे मिले, दुनिया के दूसरे देशों में आलू की खपत कैसे हो, खाड़ी के देशों में आलू कैसे जाए, इन सवालों का आप विस्तार के साथ जवाब दें?

[अनुवाद]

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : महोदय, मैंने सूचना दी है और मुझे इस मुद्दे पर बोलने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : जहां तक कि 'ध्यानाकर्षण सूचना' का संबंध है, केवल उसी सदस्य को बोलने की अनुमति दी जाती है, जिसने सूचना दी है और अन्य किसी को नहीं।

श्री अनिल बसु : महोदय, मैंने इस संबंध में सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : आपके नोटिस पर 'शून्य काल' के दौरान चर्चा की जाएगी।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : महोदय, चूंकि उन्होंने नोटिस दिया है, आप उन्हें अनुमति दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि मैं उन्हें अनुमति दे दूं तो मुझे एक सौ अन्य सदस्यों को भी बोलने की अनुमति देनी होगी।

श्री रूपचन्द पाल : सौ सदस्य आपसे बोलने की अनुमति नहीं मांगेंगे, केवल एक सदस्य आपसे इस मुद्दे पर बोलने की अनुमति मांग रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : 'सौ व्यक्तियों' का अर्थ 'सौ' सदस्य नहीं है, इसका अर्थ है 'अनेक' सदस्य।

[हिन्दी]

श्री अजित सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, जब फरवरी में हमने कहा कि आलू का दाम 138 रुपये से लेकर 238 रुपये प्रति क्विंटल था तो प्रदेश सरकार ने कहा कि इसमें मार्केट इन्टरवेंशन स्कीम चलाने की जरूरत है। जैसा मैंने कहा था कि 24 डिस्ट्रिक्ट्स में परचेज सेन्टर खोलने का प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया। जहां तक मेरी जानकारी है, कम से कम एक सेन्टर इलाहाबाद में खोला गया। प्रदेश सरकार ने कहा कि इसकी जो प्रोडक्शन लागत है, वह 190 रुपये प्रति क्विंटल है। इसमें आपकी राय अलग हो सकती है, लेकिन प्रदेश सरकार ने जो हमें कहा...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन : कृषि मंत्री महोदय, हमने तो आपकी राय बताई, आपका जो बयान अखबारों में छपा है कि 212 रुपये प्रति क्विंटल तो कृषि मंत्री के हिसाब से लागत खर्चा है, राज्य सरकार ने कह दिया कि 190 रुपये प्रति क्विंटल लागत है तो राज्य सरकार और आपके वचन में ही फर्क है।

श्री अजित सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश सरकार ने कहा कि एवरेज फेयर क्वालिटी आलू की उत्पादन लागत 190 रुपये प्रति क्विंटल है, इसलिए हमने 190 रुपये उसका दाम तय किया। 24 डिस्ट्रिक्ट्स में यह खोलने की जरूरत थी। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि उसके बाद दाम बढ़े हैं। मेरे पास फरवरी की 25 तारीख और मार्च की 7 तारीख के दाम हैं जो कि मंडी में आलू के दिए गए। 25 फरवरी को आगरा मंडी में 210 रुपये, कानपुर में 220 रुपये से लेकर 245 रुपये, इलाहाबाद मंडी में 200 रुपये से लेकर 210 रुपये, गोरखपुर मंडी में 210 रुपये से लेकर 220 रुपये और फैजाबाद मंडी में 210 रुपये से लेकर 220 रुपये तक दाम दिए गए। कोई आदमी आलू बेचने के लिए उन क्रय केन्द्रों में नहीं आ रहा है लेकिन क्रय केन्द्र खोलने का मकसद यही था कि किसान को एक ऑप्शन रहे कि कम से कम उसे लागत मूल्य मिल जाए। हमेशा मार्केट इन्टरवेंशन स्कीम से यही होता है कि बाजार में दाम बढ़ जाता है। जहां तक एक्सपोर्ट करने का सवाल है, प्रदेश सरकार का एक डेलीगेशन विदेश गया था। मुझे मालूम नहीं कि उनकी रिपोर्ट आई है या नहीं लेकिन नेफेड ने एक्सपोर्ट करने का थोड़ा आर्डर प्रोक्योर किया है। प्रदेश सरकार आलू को दूसरे प्रदेशों में ले जाने और इसे एक्सपोर्ट करने के लिए ट्रांसपोर्ट सबसिडी भी दे रही है।

जहां तक क्वालिटी का सवाल है, शिमला में पोटेटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है। उसने आलू की नई क्वालिटी का बीज निकाला है जिसमें शुगर की क्वालिटी कम हुई है। अब आलू को बाहर एक्सपोर्ट करने या आलू को प्रोसैस करना आसान हो गया है। आलू के लिए चार एक्सपोर्ट जोन्स भी खोले गए हैं। एक जोन आगरा में है जो कि पिछले साल खुला है। उसमें अभी समय लगेगा। अब उस एक्सपोर्ट जोन्स से कितने किसान लाभान्वित हुए हैं, उसमें प्रौसेसर भी होते हैं, किसान की ट्रेनिंग का भी इंतजाम होता है तथा पेस्टीसाइड वगैरह कैसे इस्तेमाल होता है, यह सब कुछ होता है। प्रदेश सरकार जमीन दे चुकी है। यह कार्यवाही चल रही है।

आज ही अपीडा की तरफ से एक कांफ्रेंस बुलाई गई थी जिसमें विदेशों के बहुत से आलू खरीदने वाले संगठन आए हुए थे। आलू की क्वालिटी देश में इम्प्रूव हो रही है। आपने अभी स्टोरेज की बात की। पिछले साल उत्तर प्रदेश में स्टोरेज में पर क्विंटल 82 रुपये का दाम था लेकिन इस साल सब जगह 81 रुपये पर क्विंटल का दाम है। पिछले कुछ वर्षों में जिस प्रकार से स्टोरेज की क्षमता बढ़ी है, उस हिसाब से एसोसिएशन ने बात करके आलू के स्टोरेज की कास्ट अपने आप कम कर दी है। उन्होंने एक रुपये घटाने का काम किया है। आलू की क्वालिटी बढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं। यह सही है कि हम जितना बीज पैदा कर रहे हैं, वह सब किसानों तक नहीं पहुंच पा रहा है।

लेकिन हमारा विश्वास है कि एक्सपोर्ट जोन के द्वारा क्वालिटी इम्प्रूव करने पर हमारा आलू का निर्यात भी बढ़ेगा। जिस तरह उत्पादन बढ़ रहा है, हम डायवर्सीफिकेशन चाहते हैं, उसमें आलू महत्वपूर्ण प्रोड्यूस है जिसकी तरफ सरकार का पूरा ध्यान है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. रामकृष्ण कुसमरिया (दमोह) : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार के

अधिकारियों को सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं।...*(व्यवधान)* मध्य प्रदेश की मतदाता सूचियों में भारी मात्रा में धांधली की गई है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया समझिए कि मैं क्या कहने जा रहा हूं। इस सभा में कतिपय परम्पराएं बन गई हैं। मैं उन परम्पराओं से हटकर नहीं जाना चाहता हूं। यह परम्पराएं यह हैं कि जब अध्यक्ष महोदय खड़े होते हैं तो अन्य सदस्यों को बैठना होता है। यह प्रथम परम्परा है।

इस सभा में यह परम्परा बिल्कुल स्पष्ट है। मैंने कहा था कि मैं 'शून्य काल' के दौरान उन सदस्यों को बोलने का अदसर दूंगा जिन्होंने स्थगन प्रस्ताव के लिए नोटिस दिए थे। उन नोटिसों पर मैंने बोलने की अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया सभी को इस बात को सुनना चाहिए ताकि मामले स्पष्ट हो जाएं। तत्पश्चात सदस्यों को स्वतंत्र छूट है, वह जो चाहे कर सकते हैं।

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : महोदय, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के संबंध में।

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिए। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के संबंध में नियम भिन्न हैं। मैं आपको नियमों की पुस्तक भेजूंगा ताकि आपको पता चल सके कि नियम क्या हैं।

जहां तक स्थगन प्रस्तावों का संबंध है, नियम यह है कि स्थगन प्रस्तावों संबंधी सूचनाओं को निपटा दिए जाने और उनके स्वीकृत न होने के पश्चात ही हम 'शून्य काल' संबंधी विषयों पर चर्चा करते हैं।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती (भोपाल) : यह रूटीन मैटर नहीं है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इस देश के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभी का विषय महत्वपूर्ण है। कृपया मुझे अपनी बात समाप्त करने का अवसर दें।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती : आप हमें सबसे पहले डिसकशन का आदेश दे दीजिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी भी सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। उमा जी, जब मैं सभा को संबोधित कर रहा हूं तो आप मुझे सभा को संबोधित करने दीजिए। अथवा क्या मैं बैठ जाऊं?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती : मैं माफी मांगती हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माफी मांगने का प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

कुमारी उमा भारती : आप इस पर सबसे पहले डिसकशन का आदेश दे दीजिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसलिए, जिन्होंने स्थगन प्रस्ताव उठाया है, प्रत्येक को दो मिनट बोलने की अनुमति दी जाए। तत्पश्चात हम 'शून्यकाल' शुरू करेंगे।

जब हम 'शून्यकाल' की अन्य सूचनाएं लेंगे, मैं आपको बोलने के लिए पहली प्राथमिकता दूंगा।

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह चौहान (विदिशा) : अध्यक्ष महोदय, यह मामला मध्य प्रदेश का है। वहां अभूतपूर्व संवैधानिक संकट पैदा हो गया है। चुनाव आयोग नहीं मान रहा, मुख्य मंत्री नहीं मान रहे, राज्य सरकार नहीं मान रही है।...*(व्यवधान)*

कुमारी उमा भारती : यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जब मैं 'शून्यकाल' पर आऊंगा तो आपसे पहली प्राथमिकता दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब श्री बसुदेव आचार्य।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, वे हर दिन इस तरह व्यवहार करते हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपकी पार्टी से एक सदस्य बोल सकता है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने निश्चय कर लिया है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप इस नियम में कोई भी बदलाव करना चाहते हैं तो मैं तैयार हूं। आप नियम समिति के पास आइए, नियम में बदलाव करें, मैं तैयार हूं।

श्री शिवराज सिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण मामला है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने नियम पर बोलने को कहा है, विषय पर नहीं। मैंने जो नियम बताया है, उसके बारे में आपको क्या कहना है, वह कहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : रघुवंश प्रसाद जी, मुझे इनको सुनने दें।

(व्यवधान)

श्री शिवराज सिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश की सरकार से यह कहा है कि...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : विषय के बारे में मैंने कहा है कि एडजर्नमैंट मोशन पर जो नहीं हैं, मैं उनको चांस देने वाला हूं, उस समय मैं आपको फर्स्ट चांस दूंगा। आप और क्या चाहते हैं?

श्री शिवराज सिंह चौहान : मध्य प्रदेश में अभूतपूर्व संवैधानिक संकट पैदा हो रहा है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अगर आप नियम के अंतर्गत बोलना चाहते हैं, तो मैं एलाऊ करूंगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया नियमों के अनुसार बात कीजिए। नियम पुस्तिका लीजिए और मुझसे बात कीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य जी, आप दो मिनट में बोलिए। मैं आपको आज जरूर इजाजत देने वाला हूं। मैं समझता हूं कि आपका मैटर महत्वपूर्ण है, मैं आपको जरूर मौका दूंगा। यदि आप चाहते हैं तो दूसरा भी कोई रास्ता है, डिवाइस है, जिस डिवाइस से मैं आपको और भी मौका दे सकता हूं। लेकिन थोड़ा कोआपरेट कीजिए। आप जानते हैं कि आपकी और मेरी चर्चा भी हुई है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं दोनों पक्ष को सुनूंगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब श्री बसुदेव आचार्य।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, पश्चिम बंगाल के पांच जिलों में क्षरण के कारण अत्यन्त ही गंभीर स्थिति है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, इस विषय पर इस सभा में पहले ही चर्चा हो चुकी है।

श्री बसुदेव आचार्य : नहीं महोदय, हमने इस सभा में इस विषय पर चर्चा नहीं की है। आज हजारों लोग धरने पर हैं। यह अत्यन्त ही महत्वपूर्ण विषय है।

अध्यक्ष महोदय : किंतु, निस्संदेह यह मुद्दा अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि मैं आपको बोलने की अनुमति दे रहा हूं।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, पश्चिम बंगाल से हजारों

लोग दिल्ली आए हैं और वे जंतर–मंतर में धरने पर बैठे हैं।

पश्चिम बंगाल में अत्यन्त ही गंभीर स्थिति है। पश्चिम बंगाल सरकार ने इन पांच जिलों में क्षरण के मुद्दे पर नियंत्रण पाने के लिए केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था। उन्होंने 700 करोड़ रु. से अधिक की मांग की थी, किंतु वर्ष पहले सिर्फ 18 करोड़ जारी किया गया था। पश्चिम बंगाल सरकार पहले ही उपयोगिता रिपोर्ट प्रस्तुत कर चुकी है। किंतु उसके बाद, अब तक पश्चिम बंगाल राज्य में गंभीर क्षरण समस्या पर नियंत्रण के लिए एक भी पैसा जारी नहीं किया है।

महोदय, यह राज्य का मुद्दा नहीं है। यह किसी विशेष राज्य की समस्या नहीं है।

इसे राष्ट्रीय समस्या माना जाना चाहिए। सैकड़ों गांव प्रभावित हुए हैं, कई गांव वह गए हैं। सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं, उनके घर और उनकी भूमि उनके हाथ से निकल गई। केन्द्र सरकार इस समस्या पर नियंत्रण करने के लिए राज्य सरकार की सहायता के लिए आगे नहीं आई है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, कृपया बैठिए। श्री सोमनाथ चटर्जी, श्री रूपचंद पाल और डा. रघुवंश प्रसाद सिंह, चूंकि उन्होंने इस मुद्दे के संबंध में सूचना दी है। इस मुद्दे के साथ स्वयं को जोड़ सकते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मैं मांग करता हूं कि सरकार को क्षरण की इस समस्या जो कि मेरे जिले में अत्यंत ही गंभीर है, पर नियंत्रण के लिए पर्याप्त धन मुहैया कराना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य, कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। मैंने आपकी समस्या सुनी और अन्य तीन माननीय सदस्य स्वयं को इस मुद्दे के साथ जोड़ सकते हैं।

ठीक है। अगला मद 'इराक युद्ध पर भारत का दृष्टिकोण' जिसे भी प्रबोध पण्डा द्वारा उठाया जाना है। श्री प्रबोध आप सिर्फ दो मिनट का समय ले सकते हैं।

श्री रूपचंद पाल (हुगली) : महोदय, सरकार को इस गंभीर स्थिति पर कुछ बोलना चाहिए। सैकड़ों लोग सड़कों पर बैठे हैं। उनके जीवनयापन का साधन चला गया, उनकी भूमि चली गई। उस स्थिति में, सरकार को जवाब देना चाहिए। सरकार को गंगा–पद्मा नदियों के क्षरण की गंभीर समस्या पर जवाब देना चाहिए।

अपराह्न 12.36 बजे

[अनुवाद]

इराक युद्ध

सदस्यों द्वारा निवेदन

334-41

(एक) संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा इराक पर हमले की कथित धमकी के संबंध में भारत के रुख के बारे में

श्री प्रबोध पण्डा (मिदनापुर) : महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना इसलिए दी है कि इराक पर संभावित युद्ध के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा अपनाया गया रुख अत्यधिक भ्रामक है। अपितु ऐसा प्रतीत होता है कि यह हमारी सरकार द्वारा अनुसरण की जा रही गुटनिरपेक्ष की नीति के प्रतिकूल है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सरकार से अपील करता हूं कि हमें इस विषय पर व्यापक चर्चा करनी चाहिए। इराक पर युद्ध के संबंध में हमारा क्या रुख है? क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सरकार युद्ध छेड़ने वालों अथवा यूएस प्रशासन के इस उद्धत राष्ट्रवाद के विरुद्ध है? इसे स्पष्ट किया जाना चाहिए।

मेरा प्रश्न है कि इस मद को इस माननीय सभा में चर्चा के लिए प्राथमिक मद के रूप में लेना चाहिए।

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर) : महोदय, कल सरकार की ओर से डा. मल्होत्रा ने कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो प्रधान मंत्री इस सभा में वक्तव्य देंगे। हम इसकी सराहना करते हैं।

स्थिति दिन–प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। संसद का सत्र चल रहा है, यह आवश्यक है कि सरकार का रुख संसद सदस्यों को स्पष्ट कर दिया जाए। यदि संसद सदस्यों को यह स्पष्ट नहीं किया जाता है तो हम अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं करने के लिए जिम्मेदार ठहराए जाएंगे, और सरकार भी जिम्मेदार ठहराई जाएगी कि उसने सदस्यों को सूचित नहीं किया और अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। इसलिए, हम मांग कर रहे हैं कि प्रधान मंत्री को इस सभा के सामने आना चाहिए। विश्व के लिए, अनेक देशों के लिए और भारत के लिए भी यह मुद्दा अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए, सरकार को, यह जो रुख अपनाना चाहती है, के बारे में हमें बताना चाहिए। महोदय, हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि प्रधान मंत्री को इस सभा में आने और वक्तव्य देने की सलाह दी जानी चाहिए।

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी, कल सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की मीटिंग हुई...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप सुनिए, बीच में व्यवधान न डालें। इतनी अच्छी तरह से चर्चा चल रही है, उसको चलने दें।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : सरकार की तरफ से मैंने बयान नहीं दिया था। सरकार को अगर बयान देना है तो वह बयान देगी। मैंने कल पार्टी की तरफ से कहा था। मैं अपनी बात कह रहा हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं यह देखूंगा कि क्या सरकार इस पर कुछ कहना चाहती है अथवा नहीं।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़) : यह क्या तरीका है कि यह पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं और सरकार अलग वक्तव्य देगी।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : मैं बयान नहीं दे रहा हूं, मैं अपनी बात कह रहा हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए डा. मल्होत्रा पार्टी के एक नेता हैं।

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : यह सरकार का वक्तव्य है, इनके अपने वक्तव्य से क्या मतलब है। सरकार सदन के अंदर जिम्मेदार है। उसकी तरफ से बयान आना चाहिए और प्रधान मंत्री जी को बयान देना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने डा. मल्होत्रा को बोलने की अनुमति दी है, उन्हें बोलने दीजिए।

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : इराक के मामले पर सारे देश में और सारे राजनीतिक दलों में लगभग सहमति थी और उसमें कोई मतभेद नहीं था। मेरा केवल इतना अनुरोध है कि इस सवाल पर देश को बंटा हुआ न दिखाया जाए...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैं इस पर घोर आपत्ति करता हूं। हम राष्ट्र को विभाजित नहीं कर रहे हैं। हम इतना ही चाहते हैं कि सरकार आगे बढ़े तथा युद्ध के विरुद्ध भारत की जन भावनाओं के अनुरूप अपना रवैया अपनाए।...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय,...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। कृपया मुझे एक मिनट बोलने की अनुमति दीजिए। ...*(व्यवधान)* महोदय, कृपया मुझे अपना व्यवस्था का प्रश्न उठाने दीजिए।...*(व्यवधान)*

श्री एन. एन. कृष्णदास (पालघाट) : 'शून्यकाल' के दौरान कोई भी व्यवस्था का प्रश्न नहीं।...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाइं : विगत में कई बार, 'शून्यकाल' के दौरान भी व्यवस्था के प्रश्न उठाए गए हैं।...*(व्यवधान)* जब आपने मुझे अनुमति दी है, वे इस पर आपत्ति क्यों कर रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

महोदय, आपने कहा कि सभी सदस्यों जिन्होंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है को बोलने का अवसर पहले दिया जाएगा। मैं इससे सहमत हूं। किंतु परम्परा के अनुसार, सत्तारूढ़ पार्टी का सदस्य स्थगन प्रस्ताव नहीं ला सकते हैं।...*(व्यवधान)* इसलिए, हर बार इस प्रकार उसे बोलने का अवसर पहले मिलेगा।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठिए।

(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाइं : प्रतिदिन, स्थगन प्रस्ताव लाने के नाम पर...*(व्यवधान)*

श्री एन. एस. कृष्णदास : महोदय, वह भी सरकार के विरुद्ध स्थगन प्रस्ताव ला सकते हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको यह बता दूं कि नियमों के अंतर्गत आपको स्थगन प्रस्ताव पेश करने की कोई मनाही नहीं है। यदि आप कोई स्थगन प्रस्ताव पेश करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं और मैं उसी प्रक्रिया का पालन

करूंगा। आप किसी भी मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाइं : मैं परम्परा की बात कर रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यदि आप परम्परा को बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए भी एक प्रक्रिया है। आप नियम समिति के पास जा सकते हैं और इस परम्परा को बदलवा सकते हैं।

श्री खारबेल स्वाइं : महोदय, मैं ऐसा ही करूंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे अर्थात इराक में उत्पन्न स्थिति और संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार का निर्णय जो खुले आम युद्ध की धमकी दे रहे हैं, और ऐसा करना सुरक्षा परिषद के संकल्प के खिलाफ भी है, के संबंध में सभी दलों के नेताओं की एक बैठक हुई थी और यही बात सभा के सभी वर्गों को उत्तेजित कर रही है।

यूरोप के प्रमुख देशों जैसे फ्रांस, जर्मनी और रूस ने इसका खुला विरोध किया है। यहां तक कि इंग्लैंड में संसद सदस्यों द्वारा प्रधान मंत्री के विरुद्ध विद्रोह किया जा रहा है। हम यह चाहते हैं कि सभा की इरा बैठक में एक संकल्प पारित करके इस बारे में देश के दृष्टिकोण का स्पष्ट संकेत किया जाए। मेरे इस प्रस्ताव को उस बैठक में उपस्थित अधिकतर नेताओं का समर्थन प्राप्त था। लेकिन इसे सरकार का समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। इसका कोई कारण नहीं बताया गया कि भारत युद्ध की धमकी का विरोध क्यों नहीं करना चाहता है। भारत के प्रधान मंत्री को किए गए हमारे स्पष्ट अनुरोध के बावजूद ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि कम से कम हमें यह तो स्पष्ट कर दें कि हम इस रवैये की निंदा करते हैं। इस संबंध में कम से कम सभा में एक संकल्प पारित करना चाहिए। हमें विश्व को यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि भारत युद्ध की स्थिति में कोई सुविधा नहीं देगा। हमें अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। हम गुट निरपेक्ष देशों के नेता है...*(व्यवधान)* दुर्भाग्यवश बहुत निराशाजनक उत्तर प्राप्त हुआ है जबकि यह औचित्यपूर्ण था। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं सरकार से अनुरोध कर रहा हूं कि वह इस मुद्दे पर एक वक्तव्य दें।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, प्रधान मंत्री महोदय, को आना चाहिए। यह एक बहुत ही गंभीर मामला है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : प्रधान मंत्री जी इस सदन में जवाब दें। बहुत ही गंभीर सवाल है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं कि यह आपकी मांग है। संसदीय कार्य मंत्री को इस संबंध में कुछ कहने दीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय पर बोल नहीं रही हूं, मैं केवल आपकी बात का जवाब दे रही हूं। सदन की भावनाओं से मैंने प्रधान मंत्री जी को अवगत करा दिया है। मैं उनकी सुविधा की जानकारी ले रही हूं कि वे कब वक्तव्य देंगे। उनकी सुविधा प्राप्त करके मैं आपको सूचित करूंगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री महोदय वक्तव्य देने जा रहे हैं।

श्री चन्द्रशेखर (बलिया, उ.प्र.) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी सदस्यों ने कहा है कि स्थिति खराब हो रही है। यह एक गंभीर संकट का रूप ले रही है। यदि आज स्थिति कुछ है तो कल स्थिति भिन्न हो सकती है। अतः सभा किसी भी स्थिति के प्रति निर्णय नहीं ले सकती चूंकि यह स्पष्ट नहीं है कि सरकार आज क्या करेगी। राष्ट्र को एक होना चाहिए। प्रधान मंत्री महोदय, ने वक्तव्य दिया है कि वे शान्ति चाहते हैं और यह कि हम किसी भी स्थिति में युद्ध का समर्थन नहीं करेंगे। यदि यहां प्रतिनिधित्व कर रहे विभिन्न राजनीतिक नेताओं के प्रतिनिधियों द्वारा ही पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व किया जाना है तो उन्हें प्रधान मंत्री और विपक्ष के नेता के साथ एक वक्तव्य पर हस्ताक्षर करने चाहिए और उस वक्तव्य को पूरे विश्व के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। यदि आप सभा में किसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं तो मुझे यह कहते हुए अफसोस हो रहा है कि यहां विभिन्न तरह के विचार व्यक्त किए जाएंगे और इससे देश की एकता प्रदर्शित नहीं होगी बल्कि इससे मतभेद वाले विचार व्यक्त होंगे।

श्री शिवराज वि. पाटील : महोदय मैं यह कहना चाहता हूं कि हम सभा अथवा इस देश को विभाजित करने के पक्ष में नहीं हैं। हमने अभी चर्चा के लिए भी नहीं कहा है। हमने सरकार को एक वक्तव्य देने के लिए कहा है...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, बीच का रास्ता अपनाने की नीति की वजह से प्रधान मंत्री महोदय के वक्तव्य के कारण काफी शंकाएं उत्पनन हुई हैं। इराक की स्थिति के लिए यह बीच का रास्ता क्या है।

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह चौहान (विदिशा) : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी बोलने का मौका दिया जाए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जरूरत हुई, तो एक बजे के बाद भी मैं आपको बोलने के लिए मौका देने वाला हूं।

कुमारी उमा भारती (भोपाल) : महोदय, आपने विषय को गम्भीरता से नहीं लिया है। मैं आपकी आज्ञा से सदन से जा रही हूं।

अपराह्न 12.48 बजे

(तत्पश्चात् कुमारी उमा भारती सभा भवन से बाहर चली गईं।)

श्री सुन्दर लाल तिवारी (रीवा) : महोदय, यह धमकाने की कोशिश नहीं तो क्या है।

अध्यक्ष महोदय : यह धमकाने की कोशिश नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री जयपाल रेड्डी जी मैंने आपको बोलने के लिए मौका दिया है। अगर आपकी पार्टी के लोग ऐसा करेंगे, तो आपको मौका कैसे दूंगा। आप नहीं बोल सकेंगे।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपको कम से कम अपने दल के सदस्यों को नियंत्रण में रखना चाहिए।

श्री एस. जयपाल रेड्डी (मिरयालगुडा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज न केवल तात्कालिक और अत्यधिक सार्वजनिक महत्व के विषय पर चर्चा के लिए खड़ा हुआ हूं बल्कि अत्यंत परेशान करने वाले विषय पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदय, गुजरात सरकार के गृह मंत्री, श्री अमित शाह ने सार्वजनिक रूप से यह बात स्वीकार की है कि सरकार ने अनेक जिलों में ईसाई परिवारों का पुलिस विभाग द्वारा एक सर्वेक्षण करवाया गया है। इन जिलों में अहमदाबाद, सूरत, जामनगर, बनासकांठा, साबरकांठा और कच्छ शामिल हैं। विगत एक सप्ताह में पुलिस इन जिलों में अनेक ईसाई परिवारों के घरों में गई। इस संबंध में गृह मंत्री जी द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया है कि पुलिस को मेरे एक वरिष्ठ साथी, श्री राम विलास पासवान द्वारा पूछे गए प्रश्न के कारण आंकड़े एकत्रित करने का कार्य दिया गया था।

यदि राज्य सरकार के पास आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं तो राज्य सरकार संसद अथवा विधान सभा में पूछे गए किसी भी प्रश्न के उत्तर में क्या कहेगी, यही कि उनके पास आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। किसी भी राज्य सरकार को पुलिस विभाग द्वारा आंकड़े एकत्र करवाने के लिए सर्वेक्षण करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। मुद्दा यह है कि गुजरात में ईसाई समुदाय पर छाए आतंक के बोलबाले का पता चला है...*(व्यवधान)* गुजरात राज्य पुलिस राज्य में बदल गया है।...*(व्यवधान)* गुजरात सरकार ने जो कार्य किया है, वह भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ है...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : जो कुछ भी वे बता रहे हैं वह सत्य है। आप उन्हें धमका रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी : महोदय, भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ...*(व्यवधान)* किसी भी पुलिस विभाग को आंकड़े एकत्र करने के लिए परिवारों का दौरा करने की अनुमति नहीं दी गई...*(व्यवधान)* चूंकि इसका संबंध अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से है, अतः मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप माननीय गृह मंत्री को इस स्थिति के संबंध में एक वक्तव्य देने की सलाह दें...*(व्यवधान)* गृह मंत्री को वक्तव्य देना चाहिए...*(व्यवधान)* गृह मंत्री महोदय को गुजरात राज्य से तथ्य एकत्र करने दें और एक औपचारिक वक्तव्य देने दें...*(व्यवधान)* महोदय, गृह मंत्री को बुलाया जाए...*(व्यवधान)*

श्री एन. एन. कृष्णदास (पालघाट) : महोदय, हम भी उनसे सहमत हैं...*(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी : महोदय, कृपया माननीय गृह मंत्री महोदय को वक्तव्य देने की सलाह दें...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यदि सरकार वक्तव्य देना चाहती है, तो वह ऐसा कर सकती है।

(व्यवधान)

श्री एस. जयपाल रेड्डी : महोदय, इस तरह की बात भारत के इतिहास में कभी नहीं की गई है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हां, श्री राम विलास पासवान।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, गृह मंत्री को वक्तव्य देना चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह सरकार पर है कि वह जवाब दे। यदि वह चाहती है तो जवाब दे सकती है अन्यथा नहीं। कृपया अब बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री एस. जयपाल रेड्डी : क्या इस तरह की बात कभी हुई है?...*(व्यवधान)* क्या यह कानूनी रूप से अनुमत्य है?... *(व्यवधान)* महोदय, गुजरात के गृह मंत्री ने गुजरात में पुलिस विभाग को अनुदेश जारी किया...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह गलत बात कह रहे हैं। ऐसा कहकर देश को बदनाम किया जा रहा है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी : संसदीय कार्य मंत्री इसका जवाब दें।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : श्री जयपाल रेड्डी का स्थगन प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया है, इसलिए उन्हें शून्यकाल में बोलने का मौका दिया गया। उन्होंने सदन के सामने अपनी बात रखी। अभी इसके ऊपर कुछ कहना या न कहना, यह सरकार का प्रश्न है। मेरे ख्याल में आपकी रिकवैस्ट होम मिनिस्टर साहब के पास पहुंचानी चाहिए। मैं समझता हूं कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने इसे सुना है।

पासवान जी, अब आप अपनी बात रखिए।

अपराह्न 12.54 बजे

[हिन्दी]

परिसीमन आयोग

(दो) परिसीमन आयोग में सहयोजित सदस्यों के नामनिर्देशन के बारे में

342 - 360

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) :. अध्यक्ष महोदय, मैं एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिसके प्रति दोनों पक्षों के लोग एक हैं और वह डीलिमिटेशन कमीशन का मामला है। डिलिमिटेशन एक्ट 2002, के मुताबिक डीलिमिटेशन कमेटी का गठन हो गया। उसमें आपने एज ए स्पीकर प्रत्येक राज्य से अधिक से अधिक पांच मैम्बर्स को नियुक्त किया है। उसमें 10 एसोसिएटिड मैम्बर्स होते हैं जिनमें से पांच लोक सभा और पांच असेम्बली के होते हैं। इनको नॉमिनेट किया जा चुका है। बहुत दिन हो गए हैं लेकिन आज तक उस डीलिमिटेशन कमेटी का ऑफिस कहां है, वह कहां काम कर रहा है, क्या हो रहा है, किसी मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट को पता नहीं है। डीलिमिटेशन एक्ट के मुताबिक यह लिखा है : "आयोग प्रत्येक राज्य के मामले में अपने कर्त्तव्यों में अपनी सहायता के उद्देश्य से स्वयं के साथ जोड़ेगा।"

सभी मैम्बर्स का काम एसोसिएट करना और उनको असिस्ट करना है लेकिन किसी मैम्बर को इसका पता नहीं है। इसलिए यह आपका मामला है, हम लोगों का मामला नहीं है। या तो सबको हटा दीजिए। बनी–बनायी चीज आए और उसके बाद हम सबको मोहर लगाने के लिए कहा जाए, मैं समझता हूं कि यह प्रिवलेज का मामला है। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि एसोसिएटिड मैम्बर्स की एक्ट में कहीं डैफिनेशन नहीं है लेकिन यह ड्यूटी मानी जाती है कि वोटिंग राइट्स के अलावा मैम्बर्स के सब अधिकार उनके पास मौजूद हैं।

लेकिन मैं दोनों पक्षों की तरफ से कहता हूं कि किसी भी मैम्बर को इस बात की जानकारी नहीं है। इसलिए मैं आपसे रूलिंग चाहता हूं कि आप एसोसिएटेट मैम्बर्स को प्रोटैक्ट करने का काम कीजिए।

[अनुवाद]

श्री ए. सी. जोस (त्रिचुर) : महोदय, हम भी इस मुद्दे से स्वयं को जोड़ते हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास सिर्फ एक और सूचना है जो मैंने श्री प्रियरंजन दासमुंशी से प्राप्त किया है। यदि अन्य

सदस्य भी इस पर बोलना चाहते हैं तो मुझे संदेह है कि आपका विषय लिया जा सकता है। मैं सबको अनुमति नहीं दे सकता।

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार खंडेलवाल (बेतूल) : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में यह इन्फार्मेशन लीक हो रही है।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : परिसीमन अधिनियम जो इस सभा द्वारा पारित किया गया था में सबसे पहले संकेत किया गया था कि वर्ष 1991 को आधार होना चाहिए। अधिनियम जिसे हमने पारित किया है कि धारा 5 सहयोजित सदस्यों की भूमिका का प्रावधान करती है। मुझे 1971 में परिसीमन आयोग में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ था, जब मैं इस सभा में था। उस समय प्रक्रिया यह थी कि राज्य निर्वाचन अधिकारी सहयोजित सदस्यों से परामर्श करके प्रारूप दस्तावेज तैयार करेगा और वह प्रारूप मुख्य आयोग में आना चाहिए। आयोग उस विशेष सभा के वर्तमान संसद सदस्यों का विचार जानने के लिए उन्हें सम्मिलित करके उस प्रारूप की सुनवाई करेगा।

दुर्भाग्यवश, अब बुनियादी विचलन यह है कि राज्य निर्वाचन अधिकारी को कोई प्रारूप तैयार करने के लिए नहीं कहा गया है, सदस्यों को भी कोई प्रस्ताव देने के लिए नहीं कहा गया है, केन्द्रीय परिसीमन परिषद द्वारा स्वतः ही प्रारूप तैयार किया गया है और अचानक ही सदस्यों को बुलाया गया तथा कहा गया कि यह प्रारूप है और यह सारांश है। 99 प्रतिशत मामलों में सदस्यों और उनके चुनाव क्षेत्रों के भविष्य के बारे में स्वतः ही फैसला ले लिया जाता है।

दूसरा, परिसीमन आयोग में सहयोजित सदस्यों की भूमिका से संबंधित कोई विशेष दिशानिर्देश तैयार नहीं किए गए हैं कि कैसे वे इस मुद्दे पर आगे बढ़ेंगे। तीसरा, और यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है—परिसीमन अधिनियम सिर्फ विधान सभा और लोक सभा चुनाव क्षेत्रों की सीमाओं के पुनः समायोजन की बात करता है जबकि इस मामले में चुनाव क्षेत्र का पूर्ण पुनर्गठन हो रहा है। इसलिए, बहुत सी शंकाएं पैदा हो गई हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय विधि मंत्री को पहले सभा का समय बर्बाद किए बिना ब्यौरा जानने के लिए वर्तमान सदस्यों जो सहयोजित सदस्य के रूप में हैं से परामर्श करना चाहिए और फिर व्यापक दिशानिर्देशों और यदि आवश्यक हुआ तो मुख्य अधिनियम में आवश्यक संशोधन के साथ इस सभा में वापस आना चाहिए।

मैं समझता हूं कि इससे काफी हद तक समस्या का समाधान होगा। अन्यथा, मुझे भय है कि हम सभी संदेह और और आशंका में हैं कि हमारे चुनाव क्षेत्र का क्या हो रहा है और किसी को भी विश्वास में नहीं लिया गया।

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष महोदय, जो दोनों माननीय सदस्यों ने बात कही है, मैं इससे सहमत हूं क्योंकि दिल्ली के साथ भी यही हुआ है। इंट्रेस्टिंग बात यह है कि ड्राफ्ट पहले आया कि डी–लीमिटेशन कमीशन की तरफ से दिया जा रहा है लेकिन अगली मीटिंग में आया कि तीन सदस्यों में से एक सदस्य की ओर से दिया जा रहा है जबकि मैम्बर्स को पता नहीं है। हमसे कहते हैं कि इस बारे में बात करिए लेकिन अपनी बात मत करिए। इसके पहले भी कमीशन बने हैं, हम हाजिर हुए हैं लेकिन जिस तरह से यह कमीशन काम कर रहा है, उससे मुझे लगता है कि...*(व्यवधान)* यहां बी.जे.पी. की बात नहीं, दिल्ली में तो कांग्रेस है। मैं कह रहा था कि मनोवृत्ति यह है कि जो हमने बना दिया, वह फाइनल होगा। क्या किसी मैम्बर की कोई वेल्यू नहीं है? मेरा कहना है कि इस मामले पर पुनर्विचार करना चाहिए।

अध्यक्ष जी, एक छोटी–सी बात यह कहना चाहता हूं कि इस डी–लिमिटेशन कमीशन का आधार 1991 बनाया गया है जबकि यह 2001 होना चाहिए था। दिल्ली की आबादी 1991 में 94 लाख थी जो अब बढ़कर डेढ़ करोड़ हो गई है। इसलिए मेरा कहना है कि इस कमीशन का आधार 2001 होना चाहिए था। जो प्रक्रिया है, उसके अंदर पुनर्विचार करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कमीशन ने हम पर थोप दिया? सरकार इसे करेगी या नहीं?...*(व्यवधान)*

अपराह्न 1.00 बजे

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, इसी सदन से डीलिमिटेशन आयोग का गठन हुआ और कानून के तहत आपने हम लोगों का नाम उसमें चयन किया कि डीलिमिटेशन आयोग में हम लोग एसोसिएट रहेंगे। लेकिन डीलिमिटेशन कमीशन की कहीं कोई बैठक नहीं होती है और न कोई राय–मशविरा लिया जाता है। जिस बात के लिए इस कमीशन का गठन हुआ, वह काम नहीं कर रहा है। इसलिए सरकार डीलिमिटेशन कमीशन को भंग करे या हम लोगों का नाम उसमें से हटवा दिया जाए। जो सरकार को उचित लगे वह सरकार करे। हम लोगों से कुछ पूछा नहीं जाता है, कोई

राय–मशविरा नहीं किया जाता है। उसका डी.डी. एडजस्टमेंट करना है, क्षेत्र को इधर–उधर करना है, लेकिन हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है। यह कौन कर रहा है, इसके लिए सरकार कसूरवार है, वह ऐसी हेरा–फेरी से काम करवा रही है। सरकार या तो इसे भंग करे या हम लोगों का नाम इसमें से काट दे। हम लोग इसमें रहना नहीं चाहते हैं।

श्री विजय कुमार खंडेलवाल : इसमें आप पोलिटिक्स मत लाइए...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : इसमें पोलिटिक्स मत लाइए कि यह बी.जे.पी. का है या कांग्रेस का है। जैसे भी हो इस पर विचार करें और एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर इस बारे में तय करें।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, विधि मंत्री एसोसिएटेड सदस्यों के साथ बैठक करें और इस मुद्दे पर फैसला करें। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार खंडेलवाल : अध्यक्ष जी, मध्य प्रदेश में डीलिमिटेशन एक्ट बनने के बाद वहां से इन्फार्मेशन लीक की जा रही है और यह कहा जा रहा है कि हम इसी तरह से काम करेंगे। पेपर्स में रोज छपता है कि डीलिमिटेशन कमीशन के द्वारा ये रिपोर्ट्स आई हैं या तो जो पेपर्स की रिपोर्ट्स हैं, उनके खिलाफ एक्शन हो, यदि डीलिमिटेशन कमीशन ने ये रिपोर्ट्स मध्य प्रदेश में दी हैं। खुराना जी ने जो किया है, उसको हम सपोर्ट करते हैं।

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर इसे तय कर लिया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री सुरेश कुरुप (कोट्टायम) : महोदय, मुझे एक अलग मुद्दा उठाना है।...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय, मैंने भी सूचना दी है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ऐसा प्रतीत होता है कि अनेक सदस्य हैं जो इस मुद्दे पर बोलना चाहते हैं। अनेक सदस्य और राजनीतिक दल हैं जो इस मुद्दे पर अपना विचार व्यक्त करना चाहेंगे। यह मुद्दा विधि मंत्री से संबंधित है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी करना चाहती है?

परिसीमन के मुद्दे पर, ऐसा प्रतीत होता है कि पूरी सभा अत्यधिक संवेदनशील है। वे चाहते हैं कि इस मुद्दे पर विचार किया जाए और अपना विचार व्यक्त करना चाहते हैं। कुछ सदस्य अपना विचार प्रकट कर चुके हैं। अब, मैं इस मुद्दे पर प्रत्येक सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं दे सकता। क्या सरकार इस मुद्दे पर कुछ बोलना चाहती है?

[हिन्दी]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की भावनाओं से विधि मंत्री को अवगत करा दूंगी और चाहूंगी कि बेहतर होगा कि एक सर्वदलीय बैठक बुला लें, चूंकि सारा सदन इस पर एकमत है और सबकी बात सुनने के बाद वह आगे की कार्रवाई करेंगे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कुंवर अखिलेश सिंह, मैंने आपके स्थगन प्रस्ताव की सूचना को अस्वीकार कर दिया है। आपको सिर्फ उसी मुद्दे पर बोलने की अनुमति है जिसका आपने अपनी सूचना में उल्लेख किया है और उसके अलावा कुछ भी नहीं।

(व्यवधान)

श्री सुरेश कुरुप (कोट्टायम) : महोदय, मुझे एक अलग विषय उठाना है। आप कृपया मुझे बोलने की अनुमति दीजिए। दो सप्ताह पहले, गृह मंत्री ने इस सभा को आश्वासन दिया था कि वह केरल में आदिवासियों पर गोलियां चलाने के बारे में वक्तव्य देंगे।...*(व्यवधान)*

श्री एन. एन. कृष्णदास (पालघाट) : महोदय, आज भी, अनेक लोग लापता हैं।...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, गृह मंत्री ने सभा को आश्वासन दिया कि वह आदिवासियों के मामले पर वक्तव्य देंगे।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपसे कहा कि मैं उन विषयों को निपटा रहा हूं जो इस सभा में स्थगन प्रस्ताव के रूप में उठाए गए हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिए। कुंवर अखिलेश सिंह की सूचना को छोड़कर और सभी सूचनाएं निपटा दी गई हैं। मैं उन्हें बोलने के लिए दो मिनट का समय देने जा रहा हूं, और उसके पश्चात् आप मध्य प्रदेश का मुद्दा उठा सकते हैं जो आप काफी लम्बे समय से उठाने का प्रयास कर रहे हैं। तत्पश्चात्, श्री सुरेश कुरुप, आप बोल सकते हैं। कृपया अब बैठिए।

(व्यवधान)

श्री ए. सी. जोस (त्रिचुर) : महोदय, इस सभा में प्रतिदिन राज्यों से संबंधित विषय उठाए जाते हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने उनकी सूचना को स्वीकार नहीं किया है। किंतु मैंने कहा है कि...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि इतने सदस्य एक साथ बोलना चाहते हैं, तो मैं किसी को भी बोलने का अवसर नहीं दे सकता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, आप मुझसे कह सकते हैं कि आप ठीक–ठीक क्या चाहते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, कृपया बैठिए। सिर्फ एक सदस्य को बोलना चाहिए किंतु दूसरे जरूर बैठ जाएं। सिर्फ एक ही सदस्य को बोलने की अनुमति दी जाएगी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य आप और अन्य सदस्यगण भी बोलना चाहते हैं। कोई अनुशासन नहीं है। कृपया मुझे उनकी बात सुनने दें। मैंने उन्हें अनुमति दी है। उनके बाद मैं आपको अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप क्या चाहते हैं, कृपया मुझे बताएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वे क्या कहना चाहते हैं हम कृपया उनकी बात सुनें।

(व्यवधान)

श्री कोडीकुनील सुरेश (अडूर) : महोदय, यह राज्य से संबंधित विषय है...*(व्यवधान)*

श्री एन. एन. कृष्णदास : महोदय, यह राज्य का विषय नहीं है...*(व्यवधान)* आज भी कई आदिवासी लापता हैं... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री कृष्णदास, क्या आप नहीं बैठेंगे?

(व्यवधान)

श्री एन. एन. कृष्णदास : जी नहीं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण मैंने आपको इस विषय को उठाने की अनुमति नहीं दी है जिसे आप उठाना चाहते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है आप बच्चों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। मैं खडा रहता हूं तो भी आप सभी खड़े हो जाते हैं?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप सभी परिपक्कव व्यक्ति हैं। आपको लाखों व्यक्ति द्वारा निर्वाचित करके सभा में भेजा जाता है। आपमें कोई अनुशासन नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिए। क्या बात है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें अनुमति नहीं दी है। आप इस प्रकार क्यों चिल्लाना शुरू कर देते हैं? सभा को चलाने का यह तरीका नहीं हो सकता है। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि वे बाद में उनके द्वारा दी गई सूचना पर बोल सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : मैंने सूचना दी है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : राधाकृष्णन जी, मैं क्या करूं आपके बारे में।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे पता है कि आपने सूचना दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री अखिलेश, मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है। मैंने स्थगन प्रस्ताव संबंधी आपकी सूचना को अस्वीकार कर दिया है। मैंने आपको केवल संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास पर बोलने की अनुमति दी है और आप केवल इस पर ही, इससे अधिक कुछ भी नहीं बोलेंगे। अन्यथा मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

श्री एन. एन. कृष्णदास : हमारे मुद्दों के संबंध में क्या हुआ?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जब मैं इस पर विचार शुरू करूंगा मैं आपको अनुमति दूंगा। आज अलग मुद्दे पर विचार हो रहा है।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कल ही आपने सदन को व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए एक बैठक आयोजित की थी। मैं आपसे विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि खुद आप देखें कि जिन लोगों ने वायदा किया था, वे अपने वायदों पर कितना खरा उतर रहे हैं।

मान्यवर, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि योजना के अंतर्गत भ्रष्टाचर के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और इन आरोपों की जांच के लिए लगातार मैं सदन के अंदर सीबीआई की जांच कराने की मांग कर रहा हूं लेकिन सरकार द्वारा संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि योजना में भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई से जांच न कराए जाने के कारण आम जनता के मन में धारणा बनती जा रही है कि सांसद विकास निधि के अंतर्गत भ्रष्टाचार है, इसलिए संसद में बैठे हुए लोग इस सवाल पर गंभीर नहीं हैं। मान्यवर, इस संसद के दो सदन हैं—लोग सभा और राज्य सभा। कल राज्य सभा में तो इस गंभीर विषय पर चर्चा हुई लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि लोक सभा में इस गंभीर विषय पर चर्चा नहीं हो रही है। यह आरोप तब गंभीर हो जाते हैं जब इसी सदन के सदस्य इसी सदन के सदस्यों पर आरोप लगाते हैं। मैं आपसे मांग करता हूं कि जिन सदस्यों ने अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, उनके निर्वाचन क्षेत्रों में भी सांसद विकास निधि की जांच करायी जानी चाहिए तथा उनके आरोपों की भी जांच करायी जानी चाहिए।...*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री अखिलेश, आप मेरी अनुमति का गलत लाभ ले रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री अखिलेश मैंने आपको अन्य मुद्दों पर बोलने की अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री अखिलेश, मैंने आपको केवल दो मिनट का समय दिया है। दो मिनट समाप्त हो चुके हैं।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : उनकी बात को मैं कार्यवाही–वृत्तांत में शामिल नहीं कर रहा हूं। माननीय सदस्यगण कृपया बैठ जाएं। उनकी कोई भी बात कार्यवाही–वृत्तांत में शामिल नहीं की जाएगी।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कुंवर अखिलेश सिंह, आप सभा का अनुशासन मानने को तैयार नहीं हैं। कृपया बैठ जाएं।

(व्यवधान)

---

*कार्यवाही–वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : श्री शिवराज सिंह चौहान, कृपया अपनी बात जारी रखें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर ध्यान दूंगा। इसके लिए चिंता न करें।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अखिलेश जी, जो कुछ भी कह रहे हैं, वह रिकार्ड पर नहीं जा रहा है।

श्री शिवराज सिंह चौहान (विदिशा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो विषय मैं उठाने जा रहा हूं, वह किसी पक्ष विशेष से संबंधित नहीं है बल्कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब कृपया बैठ जाएं।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कुंवर अखिलेश सिंह, अब कृपया बैठ जाएं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : वह कुछ भी बोल सकते हैं, उनका रिकार्ड पर नहीं जा रहा है।

[अनुवाद]

कुंवर अखिलेश सिंह मैंने आपको केवल इसलिए अनुमति दी थी क्योंकि आप केवल एक विशेष विषय वस्तु पर केंद्रित थे। कल सभा में उपस्थित सभी नेतागण इस बात पर सहमत हुए थे कि अध्यक्ष के खड़े होने के पश्चात् वे बैठ जाएंगे। कृपया अनुशासन का पालन करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : उनका रिकार्ड पर कुछ नहीं जा रहा है।

[अनुवाद]

उन्हें आवंटित दो मिनट का समय समाप्त हो गया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे उनसे बात करने दीजिए। उन्हें आवंटित दो मिनट का समय पूरा हो चुका है।

कुंवर अखिलेश सिंह, मैंने आपकी बात सुनी है। आपने केवल एक ही बात उठाई है कि राज्य सभा में चर्चा हुई है लेकिन लोक सभा में चर्चा नहीं हो पाई है। आपको ज्ञात है कि यहां राज्य सभा की तरह कोई स्पष्ट सूचना नहीं प्राप्त हुई है।

दूसरे, कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में कतिपय अन्य विषयों पर चर्चा की गई जिसे मैं यहां नहीं उद्धृत करूंगा। अतः, इस पर चर्चा नहीं की गई। मेरा विचार यह है कि यदि राज्य सभा की भांति सदस्यगण इस मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं, इसकी अनुमति देने पर विचार किया जा सकता है और इस पर चर्चा करायी जा सकती है। मैं इसे कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष समयानुसार प्रस्तुत करूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुंवर अखिलेश सिंह, मैंने आपको पहले ही अनुमति दे दी है। अब कृपया बैठ जाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री शिवराज सिंह चौहान की बात को छोड़कर कार्यवाही–वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अखिलेश जी, आप बैठिए। बाकी सब माननीय सदस्य भी बैठें।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री शिवराज सिंह चौहान, आपकी अपनी बात को सम्मानजनक तरीके से कहें। मैं आपके मुद्दे को जानता

*कार्यवाही–वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही–वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

हूं। यह मुद्दा महत्वपूर्ण है। आप इसे सम्मानजनक रूप से कहें और आपका वाचन स्पष्ट हो।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री शिवराज सिंह चौहान, आप अपने विषय को बताएं।

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह चौहान : मान्यवर, जो विषय मैं उठा रहा हूं, वह किसी दल विशेष से संबंधित नहीं है बल्कि संविधान और देश की रक्षा से संबंधित है। पूरे सदन का सवाल है और मैं चाहता हूं कि इस विषय पर एक व्यापक बहस होनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अखिलेश जी, मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप बैठ जाएं। आपका यह बर्ताव ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कुंवर अखिलेश सिंह, आप सीमा पार कर चुके हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं। मैं कुंवर अखिलेश सिंह पर ध्यान दूंगा। कुंवर अखिलेश सिंह, कृपया बैठ जाएं।

[हिन्दी]

यह अच्छा नहीं है। प्लीज बैठिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कुंवर अखिलेश सिंह, यह ठीक नहीं है। आप सभा में अन्य सदस्यों को बोलने का अवसर नहीं दे रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, जो विषय मैं उठाना चाहता हूं वह किसी पार्टी से संबंधित नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस सवाल को...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : शिवराज सिंह चौहान जी, आप अपनी बात कहिए। आपकी बात ही रिकार्ड पर जा रही है। शेष लोगों की कोई बात रिकार्ड पर नहीं जा रही है। यह अच्छा व्यवहार नहीं है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री शिवराज सिंह चौहान की बात को छोड़कर कार्यवाही–वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कुंवर अखिलेश सिंह, मैंने आपको पहले ही कहा है कि मैं इस पर चर्चा कराने की अनुमति दूंगा। आप और क्या चाहते हैं?

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, ऐसे हाउस किस प्रकार से चलेगा? मैं अपनी बात नहीं कह पा रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप अध्यक्षपीठ की बात नहीं मान रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : जब इस इश्यू पर* हाउस में डिसकशन लूंगा, तब आप डिसकस कर सकते हैं। बिजनेस एडवायजरी कमेटी यदि इसे मान्य करेगी, तो मैं इस विषय पर सदन में चर्चा कराने को तैयार हूं। शिवराज जी आप बोलिए।

श्री शिवराज सिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, जो सवाल मैं सदन में उठा रहा हूं वह देश और संविधान की पवित्रता की रक्षा से संबंधित है।

मैं किसी पर आरोप–प्रत्यारोप लगाने के लिए यह विषय नहीं उठा रहा हूं। यहां चन्द्रशेखर जी बैठे हैं।...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही–वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया सदन में शांति बनाए रखें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह चौहान : इस विषय पर संपूर्ण सदन गंभीरता से बहस करे, इस पर व्यापक बहस हो। मध्य प्रदेश में मतदाता सूचियों में व्यापक पैमाने पर गड़बड़ियां की गई हैं। जब निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूचियों की जांच की तो यह पाया कि मध्य प्रदेश के 41 विधान सभा क्षेत्रों में से, किसी में 19000 और किसी में 23000 फर्जी मतदाताओं के नाम बढ़ा दिए गए हैं। जब इलैक्शन कमीशन ने पूरी जांच करवाई तो उसके बाद जब उन व्यापक गड़बड़ियों को पाया तो राज्य शासन को सिफारिश की कि वहां तीन कलेक्टर्स को सस्पैंड किया जाए। आधे दर्जन से ज्यादा अधिकारी थे, जिन्होंने मतदाता सूची में वहां की राज्य सरकार के इशारे पर व्यापक गड़बड़ियां की थीं। उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने का निर्देश यहां से निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार को दिया, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार को जो सिफारिशें चुनाव आयोग ने कीं, वे सिफारिशें करने के बाद भी मध्य प्रदेश की सरकार ने, वहां के मुख्य मंत्री ने आज तक कोई कार्यवाही नहीं की। उन्होंने यहां तक कह दिया कि वे कोई कार्यवाही करने वाले नहीं हैं।...*(व्यवधान)* वे इसके लिए नोटिस देंगे, बातचीत करेंगे।

महोदय, मैं मानता हूं कि मतदाता सूची लोकतंत्र का सबसे पवित्र दस्तावेज है।...*(व्यवधान)* अगर मतदाता सूची सही नहीं बनेगी,...*(व्यवधान)* इस सवाल पर 193 की चर्चा का हमने नोटिस भी दिया है और ध्यानाकर्षण की सूचना भी दी है। महोदय, इस विषय पर 193 के अंतर्गत व्यापक बहस और चर्चा करवाई जाए। धन्यवाद।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : किसी भी विषय पर चर्चा हो सकती है, लेकिन अगर आप कोआपरेट करेंगे, तभी हो सकती है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सुन्दर लाल तिवारी (रीवा) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय पर एक बात कहना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

महोदय, यह प्रदेश से संबंधित मामला है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश सरकार पर लांछन लगाने की कोशिश की है।...*(व्यवधान)* अभी चौहान साहब कह रहे थे कि इलैक्शन कमीशन ने मध्य प्रदेश सरकार को कुछ कर्मचारियों को सस्पैंड करने का कोई डायरेक्शन दिया है। मेरा यह कहना है कि संविधान में चुनाव आयोग को पूरी तरह सशक्त बना रखा है, हमारे संविधान के अनुच्छेद 324 में पूरी शक्तियां इलैक्शन कमीशन को प्राप्त हैं।...*(व्यवधान)* अगर इलैक्शन कमीशन ने कोई पत्र लिखा है तो प्रदेश सरकार को उस पर निर्णय लेने का अधिकार है और वह उस प्रक्रिया में लगी हुई है। वहां के मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि हम इलैक्शन कमीशन से बात करेंगे।...*(व्यवधान)* उसके बाद जो भी उचित कदम होगा, वह लिया जाएगा।...*(व्यवधान)* महोदय, लोक सभा किसी भी कर्मचारी को सस्पैंड करने के संबंध में निर्णय नहीं ले सकती है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : थावरचन्द गेहलोत जी, अब आप बोलिए।

(व्यवधान)

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर) : अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान में जो परम्पराएं हैं, उनके अंतर्गत निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश में मतदाता सूचियों में जो गड़बड़ियां पाई गईं, उनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए आदेश दिया तो राज्य सरकार के मुख्य मंत्री ने कह दिया कि यह आदेश अनुचित है, मैं इसे स्वीकार नहीं करता हूं। यह संवैधानिक संकट खड़ा करने वाला काम है।...*(व्यवधान)* प्रजातांत्रिक व्यवस्था, निर्वाचन पद्धति को बिलकुल नेस्तनाबूद करने वाला काम है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस मुद्दे पर मैं सूचना प्राप्त होने पर कार्य मंत्रणा समिति के सहमत होने पर चर्चा कराने की अनुमति देने पर सहमत हूं, अतः अब यह मुद्दा समाप्त हो जाना चाहिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत : मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए।...*(व्यवधान)* या तो उन अधिकारियों को सस्पैंड करें या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को सस्पैंड करने की कार्यवाही की जानी चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री चन्द्रशेखर कुछ कहना चाहते हैं। आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर (बलिया, उ.प्र.) : अध्यक्ष महोदय, मुझे आपसे एक निवेदन करना है कि यहां रोज–रोज चर्चा होती है–कभी एक पक्ष के माननीय सदस्य बोलते हैं और कभी दूसरे पक्ष के माननीय सदस्य बोलते हैं कि राज्यों के बारे में चर्चा नहीं होनी चाहिए। रोज एक तरफ से या दूसरी तरफ से ये बातें उठाई जाती हैं और हम उन्हें नियंत्रित नहीं कर पाते।

संविधान को खतरा केवल कुछ अधिकारियों के कर्त्तव्य से नहीं होता, हम लोगों के कर्त्तव्य से भी संविधान को खतरा पहुंचता है। आपकी आज्ञा को न मानना और सदन में बोलते रहना, यह संविधान के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक बात है। आचार–संहिता के बनने के बावजूद भी, जिसे सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने, विरोध पक्ष के नेताओं ने, अध्यक्षों ने, सबने स्वीकार किया, उसका नित्य यहां उल्लंघन होता है और एक–दूसरे की आलोचना करने के लिए हम समय ढूंढ़ते हैं।

मैं नहीं बोलता, लेकिन हमारे दोनों मित्र जो अगली कतार में बैठे हैं, कह रहे हैं, उमा जी ने कहा, जिनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूं कि इस मामले पर बोलिए। मैंने कल ही उनसे कहा था कि जब गुजरात में मैं नहीं बोला तो मध्य प्रदेश पर मुझे बोलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि इन सवालों पर बोलने से आपस में मतभेद बढ़ने के अलावा कुछ नहीं होगा।

चुनाव आयोग के द्वारा कोई गड़बड़ी हुई है या मुख्य मंत्री के द्वारा गड़बड़ी हुई है तो यह फोरम उसके लिए नहीं है। उसके लिए आयोग गृह मंत्री को लिख सकता है, लॉ मिनिस्टर को लिख सकता है और उस अधिकार का प्रयोग कर सकता है। यहां पर कोई प्रस्ताव पास करके न आप मुख्य मंत्री को हटा सकते हैं, न यह सदन की अधिकार सीमा के अन्दर है।...*(व्यवधान)*

श्री कांतिलाल भूरिया (झाबुआ) : गुजरात के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाए।... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अभी चन्द्रशेखर जी ने कहा कि अध्यक्ष के खड़े होने के बाद सदस्य को बैठना चाहिए, कम से कम इतना तो आप करें।

[अनुवाद]

मैं माननीय श्री चन्द्रशेखर जी द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से पूर्णतया सहमत हूं। मैं चाहता हूं कि प्रत्येक सदस्य अनुशासन का पालन करें। मैं हमेशा से यही मानता हूं कि आपको देश के लाखों व्यक्तियों ने निर्वाचित किया है। जब हम यहां आए हैं हम निश्चित रूप से सभा की कार्यवाही अत्यंत उपयुक्त और व्यवस्थित तरीके से चलाएं। अतः मैं आप सबों से अनुरोध करूंगा कि अन्य लोगों को भी बोलने की अनुमति दें। श्री चन्द्रशेखर जी की सूचना के लिए, कल, राज्यों से संबंधित मामलों पर चर्चा करायी जाए अथवा नहीं, मुद्दे पर विचार किया गया। यह निर्णय लिया गया कि राज्यों से संबंधित मुद्दे पर सभा में चर्चा कराए जाने की अनुमति नहीं दी जाए।

अतः मैं आप सबों से अनुरोध करूंगा कि हम आपस में मिलकर कोई निर्णय लें। अब तक राज्यों से संबंधित मामलों पर चर्चा कराने की अनुमति दी जाती रही है। परन्तु राज्यों के मामलों पर चर्चा नहीं की जानी चाहिए। कई राष्ट्रीय समस्याएं हैं जिस पर हम जन हित में चर्चा कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि सभी इस मुद्दे पर सहयोग करेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री कृष्णदास, अब आप अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती : यह स्टेट मैटर नहीं है, यह स्टेट मैटर के बाहर की बात है।...*(व्यवधान)*

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (बालाघाट) : निर्वाचन आयोग की बात को मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने नहीं माना।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको अनुमति पहले ही दे दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति अभी भी कायम है।

श्री एन. एन. कृष्णदास : महोदय, मैं इस सभा का सर्वाधिक आज्ञाकारी सदस्य हूं...*(व्यवधान)* मैं राष्ट्रीय महत्व का एक मुद्दा उठा रहा हूं।...*(व्यवधान)* यह कोई सामान्य मामला नहीं है। ...*(व्यवधान)* इस महीने की 19 तारीख को केरल के वनाड जिले में पुलिस द्वारा आदिवासियों पर गोली चलाई गई...*(व्यवधान)*

प्रो. ए. के. प्रेमाजम (बडागरा) : आदिवासियों से संबंधित मामला एक राष्ट्रीय मुद्दा है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपके चिल्लाते रहने से मैं उनकी बात नहीं सुन पाऊंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पहले मुझे यह जानने दें कि वे क्या कहना चाहते हैं। मुझे उन्हें यह बताने दीजिए कि वे क्या कहना चाहते हैं। आप क्या कह रहे हैं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप उनके आरोपों का खंडन कर सकते हैं लेकिन यह कोई तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप मुझे उनकी बात नहीं सुनने देंगे?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्हें बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप विषय पर आइए।

श्री एन. एन. कृष्णदास : महोदय, 131 आदिवासी लापता हैं।...*(व्यवधान)* पुलिस उन्हें प्रताड़ित कर रही है।

अध्यक्ष महोदय : श्री कृष्णदास जो कहेंगे सिर्फ वही कार्यवाही–वृत्तान्त में सम्मिलित किया जाएगा। दूसरे जितना चाहें शोर मचा सकते हैं।

*(व्यवधान)**

*कार्यवाही–वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : श्री कृष्णदास, आप अपना विषय पूरा कीजिए।

श्री एन. एन. कृष्णदास : महोदय, 131 आदिवासी लापता हैं। यहां तक कि छोटे–छोटे बच्चे भी जेल में हैं। कोई नहीं जानता कि वे कहां हैं।...*(व्यवधान)*

महोदय, यह राज्य का विषय नहीं है। यह देश से संबंधित विषय है।...*(व्यवधान)* इस देश के इतिहास में पहली बार ऐसी घटना हुई है।...*(व्यवधान)* महोदय, आदिवासियों के खिलाफ इस तरह का अत्याचार देश में कभी नहीं हुआ है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं उन सदस्यों को अनुमति दूंगा जिन्होंने अपनी सूचनाएं दी हैं।

(व्यवधान)

श्री एन. एन. कृष्णदास : महोदय, माननीय गृह मंत्री ने इस सभा को आश्वासन दिया था कि वह ब्यौरा एकत्र करेंगे और सभा को सूचित करेंगे। इसलिए, मैं मांग करता हूं कि केन्द्र सरकार को इन चीजों के बारे में जांच करनी चाहिए और इस सभा को जानकारी देनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि सदस्य 'शून्य काल' चलने देना चाहते हैं। 'शून्य काल' का समय समाप्त हो चुका है। अब सभा अपराह्न 2.30 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.26 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.30 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.30 बजे पुनः समवेत हुई।

(श्री पी. एच. पांडियन *पीठासीन हुए)*

[अनुवाद]

नियम 377 के अधीन मामले

सभापति महोदय : अब हम नियम 377 के अधीन मामलों को लेंगे। श्री रामपाल सिंह।

[हिन्दी] उत्तर प्रदेश चीनी मिल

(एक) उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थ नगर जिले में प्रस्तावित चीनी मिल शीघ्र खोले जाने की आवश्यकता (नियम 377)

361

श्री रामपाल सिंह (डुमरियागंज) : सभापति महोदय, हमारा संसदीय जनपद सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जनपद है जिसकी सीमाएं नेपाल राज्य से लगी हुई हैं। यह जनपद बस्ती जिले से कट कर नया सृजित हुआ है। यह बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। इस जिले में कोई उद्योग–धंधे नहीं हैं जिससे यह उद्योगशून्य जिला है और यहां से रोजी–रोटी के लिए बाहर के शहरों में कलकत्ता, मुंबई एवं पंजाब में अधिकतर लोग जाया करते हैं। पूर्व में एक चीनी मिल वर्ष 1991–92 में इस जिले में प्रस्तावित थी परन्तु वह किन्हीं कारणों से अब तक नहीं लग पाई है। यह बाढ़ प्रभावित जिला है, हर साल बाढ़ के प्रकोप में रहता है और जो किसान गन्ना पैदा करते हैं, उनको अपना गन्ना बगल की चीनी मिलों जैसे बस्ती, वाल्टरगंज, बभनान, तुलसीपुर, बलरामपुर ले जाकर सप्लाई करनी पड़ती है जिसके कारण किसानों को बड़ी असुविधा होती है। इस साल चीनी मिलें देर से चली हैं इसलिए किसानों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कम से कम एक चीनी मिल अवश्य लगाई जाए जिससे काश्तकारों को अपना गन्ना बेचने में सहायता मिले।

अतः मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि इस क्षेत्र में एक चीनी मिल, जिसका लाइसेंस पहले से स्वीकृत था, उसे लगवाने का कष्ट करें जिससे जनता को अपना गन्ना बेचने में सहूलियत हो तथा उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सके।

(दो) महाराष्ट्र में चिमूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में दहेगांव में कायनामाईट खान में उत्खनन कार्य पुनः शुरू किए जाने की आवश्यकता (नियम 377)

कायनामाईट खान

361.62

श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे (चिमूर) : सभापति महोदय, मेरे चिमूर निर्वाचन क्षेत्र में दहेगांव (तालाखांदूर) में 25 वर्ष पूर्व कायनामाईट खान शुरू हुई थी। वहां जिऑलॉजीकल सर्वे ऑफ इंडिया का स्टॉफ कार्यरत था। जिससे परिसर के लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ था, लेकिन अभी 10–12 साल से यह खान बंद अवस्था में पड़ी है। लोग बेरोजगार हुए हैं और दर–दर की ठोकरें खा रहे हैं। इस संबंध में मजदूर वर्ग ने आंदोलन भी किया था, मगर अभी तक यह खान शुरू नहीं की गई। इसलिए केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि दहेगांव जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, में स्थित कायनामाईट खान में उत्खनन का कार्य शीघ्र शुरू किया जाए।

खाद्य सामग्री

(तीन) शाकाहारी तथा मांसाहारी खाद्य सामग्री में भेद करने के लिए खाद्य सामग्री पैकेटों पर पहचान चिह्न बनाए जाने की आवश्यकता (नियम 377)

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर) : सभापति महोदय, भारत सरकार की केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जन भावनाओं को दृष्टि में रखकर खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1955 में विगत दिनों कुछ महत्वपूर्ण संशोधन करके उन्हें राजपत्र में प्रकाशित किया था। केन्द्र सरकार के द्वारा शाकाहारी एवं मांसाहारी वस्तुओं की पहचान की दृष्टि से शाकाहारी खाद्य सामग्री एवं दवाओं पर ग्रीन कलर का चिह्न तथा मांसाहारी वस्तुओं पर ब्राउन कलर का प्रतीक चिह्न बनाने के निर्देश दिए गए हैं किन्तु व्यावहारिक दृष्टि से यह पहचान करना काफी कठिन हो रहा है। अनेक दवाओं एवं खाद्य सामग्री पर 100 प्रतिशत शाकाहारी तो लिखा है किन्तु प्रतीक चिह्न हरे रंग के स्थान पर लाल रंग से बनाया गया है जिससे भ्रम की स्थिति पैदा होती है कि यह शाकाहारी है अथवा मांसाहारी। इसी तरह कुछ वस्तुओं के विज्ञापन के प्रतीक चिह्न का आकार भी बदल दिया जाता है तथा कुछ विज्ञापनों में प्रतीक चिह्न विज्ञापन पेज के कोने में एक तरफ इतना छोटा चिह्न बनाया जाता है कि समझ में नहीं आता। इसी तरह ब्लैक एंड व्हाइट समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं के जो विज्ञापन छपते हैं उनमें यह प्रतीक चिह्न केवल एक ही स्याही काले रंग से छपने के कारण हरे एवं ब्राउन कलर की पहचान भी नहीं हो पाती है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि सभी खाद्य सामग्री वस्तुओं एवं दवाओं के पैकेटों के ऊपर तथा विज्ञापनों में प्रतीक चिह्नों का निश्चित आकार तथा हरे कलर के प्रतीक चिह्न के नीचे शाकाहारी तथा ब्राउन कलर के प्रतीक चिह्न के नीचे मांसाहारी शब्द लिखवाने के निर्देश दिए जाएं।

[अनुवाद] उड़ीसा + विश्वविद्यालय + आदिवासी

(चार) उड़ीसा में नवरंगपुर जिले में खातीगुडा में आदिवासी विश्वविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता (नियम 3:

श्री परसुराम माझी (नवरंगपुर) : देश में एक आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना करने में अत्यधिक विलम्ब हुआ है। 362
उड़ीसा राज्य में नौ अनुसूचित जिले हैं। इसके अलावा, राज्य 63

[श्री परसुराम माझी]

में अनेक ब्लॉक हैं जो अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं। अविभाजित कोरापुर जिले में आदिवासियों की संख्या अत्यधिक है। नवसृजित नवरंगपुर जिला कोरापुर जिले का भाग था और यह भी केबीके जिलों में एक है जहां 55 प्रतिशत लोग आदिवासी हैं। उस जिले में पुरुषों और महिलाओं के बीच साक्षरता की दर क्रमशः 18 और 3 प्रतिशत है।

चूंकि नवरंगपुर जिले के खातीगुडा (इंद्रावती) में विश्वविद्यालय खोले जाने के लिए सभी बुनियादी सुविधाएं पर्याप्त रूप से उपलब्ध हैं, यह आवश्यक है कि उस स्थान पर प्रस्तावित आदिवासी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए।

उसके मद्देनजर, मैं मांग करता हूं कि खातीगुडा में आदिवासी विश्वविद्यालय खोले जाने के प्रस्ताव पर विचार किया जाए। केरल + कॉफी उत्पादक + कॉफी बोर्ड

(पांच) केरल के वायनाड जिले में कॉफी उत्पादकों द्वारा कॉफी बोर्ड से लिए गए ऋण को माफ किए जाने की आवश्यकता (नियम 377)

363

श्री के. मुरलीधरन (कालीकट) : मैं केरल के काइनाड जिले में कॉफी उत्पादकों द्वारा 1983–84 में सूखे के दौरान कॉफी बोर्ड से लिए गए ऋण के फलस्वरूप उनकी बिगड़ती दयनीय स्थिति से संबंधित मुद्दा उठाना चाहता हूं। मूल राशि 3,89,81,686.85 रु. है। यह 5.2.2003 की स्थिति के अनुसार बढ़कर 19,19,71,556.41 रु. हो गयी है जो कि ऋण की मूल राशि का लगभग पांच गुना है। यह 20 वर्षों के ऋण जाल के बाद स्थिति है। वास्तविकता है कि कॉफी बोर्ड द्वारा केंद्र सरकार से लिए गए ऋण को केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी वार्षिक बजट में समायोजित किया जाता है। कॉफी बोर्ड, जिसने 'कॉफी–पूलिंग' का पालन नहीं किया, अब विदेशी बाजार को आकर्षित करने के लिए कॉफी मेला (एक बंगलोर में और दूसरा शिलांग में), कॉफी फिल्म इत्यादि पर अधिशेष निधियों को खर्च कर रही है। इनमें से कई प्रयास सिर्फ धन की बर्बादी ही सिद्ध हुए हैं। चूंकि केन्द्र सरकार के पहले ही जारी वार्षिक बजट के माध्यम से ऋण मिल चुका है, इसलिए गरीब कृषकों से इसे लेना अन्यायपूर्ण है। बोर्ड को धन क्यों एकत्र करना चाहिए? इसलिए मैं केन्द्र सरकार से कॉफी उत्पादकों द्वारा लिए गए समस्त ऋण को अथवा ऋण पर पूर्ण ब्याज को माफ करने की दिशा में उचित कदम उठाने तथा कॉफी उत्पादकों को संरक्षण दिए जाने की मांग करता हूं।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश + राष्ट्रीय राजमार्ग

(छह) रीवा क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 की मरम्मत के प्रस्ताव को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता (नियम 377)

364

श्री सुन्दर लाल तिवारी (रीवा) : उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की सीमा से लगे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के रीवा संभाग में पड़ने वाले हिस्से की स्थिति अत्यंत दयनीय है। इस पर आवागमन अवरुद्ध होने की पूरी संभावना है। इसके कि. मी. 141/6 से 223 तक की स्थिति सुधारने के लिए 6 प्राक्कलन भूतल परिवहन मंत्रालय को भेजे जा चुके हैं। किंतु अभी तक स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है।

मेरा भूतल परिवहन मंत्री जी से अनुरोध है कि उक्त लम्बित प्रस्तावों को अविलम्ब स्वीकृति प्रदान करें ताकि यातायात सुचारु और सुरक्षित हो सके।

[अनुवाद] पश्चिम बंगाल + प्राचीन धरोहर

(सात) पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में प्राचीन धरोहर 'कर्ण सुवर्ण' का अनुरक्षण किए जाने की आवश्यकता (नियम 377)

364-65

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल) : महोदय, प्राचीन गौड साम्राज्य के अत्यधिक शक्तिशाली राजा 'शशांक' ने अपने विस्तृत साम्राज्य की राजधानी 'कर्ण सुवर्ण' में बनाई थी जो वर्तमान 'भागीरथी' नदी के तट पर है और यह मुर्शिदाबाद जिले, पश्चिम बंगाल में है।

चीनी विद्वान् ह्वेनसांग, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने सातवीं शताब्दी ई. पू. में इस राजधानी का दौरा किया था द्वारा वर्णित ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार अत्यन्त ही समृद्ध संस्कृति और विपुल सम्पदा देखकर वह विस्मित रह गया था। प्राचीन नगर का बड़ा भाग नदी के गर्त में चला गया है, और अवशेष, इसके साथ ही विशाल टीला, जो लोगों को विशेषकर इतिहासकारों को लम्बे समय से उलझन में डाले था विनाश के कगार पर था। अंततः, वर्ष 1962 में प्रख्यात पुरातत्वविद् प्रो. डा. सुधीर रंजन दास के नेतृत्व में सभी संभव साधनों से 'कर्ण सुवर्ण' का वास्तविक स्थान खोजने की दृष्टि से एक व्यापक खनन कार्य शुरू किया गया था। इस खनन कार्य में पत्थरों पर खुदे शिलालेखों के साथ–साथ अनेक ऐतिहासिक–अवशेष तथा वस्तुएं भी प्राप्त हुईं जो हमारी प्राचीन सभ्यता के संबंध में ऐतिहासिक शोध करने में सहायता कर सकता है।

किंतु यह आश्चर्यजनक है कि इस अत्यधिक महत्वपूर्ण भूक्षेत्र का पर्याप्त रूप से संरक्षण नहीं किया गया। काफी पहले, स्थल के चारों ओर चारदीवारी के निर्माण के लिए अत्यल्प धनराशि खर्च की गई थी और चारदीवारी भी जल्दी ही नष्ट हो गयी।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह अपने देश की इस विरासत और कर्ण सुवर्ण की देखभाल करने के लिए इसका उचित रख–रखाव और संरक्षण करे।

(आठ) लार्ड कृष्णा बैंक के कार्यकरण की भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जांच कराए जाने की आवश्यकता (नियम 377)

365-

श्री टी. गोविन्दन (कासरगौड़) : महोदय, मैं लार्ड कृष्णा बैंक के वित्तीय संकट की ओर माननीय वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

निरीक्षण रिपोर्ट से यह पता चलता है कि इस बैंक में ऋणों की स्वीकृति में अनियमितताएं हुई हैं तथा सामान्य बैंकिंग प्रक्रियाओं का भी उल्लंघन हुआ है। इस बात का भी पता चलता है कि इस बैंक की मेट्रो शाखाओं द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों की अनुशंसा पर भारी ऋण स्वीकृत किए हैं जिससे करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है।

इन परिस्थितियों में भारतीय रिजर्व बैंक का प्रभावी हस्तक्षेप और प्रतिबंधन ही इस बैंक को संभावित बर्बादी से बचा सकता है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे उचित कार्यवाही करें और निम्न के लिए आवश्यक आदेश जारी करें :

(एक) फरवरी, 2002 के भारतीय रिजर्व बैंक आदेश संख्या सी.ओ.डी.बी.एस.बी.एम.डी. तीन/747/15.01.068/2001–02 को पुनः लागू करना;

(दो) भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों द्वारा ऋण और मानव संसाधन विकास क्षेत्रों में विस्तृत निरीक्षण करवाना;

(तीन) भारतीय रिजर्व बैंक को जवाबदेह पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त करना;

(चार) अवांछित शाखा नियुक्तियों को पूर्णतः बंद करना; और

(पांच) बैंक में कम से कम आगामी तीन वर्षों के लिए बैंकिंग कार्यकलापों की गहन निगरानी और जांच करना।

(नौ) आंध्र प्रदेश में हैदराबाद में प्रस्तावित भू-अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी संस्थान (जियोस्पेशियल टेक्नालाजी इंस्टीट्यूट) की स्थापना को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता (नियम 377) 366

डा. मन्दा जगन्नाथ (नगर कुरनूल) : महोदय, सशस्त्र सेनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से रक्षा मंत्रालय, एक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने पर विचार कर रहा है। हैदराबाद में पहले से ही नेशनल रिमोट सेसिंग एजेंसी, सर्वे ऑफ इंडिया, कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट तथा एमसीईएमई जैसी संस्थाएं विद्यमान हैं। एक अन्य फायदा यह है कि हैदराबाद देश के मध्य में स्थित है और हाल ही के वर्षों में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इस शहर में तीव्र विकास हुआ है।

मैं, आपके माध्यम से माननीय केन्द्रीय रक्षा मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे हैदराबाद में प्रस्तावित भू–अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान करें।

[हिन्दी]

(दस) महाराष्ट्र में नान्देड़ में तख्त सचखंड श्री हजूर साहेब गुरुद्वारा की 300वीं जयन्ती मनाए जाने के अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किए जाने की आवश्यकता (नियम 377) 366-

श्री शिवाजी माने (हिंगोली) : सभापति जी, मेरे संसदीय क्षेत्र हिंगोली के नांदेड़ में तख्त सचखंड श्री हजूर साहेब गुरुद्वारा की 300वीं वर्षगांठ का कार्यक्रम इसी वर्ष में आयोजित होने वाला है, जिसमें विश्व के सिक्ख प्रतिनिधि और तीर्थयात्री इस आयोजन में भाग लेने हेतु आने वाले हैं। यह पर्व केवल भारत का ही नहीं अपितु पूरे विश्व का है। दक्षिण में यह सिक्खों का प्रसिद्ध गुरुद्वारा और तीर्थ स्थल है जिसको सरकार द्वारा आदर दिया जाना चाहिए। इस संबंध में सिक्ख संप्रदाय ने मांग की है कि इस शुभ अवसर पर गुरुद्वारा के चित्र का एक डाक टिकट जारी किया जाना चाहिए। मेरी जानकारी में आया है, कई धार्मिक संस्थाओं एवं तीर्थस्थलों पर भी डाक टिकट जारी किए गए हैं।

मेरा सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि तख्त सचखंड श्री हजूर साहेब गुरुद्वारा की 300वीं वर्षगांठ के अवसर पर सिक्खों के प्रति आदर रखते हुए एक डाक टिकट जारी किया जाए।

(ग्यारह) भरवारी रेलवे स्टेशन पर महानन्दा एक्सप्रेस का ठहराव उपलब्ध करए जाने तथा उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद और कानपुर के बीच शटल रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता (नियम 377)

367

श्री सुरेश पासी (चायल) : महोदय, वर्तमान में मेरे संसदीय क्षेत्र से होकर चलने वाली रेलगाड़ी महानन्दा एक्सप्रेस का ठहराव भरवारी रेलवे स्टेशन पर नहीं है, जबकि यह महत्वपूर्ण स्टेशन है। यहां पर पोस्ट आफिस, पुलिस स्टेशन, बैंक, विद्यालय आदि के साथ-साथ काफी संख्या में सरकारी कार्यालय हैं। यहां से बड़ी संख्या में यात्रियों का इलाहाबाद एवं कानपुर आना-जाना लगा रहता है।

महानन्दा एक्सप्रेस को भरवारी रेलवे स्टेशन पर रोकने के लिए जनता लम्बे समय से मांग करती आ रही है। कौशाम्बी 1997 में नया जिला बना है। उस समय इन स्टेशनों पर डाउन एवं अप दोनों गाड़ियां रुकती थीं, परन्तु पिछले काफी समय से यह गाड़ी यहां नहीं रुकती है, जिस कारण आम जनता, कर्मचारी वर्ग एवं व्यापारियों को बहुत परेशानी हो रही है।

एक शटल ट्रेन इलाहाबाद से कानपुर के बीच चालू की जाए। इलाहाबाद एवं कानपुर उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण महानगरों में से एक हैं तथा भरवारी की काफी आबादी दोनों महानगरों में अप-डाउन करती रहती है। आम जनता के अलावा व्यापारी वर्ग एवं राजनीतिज्ञों का भी इस रूट पर काफी आना-जाना लगा रहता है। भरवारी से दोनों महानगरों में काफी संख्या में कर्मचारी कार्य करते हैं, जिन्हें प्रतिदिन इलाहाबाद तथा कानपुर अप-डाउन करना पड़ता है।

अतः मेरा रेल मंत्री जी से आग्रह है कि आम जनता, व्यापारी, कर्मचारी एवं राजनीतिज्ञों की सुविधा हेतु महानन्दा एक्सप्रेस का भरवारी रेलवे स्टेशन पर ठहराव सुनिश्चित किया जाए तथा इलाहाबाद से कानपुर के बीच एक शटल ट्रेन अप एवं डाउन चलायी जाए।

[अनुवाद] तमिलनाडु + केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय

(बारह) आवडि एचवीएफ एस्टेट में सीजीएचएस औषधालय खोले जाने की आवश्यकता

367-68

श्री ए. कृष्णास्वामी (श्रीपेरुम्बुदुर) : महोदय, मैं केन्द्र सरकार का ध्यान सेवा-निवृत्त केन्द्र सरकार के कर्मचारियों और कार्य कर रहे केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की ओर इसलिए दिलाना चाहूंगा क्योंकि वे आवाडि एस्टेट में और आवडि एचवीएफ (भारी वाहन फैक्ट्री) में एक नया सीजीएचएस औषधालय नहीं खुलवा सके हैं।

आवाडि एचवीएफ में 10 भिन्न-भिन्न रक्षा संगठन हैं। इन 10 रक्षा संगठनों में काम करने वाले लोग अपने उपचार के लिए प्रस्तावित सीजीएचएस औषधालय आवडि एचवीएफ पर निर्भर हैं।

पेंशनभोगियों को सीजीएचएस उपचार के लिए 15-20 किलोमीटर की दूरी तय करके अन्नानगर जाना पड़ता है। आप पेंशनभोगियों और उनके परिवारों की घोर व्यथा के बारे में समझ सकते हैं, जिनको वृद्ध और बीमार होने के बावजूद अपनी बीमारी के उपचार के लिए इतनी दूरी तय करनी पड़ती है। यहां यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि बीमार पेंशनभोगियों को पूरे इलाज के लिए और दवाइयां लेने के लिए, जिनकी आपूर्ति भी पूरी नहीं होती है, अनेक बार यह दूरी तय करनी पड़ती है।

मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस अनुरोध को मानें और आवडि के एचवीएफ परिसर में सीजीएचएस औषधालय स्थापित करने/खोलने के लिए तत्काल एक सकारात्मक कार्यवाही करें।

[हिन्दी] मध्य प्रदेश + राष्ट्रीय राजमार्ग

(तेरह) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 के नसीराबाद और महू के बीच के भाग का निर्माण शीघ्र कराए जाने की आवश्यकता (नियम 377)

368-69

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : महोदय, दिल्ली-मुम्बई के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग जो जयपुर-अजमेर-चित्तौड़-नीमच-मंदसौर व महू होकर मुम्बई जाता है, इस राष्ट्रीय राजमार्ग के मध्य का कुछ भाग नसीराबाद से महू राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में स्वीकृत नहीं था, जिसे गत तीन वर्ष पूर्व स्वीकृत किया जाकर उसे राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 79 के रूप में विहित किया गया तथा इसको भारत सरकार के गजट में विधिवत अधिसूचित भी किया गया है। इस मार्ग पर भारी यातायात व मुम्बई-दिल्ली के मध्य छोटा मार्ग होने से राष्ट्रीय राजमार्ग के मानदंड लागू किए जाकर विस्तृत व ठीक बनाया जाना आवश्यक था, जिसके निर्माण की स्वीकृति केन्द्र सरकार द्वारा दी गई व आगे कार्य किया जाना था, किन्तु मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बीच में दो भागों की दुरुस्ती हेतु, प्राप्त जानकारी अनुसार पांच वर्षीय एवं सात वर्षीय ठेके दिए गए हैं। इस मार्ग को ठीक से राष्ट्रीय

स्तर का बनाने से उक्त मध्यवर्ती क्षेत्र के विकास से भी संबंध रखता है जिसमें गतिरोध पैदा हुआ है।

अतः मेरा सड़क परिवहन मंत्री जी से निवेदन है कि उक्त संबंध में योग्य व वैध तात्कालिक कार्यवाही करें तथा केन्द्र सरकार स्वयं इस मार्ग को शीघ्र बनवाना प्रारम्भ करे।

उत्तर प्रदेश + श्रमिक

(चौदह) उत्तर प्रदेश में कानपुर में लेबर कालोनियों में रह रहे श्रमिकों को स्वामित्व अधिकार दिए जाने की आवश्यकता (नियम 377)

369-70

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर) : सभापति महोदय, कानपुर की लेबर कालोनियों की दुर्दशा के सम्बन्ध में मैंने सदन का ध्यान कई बार आकर्षित किया था परन्तु अभी तक इस संबंध में कोई फैसला नहीं लिया गया है। उन कालोनियों का रख–रखाव न तो नगर निगम करता है और न ही श्रम विभाग करता है जिसके कारण दिन–प्रतिदिन स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। इसका एक ही हल निकल सकता है कि कॉलोनियों को उनमें रहने वाले निवासियों को उचित दर पर बेच दिया जाए।

अपराह्न 2.50 बजे

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया सरकार को इस संबंध में निर्देशित करें कि दिल्ली व उड़ीसा की तर्ज पर कानपुर की लेबर कॉलोनियों को उनमें रहने वाले निवासियों को तुरन्त बेचने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

तमिलनाडु + कॉयर

(पंद्रह) तमिलनाडु में कृष्णागिरि संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कॉयर पिथ केक इकाइयों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता (नियम 377)

श्री वी. वेत्रिसेलवन (कृष्णागिरि) : अध्यक्ष महोदय, मेरे कृष्णागिरि निर्वाचन क्षेत्र में नारियल का उत्पादन मुख्य कृषि गतिविधि है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 150 कॉयर फाइबर उद्योग हैं। गद्दे बनाने और अन्य प्रयोजन से नारियल के ऊपर से नारियल जटा हटाने के बाद कॉयर जटा की धूल निकलती है जिसे कॉयर पिथ कहा जाता है। इस कॉयर पिथ का उपयोग घरों के अंदर रखे विभिन्न पौधों के लिए पानी की आवश्यकता को पूरा करने और मृदा की उत्पादकता बढ़ाने के लिए उर्वरकों में मिलाने के प्रयोजन से किया जाता है। चूंकि कॉयर पिथ केक को अनेक तरह से उपयोग किया जाता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी मांग बढ़ गई है।

विदेशों में कॉयर पिथ केक की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अनेक लोग कॉयर पिथ केक के एकक लगाने की इच्छा रखते हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कोई कॉयर पिथ केक एकक नहीं है। ऐसे एककों की स्थापना करने के लिए लोगों को अनेक प्रकार की राज–सहायता, वित्तीय सहायता और मूल अवसंरचना के रूप में सरकार से सहायता की आवश्यकता होती है।

महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र का संपूर्ण क्षेत्र तमिलनाडु राज्य में सबसे अधिक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और लगभग 20,000 युवा शिक्षित बेरोजगार इस क्षेत्र में रहते हैं। इस क्षेत्र में कॉयर पिथ केक एकक स्थापित करके इस पिछड़े क्षेत्र के उन बेरोजगार युवाओं के लिए अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न किए जा सकते हैं। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि कॉयर पिथ केक के व्यापक उपयोग और विश्व बाजार में इसकी मांग को देखते हुए निःशुल्क विद्युत प्रदान करने के साथ–साथ कॉयर पिथ के एककों की स्थापना के लिए राजसहायता और वित्तीय सहायता प्रदान की जाए।

अपराह्न 2.51 बजे

[अनुवाद] बजट (सामान्य)

सामान्य बजट, 2003-2004–सामान्य चर्चा

लेखानुदानों की मांगें (सामान्य), 2003-2004 370-441

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 2002-2003

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य), 2000-2001 – स्वीकृत

अध्यक्ष महोदय : श्री अधीर चौधरी को अपना भाषण सभा पटल पर रखने की अनुमति दी जाती है।

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल) : हमारे सर्वाधिक माननीय वित्त मंत्री बहुमुखी प्रतिभा वाले और अत्यधिक धैर्यवान व्यक्ति हैं। मैं समय की कमी के कारण अपना विचार नहीं प्रकट कर सकता। तथापि, अपने पत्र में मैंने पश्चिम बंगाल

[श्री अधीर चौधरी]

और भारत के अन्य भागों की समस्याओं का विस्तृत ब्यौरा दिया है। मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह कुछ पंक्तियां बोलें जिससे कि मेरे राज्य के लोगों को उनके विचारों के बारे में स्पष्ट रूप से पता चलेगा।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, श्री विनय कुमार सोराके, श्री आर. एल. जालप्पा, श्री बीर सिंह महतो और श्री पी. डी. एलानगोवन को अपना भाषण सभा पटल पर रखने की अनुमति दी जाती है।

तत्पश्चात् माननीय वित्त मंत्री सामान्य बजट पर चर्चा का उत्तर देंगे।

***श्री अधीर चौधरी :** सभापति महोदय, हमारे माननीय वित्त मंत्री ने हमारी अर्थव्यवस्था के किसी बड़े अनर्थ को टालने के लिए समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र के घुमावदार पथ पर विचरण करते हुए अपने सभी प्रकार के कौशल का प्रयोग करते हुए अपना पहला बजट प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। तथापि, वह इसमें पूरी तरह से विफल रहे। वह कुछ औद्योगिक घरानों को छोड़कर किसी को खुश नहीं कर सके और इस वर्ष के बजट से सर्वाधिक नुकसान हमारे कृषक समुदाय को हुआ जिन पर कठोर बजट प्रस्तावों से निर्दयतापूर्वक आघात किया गया है।

महोदय, हमारे सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का 26.85 प्रतिशत योगदान है। तथापि, इस पर कुल सरकारी निवेश का मात्र 1.35 प्रतिशत व्यय होता है उसी खाद्यान्न के उत्पादन में भी 29 मिलियन टन की कमी आई है। कुल मिलाकर कृषि विकास में 3.1 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। कृषि में पूंजी निर्माण में भी गिरावट आ रही है। इस सरकार के लचर कार्य निष्पादन से, मैं डॉ. स्वामीनाथन के कथन की कुछ पंक्तियां फिर से उद्धृत करता हूं। डॉ. स्वामीनाथन कहते हैं, "अब हमें कम जल और कम जमीन का उपयोग करके अधिक उत्पादन के लिए सदाबहार क्रांति की जरूरत है। यदि हम छोटे किसानों के लिए कुछ करते हैं तो सम्पूर्ण कृषक समुदाय को इससे फायदा होगा।" हमारे देश में प्रति वर्ष ग्यारह मिलियन जीविकोपार्जन का नया साधन सृजित करना होगा। और यह मुख्यतः कृषि और ग्रामीण उद्योगों से आएगा। हमारे देश में मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट आ रही है। उर्वर भूमि का लवणीकरण हो रहा है और अब भूमि के पोषक तत्वों का भी क्षय हो रहा हो, हमारे सकल फसल क्षेत्र का सत्तर प्रतिशत, भारत में यह देखा गया है, में प्रति हेक्टेयर 50 कि.ग्रा. की सीमा तक पोषण तत्वों का क्षय हो रहा है। लगभग 50 प्रतिशत पोषक तत्वों का क्षय पोटाश के कारण है जबकि पोटाश का उपयोग 6 प्रतिशत से अधिक नहीं हो इसलिए पोषक तत्वों के क्षय और पोषक तत्वों के प्रयोग में काफी अंतर है।

इसलिए, मेरा सुझाव यह है कि बड़े पैमाने पर समेकित पौध पोषण कार्यक्रम जरूर शुरू किया जाए ताकि हमारी भूमि को बचाया जा सके और निरंतर विकास बनाए रखा जा सके।

महोदय, विशाल विदेशी मुद्रा संग्रह के शोर, सरकार की सहुलता के गुणगान और अंत में वित्त मंत्री के दिमाग की उपज के रूप में बजट प्रस्ताव में पांच प्राथमिकताओं से अन्य अधिक संवेदनशील सामाजिक मुद्दे दबे रह गए।

महोदय, आप इस बात को जरूर समझते हैं कि देश में सामान्य रूप से और पश्चिम बंगाल में विशेष रूप से क्षरण अत्यधिक खतरनाक समस्या बन गया है। महोदय, मेरे जिले मुर्शिदाबाद में क्षरण शब्द बच्चे को लोगों की रीढ़ तक धकेलता है। यह पिछले दो दशकों से नियति के घटने के समान है। 600 वर्ग कि.मी. से अधिक भूमि क्षरण के चपेट में आ गयी है। दस लाख लोग बेघर हो गए हैं। 4000 करोड़ रु. की संपत्ति गंगा और पद्मा नदियों के चपेट में आ गई है।

महोदय, हमारे जिला मुर्शिदाबाद और मालदा की भौगोलिक अभिव्यक्ति में आमूल–चूल परिवर्तन आ गया है–अब मुर्शिदाबाद का अस्तित्व खतरे में है। कोलकाता और पूर्वोत्तर क्षेत्र के बीच संपर्क राष्ट्रीय राजमार्ग 34 और रेलवे लाइन के माध्यम से है। अब राष्ट्रीय राजमार्ग 34 और रेलवे लाइन दोनों इस नदी के क्षरण के दायरे में हैं। संकोपाडा में, रेल लाइन जो बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र को जोड़ती है अब क्षरण क्षेत्र से कुछ ही किलोमीटर दूर है। इसी तरह की स्थिति राष्ट्रीय राजमार्ग 34 की है। महोदय, अब गंगा नदी और भागीरथी नदी के बीच दूरी खतरनाक ढंग से घट रही है। अब दो नदियों के बीच मात्र 1.2 कि.मी. की दूरी रह गई है।

महोदय, आप सरलता से कल्पना कर सकते हैं कि यदि दो नदियां मिल जाती हैं तब यह कम से कम मुर्शिदाबाद जिले के लिए अंतर्ज्ञान होगा। विभिन्न कस्बे, नामतः दूलियो, अक्करगंज इत्यादि मुर्शिदाबाद के मानचित्र से लुप्त हो गए हैं। भारतीय सीमा में क्षरित भूमि बांग्लादेश क्षेत्र में प्रकट हो रहा है क्योंकि यह नदी बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले मुर्शिदाबाद होकर बहती है। स्वाभाविक है, इसे न सिर्फ राष्ट्रीय अपितु अंतरराष्ट्रीय

*लिखित भाषण का यह अंश सभा पटल पर रखा गया।

महत्व का भी माना जाता है। वर्ष 1978 में, केस्कर के नेतृत्व में एक समिति गठित की गई थी, दूसरी समिति योजना आयोग के तरह से गठित की गई थी। पुनः विभिन्न सिफारिशें की गई थीं किन्तु क्षरण में कोई कमी नहीं आई। जनता बार–बार समितियों के गठन से निराश है और कुछ भी ठोस नहीं हो रहा है।

महोदय, केस्कर समिति, जहां तक मैं जानता हूं, ने अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपाय बताए थे जिस पर 927 करोड़ रु. की लागत आती। महोदय, जैसा कि केस्कर समिति द्वारा प्रस्तावित था, इसमें से कितनी राशि अब तक जारी की गई है क्योंकि पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार हमेशा केन्द्र सरकार पर आरोप लगाकर अपनी अकुशलता और खराब कार्यनिष्पादन छिपाती है। उनका सिर्फ यही बहाना है कि केन्द्र सरकार पश्चिम बंगाल के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। इस तरह एक–दूसरे पर आरोप–प्रत्यारोप और अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर छोड़ने जैसे कार्यों से जनता क्षुब्ध है। इसलिए, मैं इस सरकार और आपके माध्यम से मंत्री जी से वक्तव्य जारी करने का आग्रह करता हूं ताकि हमें सरकार की असली मंशा का पता चला सके।

महोदय, एक और बात, जैसा कि आप जानते हैं कि फरक्का बैराज, केन्द्र सरकार की एक परियोजना, का निर्माण 1975 में नदी प्रणाली में सुधार करके कलकत्ता पत्तन के संरक्षण और रखरखाव की दृष्टि से किया गया था। भागीरथी–हुगली नदी में नौवहन सुगम बनाने, मीठा पानी सुनिश्चित करने और भागीरथी में लवण हटाने के लिए इसी बैराज पर एक रेल संपर्क और राष्ट्रीय राजमार्ग 34 का निर्माण किया गया था। भागीरथी–हुगली नदी, गंगा नदी हल्दिया से इलाहाबाद के बीच अन्तर्देशीय जलमार्ग बनाया गया। किंतु अब स्थिति अत्यन्त ही खराब है। फरक्का में जल स्तर की गहराई घट कर 13 फुट रह गई है जबकि बैराज के चालू करने के समय यह गहराई 75 फुट थी। भारी मात्रा में गाद जमा होने, जो कि भारत में हिमालय से निकली नदियों की मूल समस्या है, के कारण गंगा नदी प्रतिवर्ष 80 करोड़ टन गाद अपने साथ लाती है, जिसके परिणामस्वरूप फरक्का बैराज परियोजना में 55 लॉक गेट प्रचालन में नहीं हैं। इसके अलावा, इसी गाद के कारण विशाल गंगा नदी अत्यन्त छोटी रह गई है। इसकी गति और संरचना में अंतर आ गया है, यह नदी अपनी सुषुप्त सहनदियों–कान्द्री, पार्ला, छूटा भागीरथी और महानदी से मिलने के लिए मालदा जिले के पूर्व की ओर खिसक रही है।

महोदय, वह सहायक नदियां पूर्व और दक्षिण पूर्व ढाल की दिशा में बहती हैं। इसलिए यदि नदी की वर्तमान रुख बनी रहती है तो पूरी संभावना है कि गंगा नदी सहायक नदियों के माध्यम से बहेगी और फरक्का बैराज परियोजना को घेरती हुई बांग्लादेश में पद्मा नदी में मिल जाएगी जिसके परिणामस्वरूप फरक्का बैराज परियोजना अनुपयोगी रह जाएगी। पश्चिम बंगाल में एक ओर क्षरण तथा दूसरी ओर बाढ़ से उत्पन्न अत्यन्त ही गंभीर और खतरनाक स्थिति को देखते हुए, सरकार को पश्चिम बंगाल के लोगों को बचाने के लिए राष्ट्रीय योजना के साथ आगे आना चाहिए।

महोदय, आप यह भी स्वीकार करेंगे कि आर्सेनिक भारत के लोगों के लिए खतरा बन गया है। अधिकांश पूर्वोत्तर राज्य असम, नागालैण्ड, मिजोरम, त्रिपुरा, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल की सीमा से लगे हुए हैं, को भूजल में आर्सेनिक का प्रदूषण झेलना पड़ रहा है। यहां तक कि बिहार और उत्तर प्रदेश भी अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण आर्सेनिक के दुष्प्रभाव से नहीं बचे हैं। महोदय, आपको यह नोट करके आश्चर्य होगा कि पश्चिम बंगाल के आठ जिलों में, जहां 4 करोड़ की जनसंख्या बसती है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा यथा विहित .05 एमजी प्रति लीटर की अनुमत्य सीमा से कहीं अधिक आर्सेनिक संदूषण से प्रभावित है।

महोदय, आर्सेनिक जो अत्यन्त ही रहस्यमय जहर माना जाता है। यह स्वादहीन है, गंधहीन है और गुप्त रूप से मारक प्रभाव करता है। इसलिए, इसके विस्तार को देखते हुए यह राष्ट्रीय महत्व का हो गया है। कई मिलियन लोगों को आर्सेनिक जहर से खतरा है और यह महामारी का रूप ले रहा है। महोदय, भारत में, ग्रामीण बंगाल में अधिकांश सिंचाई भूमिगत जल से होती है। इसलिए, यही संदूषित जल पौधों और सब्जियों में डाला जाता है। तथापि, सरकार भारत में इस अत्यंत ही गंभीर समस्या पर पूरी तरह से चुप है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कली, के प्रो. स्मिथ के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन में अपने समाचार में उन्होंने चेतावनी दी कि पर्यावरणीय विनाश अभूतपूर्व है। जो पहले कभी देखा नहीं गया था। यह 1984 के भोपाल दुर्घटना और 1986 में चेर्नोबिल त्रासदी से कहीं अधिक भयावह है। उनके शोध से पता चलता है कि प्रति बिलियन 500 पीपीबी कणों से अधिक स्तर पर आर्सेनिक से दीर्घकाल तक प्रभावित होने के परिणामस्वरूप दस में से एक कैन्सर से मरेगा! महोदय, मैं अपने जिले मुर्शिदाबाद की भयावह कहानी का विवरण दे सकता हूं। 26 ब्लॉकों में से

[श्री अधीर चौधरी]

22 ब्लॉक आर्सेनिक से प्रभावित हैं। दमकुल पीएस, गांव राजापुर, एक ही परिवार के चौदह लोग मारे गए। अब सिर्फ परिवार में मां अपने दो बच्चों के साथ मरने की प्रतीक्षा कर रही है क्योंकि वह भी आर्सेनिक से प्रभावित हैं।

महोदय, समस्या यह है कि आर्सेनिक से उत्पन्न व्याधि की कोई शाश्वत परिभाषा नहीं है, आर्सेनिक से उत्पन्न आंतरिक कैन्सर की पहचान करने के लिए कोई शाश्वत तरीका नहीं है। यह अनेक रूपों में प्रकट हुआ है जैसे केराटोसिस, मेलानोसिस, हाइपो पिगमेन्टेशन, हाइपर पिगमेन्टेशन, ब्लिस्टर्स इत्यादि। फ्लोराइड, आर्सेनिक, ब्रैकसिहनेस, लौह की मात्रा और बैक्टीरिया संदूषण जो अपर्याप्त पारिस्थितिकी स्वच्छता है। अपर्याप्तता के कारण और बढ़ जाते हैं के कारण देश में स्वास्थ्य को गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा है। केन्द्र सरकार को तत्काल आर्सेनिक से प्रभावित क्षेत्र का पता करने के लिए व्यापक अध्ययन करना चाहिए और जल्दी ही संभव उपचारात्मक उपाय करना चाहिए ताकि अधिक देर न हो जाए। तत्काल आर्सेनिक मानचित्र तैयार करना चाहिए, आर्सेनिक संदूषण की निगरानी के लिए पीजोमीटर प्रत्येक ब्लॉक में स्थापित करना चाहिए। इस संबंध में, मैं एक प्रस्ताव सुझाता हूं कि आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्र में प्रत्येक गांव में अनन्य रूप से पेयजल के लिए तालाब खोदने हेतु केन्द्रीय निधि उपलब्ध कराई जानी चाहिए क्योंकि यह अनुभव किया गया है कि केवल भूजल ही आर्सेनिक के प्रसार को कम कर सकते हैं अथवा रोक सकते हैं क्योंकि भूमिगत जल में आर्सेनिक की मात्रा मुख्यतः भू–रासायनिक मृदा अपक्षालन के कारण होती है। इस तथ्य के बावजूद कि 70 से 80 प्रतिशत भूमिगत जल सिंचाई में प्रयुक्त होता है, सिर्फ 50 प्रतिशत लोगों, विशेषकर ग्रामीण आबादी, को ही शुद्ध पेयजल उपलब्ध है जिससे हमारे राष्ट्रीय सम्पदा के असमान वितरण के तर्क की पुष्टि होती है। जल जीवन का मूल है। भारत को हिमपात सहित 4000 बीसीएम जल प्राप्त होता है जिसमें से हम इस समय अपने उपयोग के लिए 1122 बीसीएम का दोहन कर सकते हैं किन्तु इस समय हम वास्तव में 605 बीसीएम का ही प्रयोग कर रहे हैं। शेष 517 बीसीएम अप्रयुक्त रह जाता है। 1947 में, प्रति व्यक्ति शुद्ध जल की उपलब्धता 6000 सीएम थी। पचास वर्ष बाद 1997 में, इसमें तीव्र गिरावट हुई और यह 2300 सीएम है। बाह्यगणन द्वारा यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2017 तक जल की उपलब्धता और घट कर 1600 सीएम रह जाएगी। 1700 सीएम से कम जल की उपलब्धता जल तनाव और 1000 सीएम से कम जल की उपलब्धता को जलाभाव के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इस खतरनाक स्थिति को देखते हुए क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या जल तनाव और जलाभाव श्रेणी सुनिश्चित करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है? यदि हां, तो इन श्रेणियों में रह रहे लोगों का प्रतिशत कितना है? तथापि, यह सच है कि हम अपने जल सम्पदा का, और विशेषकर सिंचाई में अत्यधिक प्रयोग कर रहे हैं, एक कि.ग्रा. चावल पैदा करने के लिए हमें 5000 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। तथापि कुल 42.6 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि में से 40 प्रतिशत सिंचित और 60 प्रतिशत वर्षा सिंचित है, हरित क्रांति सिंचित क्षेत्र तक सीमित है, और विशाल भूभाग, विशेषकर पूर्वी भारत में संभावनाओं का दोहन किया जाना बाकी है। जहां सिंचित क्षेत्र में पानी की सर्वाधिक खपत होती है, यह नोट करना आवश्यक है कि सिंचाई में प्रयुक्त कुल जल के 37 प्रतिशत का ही लाभप्रद प्रयोग होता है तथा शेष 67 प्रतिशत बेकार हो जाता है। इसी प्रकार, उद्योग में 20 प्रतिशत, घरेलू सेवाओं में 25 प्रतिशत और निर्माण क्षेत्र में 25 प्रतिशत तक पानी बेकार होता है। यह अनुमान है कि केवल 10 प्रतिशत जल के प्रभावी उपयोग से ही 14 मिलियन हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि की सिंचाई क्षमता बढ़ाई जा सँकती है। अतः हमें 'जल उत्पादकता' का नारा बुलंद करना चाहिए। लगभग 90 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या भूजल पर निर्भर है। भारत में जल का प्रभावी उपयोग स्तर अत्यधिक कम है और भारत में वाटर यूजर्स एसोसिएशन को अंतरित सिंचित क्षेत्र मात्र 7 प्रतिशत है जबकि यह इंडोनेशिया में 445 प्रतिशत, फिलिपीन्स में 66 प्रतिशत और थाईलैंड में 22 प्रतिशत है। जल निकासी की दर इसकी भरपाई दर की तुलना में अत्यधिक उच्च है जिसके परिणामस्वरूप गत 14 वर्षों में 70 प्रतिशत क्षेत्र में इसका अत्यधिक दोहन किया गया है। यह कहना शर्मनाक होगा कि हमारी नई जलनीति में अत्यधिक समस्या पर केवल अनमने रूप से ध्यान दिया गया है और इसमें अन्य बातों के अलावा समस्या को सुलझाने अथवा कम करने हेतु कोई व्यापक योजना समस्या के समाधान के लिए तैयार नहीं की गई है।

महोदय, 'अथर्ववेद' में कहा गया है, "तुम्हारा क्या है मैं बुआई करता हूं और कामना करता हूं कि यह शीघ्र परिपक्व हो जाए। मैं तुम्हारे मूल तत्व अथवा समूल का नाश नहीं करूंगा।" महोदय, संयुक्त राष्ट्र के प्रतिवेदन के अनुसार जल उपलब्धता के मामले में 180 देशों में भारत को 133वां स्थान है। भारत के पड़ोसी बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान का स्थान भी क्रमशः 40वां, 64वां, 78वां और 80वां होकर इससे

बेहतर रहा। गुणवत्ता की दृष्टि से 122 राष्ट्रों में भारत को 1.3 प्रतिशत मूल्य दिया गया है।

महोदय, प्रतिवेदन में चेतावनी दी गई है कि नेतृत्व स्तर पर जड़ता होने के कारण ऐसी स्थिति आयी है। जब हम अपनी विद्यमान क्षमताओं का दोहन नहीं कर सकते हैं और अचानक हम एक महत्वाकांक्षी योजना ला रहे हैं जिसे जीवन काल का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम अंतरधारा अंतरण कार्यक्रम कहा गया है। योजना आयोग ने भी कहा है कि हम अपनी 50 प्रतिशत क्षमता का दोहन करने में असफल रहे हैं।

महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि नदियों को जोड़ने की इस परियोजना के लिए कितनी धनराशि का प्रावधान है क्योंकि जैसा कि आपने अपने बजट भाषण में कहा है कि इस कृतिक बल को सहायता देने हेतु पर्याप्त परिव्यय दिया जा रहा है। क्या इस परियोजना की अभिकल्पना योजना आयोग अथवा जल संसाधन आयोग द्वारा की गई थी। हमें याद रखना चाहिए कि भारत प्रचुर जैव विविधता वाली परिसंपत्तियों से परिपूर्ण है। हमारे पास 20 कृषि पारिस्थितिकीय जोन, 45000 पौधों की किस्में और 77000 जीव प्रजातियां प्रमाणित हैं। भारत विश्व के 12 जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है। कई वर्ष पूर्व गरला नहर का प्रस्ताव एक अभियंता श्री दस्तूर द्वारा किया गया था जिसे काल्पनिक घोषित करके ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। बाद में 70 के दशक में श्री के. एल. राव ने भी गंगा–कावेरी संपर्क योजना का प्रस्ताव किया था। इसे भू–प्रौद्योगिकी अनुपलब्धता के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था। इसका क्या औचित्य है जिस आधार पर आपने न समझ में आने वाली इस वृहद् परियोजना को शुरू किया है जिस पर 5 लाख 60 हजार करोड़ रुपये का व्यय आएगा जबकि आपके बजट वक्तव्य में यह कहा गया है कि हम गलत ऋण जाल में फंस रहे हैं। नदियों को आपस में जोड़ने में 30 नहरों के द्वारा 10 हजार किलोमीटर का निर्माण करके भारत की प्रमुख नदियों को जोड़कर वृहद् जल ग्रिड में मिलाने का कार्य करना होगा। क्या सरकार को नेपाल अथवा भूटान अथवा बांग्लादेश से कोई मंजूरी प्राप्त हुई है क्योंकि इसमें तीन पड़ोसी देश भी शामिल हैं क्योंकि यह प्रस्तावित है कि इस परियोजना हेतु नेपाल में 4 बड़ी नहर और भूटान में दो नहर का निर्माण करना होगा। क्या मानस, संतोख, तीस्ता और गंगा नहर पर कोई स्थलचित्र बनाया गया है?

महोदय, प्रत्येक नदी के जल की गुणवत्ता एक–दूसरे से भिन्न है। इस विशिष्ट गुण के आधार पर ही इसमें विभिन्न जलचर, कीड़े–मकोड़े और पक्षियां पलती हैं। अत्यधिक सिंचाई के कारण 3 हजार वर्ष पूर्व मेसोपोटामिया जो उस समय सभ्यता में अग्रणी था मरुभूमि में बदल गया। सभ्यता का उद्गम और विकास हमेशा ही नदी के किनारे होता है लेकिन प्रकृति के संतुलन में कोई अनावश्यक हस्तक्षेप इस पर विपरीत प्रभाव ही डालते हैं। यह मानवता का अनुभव है। अतः हमें इस प्रकार का कार्य शुरू करने से पहले सतर्क रहना चाहिए। भारत की सभी नदियों की इस समय आकलित औसत क्षमता 1953 बीसीएम है। इसमें से उपयोग योग्य मात्रा केवल 690 बीसीएम मानी गई है। राष्ट्रीय समेकित जल संसाधन विकास आयोग ने वर्ष 2050 तक भारत में जल की मांग 973 से 1100 बीसीएम होने का अनुमान लगाया है। इसमें सभी उद्देश्यों के लिए मांग शामिल है तथा जनसंख्या में वृद्धि और जीवन यापन स्तर में उन्नयन का विषय भी शामिल है। आयोग के प्रतिवेदन में दर्शाया गया है कि इस मांग को उपलब्ध सेवाओं और भू–जल संसाधनों पर विकास और प्रबंधन संबंधी उचित उपायों से पूरी तरह पूरा किया जा सकता है। इसमें वृहद स्तर पर अंतर जल–धारा की अभिकल्पना शामिल नहीं है।

महोदय, प्रख्यात जलविज्ञानी डा. भरतसिंह ने कहा है कि ऐसे मानने योग्य कोई तर्क अथवा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हित नहीं हैं जिससे इस व्यापक कार्य को पूर्णतया औचित्यपूर्ण ठहराया जा सके। प्रख्यात मौसम विज्ञानी डा. बी. आर. पिशोरती ने कहा है, "यदि क्षेत्र में प्रतिवर्ष वर्षा कम से कम 50 सेंटीमीटर होती है तो जल की सभी आवश्यकताओं को वर्षा जल संचय तकनीक से पूरा किया जा सकता है।" क्या आप इस सभा को आश्वस्त कर सकते हैं कि इस परियोजना के माध्यम से भारत में सूखे से अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र जैसे राजस्थान, कच्छ, सौराष्ट्र, रायलसीमा, तेलंगाना, कालाहांडी, नवपुरा लाभान्वित होंगे? क्या उच्चतम न्यायालय ने अंतर–जलधारा परियोजना को पूरा करने हेतु कोई समय सीमा निर्धारित की है अथवा इसे आप उच्चतम न्यायालय की दलील सुनने के पश्चात् स्वयं ही शुरू करने जा रहे हैं। मनुष्य जीवन का ताना–बाना नहीं बुनते हैं। तथापि यह भी इसका एक भाग है। ताना–बाना की जो भी स्थिति होती है यह इसकी भी होती है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 1000 किलोमीटर के निर्माण में 30 वर्ष लगे, फिर आप इस व्यापक कार्य को 10 वर्ष के अंदर पूरा करने में क्या जादुई करामात करने वाले हैं। इससे मैं वास्तव में आश्चर्यचकित हूं।

[श्री अधीर चौधरी]

अंत में, मैं श्री सी. राममोहन रेड्डी की कतिपय पंक्तियां उद्धृत करता हूं : "बैराज के निर्माण नहर की हजारों किलोमीटर खुदाई से कई गांव समाप्त हो जाएंगे, शहर जलप्लावित हो जाएंगे और कई लाख कृषि भूमि प्रभावित होगी। इससे लाखों लोग बेघर हो जाएंगे और इसकी संख्या बैराज को बनाने से और बढेगी। महोदय, मैं उन अन्य भयानक पहलुओं का उल्लेख नहीं करना चाहता हूं जिसका इस बजट में आश्वासन दिया गया है बल्कि मैं अपने आपको जल संसाधन तक ही सीमित रखता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

*श्री विनय कुमार सोराके (उदुपी) : महोदय, सामान्य बजट 2003 जिस पर चर्चा चल रही है, मैं सरकारी कर्मचारियों और वेतनभोगी मध्यम वर्ग जो आबादी का लगभग 10 प्रतिशत है को छोड़कर आम लोगों के लिए स्वागत योग्य कुछ भी नहीं है। इसमें व्यवसाय निगमित क्षेत्र को भी रियायतों के साथ प्रसन्न करने का प्रयास किया गया है।

कामगारों और किसानों को अपने हाल पर छोड़ दिया गया है। महत्वपूर्ण सामाजिक सेवा क्षेत्रों और कृषि हेतु पर्याप्त आवंटन नहीं किया गया है। बुनियादी ढांचागत क्षेत्र हेतु मंत्री महोदय ने एक वृहद् कल्पना की है जिसमें सरकारी/गैर–सरकारी सहयोग से 60 हजार करोड़ रुपये का निवेश किया जाना है। लेकिन बजट में सरकारी क्षेत्र से केवल 200 करोड़ रुपये का निवेश है। शेष धनराशि कहां से आएगी? विद्युत क्षेत्र के साथ भी यही हुआ है। सिंचाई सहित अधिकांश क्षेत्रों में आवंटन गत वर्ष की तरह है और इसमें कोई वृद्धि नहीं हुई है।

1 अप्रैल, 2003 से कराधान की मूल्य वर्द्धित प्रणाली को शुरू करना अत्यधिक असंभव है क्योंकि अधिकांश राज्य वैट प्रणाली अपनाने को राजी नहीं हैं। इस संबंध में आवश्यक संविधान संशोधन को अभी पुरःस्थापित किया जाना है। कर संबंधी घोषित सरलीकरण प्रक्रिया केवल कागजों तक ही सीमित है। कर देने और इससे संबंधित सूचना प्राप्त करना कटु अनुभव हो रहा है और आम व्यक्ति को भी पैन संख्या प्राप्त करने हेतु किसी अधिवक्ता अथवा परामर्शदाता की सलाह लेनी पड़ रही है। कृषि ऋण प्रणाली को अभी तक संशोधित नहीं किया गया है क्योंकि प्राथमिकता वाले क्षेत्र में दिया गया ऋण मात्र 18 प्रतिशत है। यहां तक कि इस लक्ष्य तक की प्राप्ति नहीं हुई है।

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखा गया।

इतना अधिक खाद्यान्न और विदेशी मुद्रा जमा रहने के बावजूद हमें चल रही सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करना चाहिए था। बजट लोगों के लिए एक झलक लेकर प्रसन्न होने के लिए है यदि आप इसको देखेंगे तो आपको वही सारी पुरानी रटी–रटाई बात दिखाई देगी। गंभीर ढांचागत समस्याओं का सामना करने हेतु कोई गंभीर प्रभाव नहीं किए गए हैं।

*श्री आर. एल. जालप्पा (चिकबलपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अवनतिशील बजट जो किसान और श्रमिक विरोधी है के विरोध में बोलने हेतु खड़ा हुआ हूं।

महोदय, हजारों वर्षों से हमारा देश कृषि–प्रधान देश रहा है, हम कृषि पर विगत हजारों वर्षों से निर्भर रहते आए हैं लेकिन किसानों की आर्थिक दशा में कोई स्थिरता नहीं आयी है।

वे अवसाद में जी रहे हैं और देश में प्रतिदिन उनके द्वारा आत्महत्या किए जाने के समाचार सामने आ रहे हैं। विश्व व्यापार संगठन के जोखिम भरे परिणाम अब किसानों के सामने आ रहे हैं। बजट में यह कहा गया है कि यह कृषि का विविधीकरण है लेकिन मुझे नहीं मालूम है कि यह किस प्रकार का विविधीकरण है। सरकार को रियायती दर जैसे 4 अथवा 5 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण देना चाहिए। प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ अथवा सूखे के वर्षों में 25 एकड़ भूमि से कम भूमि वाले किसानों के मूल अथवा ब्याज दोनों को माफ किए जाने का प्रावधान किया जाना चाहिए और 25 एकड़ भूमि से अधिक भूमि वाले किसानों के मामले में इसे पांच वर्ष की किस्तों में वसूला जाना चाहिए और दोनों मामले में नया ऋण दिया जाना चाहिए।

सिंचाई परियोजनाओं पर करोड़ों रुपये व्यय किए जाते हैं। कोई सिंचाई परियेजना समय पर पूरी नही होती है और ऐसे उदाहरण हैं जब परियोजना पर लागत से 10 गुना अधिक व्यय हुआ है और लाभभोगियों से ऐसी परियोजनाओं के मामले में प्रत्येक फसल मौसम में इनके रखरखाव हेतु जल के लिए मामूली दर से शुल्क वसूला जाता है।

लगभग सभी राज्यों में किसान सिंचाई हेतु नलकूप पर निर्भर हैं। जल स्तर के नीचे जाने के कारण किसानों को

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखा गया।

2 से 3 एकड़ की सिंचाई करने में 700 से 800 फीट की गराहई तक नलकूप लगवाना होता है। ऐसे किसानों को 1 से 1.2 लाख रुपये व्यय करना होता है। वोल्टेज कम होने के कारण कई पंप या तो कार्य नहीं करते हैं अथवा जल जाते हैं। इसके अलावा इन्हें भारी दरों पर विद्युत शुल्क का भुगतान करना पड़ता है।

यह किसानों के साथ घोर अन्याय है। प्रमुख सिंचाई परियोजना के अंतर्गत किसानों को कम भुगतान करके जल मिल रहा है, लेकिन ऐसे किसान जो लाखों रुपये का निवेश कर रहे हैं उन्हें विद्युत शुल्क, पंप की मरम्मत, इत्यादि के मामले में भुगतान करना पड़ रहा है। ऐसे सभी किसान जो नलकूप पर निर्भर हैं, इन्हें कम से कम न्यूनतम दर पर विद्युत दिया जाना चाहिए।

कुछ किसानों को ड्रिप सिंचाई और छिड़काव कार्य के लिए कतिपय राजसहायता ही जाती है। लेकिन अधिकांश फर्म घटिया सामग्री की आपूर्ति कर रही हैं जिससे लाभभोगियों को इन सामग्रियों के एक–दो साल में खराब हो जाने की स्थिति में लाभ नहीं मिलेगा। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली सामग्री को देश–भर में आपूर्ति किए जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि शक्तिशाली देश रूस का विखंडन इसीलिए हुआ क्योंकि यह अपने लोगों को खाद्यान्नों की आपूर्ति नहीं कर सका।

हमें अपने किसानों का निश्चित रूप से कृतज्ञ होना चाहिए जो देश के लिए खाद्यान्न उपलब्ध करा रहे हैं। वे हरित और श्वेत दोनों क्रांतियों हेतु जिम्मेवार हैं। देश सुरक्षित स्थिति में है और यदि किसानों की अनदेखी की गई और कृषि प्रभावित हुई, हमारी स्थिति रूस की तरह हो सकती है।

हमारी खेती के केन्द्र पशुधन की पूरी तरह रक्षा की जानी चाहिए। किसानों को प्रत्येक एकड़ में सघन खेती और बढ़ी हुई उत्पादकता प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहन देने के प्रयास किए जाने चाहिए।

प्राकृतिक और हरित खाद को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। देश संतुष्ट कृषक समुदाय के साथ ही खुशहाल रह सकता है।

वित्त मंत्री जी ने सोने पर शुल्क में उदारतापूर्वक कटौती की है। लेकिन उन्होंने बदले में उर्वरकों के मूल्य में वृद्धि कर दी है। कई किसान अपने डीजल पंप सेटों का उपयोग विद्युत पंप सेटों के विकल्प के रूप में कर रहे हैं जिसमें डीजल की खपत होती है और सरकार को इस उपयोग हेतु इसकी दर में कम से कम 5 रुपये प्रति लीटर की कटौती करनी चाहिए।

महोदय, मैं बजट के विस्तार में नहीं जाना चाहता और इस कृषक, श्रमिक विरोधी बजट का विरोध करता हूं।

*श्री बीर सिंह महतो (पुरुलिया) : महोदय, मैं अपना भाषण सभा पटल पर रखता हूं। यह बजट गरीबी, बेरोजगारी, उद्योग में मंदी और कृषि कार्य में प्रतिकूल स्थिति की समस्याओं पर ध्यान देने में विफल रहा है।

अन्य शब्दों में, इससे समाज के धनी वर्ग, निगमित निकाय क्षेत्र और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लाभ हुआ है। यह बजट समाज के समृद्ध वर्ग का समर्थक और गरीब, कृषक, उद्योग और लघु उद्योग विरोधी है।

हमारी जनसंख्या का 80 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। ग्रामीण विकास के मामले में इसे 15176 करोड़ रुपये से व्यापक कटौती करके 10270 करोड़ रुपये कर दिया गया है। प्राथमिक शिक्षा आवंटन में भी व्यापक कटौती की गई है।

वास्तव में, सरकार ने किसानों के विरुद्ध मुहिम छोड़ रखी है। उन्हें लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है। कृषि वृद्धि दर ऋणात्मक रूप में 3.1 प्रतिशत है। खाद्यान्नों के उत्पादन में लगभग 13.6 प्रतिशत की गिरावट आयी है। ऋण सेवा 70 प्रतिशत है। यह चिंताजनक है और रोजगार के नए अवसर की आवश्यकता है। इस सरकार के विगत 4 वर्षों में 30 लाख युवक–युवतियां बेराजगारों की श्रेणी में शामिल हो गए हैं। मुझे यह खेदपूर्वक कहना पड़ रहा है कि प्रधान मंत्री जी के एक करोड़ रोजगार सृजित करने के अपने वायदे की तुलना में कोई नया रोजगार सृजित नहीं हुआ है, रोजगार के अवसरों में कमी आयी है।

सरकार ने प्राथमिक शिक्षा और लोक स्वास्थ्य देखभाल जैसे सामाजिक क्षेत्रों की अनदेखी कर दी है। कोई सामाजिक कल्याण कार्य नहीं हो रहा है। बीआरएस, सीआरएस हो चुकी है। उद्योग बंद हो रहे हैं।

सुधार के नाम पर सरकार अंधाधुंध बिक्री कर रही है।

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री बीर सिंह महतो]

लाभ अर्जित करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को भी बेचा जा रहा है।

पश्चिम बंगाल राज्य के तीन जिलों में भीषण सूखे की स्थिति है। कई राज्यों को सहायता मिलती है। पश्चिम बंगाल को सहायता स्वरूप कुछ भी नहीं दिया गया है।

लघु बचत, भविष्यनिधि पर ब्याज दरों में कटौती किए जाने से आम व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ेगा। अतः मैं बजट का विरोध करता हूं।

*श्री पी. डी. एलानगोवन (धर्मपुरी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं माननीय वित्त मंत्री माननीय जसवंत सिंह जी को श्री अटल बिहारी वाजपेयी के कुशल नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन सरकार को प्रगतिशील और दूरदर्शी बजट प्रस्तुत किए जाने पर बधाई देता हूं। बजट (सामान्य) 2003–2004, जिसमें पांच प्राथमिकताएं (पंच प्राथमिकता) हैं से निश्चित रूप से हमारा देश विकास के तीव्र पथ पर अग्रसर होगा और यह 100 करोड़ भारतीयों की इच्छाओं और अपेक्षाओं को पूरा करेगा।

बजट 2003–2004 में आम व्यक्तियों द्वारा इच्छित अधिकांश बातों का समावेश है ताकि सामाजिक आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। एनडीए सरकार की शक्तियों में से एक शक्ति यह है कि इस सरकार के पास निरंतर वृद्धि, गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के लोगों के जीवन यापन स्तर का उन्नयन प्राप्त करने हेतु वास्तविक दूरदृष्टि है।

हमारे देश की विदेशी मुद्रा भंडार गत वर्ष सर्वाधित रही है और इसमें अभी भी यह दौर जारी है जिससे हमारा देश विद्यमान विश्वव्यापी आर्थिक स्थितियों में सुदृढ़ रह सके।

कृषि और सहयोग के क्षेत्र में सरकार ने कई नई नीतियों और योजनाओं की घोषणा की है ताकि सभी प्रकार की वृद्धि प्राप्त हो सके। यह एक अत्यंत प्रशंसनीय कार्य है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। कृषि क्षेत्र हेतु किया गया वित्तीय आवंटन इस क्षेत्र में कार्य की व्यापकता और परिमाण के मद्देनजर शायद पर्याप्त नहीं हो। मैं आशा करता हूं कि देश में सूखे से प्रभावित सभी जिलों के लिए और अधिक वित्तीय आवंटन किया जाना चाहिए ताकि किसान विशेषरूप से तमिलनाडु राज्य में जल की कमी और मानसून वर्षा की विफलता के कारण प्रभावित किसानों को राहत मिल सके।

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखा गया।

मैं सरकार द्वारा जल की कमी वाले क्षेत्रों और विद्यालयों में 2 लाख हैंडपंप उपलब्ध कराने, और देश में नदियों को आपस में जोड़ने हेतु 1 लाख पारंपरिक जल–संसाधनों को पुनः शुरू करने के संबंध में उठाए कदमों पर अपना संतोष प्रकट करता हूं। लेकिन मैं यह भी आशा करता हूं कि इस कार्य को युद्ध–स्तर पर चलाया और पूरा किया जाएगा। जहां तक तमिलनाडु में पानी की कमी की समस्या है, मैं आशा करता हूं कि सरकार नदियों और झीलों से गाद निकालने और उन्हें गहरा करने के लिए और तमिलनाडु में नदियों और झीलों के किनारों को ऊंचा करने के लिए भी पर्याप्त धनराशि प्रदान करेगी। मैं यह भी आशा करता हूं कि सरकार काफी समय से लम्बित पड़ी समेकित होगनक्कल पेयजल परियोजना को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भरपूर मदद देगी।

सरकार के पास अपने गोदामों में पर्याप्त खाद्य भंडार है और फिर भी गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लाखों लोगों को अन्न नहीं मिल रहा है जो अन्यायोचित भी है और अनुचित भी। मैं आशा करता हूं कि फालतू खाद्य भंडार को देश के कई भागों में अन्न के लिए तड़प रहे उन लोगों के बीच तर्कसंगत और प्रभावशाली तरीके से वितरित किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए 507 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन अत्यंत प्रशंसनीय है। वर्ष 2003–04 के बजट में सड़कों, रेलवे स्टेशनों, विमानपत्तनों, बन्दरगाहों जैसी मुख्य और आवश्यक अवसंरचनाओं के वित्तपोषण हेतु नवीन तंत्र के माध्यम से नया रूप प्रदान करने का प्रावधान किया गया जिसकी विगत में कल्पना भी नहीं की गई थी। 48 नयी सड़क परियोजनाओं के लिए 40 हजार करोड़ रुपये और राष्ट्रीय रेल विकास योजना परियोजनाओं के लिए 8000 करोड़ रुपये का आवंटन अत्यन्त प्रशंसनीय है। इसके साथ–साथ मैं यह भी आशा करता हूं कि सरकार सभी गांवों को सड़कों से जोड़ने के लिए अधिक धनराशि भी प्रदान करेगी। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना को कार्यान्वित करने के लिए डीजल पर 50 प्रतिशत उपकर लगाना प्रोत्साहनवर्धक और प्रभावी कदम है।

सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति के लिए संयंत्र और मशीनरी और भवनों, जहां ऐसे संयंत्रों से उचित जलापूर्ति परियोजनाओं और जल उपचार प्रणाली को प्रोत्साहन मिलेगा, को शत–प्रतिशत की दर पर अवमूल्यन प्रदान करने के लिए आदेश जारी किए गए हैं। मूल स्थान से उपचार संयंत्र तक जल लाने और उपचारित जल से भंडारण तक ले जाने के लिए प्रयोग किए

जाने वाले पंपों पर उत्पाद शुल्क से छूट देना भी अत्यन्त प्रशंसनीय है। मैं आशा करता हूं कि यह सुरक्षित पेयजल आपूर्ति में क्रान्ति लाएगा।

कृषि से जुड़े लाभ कमाने वाले बागवानी उद्योग का उचित संदर्शी मूल्यांकन किया जाए। उच्च तकनीक बागवानी और यथार्थवादी फार्मिंग के लिए 50 करोड़ रुपये की आरम्भिक राशि वाली केन्द्रीय क्षेत्र की नयी योजना को शुरू करना भी स्वागत योग्य है। वित्तपोषण की इस पद्धति को भविष्य में बढ़ावा दिया जाए ताकि हमारे किसान भविष्य में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सके। चाय, कॉफी, प्राकृतिक रबड़ उत्पादकों के लाभार्थ 500 करोड़ रुपये के मूल्य स्थिरीकरण कोष की घोषणा भी निस्सन्देह समय की मांग है। मैं आशा करता हूं कि समय–समय पर इस कोष के आवंटन को बढ़ाया जाएगा ताकि उत्पादन क्षेत्र की समस्याओं को हल किया जा सके। भारत का पशुधन विश्व में सबसे अधिक है। इस क्षेत्र में अपेक्षित विकास के लिए अधिक सुविधाएं और ऋण प्रदान किए जाएं जिसमें हमारे देश के 20 मिलियन से अधिक लोगों का प्रत्यक्ष रूप से पालन–पोषण होता है। सरकार को राष्ट्रीयकृत बैंकों, ग्रामीण और सहकारी बैंकों को निदेश देना चाहिए ताकि हमारे देश के पशु पालकों के लिए आसान शर्तों पर ऋण सुविधाएं प्रदान की जा सकें। इस क्षेत्र में नाबार्ड की भूमिका का विस्तार किया जाए।

देश में नदियों को जोड़े जाने के कार्य को तेज करने के लिए प्रधान मंत्री द्वारा गठित कार्य दल की सहायता करने के लिए पर्याप्त परिव्यय का प्रावधान स्वागत योग्य कदम है। मैं आशा करता हूं कि प्रस्तावित कार्य के लिए अधिक धन आवंटित किया जाए।

पोलिस्टर फिलामेंट धागे पर उत्पाद शुल्क में कटौती देश में कपड़ा उद्योग के विकास के लिए स्वागत सूचक है। इसी प्रकार पोशाक बनाने वाली असंसाधित ऊन पर लगे शुल्क को 15 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करना भी स्वागत योग्य कदम है। विद्युतकरघा के आधुनिकीकरण के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना अधिक उत्पादकता प्राप्त करने और नई विद्युतकरघा कार्यशाला योजनाओं की प्रविष्टि हमारे देश में कपड़ा उद्योग को प्रोत्साहन देने और इसके पुनर्वास के लिए अत्यंत प्रोत्साहन सूचक है।

औषधीय, जैव प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी पर आयकर छूट से इस क्षेत्र को लाभ कमाने में प्रोत्साहन मिलेगा। कुछ औषधियों और दवाओं पर वर्तमान सीमा शुल्क 25 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किए जाने से आम लोगों को दवाओं और औषधियों की बेहतर पूर्ति की जा सकेगी। दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कैपिटल उत्पादों के सीमा शुल्क को 25 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत करना अत्यंत स्वागत योग्य कदम है। हमारे देश में पर्यटन उद्योग को विकसित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम भी अत्यंत आशाजनक और प्रोत्साहनसूचक हैं। माननीय वित्त मंत्री को पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा दैने के लिए ऐसे नवीन कर लाभ प्रदान करने के लिए बधाई।

माननीय वित्त मंत्री ने सचमुच अच्छा कदम उठाया है चूंकि उन्होंने एक ओर तो वित्त विकासात्मक आवश्यकताओं और दूसरी ओर राजस्व स्थिरता के बीच उचित तालमेल रखा है।

अपने नेता डा. एम. रामदास और अपने दल पीएमके की ओर से मैं माननीय वित्त मंत्री और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने वर्ष 2003–04 का जनोन्मुखी, वरीयतोन्मुखी और प्रगतिमुखी बजट प्रस्तुत किया। हम बजट 2003–04 को पूरा समर्थन देते हैं जिसमें पांच वरीयताओं का वर्णन किया गया है।

अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं माननीय सभा को निम्नलिखित 10 बातें बताना चाहता हूं जिन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान किए जाने की आवश्यकता है।

देश में गरीब किसानों को राजसहायता के साथ प्रदान किए जाने वाले ऋण में पर्याप्त वृद्धि किए जाने की आवश्यकता है। गरीब किसानों पर उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि करने से पड़ने वाले भारी बोझ को तुरन्त समाप्त किया जाए।

सभी राज्यों में कृषि बाजार अवसंरचना को विकास के लिए अधिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाए ताकि किसानों और उपभोक्ताओं के बीच सीधा संबंध स्थापित किया जा सके।

देश में पशु संवर्धन, डेयरी और मुर्गीपालन उद्योगों के विकास के लिए अधिक धन दिया जाए। पशु–पालकों के हितों के लिए विशेष योजनाएं चलाना समय की मांग है।

"सभी को सुरक्षित पेयजल" प्रदान करने को शीर्ष वरीयता दी जाए। इसके लिए सरकार को विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और एशियाई विकास बैंक आदि जैसी बाह्य वित्तपोषित एजेंसियों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने और सृजित करने की आवश्यकता है।

[श्री पी. डी. एलानगोवन]

एक अन्य महत्वपूर्ण परियोजना देश में नदियों को जोड़ने संबंधी परियोजना है। माननीय प्रधान मंत्री द्वारा स्थापित कार्यबल को इस परियोजना के शीघ्र कार्यान्वित करने के लिए सभी आवश्यक चीजें उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

देश में वन क्षेत्र को बढ़ाने की अविलंब आवश्यकता है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी वन संपदा का दुरुपयोग हुआ है और उसे नष्ट किया गया है तथा केन्द्र और राज्य सरकारों को अपने बजटीय आवंटन बढ़ाने चाहिए और इस लाभकारी कार्य में लगे गैर–सरकारी संगठनों को सहायता देनी चाहिए।

शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर निरन्तर निगरानी रखने की आवश्यकता है। "सभी के लिए शिक्षा" आज नारा नहीं होना चाहिए बल्कि इसे वास्तव में पूरा किया जाना चाहिए। इसके लिए सभी पहलुओं पर अधिक ध्यान देना होगा ताकि सभी को शिक्षा प्रदान की जाए और प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्रदान करने हेतु इसे संवैधानिक अधिकार बनाया जाए। शिक्षा संबंधी कर्त्तव्यों के लिए वित्तीय आवंटन को कई गुणा बढ़ाने की आवश्यकता है। शिक्षा के समग्र आवंटन को भी बढ़ाने की आवश्यकता है।

गरीबों, दलितों और पिछड़े समुदायों के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाने के संबंध में पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता है। निजी क्षेत्र में भी रोजगार अवसरों में आरक्षण कोटा प्रणाली को कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता है। निजी क्षेत्र के इस दौर में पिछड़े वर्गों के लिए निजी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने के लिए पृथक् आरक्षण कोटा रखने की आवश्वकता है।

देश में लुप्त हो रहे कृषि आधारित उद्योगों और लघु उद्योगों को सुधारने की अविलम्ब आवश्यकता है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के आगमन से देश के कृषि आधारित उद्योगों और लघु उद्योगों को बुरी तरह आघात पहुंचा है। अधिक धन लाने की तो आवश्यकता है पर ऐसे नीति–निर्णयों से बचने की आवश्यकता है जिसमें हमारे देश की अर्थव्यवस्था के इन दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

अंततः हमारे देश में स्वास्थ्य क्षेत्र की आवश्यकताओं पर अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। चिकित्सीय क्षेत्र में की गई उन्नति और अवसंरचना को गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। स्वास्थ्य क्षेत्र को अधिक वित्तीय और प्रौद्योगिकीय सफलता की आवश्यकता है।

वित्त और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभारी हूं जिन्होंने तीन दिनों तक इस चर्चा में भाग लिया। सैंतीस माननीय सदस्य सभा में बोले, कई माननीय सदस्य जो सभा में नहीं बोल सके अथवा बोलना पसंद नहीं किया ने सभा पटल पर लिखित वक्तव्य रखा।

मैं माननीय सदस्य श्री शिवराज पाटील का आभारी हूं जिन्होंने मुख्य विपक्षी दल की ओर से चर्चा की शुरूआत की। उन्होंने बजट बनाने संबंधी सामान्य रवैया से लेकर गरीबी और अंत्योदय जैसे विभिन्न विषयों का उल्लेख किया और मैंने जो प्रयास किए उसकी अपर्याप्तता के संबंध में अपने विचार प्रकट किए। मैं यथासंभव अधिक से अधिक प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा।

मैं आशा करता हूं कि आप समझते हैं, मुझे विश्वास है कि माननीय शिवराज पाटील और अन्य माननीय वक्ता जिन्होंने चर्चा में भाग लिया, कि वास्तव में प्रत्येक मुद्दे को जिन्हें उठाया गया या उल्लेख किया गया या जिन पर प्रश्न किया गया समेटना संभव नहीं होगा। आप जैसा कि जानते हैं, यह अत्यंत ही लंबी प्रक्रिया है जो सामान्य बजट पर चर्चा के साथ शुरू होती है और यह तब तक चलती है जब तक कि इस सभा द्वारा वित्त विधेयक को स्वीकार नहीं कर लिया जाता है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे पास अन्य अवसर भी हैं। आज के उत्तर में मैं अपनी क्षमता के अनुसार अधिक से अधिक प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं, सामान्य बजट पर चर्चा दूसरी सभा में भी शुरू हो चुकी है। यह बजट सत्र की स्वाभाविक व्यवस्था अथवा प्रक्रिया का अंग है।

एक मुद्दा जिसे शिवराज जी सहित अनेक सदस्यों ने उठाया है, व्यापक मैक्रो–आर्थिक स्तर पर देश के राजकोषीय घाटे के प्रबंधन से संबंधित है। मोटे तौर पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके तीन पहलु हैं जिस पर मैंने ध्यान देने का प्रयास किया है। मैं माननीय शिवराज जी पाटिल अथवा ऐसे अन्य सदस्यों की प्रशंसा करता हूं, जिन्हें इसमें कोई शंका नहीं कि बढ़ता हुआ राजकोषीय घाटा अब कम होने लगा है और मैंने उस पर ध्यान देने का प्रयास किया है। चालू वर्ष अनेक परिस्थितियों के कारण अभूतपूर्व कठिनाइयों का वर्ष था,

जिसे मैं दोहराकर इस सभा की धैर्य की परीक्षा नहीं लेना चाहता हूं। ये परिस्थितियां अभूतपूर्व सूखा, भूमंडलीय अवनति, भू–रणनीतिक मोर्चे पर अनिश्चितताएं–उदाहरण के लिए खाडी और आतंकवाद को जारी रखने वाले हमारे पड़ोसी के साथ हमारा आमना–सामना–से संबंधित थीं। किंतु इसके बावजूद भी, राजकोषीय घाटे का बढ़ता हुआ ग्राफ नीचे आना शुरू हो गया और गिरावट आनी शुरू हो गई थी। किसी के लिए भी यह दावा करना अव्यावहारिक और वस्तुतः असंभव होगा कि राजकोषीय घाटे को सिर्फ एक राजकोषीय वर्ष में ही ठीक कर दिया जा सकता है। मैं सोचता हूं कि यह सुधार प्रक्रिया शुरू हो गई है। किसी भी स्थिति में, राजकोषीय घाटा राजस्व प्राप्तियों, व्यय और सकल घरेलू उत्पाद का एक कार्य है जिनके संयोजन से हम तीनों को प्राप्त कर सकेंगे।

इन मानदंडों की निहित मान्यताओं के आधार पर, जो आशंकाएं व्यक्त की गई थीं कि वर्ष 2003–04 के लिए राजकोषीय लक्ष्य को पूरा नहीं किया जा सकेगा, मेरे विचार में निर्मूल हैं। प्राप्तियों के मामले में, पिछले वर्ष में अनुमानित 20 प्रतिशत की तुलना में अगले वर्ष 13 प्रतिशत तक वृद्धि का लक्ष्य था। हमने ऐसा अनजाने में नहीं किया। हमने इसे सोच–समझकर किया क्योंकि संघ के राज्यों के लिए 'डेट स्वैप स्कीम' जिसे हमने शुरू किया है के कारण ब्याज प्राप्तियों में संभावित कमी को हम हिसाब में ले रहे हैं। वर्ष 2003–04 के लिए गैर कर प्राप्तियों में 2002–03 के संशोधित अनुमान 72,759 करोड़ से 2003–04 के ब.अ. में कमी होकर 69,766 करोड़ रु. होने का अनुमान किया गया है। मैं जोर देकर यह बात कहना चाहता हूं कि सरकार ने संभावित राजस्व प्राप्तियों का वास्तविक अनुमान किया था। हमने समझ–बूझकर वास्तविक न कि अवास्तविक अनुमान लगाया था।

अपराह्न 3.00 बजे

व्यय के मोर्चे पर, महोदय, यह सुनिश्चित करने पर समुचित ध्यान दिया गया है कि किसी भी स्कीम के लिए वित्त पोषण में कमी न हो, और मैं जो कार्य मेरे पास इस समय है, पूरे उत्तरदायित्व के साथ कहता हूं।

वैट को शुरू करने के संबंध में यह कहीं अधिक बड़े पैकेज का भाग है, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय बिक्री कर को चरणबद्ध तरीके से हटाना है अथवा समाप्त करना है, राज्यों को संवैधानिक संशोधन के माध्यम से–जो इस सभा के सम्मुख पहले से ही है–अपने राज्यों में सेवा कर लगाना है तथा उस सेवा कर के अंश में हिस्सा बांटना है। यह अतिरिक्त उत्पाद कर का भी प्रश्न है जो पहले राज्यों के पास नहीं था और जिसे हम शुरू करना चाहते हैं।

कुछ प्रश्न उठाए गए हैं कि मूल्य संवर्धित कर के अंतर्गत संभावित हानियों की मात्रा कितनी होगी और क्या केन्द्र को इस संबंध में राज्यों को मुआवजा देना पड़ेगा, के बारे में निश्चय नहीं किया गया है, इसके लिए सही–सही प्रावधान करना कठिन है। किंतु मैं निवेदन करता हूं कि हानियों के 2003–04 में प्रकट होने की संभावना नहीं है। इन पहलुओं को ध्यान में रखकर बजट प्रावधान, जो कि 700 करोड़ रु. का किया गया है, राज्यों के राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति के लिए किया गया है–राज्य अपनी राजस्व हानि के लिए मूल्य संवर्धित कर को लागू कर रहे हैं।

मेरा विश्वास है, महोदय, कि चालू वर्ष के दौरान गैर कृषि क्षेत्र में वृद्धि हो रही है और मुझे उम्मीद है तथा निश्चित रूप से प्रार्थना करता हूं कि कृषि विकास जो अभूतपूर्व सूखे के कारण इस वर्ष अत्यन्त ही निचले स्तर पर है, में तेजी आएगी और इसलिए चालू सूखे का प्रभाव अगले वर्ष में विकास अनुमान को पलट देगा। इस आशंका का कोई कारण नहीं कि सरकार 2003–04 में राजकोषीय घाटा लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेगी। मैंने यह ठीक समझा कि मैं इस विषय पर अभी ध्यान दूं क्योंकि यह एक ऐसा मुद्दा है जिसका उल्लेख अनेक माननीय सदस्यों द्वारा किया गया था।

मैं थोड़ा समय लेना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, और जिन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने के बारे में सोचा है उनके बारे में बताना चाहता हूं। विशेष ध्यान राजकोषीय कराधान और प्रत्यक्ष तरीके से प्रोत्साहन पर पूरा ध्यान है। पुनः एक अमूर्त चयन किया गया है। उदाहरण के लिए यह क्षेत्र स्वास्थ्य के साथ शुरू होता है। मेरा विश्वास है और यह निश्चयपूर्वक कहता हूं कि इस सरकार ने इस बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए जो अनुमान लगाया है वह उत्कृष्ट पैकेज है जो किसी भी सरकार ने पहले नहीं किया है। स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, उदाहरण के लिए, किसी के लिए भी प्रश्न करना कठिन होगा 'वन–रूपी–ए–डे मेडिकल कवर स्कीम' जिसे हम बीमा के माध्यम से शुरू कर रहे हैं। यह वास्तव में जनता के लाभ के लिए है। यह गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों को भी 365 रु. के एक–तिहाई प्रीमियम पर कवर कर रहा है। यह पूरे जीवन काल से संबंधित है और मेरा विश्वास है कि भारत

[श्री जसवंत सिंह]

में स्वास्थ्य के क्षेत्र में वैश्विक गंतव्य बनने की संभावना है, प्रतिभा है और क्षमता भी है।

हमें निःसंदेह अपनी बुनियादी संरचना में सुधार करना है हमारे आगमन और प्रस्थान और विशेष रूप से शल्य चिकित्सा पश्चात्, देखभाल में सुधार करना है। इन पर ध्यान देने के बाद, मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। यदि हमारे डाक्टर पश्चिम के सभी देशों में जा सकते हैं और वहां काफी उन्नति करते हैं और वहां अपनी खास जगह बना लेते हैं, तो कोई कारण नहीं कि वही डाक्टर भारत में इसे नहीं दोहरा सकते। यही कारण है कि स्वास्थ्य क्षेत्र को चुना गया है।

इसी तरह से, हमने सबसे पुराने परम्परागत उद्योग वस्त्र उद्योग को चुना है जो पिछड़ रहा है। यह औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार सृजक उद्योग के रूप में सबसे ऊपर हो मेरा विश्वास है कि यदि हम इस समय वस्त्र उद्योग की कमियों पर ध्यान नहीं देते हैं तो 2004 के अंत में मल्टी–फाइबर समझौता के समाप्त होने पर, हमें, भारत में, जो एक समय में विश्व में अग्रणी था, बढ़ती हुई कठिनाइयों, जो पहले से ही मौजूद हैं का सामना करना होगा।

इसी प्रकार पर्यटन का क्षेत्र चुना गया था। यह मेरा विश्वास है यह संभ्रान्त उद्योग नहीं है। जो भी पर्यटक आता है वह 5–7 लोगों को सीधे रोजगार देता है जिससे वे लाभान्वित होते हैं, चाहे वह टैक्सी ड्राइवर हो, या गाइड हो, या दुकानदार हो या कोई होटल हो। प्रत्येक पर्यटक के आने से 5–7 लोगों को रोजगार का लाभ प्राप्त होता है।

विपक्ष से भी कई सुझाव दिए गए हैं कि 'रत्न और आभूषण' क्षेत्र को क्यों चुना गया है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, पर्यटन और परिवहन संबंधी स्थायी समिति ने पर्यटन के संबंध में सेंटूयर होटल पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जहां उन्होंने घोटाले को उजागर किया है इसमें न तो पर्यटक लाभान्वित हुए हैं न ही सरकार लाभान्वित हुई है बल्कि इससे कुछ लोगों को ही फायदा हुआ है।

श्री जसवन्त सिंह : चर्चा के इस चरण पर मेरे लिए श्री प्रियरंजन दासमुंशी जी के साथ द्वन्द्वात्मक तार्किक विवाद करना कठिन होगा।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : पर्यटन और परिवहन संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा गया जिसके सेंटयूर होटल के घोटाले का पर्दाफाश किया गया। इससे न तो पर्यटन लाभान्वित हुआ न ही सरकार को फायदा हुआ बल्कि कुछ लोगों को ही लाभ हुआ। मैंने तो केवल इतना ही कहा है। मन्त्री महोदय को पता नहीं होगा कि वह प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा गया था।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, आप अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री जसवंत सिंह : वह अपने विचार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं।

'रत्न और आभूषण' क्षेत्र के साथ–साथ मेरी वंशावली के उद्भव पर कई आश्चर्यजनक टिप्पणियां की थीं जिसका जो वहां कहा गया से कोई लेना–देना नहीं है। परन्तु इससे नहीं समझा गया है 'रत्न और आभूषण' देश में प्रमुख नियोक्ताओं में से एक हैं। भारत सोने के जवाहरात और 'रत्न और आभूषण' की परंपरागत कला दोनों में विश्व में प्रमुख स्थान रखता है। हमारे पास अपने जौहरी हैं, हीरा तराशने वाले हैं और विशेषकर जयपुर के रंगीन पत्थर तराशने वाले हैं जिन्होंने अत्यधिक चुनौतियों का सामना करते हुए वे रोटरडम और न्यूयार्क में गए और वहां अपने को स्थापित किया है। यदि हम इस ओर ध्यान नहीं देते और इस उद्योग को प्रोत्साहन नहीं देते तो यह रोजगारोन्मुखी उद्योग हमारे से छिन जाएगा और थाईलैंड द्वारा इस पर कब्जा कर लिया जाएगा। यह संभ्रांत उद्योग नहीं है। सूरत जैसे केन्द्रों में आज जो हीरा तराशने के रोजगार उत्पन्न हो रहे हैं अथवा जयपुर में जिस प्रकार के रोजगार सृजित हो रहे हैं वे रोजगार उत्पन्न नहीं हो पाएंगे। यह पहलू पूरी तरह निर्यातोन्मुखी है। यह पूरी तरह रोजगार सृजित करने वाला है और हम इसमें विश्व के अग्रणी लोगों में से एक हैं। यदि हम इनकी स्थिति की ओर ध्यान नहीं देते तो यह स्थिति दयनीय होगी। और इसी कारण हमने ऐसा किया है।

सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी और फार्मास्युटिकल्स के तीन क्षेत्र ज्ञान आधारित उद्योग हैं। फार्मास्युटिकल्स का स्वास्थ्य उद्योग के साथ गहरा संबंध है। ये आज के उभरते हुए सूर्योदय हैं और कल के भावी उद्योग हैं। हमने उन्हें चुना है और इस संबंध में हमने उन्हें सीधे सहायता देने के लिए चुना है।

एक अन्य प्रश्न जिसे कई माननीय सदस्यों द्वारा उठाया

गया है वह अवसंरचना के संबंध में है। हमारे पास जो योजना है यह महत्वाकांक्षी योजना है। यह प्रोत्साहन देने वाली योजना है और यह बजटेतर है। इसकी लागत 60,000 करोड़ रुपये है। लेकिन यह किसी व्यक्ति की कल्पना नहीं है। इस संबंध में सदन में घोषणा करने की तैयारी से पूर्व इस पर बहुत काम किया गया है। इसीलिए 2003–04 के बजट में इस पर ध्यान दिया गया है। मैं आपको इस क्षेत्र के बारे में संक्षेप में बताता हूं।

सड़क क्षेत्र में, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि 48 परियोजनाओं की घोषणा मैंने 28 फरवरी को की थी उसमें से 8 परियोजनाओं की व्यापक परियोजना रिपोर्ट पहले ही तैयार कर ली है जिसकी लागत 3000–4000 करोड़ रुपये के बीच की है। संबद्ध मंत्रालय शीघ्र ही बीओटी आधार पर लागू करेगा। ऐसा नहीं है कि हमने केवल घोषणाएं की हैं और हमने इस पर समयोन्मुखी कार्य योजना के साथ कार्यवाही शुरू नहीं की है।

पत्तन प्राधिकरण के संबंध में मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि दो पत्तन अर्थात् नावाशोवा और कोचीन जिस पर नवीकरण और उन्नयन का कार्य किया जाना है जिसकी लागत 7150 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है इनकी परियोजना रिपोर्ट पहले ही तैयार कर ली गई है और इसको बीओटी के आधार पर लिया जाएगा क्योंकि इसके लिए हम शीघ्र ही कार्य आरंभ निविदा आमंत्रित करने जा रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति (विशाखापत्तनम) : विशाखापत्तनम देश का सबसे बड़ा कार्गो निपटान पत्तन है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : आजादी के बाद जो सड़कें बनी हैं, जिन पर पैदल चलना मुश्किल है, उनके लिए क्या प्रावधान किया गया है?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी को अपना भाषण समाप्त करने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री ए. सी. जोस (त्रिचूर) : कोचीन परियोजना सरकार द्वारा पूरी नहीं की गई है...*(व्यवधान)*

श्री कोडीकुनील सुरेश (अडूर) : यह सब आपने अपने बजट भाषण में बताना है।...*(व्यवधान)*

श्री जसवंत सिंह : यह वही बात है जो मैंने कही है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : आजादी के बाद जो सड़कें बनी हैं, जिन पर चलना मुश्किल है, उनकी मरम्मत के लिए क्या हो रहा है, यह आप बता दें।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सदन चाहता है कि मंत्रीजी का भाषण पहले पूरा हो जाए, उसके बाद आप बोलिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी को अपना भाषण पूरा करने दीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : असली विषय किसानों का है, आप उस पर बोलिए।...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : आप बढ़ी कीमतें वापस ले लीजिए।...*(व्यवधान)*

श्री जसवंत सिंह : आप बेताब मत होइए, मैं सब चीजों के बारे में बताऊंगा।...*(व्यवधान)* यह नकली नहीं है। यह भी असली है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी आप अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए।

श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति : विशाखापत्तनम भारत में सबसे बड़ा कार्गो निपटान पत्तन है। आपको इसके आधुनिकीकरण के लिए कुछ करना चाहिए...*(व्यवधान)*

श्री जसवन्त सिंह : माननीय सदस्यों द्वारा की जा रही

[श्री जसवंत सिंह]

दखलअंदाजी उचित रूप से की गई है मैं इससे प्रोत्साहित होता हूं क्योंकि माननीय सदस्य विशाखापत्तनम अथवा बंगाल की खाड़ी के लिए तो खड़े नहीं होंगे न ही कोचीन में हुई प्रगति के बारे में पूछेंगे।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सदस्यों को बोलने की अनुमति नहीं है। मंत्री जी को अपना भाषण समाप्त करने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री जसवंत सिंह : माननीय सदस्य उत्साहित नहीं हैं लेकिन हम उत्साहित हैं और हम काम करेंगे। 7150 करोड़ रुपये की लागत वाली इन दोनों परियोजनाओं की व्यापक परियोजना रिपोर्ट पहले ही मांगी गई है। मुझे विश्वास है कि पत्तन प्राधिकरण इन पत्तनों के उन्नयन और आधुनिकीकरण के लिए विश्वव्यापी निविदाएं आमंत्रित करेगा। यह ठीक नहीं है कि विशाखापत्तनम अथवा पूर्वोत्तर समुद्री पत्तन के किसी अन्य पत्तन के बीच कोई फर्क किया जाएगा। वास्तव में हम काम शुरू करना चाहते हैं और प्रगति दर्शाना चाहते हैं। मेरा यह विश्वास है कि सफलता निश्चित है और यदि हम इन दोनों परियोजनाओं में सफलता प्राप्त करने में समर्थ होते हैं तो मुझे आपको यह बताने में संकोच नहीं है कि हम अन्य पत्तनों को भी आधुनिकीकरण के लिए लेंगे।

मैं आपको बताना चाहूंगा कि रेलवे में विशेष प्रयोजन वाहन कोष पहले ही स्थापित किया जा चुका है। इसमें वित्तपोषण का प्रश्न नहीं है। रेलवे इस पर कार्य करा रहा है, वित्त का प्रबंध किया गया है। इसके एक हिस्से को एडीबी द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा और इसके वित्त के अन्य भाग को रेलवे और सरकार दोनों द्वारा अंशदान के माध्यम से किया जाएगा। इसी आधार पर विमान पत्तन के लिए भी बंदोबस्त किया जाएगा।

अब इसमें विधायी सीमाओं के कारण कुछ समय लगेगा तो हमारे विमानपत्तनों के संबंध में क्या किया जा सकता है। हमने दिल्ली और मुंबई के विमानपत्तनों के आधुनिकीकरण और उन्नयन का कार्य शुरू किया हुआ है इसमें काफी काम किया जा चुका है, मैं कोई परोक्ष रूप से बताना नहीं चाहता हूं लेकिन यह आकर्षण का कारण है क्योंकि मुझे पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्य मंत्री से गंभीर अनुरोध पहले ही प्राप्त हो चुका है। यद्यपि वे इसका विरोध करते हैं और कहते हैं कि यह व्यवहार्य परियोजना नहीं है लेकिन पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्य मंत्री ने हमसे संपर्क किया और पूछा कि आपने कोलकाता के लिए ऐसा क्यों नहीं किया। हमें कोलकाता के लिए इसकी जांच करने में कोई कठिनाई नहीं है। इसी तरह हमें चेन्नई से भी अनुरोध प्राप्त हुआ है। हमें आधुनिकीकरण परियोजना को बढ़ाने में कोई कठिनाई नहीं है लेकिन मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि जो कार्य हमने पहले आरंभ किया है उस कार्य को पूरा करने दीजिए जिसे हमने शुरू किया हुआ है। हमें भारत की स्वयं अपने कार्य करने की क्षमता को बताने दीजिए और निस्संदेह हम ऐसी परियोजनाओं को लेंगे चाहे यह कोलकाता के लिए हों अथवा चेन्नई के लिए हों।

अब इस संबंध में इस चालू वर्ष के आवंटन के बारे में कई प्रश्न पूछे गए हैं। महोदय, रेलवे इक्विटी और विमान पत्तनों के विशेष प्रयोजन वाटन के लिए मुख्य रूप से 2,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। पत्तन न्यास अपने कार्य को देख रहे हैं जैसा कि सड़कें बीओटी के आधार पर हैं। मैंने आपको बजट भाषण में कहा था कि हमने लगभग 2,000 करोड़ इस कार्य के लिए रखे हैं ताकि वार्षिक मांगों को पूरा किया जा सके और इस प्रकार ऐसे धन को 7 से 10 वर्षों की अवधि के लिए खर्च किया जा सकता है। हमारी वचनबद्धता 7–10 वर्षों की है जिसके लिए हमें 14,000 से 20,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। समय 7–10 वर्ष का है। हमारा लक्ष्य 60,000 करोड़ रुपये लागत वाली अवसंरचना परियोजना का है। अब यदि इसे शुरू नहीं किया गया है तो हमारे पास कोई तारीख नहीं है जिससे हम तुरंत अविलंब इस प्रकार के धन के संसाधनों को सृजित करने में सक्षम हो सकें ताकि देश की अवसंरचना आवश्यकता को पूरा कर सकें। मेरा विश्वास है कि यदि हमें भारत को आदर्श देश के रूप में आगे लाना है और उन अवसरों से लाभ उठाना है जो हम प्रदान कर रहे हैं तो हम अवसंरचना को नजरअंदाज नहीं कर सकते।

महोदय, माननीय श्री शिवराज पाटील और कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने रोजगार आंकड़ों के बारे में कुछ प्रश्न उठाए थे। श्री पाटील ने एक दस्तावेज पढ़ा था जो उन्हें दिया गया था। मैं आपको पुनः बताना चाहता हूं कि 1999 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने घोषणा–पत्र में कहा गया था कि हमारे नए निवेश, कृषि पर संस्थागत बल, स्वरोजगार अनिगमित क्षेत्र, अवसंरचना विकास और आवास को प्रोत्साहन देने के लिए सभी स्तरों पर रोजगार सृजन के लिए सहायता के रूप में कार्य करेंगे। हमारी उस पर वचनबद्धता है और हमने उस आधार पर कार्य किया है। अब आर्थिक सर्वेक्षण, जिसका मैं

उद्धरण दे रहा हूं, एक समन्वित दस्तावेज है क्योंकि मैं इसे आसानी से उद्धृत कर सकता हूं और उसी आर्थिक सर्वेक्षण से आंकड़े भी प्रस्तुत कर सकता हूं। आपके दिए गए आंकड़े संगठित क्षेत्र के हैं जैसा कि माननीय श्री पाटील ने स्वयं स्वीकार किया है। संगठित क्षेत्र में कुल कार्यबल का छोटा सा प्रतिशत है जो संगठित क्षेत्र है और संगठित क्षेत्र में कुल कार्यबल का छोटा सा यह प्रतिशत 8–9 प्रतिशत है जैसा कि श्री शिवराज पाटील जी ने बताया है। मुझे इस पर बिलकुल संदेह नहीं है।

अब यदि आप आर्थिक सर्वेक्षण के पृष्ठ 215 को देखेंगे तो आपको असंगठित क्षेत्र में रोजगार आंकड़ों का पता चलेगा जो मैं आपको बताऊंगा। इस सूचना से विशेष रोजगार और गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के वास्तविक निष्पादन का पता चलता है। इसमें अनेक आंकड़े दिए गए हैं। वर्ष 2001–02 में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना जिसमें रोजगार आश्वासन योजना का विलय किया गया था और नयी योजना 25 सितंबर, 2001 को लागू हुई थी ने लगभग कुल 523 मिलियन श्रम दिवस सृजित किए थे।

स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 0.94 मिलियन प्रति परिवारों को सहायता दी गई थी। प्रधान मंत्री रोजगार योजना और शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम के द्वारा शहरी क्षेत्रों में 0.23 मिलियन और 3.63 मिलियन रोजगार के श्रमदिवस सृजित किए गए थे। हमें देखना होगा कि हमने कुल कितने श्रमदिवस संचयी किए हैं।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा (कनारा) : माननीय मंत्री जी आप इसे श्रम दिवस क्यों कह रहे हैं। आप इसे कार्यदिवस कह सकते हैं। महिलाएं भी कार्य करती हैं।

श्री जसवंत सिंह : इस संबंध में मेरे मन में कोई लिंग भेद नहीं है।

मैं इस विषय पर बोल रहा हूं मैं यहां एक बात कहना चाहूंगा।

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम) : कई वर्षों से इसे श्रम दिवस के नाम से ही पुकारा जा रहा है।

श्री जसवंत सिंह : महोदय, जब उन्होंने वाद–विवाद में हस्तक्षेप किया तो 'जेंडर बजटिंग' का प्रश्न था। जब मैंने स्वयं अपना बजट भाषण लिखा, अध्यक्ष महोदय, मैंने 'जेन्डर बजटिंग' के संबंध में दो या तीन पैराग्राफ शामिल किए थे। किंतु मैंने पाया कि वित्त मंत्री को जो समय उपलब्ध है वह इतना है कि उस समय मेरे लिए सब कुछ शामिल करना संभव नहीं था। लेकिन मुझे यह कहते हुए सचमुच खेद है कि वाद–विवाद में बोलने वाले सभी वक्ताओं में सिर्फ एक वक्ता ने 'जेन्डर बजटिंग' के बारे में कहा है। मैं इसके लिए उनका अत्यंत आभारी हूं। उन्होंने बहुत बातें कहीं जिनसे मैं सहमत नहीं हूं। किंतु वह ऐसा कर सकती हैं। किंतु जहां तक 'जेन्डर बजटिंग' का संबंध है, मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि हम इसके प्रति अत्यंत ही सजग हैं और मैं इस सभा को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जल्द ही निश्चित तौर पर अर्थव्यवस्था संबंधी मध्यावधिक समीक्षा में, हम निश्चित तौर पर 'जेन्डर बजटिंग' पर विशेष अध्याय जोड़ेंगे।

महोदय, अब मैं कुछ अन्य मुद्दों का उल्लेख करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं राज्य वित्त का उल्लेख करूंगा। कई सदस्यों ने राज्य वित्त की गिरती हुई स्थिति के बारे में प्रश्न किए हैं। यह बिलकुल ठीक है। माननीय सदस्यों का इस पर पूरा ध्यान है। हमारे पास अनेक कर सुधार उपाय हैं जैसे वैट, एईडी, सीएसटी और सेवा कर भी। निःसंदेह माननीय सदस्यों को 'डेट स्कैप स्कीम' के बारे में पता होगा जिसके अंतर्गत राज्य अपने उच्च लागत ऋण को पहले चुका सकेंगे और इसे निम्न ब्याज टैरिफ लघु बचत और बाजार ऋण से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। इस 'डेट स्कैप स्कीम' के अतिरिक्त राज्यों के वित्त के लाभ के लिए मैं इस समय यह कहना चाहता हूं, और मुझे यह कहने, घोषणा करने में प्रसन्नता है कि राज्यों को केन्द्र द्वारा दिए जाने वाले नए ऋणों पर ब्याज दर 100 आधार बिंदुओं तक कम कर दिया जाएगा, यह राज्यों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए है।

महोदय, मैं कुछ मिनटों में लौटकर कृषि क्षेत्र पर आऊंगा। मैं इस अवसर का प्रयोग इस बात पर पुनः बल देने के लिए करूंगा, जो मैंने कृषि ऋण के संबंध में कहा है। यह एक मुद्दा है जिसका कई माननीय सदस्यों द्वारा उल्लेख किया गया। मैं कृषि क्षेत्र में उपलब्ध ऋण और अन्य क्षेत्रों में उपलब्ध ऋण में अंतर पर पूरी तरह से असंतुष्ट हूं। यही कारण है कि मैंने अपने भाषण में कहा कि इस बात को स्वीकार करना कठिन है कि ट्रैक्टर के लिए ऋण की तुलना में कार के लिए ऋण आसान शर्तों पर उपलब्ध होना चाहिए। इसलिए हमने इस पर काम किया है। सरकार ने इस पर काम किया था। मैंने स्वयं भारतीय रिजर्व बैंक के साथ इस पर काम किया था और कृषि क्षेत्र के लिए मैंने घोषणा की थी और इस बात

[श्री जसवन्त सिंह]

पर जोर देना चाहता हूं कि हम इसे 1 अप्रैल से पहले लागू करने जा रहे हैं। जैसे ही नया पीएलआर घोषित कर दिया जाता है, कृषि क्षेत्र को पीएलआर + (–) 2 पर 1 अप्रैल से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। यह स्पष्ट रूप से सरकार की प्रतिबद्धता है और हम यह करेंगे।

महोदय, मैं एक और घोषणा करना चाहता हूं।

श्री के. येरननायडू : महोदय, भारतीय रिजर्व बैंक सरकार के निदेशों का पालन नहीं कर रहा है।

श्री जसवंत सिंह : भारतीय रिजर्व बैंक एक स्वायत्त निकाय है। हम चाहते हैं कि वह स्वायत्त निकाय बना रहे। भारतीय रिजर्व बैंक वित्त मंत्रालय के परामर्श से काम करता है और मुझे किसी भी चरण में कोई कठिनाई नहीं है।

डा. नीतिश सेनगुप्ता (कोन्टाई) : भा.रि.बैं. पर कोई निर्देश नहीं है।

श्री जसवंत सिंह : हम भा.रि.बैं. को कोई निर्देश देने की स्थिति में नहीं हैं।

एक तीसरा पहलू है और यह ब्याज दरों में कमी के बारे में है। अब मैं पेशनधारियों के लिए ब्याज दर पर आता हूं, जिसे अभी तक कवर नहीं किया गया है। हमने साथ ही पेंशनधारियों को भी फायदा पहुंचाया है। किसानों और कृषि क्षेत्र को जो कुछ भी उपलब्ध है वह साथ ही लघु क्षेत्र को उपलब्ध कराया गया है और 100 आधार बिंदु पर उतना ही दर...

श्री एन. जनार्दन रेड्डी (नरसारावपेट) : प्रधान मंत्री ने घोषणा की है कि देश में गंभीर सूखा के मद्देनजर किसानों को ब्याज भुगतान से मुक्त कर दिया जाएगा। किंतु इसे अब बदलकर अंतिम भुगतान किया जाने वाला किस्त कर दिया गया। सभी वाणिज्यिक बैंक इसी तरह से बकाया वसूल रहे हैं।

श्री जसवंत सिंह : यह चर्चा के दौरान भी उठाया गया था। अब मैं अपनी बातें कहूंगा और इस प्रश्न का भी उत्तर दूंगा। यह विशेष रूप से बागान उद्योग से संबंधित है। मैं इसके प्रति सजग हूं।

ब्याज दर के बारे में, राज्यों के लिए ब्याज दरों में कमी से, कृषि क्षेत्र और एस.एस.आई. के लिए ब्याज दर में कमी के साथ, मैं यह भी घोषणा करना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को मकान के निर्माण, कम्प्यूटर और वाहन खरीदने के लिए दिए जाने वाले ऋणों और अग्रिम में उतना ही 100 आधार बिन्दु द्वारा कम किया जाएगा।

बागान उद्योग के संबंध में, सूखे की स्थिति की संपूर्णता को ध्यान में रखकर यह घोषणा की गई थी, कि ब्याज माफ कर दिया जाएगा, और फसल ऋण को भी मियादी ऋण में बदल दिया जाएगा। पांच वर्ष को जो भी मियादी ऋण था उदाहरण के लिए कॉफी के मामले में, जो पहले बढ़ाकर सात वर्ष कर दिया गया था और फिर नौ वर्ष कर दिया गया था अब बढ़ाकर ग्यारह वर्ष कर दिया गया है। ब्याजदर माफ कर दिए थे और माफ कर दिए जाएंगे। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि यदि आपको वाणिज्यिक बैंकों के बारे में कोई शिकायत मिलती है और यदि आप मुझे लिखते हैं, मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि इसका कार्यान्वयन किया जाए और भारतीय रिजर्व बैंक इस संबंध में उपयुक्त अनुदेश देगा।

इस कमी के साथ, वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी साथ ही लाभ घोषित किए गए हैं। मैं यह दोहराना चाहता हूं जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए घोषित किया गया था। उनकी कर रियायत बढ़ाकर 20,000 रु. कर दी गई है और टीडीएस के बारे में उनके स्वघोषणा को स्वीकार किया जाएगा। जब वे अपना रिटर्न भरते हैं तो उनसे कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। एलआईसी द्वारा एक विशेष पेंशन योजना शुरू की जाएगी जिसमें 55 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए 9 प्रतिशत प्रतिलाभ की गारंटी होगी। वरिष्ठ नागरिक क्या है और क्या वरिष्ठ नागरिक 55 वर्ष की आयु से अधिक के लोग हैं, के बारे में मुझे सोचना था। हमने सोच–समझकर 55 वर्ष का आयु रखा है क्योंकि कई सेवाओं में 55 वर्ष की आयु में लोग सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यह लाभ हम सिर्फ एक विशेष आयु के बाद नहीं देना चाहते हैं, किंतु उनको भी देना चाहते हैं जो पहले सेवानिवृत्त होना चाहते हैं और अपने जीवन भर के आय को इस तरह से निवेश करना चाहते हैं कि उन्हें सुनिश्चित प्रतिलाभ मिले।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : क्या उस पर कोई अधिकतम सीमा है?

श्री जसवंत सिंह : आपको जो मासिक पेंशन मिलती है उस पर सीमा को छोड़कर कोई अन्य सीमा नहीं है। यह

आरंभिक शुरूआत है जो हमने की है। यदि कार्यान्वयन के बाद हम यह पाते हैं कि इसका दुरुपयोग नहीं हो रहा है, हम नहीं चाहते कि इसका दुरुपयोग हो अथवा हम जो चाहते हैं उससे इतर उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं हो रहा है तो हम निश्चित रूप से अधिकतम सीमा के पूरे सवाल पर विचार करेंगे।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : क्या एक वरिष्ठ नागरिक 2000 रु. प्रति माह पर जीवन बसर कर सकता है?

श्री जसवंत सिंह : वह प्रश्न नहीं है। यह प्रश्न ब्याज दर से संबंधित है। यदि ब्याज दर में कमी होती है, मैं नौ प्रतिशत प्रतिलाभ देने का साधन उपलब्ध करा रहा हूं जो अन्यथा किसी अन्य माध्यम से उपलब्ध नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, सिर्फ एक मिनट।

गैर–सरकारी सदस्यों संबंधी कार्य अपराह्न 3.30 बजे शुरू होना था। चूंकि बजट से संबंधित विषयों को उससे पहले पूरा करना है, मैं बजट से संबंधित कार्यों को पूरा करने के लिए इस सभा का समय बढ़ा रहा हूं और जैसे ही यह समाप्त होता है, हम गैर–सरकारी सदस्यों का कार्य शुरू करेंगे। इसके कारण से अब जो भी समय लगेगा, वह गैर–सरकारी सदस्यों के कार्य निपटाने के लिए बढ़ा दिया जाएगा। मैं आशा करता हूं कि सभा इससे सहमत होगी।

श्री जसवंत सिंह : महोदय, श्री देवगौड़ा यहां उपस्थित नहीं हैं। किंतु उन्होंने हम आवास क्षेत्र की जो लाभ दे रहे हैं उसके बारे में पूछा था। उन्होंने पूछा था कि क्या कोई भूतलक्षी लाभ दिया जा रहा है। मैं समझता हूं कि पूरे प्रावधान को ठीक से नहीं समझा गया है। पहले आवास क्षेत्र को लाभ की एक अंतिम तिथि थी। यदि आपका निर्माण कार्य किसी विशेष दिन को शुरू नहीं हुआ है, एक परियोजना किसी विशेष तारीख को शुरू हो गई थी तब आपको लाभ नहीं मिलेगा यदि आप इसे बाद में शुरू करते हैं। हमने जहां तक आवास क्षेत्र के संवर्धन और प्रोत्साहन का उद्देश्य संबंधित है यह एक विसंगतिपूर्ण स्थिति थी। इसलिए, हमने यह निर्णय किया कि इसे आपेन–एन्डेड नहीं बनाया जाए। यदि आपकी परियोजना मार्च, 2001 के अंत तक शुरू नहीं हुई है तब यह था। और आपको इसे पूरा करने के लिए कतिपय वर्ष लगेंगे। हमने 2000–2005 पर जोर दिया है जिसका अर्थ है 2005, आप परियोजना शुरू कर सकते हैं और आप इसे पूरा कर सकते हैं। इसमें कोई भूतलक्षी सुधार नहीं किया गया है।

अनेक सदस्यों ने भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित प्रश्नों को उठाया है। जहां तक, भूतपूर्व सैनिकों का प्रश्न है, भाषण में पहले ही लाभों के बारे में बता दिया गया है। हमने लगभग 227 भूतपूर्व सैनिकों के लिए चिकित्सकीय सुविधाओं के संबंध में पहली बार प्रावधान किया है। यह भूतपूर्व सैनिकों के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में और अन्य सुविधाओं में एक अहम् कदम है।

एक प्रश्न है जिसे निरन्तर रूप में उठाया जा रहा है कि समान रैंक समान पेंशन हो जिसे पहले उठाया गया था और अब पुनः उठाया गया है। वर्ष 1980 में भी यह बात उठी थी। यह बात कहने वाला मैं अकेला ही नहीं हूं। एक रैंक के लिए एक पेंशन योजना के माध्यम से पेंशन को समान करने के प्रश्न को हम स्वयं ही उठाते हैं। हमें इससे कुछ खास लेना–देना नहीं है। तत्पश्चात्, वेतन आयोग आया। वेतन आयोग ने पूरे प्रश्नों के बारे में बताया है और वेतन आयोग आने के बावजूद, इसमें जो विसंगति रह गई थी उसके लिए पुनः एक समिति का गठन किया गया, जिसे समान रैंक समान पेंशन स्कीम के प्रश्न पर प्रकाश डालना था और यह भी देखना था कि इस प्रकार की समस्त विसंगति दूर हो जाए। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा और कुछ किया जा सकता है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : लघु बचतों पर ब्याज दर के बारे में सदन के समस्त सदस्यों द्वारा क्षोभ व्यक्त किया जा चुका है। बहुसंख्यक लोगों, जिनकी आय काफी कम होती है का पूरा दारोमदार लघु बचत स्कीमों पर ही निर्भर करता है और आपने उन स्कीमों की ब्याज दरों को कम कर दिया है। आपका इसके पीछे क्या तर्क है? सदन के दोनों तरफ के समस्त सदस्य इस पर दुख व्यक्त कर चुके हैं जिसका आपने उत्तर नहीं दिया है।

श्री जसवंत सिंह : मैंने इसका उत्तर दिया है। यदि ब्याज दरों की आम बात है...*(व्यवधान)* अब जहां तक, कर्मचारी भविष्य निधि और लोक भविष्य निधि का संबंध है ये दोनों अलग–अलग मामले हैं। ये दोनों मुद्दे हमारे सम्मुख हैं। हम पूरी तरह...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : इस मुद्दे पर सदन एकमत है। समस्त सदस्यों ने दलगत भावना से ऊपर उठकर इस मामले पर चिंता व्यक्त की है। मुझे आशा है कि आप इस मुद्दे पर पुनः ध्यान देंगे।

श्री के. येरननायडू : लघु बचत स्कीम में एक प्रतिशत

[श्री जसवंत सिंह]

ब्याज दर की कटौती के बारे में, समस्त मुख्य मंत्रियों, विधायकों और संसद सदस्यों ने चिंता व्यक्त की है। यह उन लोगों के लिए एक बड़ा आघात है, जो लघु बचत स्कीम में निवेश करते हैं। कुछ राज्य अच्छा कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : इसके पीछे शायद ही कोई तर्क होगा। मुद्रा–स्फीति का पैमाना दोषपूर्ण है। 'सांख्यिकी आयोग' की अपनी रिपोर्ट में डा. रंगराजन ने विशेष रूप से यह कहा है कि मुद्रास्फीति का पैमाना दोषपूर्ण है क्योंकि डब्लू. सी.आई. सेवा क्षेत्र को शामिल नहीं कर रहा है, जो कि 50 प्रतिशत से अधिक है। सरकार ने आश्वस्त किया है कि पिछली बार इस मुद्दे की जांच के लिए एक कृतिक बल की स्थापना की जा रही थी, जबकि एक वर्ष बीत जाने के बाद भी, इसे इस आधार पर किया जा रहा है कि चूंकि मुद्रास्फीति कम है इसलिए ब्याज को कम किया जाए यह आपत्तिजनक है।

श्री जसवंत सिंह : मैं इस मुद्दे पर विचार करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : बाद में, आप इस मुद्दे पर बोल सकते हैं।

श्री जसवंत सिंह : कराधान से संबंधित कुछ अन्य मुद्दे हैं। जहां तक, कराधान से संबंधित मुद्दों का संबंध है, उन सबको जब क्ति विधेयक पर विचार किया जाएगा विस्तार से ले लिया जाएगा। इसलिए आपकी अनुमति से, मैं इन मुद्दों को तब तक छोड़ देना चाहता हूं जब क्ति विधेयक पर विचार होगा, तब इन पर विस्तारपूर्वक विचार कर लिया जाएगा।

महोदय, कौन–कौन से कदम उठाए गए हैं, अब, मैं उन कुछ पहलुओं को विस्तार से बताऊंगा, उदाहरणार्थ कृषि, गरीबी में कमी इत्यादि के संबंध में, गरीबी उपशमन पांच प्राथमिकताओं, जिनको मैंने बताया है में है। गरीबी उपशमन के लिए जिस पैकेज की घोषणा की जा चुकी है–मैंने उसके लिए कहा है और मैं उसको पुनः दोहराता भी हूं। बहुत सारे माननीय सदस्यों ने जो घोषणा की गई थी, को नजरअंदाज किया और वे संभवतया इस निष्कर्ष पर पहुंचे जैसा मैं समझता हूं उनका तथ्यों से कोई संबंध नहीं है।

हम अंत्योदय अन्न योजना में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले 50 लाख और लोगों को शामिल कर रहे हैं। योजना आयोग के उपाध्यक्ष उस समिति के मुखिया हैं, जो समस्त गरीबी उपशमन स्कीमों पर विचार करेगी और संसाधनों के बेहतर उपयोग हेतु सुझाव देगी। 50 लाख गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों के लिए 100 रु. प्रति परिवार की दर से स्वास्थ्य बीमा हेतु रियायत दी जाएगी ...*(व्यवधान)* राज्य उनकी पहचान करेंगे। मुझे आशंका है कि माननीय सदस्य पूरी तरह से गलती पर हैं। राज्य ही आंकड़े उपलब्ध कराएंगे। राज्य के आंकड़े इस आशय के साथ केन्द्र के पास भेजेंगे कि ये आंकड़े ही बी.पी.एल. परिवारों की संख्या है। आंकड़े राज्य रखते हैं।

श्री रूपचन्द पाल : राज्यों द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया गया है। चाहे कोई भी राजनैतिक दल हो, राज्यों की यह राय है कि बी.पी.एल. पैरामीटर जिनको केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है निर्धनतम लोगों को अलग रखा गया है। यह मात्र 339 रु. है। हर एक व्यक्ति इससे अधिक कमा रहा है। यहां तक कि दैनिक मजदूरी कमाने वाला आम आदमी इससे अधिक कमा लेता है। निर्धन लोगों को अलग रखा जा रहा है क्योंकि केन्द्र सरकार द्वारा पैरामीटर निर्धारित कर दिए गए हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप मंत्री महोदय के भाषण में व्यवधान उत्पन्न नहीं कर सकते हैं अथवा उसे रोक नहीं सकते हैं।

श्री जसवंत सिंह : यदि माननीय सदस्य को पैरामीटर पसन्द नहीं और वह इसे परिवर्तित करने की इच्छा व्यक्त करते हैं तब जब मैं इसे ठीक कर रहा हूं तो मुझे घेरने की बजाय इसे परिवर्तित करने की एक पद्धति है।

2,325 करोड़ रु. से अधिक की अतिरिक्त निधियां जो डीजल पर 50 पैसे अतिरिक्त उपकर है से ग्रामीण सड़कों के लिए उपलब्ध कराई जा रही हैं।

गैर–मशीनीकृत क्षेत्र द्वारा उत्पादित मैचिज को पूरी तरह उत्पाद कर से मुक्त किया गया है।

गरीबी उन्मूलन के संबंध में, मैं दोबारा चर्चा नहीं करना चाहता हूं। क्या इसे कम किया जाए के बारे में वैचारिक मतभेद हैं परन्तु सम्मिलित गरीबी अनुपात में गिरावट को दर्शाता है जो कि वर्ष 1973–74 में 54.9 प्रतिशत था।...*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल : 50 लाख परिवारों हेतु 507 करोड़ रु. है। यह प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितना बैठता है? यह 8 रु. से कम है।

श्री जसवंत सिंह : मुझे लगता है इनका मुद्दा यह है

कि आंकड़ों को फिर कम किया जाना चाहिए। मैं इनसे पूरी तरह से सहमत हूं। इनको पुनः कम किया जाना चाहिए। गरीबी उन्मूलन एक सतत प्रक्रिया है। हम उस लक्ष्य में शामिल हैं इस लक्ष्य को विवादास्पद नहीं बताना है। यह छोटा मुद्दा है अतः उन्होंने जो भी कहा है को विवादास्पद बनाना हमारा उद्देश्य नहीं है।

कृषि पर डब्लू.टी.ओ. स्टीपूलेशन के संबंध में कुछ आशंकाएं हैं। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि 300 संवेदनशील आयातों की निगरानी की जाएगी। इससे अब तक यह प्रकट होता है कि ये आयात सीमित हैं और इनके समामेलन से कुल कृषित आयात की कम प्रतिशतता बैठती है। इसके बावजूद, हमने विश्व व्यापार संगठन (डब्लू.टी.ओ.) के अंतर्गत निर्धारित दर शुल्क के माध्यम से किसी भी सस्ते कृषि आयात द्वारा भारत के बाजारों को भरने के किसी भी प्रयास को रोकने में लचीलापन अपनाया। विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत अनुमत्य शुल्क दरें काफी अधिक हैं। यह नट्स के लिए 112 प्रतिशत, चीनी और कॉफी के लिए 150 प्रतिशत और चाय और कपास के लिए 100 प्रतिशत है।

खाद्यान्नों के लिए 70 प्रतिशत से 100 प्रतिशत, खाद्य तेलों के लिए 45 प्रतिशत से 300 प्रतिशत, फलों के मामले में 40 से 50 प्रतिशत है। वास्तव में यह अब सुरक्षा का सही स्तर प्रदान कराता है। अनुमानित दर जो कृषि के मामले में है 34 प्रतिशत है जबकि अनुमानित बाध्यकर निर्धारित दर इससे काफी अधिक 118 प्रतिशत है। वर्ष 2001–2002 के बजट में बहुत से कृषि उत्पादों–चाय, कॉफी, दालों और खाद्य तेलों के बारे में आयात शुल्क बढ़ाई गई है। वर्ष 2002–03 में दाल, चाय और कॉफी के मामले में आयात शुल्क को पुनः बढ़ाया गया है। कॉफी के मामले में, हम 70 प्रतिशत से 100 प्रतिशत पर पहुंच गए हैं। प्राकृतिक रबड़, काली मिर्च, छोटी इलायची, लौंग के बारे में यह 35 प्रतिशत से बढ़ाकर 70 प्रतिशत किया। ...*(व्यवधान)*

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इडुक्की) : यह केवल प्राकृतिक रबड़ लेटेकस पर लागू है और रबड़ शीटों पर लागू नहीं है। यह कृषकों की मदद नहीं करेगा।...*(व्यवधान)*

श्री जसवंत सिंह : हमने ऐसा किया है। हमने इसे बढ़ाया है। एक माननीय सदस्य ने यह पूछा कि पौधारोपण स्कीम में हमने नारियल को शामिल क्यों नहीं किया है परन्तु नारियल और सुपारी को शामिल किया है। मुझे मालूम नहीं है कि ये अनुमान कहां से आए। मैंने इस पर विचार किया है। नारियल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य है और यह पूर्णतया उत्तम है। पौधारोपण स्कीम के अंतर्गत नारियल को विनिर्दिष्ट करना बहुत मुश्किल है। यह ऐसा वृक्ष है जिस पर फल आते हैं। फिर भी हम आगे आए और इसे किया। आप कह सकते हैं कि नारियल की विशेष कठिनाइयां हैं। यदि कोई और क्षेत्र है जिसे हमें देखने की आवश्यकता है, स्वाभाविक रूप से हम यह करेंगे। किंतु मैं इस सभा से सहमत हूं कि संबंधित राज्य सरकारों को इस संबंध में इस समय किए जा रहे योगदान से कहीं अधिक योगदान करना होगा।

'काउंटरवेलिंग ड्यूटी' इत्यादि के बारे में, मैं माननीय सदस्यों को ब्यौरा बताऊंगा। कुछ संदेह व्यक्त किए गए थे अथवा कुछ आशंकाएं जताई गई थीं। सीमा शुल्क का अधिकतम दर–यद्यपि कि यह 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है–यहां लागू नहीं होता है क्योंकि ये अलग से कवर किए गए हैं। उदाहरण के लिए, लहसुन पर आयात शुल्क 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दिया गया है। चीन से कच्चे रेशम के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाया गया है। पाटन–रोधी शुल्क इस तरह से समायोजित किया गया है कि न्यूनतम 'लैण्डेड कॉस्ट' सभी शुल्कों सहित कम से कम 33.20 अमरीकी डॉलर प्रति कि.ग्रा. रहे। तरल दूध का कोई आयात नहीं किया जाता है। मैं इसे बिलकुल स्पष्ट करना चाहता हूं। सितम्बर, 2002 के अंत तक मात्र 3.5 करोड़ रु. मूल्य का दुग्ध पाउडर आयात किया गया था। इतने ही राशि का आयात 2001 में किया गया था। मैं सभी कृषि उत्पादों संबंधी ये आयात आंकड़े प्राप्त कर सकता हूं। वे वाणिज्य मंत्रालय के नियमित प्रकाशन हैं, और वे उपलब्ध कराए जाएंगे।...*(व्यवधान)*

श्री महबूब जाहेदी (कटवा) : अन्य खाद्य पदार्थों के बारे में क्या है? आप कहते हैं कि दुग्ध पाउडर नहीं आ रहा है। क्या अन्य दुग्ध उत्पाद आ रहे हैं?

श्री जसवंत सिंह : कोई भी तरल दुग्ध नहीं आ रहा है। मेरे पास इस समय 'चीज' के लिए आंकड़े नहीं हैं। यदि आप पूछ रहे हैं क्या 'चीज' हमारे देश में आ रहा है, मेरे पास चीज के संबंध में आंकड़े इस समय उपलब्ध नहीं हैं। किंतु आप भी वाणिज्य मंत्रालय के दस्तावेज देख सकते हैं। यह वहां उपलब्ध हैं। मैं एक बात और बताना चाहता हूं। एक विचार व्यक्त किया गया था कि कृषि क्षेत्र में सरकार ने पर्याप्त काम नहीं किया है। पहले, मैं न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि के बारे में आपको बताना चाहता हूं। 1997–98 में धान के

[श्री जसवंत सिंह]

लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 415 रु. प्रति क्विंटल था; 2002–03 में यह 550 रु. हो गया। यह 32.5 प्रतिशत वृद्धि है।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : माननीय वित्त मंत्री जी कहीं पर भी धान की खरीद 550 रुपये प्रति क्विंटल पर नहीं हुई है। आप आंकड़े दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई को भी जानने की कोशिश कीजिए। धान की खरीद 450 रुपये प्रति क्विंटल से ज्यादा नहीं हुई है। किसानों का शोषण हुआ है।...*(व्यवधान)* आप अपने क्षेत्रों में जाकर देखिए। किसानों के धान की खरीद नहीं हुई है।...*(व्यवधान)* वित्त मंत्री जी यह सुनिश्चित करें।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको इजाजत नहीं दी है। आपने जब अपना भाषण किया होगा, तब उस समय यह बात कही होगी। मंत्री जी ने आपका भाषण तो सुना है।

[अनुवाद]

श्री जसवंत सिंह : महोदय, इसी अवधि में 1997–98 और 2002–03 के बीच गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 455 रु. से बढ़कर 630 रु. हो गया है जो 38 प्रतिशत की वृद्धि है। तिलहन के रूप में मूंगफली पर न्यूनतम समर्थन मूल्य 980 रु. से बढ़कर 1,375 रु. हो गया है जो कि 40 प्रतिशत की वृद्धि है, सरसों और 'रेप–सीड' पर यह 940 रु. से बढ़कर 1,340 रु. हो गया है जो 42½ प्रतिशत की वृद्धि है और चना पर यह 815 रु. से बढ़कर 1,225 रु. हो गया है जो कि 50 प्रतिशत की वृद्धि है।

श्री के. येरननायडू : अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही कृषि आदान लागत में भी वृद्धि हो रही है।

श्री जसवंत सिंह : मैं जानता हूं।

महोदय, मैंने अभी–अभी उपलब्ध कराई गई कुल सूखा राहत के बारे में उल्लेख किया है। यहां बहुधा यह चर्चा की गई है और इस पर फिर चर्चा होगी, किंतु ऋण की उपलब्धता सुगम, पर्याप्त, बिना कठिनाई के होना चाहिए और इसका ऋण अनुपात जो कि उद्योग के अन्य क्षेत्रों को उपलब्ध है के अनुपात में होना चाहिए। यही कारण है कि हमने कुछ उपाय किए हैं, जो पीएलआर प्लस अथवा माइनस दो हैं, निजी क्षेत्र के बैंकों को इस क्षेत्र में आने के लिए प्रोत्साहित करने का पहलू है। हम चाहते हैं कि निजी क्षेत्र के बैंक कृषि ऋण क्षेत्र और एसएसआई क्षेत्र में प्रवेश करें ताकि ऋण अधिक प्रतिस्पर्धी दरों पर उपलब्ध हो सके।

महोदय, हम एक प्रयोग करने जा रहे हैं, हम कृषि क्षेत्र को ऋण उपलब्ध कराने में डाकघरों को सक्षम बना रहे हैं क्योंकि हमारे यहां पूरे देश में लगभग 1,26,000 डाकघर हैं और उन्होंने पहले रुपये–पैसे का कारोबार किया है। हम कृषि ऋण की समस्या का इससे समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कृषि ऋण के संबंध में अंतिम समाधान मिल गया है? मैं दावा नहीं करता कि यह समाधान पा लिया गया है। हम इसका हल ढूंढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने यह स्थिति विरासत में पाई है। इन परिस्थितियों में मैं अधिक से अधिक यही कर सकता हूं कि ब्याज दर कम किया जाए और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि जब नया पीएलआर घोषित किया जाता है, इस समय जो ब्याज दर दिया जा रहा है उससे कृषि ऋण कम से कम दो से तीन प्रतिशत सस्ता हो जाएगा।

मैं नौवीं योजना अथवा दसवीं योजना में कृषि क्षेत्र को कुल ऋण के प्रवाह का उल्लेख नहीं कर रहा हूं, किंतु, इस समय कृषि ऋण जो बकाया है लगभग 75,000 करोड़ रु. है, जिसका पचास प्रतिशत वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिया गया है, 42 प्रतिशत सहकारी बैंकों और शेष आठ प्रतिशत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा दिया गया है। इसी प्रकार, वाणिज्यिक, सहकारी और ग्रामीण बैंकों ने तीन करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं। क्या यह पूरा हल है? नहीं। किंतु हम किसानों की कठिनाइयों को कम करने के लिए विभिन्न तंत्रों के माध्यम से इसका हल करने का प्रयास कर रहे हैं।

सिंचाई के संबंध में, मैं नहीं समझता कि हम ड्रिप सिंचाई के माध्यम से जो करने का प्रयास कर रहे हैं उसे न्यून नहीं करना चाहिए। हम ड्रिप सिंचाई को क्यों प्रोत्साहित कर रहे हैं? ड्रिप सिंचाई के कारण हम दुर्लभ जल का संरक्षण करते हैं और जहां जरूरत है वहां जड़ में, अत्यंत ही प्रभावी रूप में पानी पहुंचाते हैं। हम इसका प्रसार करना चाहते हैं और ड्रिप सिंचाई शुरू करके सिंचाई की लागत कम करना चाहते हैं। यही कारण है कि, हमने यह करने के लिए कृतिक बल स्थापित करने के तंत्र के बारे में सोचा है।

श्री अधीर चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जानते हैं कि जल हमारे जीवन का आधार है। संपूर्ण सिंधु–गंगा क्षेत्र में करोड़ों लोग आर्सेनिक प्रदूषित पानी प्रतिदिन

पी रहे हैं। यह अत्यंत ही खतरनाक समस्या है। पश्चिम बंगाल राज्य में पहले से ही आठ जिले प्रभावित हैं और लोग संदूषित जल पी रहे हैं जो कि प्रतिलीटर 0.05 एमजी की अनुमत्य सीमा से अधिक संदूषित है जैसा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विहित किया गया है।

श्री जसवंत सिंह : महोदय, मुझे इस कठिनाई का अहसास है। पश्चिम बंगाल राज्य जिस कठिनाई का सामना कर रहा है, वह आंशिक रूप से जल संदूषण से उत्पन्न कठिनाई है। मैं उस राज्य से आता हूं जहां लवणता से युक्त भारी जलाभाव है।

सरकार ने क्या किया है? हमने जल शुद्धीकरण के लिए पैकेज की घोषणा की है जो कि विश्व में अद्वितीय है। मैं यह कहने जा रहा हूं : "शत–प्रतिशत मूल्य ह्रास, शत–प्रतिशत कर–मुक्त, कोई आयात शुल्क नहीं, कोई उत्पाद शुल्क नहीं।" यदि आप जल शुद्ध करना चाहते हैं, जल का विलवणीकरण करना चाहते हैं, जल को प्रदूषण मुक्त करना चाहते हैं और नगरपालिकाओं को थोक में पानी देना चाहते हैं, हम ये सभी सुविधाएं और इस तरह के संयंत्रों को लगाने के लिए शत–प्रतिशत मूल्यह्रास का प्रावधान कर सकेंगे।

मैं सिर्फ जल कितना महत्वपूर्ण है को मान्यता देने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित कर सकता हूं। मैं सिर्फ जो साधन मेरे पास हैं उसके माध्यम से जल के शुद्धिकरण को सुगम बनाने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित कर सकता हूं और मेरे पास सिर्फ राजकोषीय साधन ही है। मेरे ध्यान में यह है। क्या कोई एक दिन में समाधान निकल सकता है। इसका एक दिन में समाधान नहीं निकल सकता है। ड्रिप सिंचाई भी इसी का एक अंग है। यदि हम ड्रिप सिंचाई शुरू करते हैं, हम अपना पानी बचा सकते हैं। इस समय, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आपने मुझसे प्रश्न किया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

श्री अधीर चौधरी : यह माननीय वित्त मंत्री की जानकारी के लिए है। जहां तक प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता का संबंध है, भारत का 180 देशों में 133वां स्थान है। संयुक्त राष्ट्र ने यह रिपोर्ट दी है।...*(व्यवधान)*

श्री जसवंत सिंह : इसके लिए श्रेणी अलग संयुक्त राज्य द्वारा किए गए मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं होती है कि वास्तविकता क्या है। हम वास्तविकता में रहते हैं। श्री शिवराज पाटील मानेंगे जो मैंने कहा है। अभी हम बाढ़ के पानी से सिंचाई करने की स्थिति में नहीं हैं जिसमें कि हम अब लगे हुए हैं। बाढ़ के पानी से सिंचाई करना अत्यन्त महंगा है और हमारे खेतों की सिंचाई करने का एक अपव्ययी तरीका है। जहां इस प्रकार की सिंचाई की जाती है हम सभी ऐसा करते भी हैं। बाढ़ के पानी से वहीं सिंचाई की जा सकती है जहां जल को अच्छे ढंग से एकत्र किया जा सके। हमें इसी बात को प्रतिबिम्बित करना है। क्या हम रातोंरात इसका हल ढूंढ़ पाएंगे? निस्संदेह ऐसा नहीं है। लेकिन इसीलिए हम कहते हैं कि स्प्रिंकलर की मंजूरी देना बेकार की बात है। हमारी जलवायु में स्प्रिंकलर शीतोष्ण जलवायु की तरह कामयाब नहीं है। इसका जवाब ड्रीप सिंचाई है। इसलिए हमें इसका समाधान करना होगा। इसीलिए हमने ऐसा किया है।

इस संबंध में हमने जो अन्य प्रयास किए हैं वे क्या हैं? अब उदाहरण लीजिए–माइक्रो फाइनेंस डवलपमेंट फंड की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड दोनों के 40 करोड़ रुपये के अंशदान के साथ की गई है और 17 राज्यों में केवल कृषि निर्यात को बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारा विश्वास है कि इस देश के किसानों में प्रतिस्पर्धा में विश्व की चुनौतियों का सामना करने की क्षमता है और यदि हम मात्र उनका साथ देने में समर्थ होते हैं वे और भी बेहतर हो सकते हैं।

पूर्वोत्तर राज्यों में कृषि के विकास के लिए एक समेकित बागवानी विकास प्रौद्योगिकी संगठन आरंभ किया गया जिसका कार्य किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करना है। वर्ष 2002 में कृषि बीमे के लिए एक सहकारी संस्था शुरू की गई है। क्या कृषि बीमा संतोषजनक है? अगर यह संतोषजनक नहीं है तो भी हम उस पर आगे बढ़ रहे हैं और उसे सुधारने के लिए प्रयास भी कर रहे हैं।

इसमें अन्य अतिरिक्त पैकेज भी हैं। अब केन्द्रीय क्षेत्र योजना और उच्च प्रौद्योगिकी बागवानी और सुव्यवस्थित खेतीबाड़ी योजनाएं भी हैं। हमारे यहां छोटे–छोटे जोत हैं। परिवार अलग–अलग हो रहे हैं और इससे भूमि का बंटवारा हो रहा है। भूमि जोत कम होती जा रही है इसकी वजह से लोगों का ध्यान नकदी फसल, उच्च मूल्य फसल और सुव्यवस्थित फसलों की ओर गया है। हमें किसानों को ऐसा करने के लिए सक्षम बनाना होगा। हमने मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना

[श्री जसवंत सिंह]

की है क्योंकि विशेषकर दक्षिण में बागवानी उद्योग में लगभग 20 मिलियन नागरिक कार्य कर रहे हैं। कुछ कॉफी उत्पादक विशेषकर कर्नाटक में किसान बड़े उत्पादक नहीं हैं। वे छोटे किसान हैं और उनके पास छोटी जोत है। उनकी कठिनाइयां वास्तविक हैं। इसलिए आधुनिकीकरण करने और स्थिरीकरण की आवश्यकता है। 500 करोड़ रुपये के कोष के संबंध में आप कह सकते हैं कि यह राशि पर्याप्त नहीं है। शायद यह पर्याप्त न भी हो। लेकिन हमने एक शुरूआत की है। राज्यों को भी इसमें देना पड़ेगा। यह राज्य का विषय है।

इसी प्रकार संगणना में हमने उत्पाद शुल्क के 1 रुपये में परिवर्तन किया है क्योंकि यह पहले चाय पर उपकर के रूप में लगता था। यह एक रुपये का उत्पाद शुल्क पहले था हमने इसे चाय आधुनिकीकरण उपकर में बदल दिया है।

उत्पाद शुल्क के संबंध में आपको पता होगा कि प्रत्येक तीसरी मद को बदला गया है। जब मैंने उपकर को चाय के विकास के लिए तब्दील किया तो उसके बाद चाय के विकास के लिए पूरा धन उपलब्ध हो गया। यह उसी प्रयोजन के लिए किया गया है।

अभी, कई मदों पर सीमा शुल्क को घटाया गया है और हमने पहले ही कृषि ऋण को विशेष महत्व देने के प्रश्न पर भी विचार कर लिया है। मैंने पहले ही नदियों को जोड़ने के बारे मे कहा है। मैं सहकारी क्षेत्र के किए गए उन कार्यों को बताकर अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं इस प्रश्न को हल करना चाहता हूं जिसने सभी का ध्यान आकर्षित कराया है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, इसमें सबसे महत्वपूर्ण सवाल खाद और डीजल के दामों का है। खाद और डीजल के बढ़े हुए दामों को सरकार वापस लेगी या नहीं? ...*(व्यवधान)* सबसे पहले जो खाद और डीजल के बढ़े हुए दाम हैं उनको सरकार वापस ले।...*(व्यवधान)* इस संबंध में तरह–तरह की बातें कही जा रही हैं।...*(व्यवधान)*

श्री जसवंत सिंह : अरे बैठिए मुलायम सिंह जी, मैं आपकी ही बात कर रहा हूं।...*(व्यवधान)*

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभणी) : किसानों को खाद पर सब्सिडी डायरेक्ट मिलनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सदस्य खड़े हो रहे हैं और मेरी अनुमति के बिना आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं। आपको उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी के उत्तर को सुनना चाहिए। यदि आपको कोई बात कहनी है तो आप उसे बाद में कह सकते हैं। कृपया बैठ जाइए। उन्हें अपना जवाब पूरा करने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री जसवंत सिंह : मुझे उर्वरकों के बारे में अपने विचारों पर आपके साथ चर्चा करनी है। हमारे सामने राजसहायता की बात है जो कि व्यय का एक बड़ा मुद्दा है जिसे हम सभी जानते हैं। मुझे यह कहने में कोई आशंका नही है कि भारत का राजनीतिक समुदाय संयुक्त रूप से यह बात स्वीकार करता है कि हम 50,000 करोड़ रुपये की राजसहायता जारी नहीं रख सकते। इस 50,000 करोड़ रुपये की राजसहायता में से जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है कि 28,000 करोड़ रुपये की राजसहायता खाद्यान्नों पर दी जाती है। अब यह 28,000 करोड़ रुपये कहां से आएंगे इसमें से कुछ भाग राजसहायता है जिससे किसान लाभान्वित होते हैं इसका एक भाग न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में दिया जाता है। एक भाग खाद्य राजसहायता है जो ग्रामीण रोजगार योजना, अंत्योदय अन्न योजना के लिए जाता है जो कि खाद्य कार्यक्रम आदि के लिए है। इस प्रकार यह 28,000 करोड़ रुपये बनता है।

हम मोटे तौर पर उर्वरक पर 12,000 से 13,000 करोड़ रुपये की राजसहायता देते हैं और पेट्रोलियम उत्पादों पर 9,000 से 10,000 करोड़ रुपये की राजसहायता देते हैं। अब आपको मालूम हो गया होगा और मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि राजसहायता इन तीन घटकों में से दो अर्थात् उर्वरक और पेट्रोलियम हमारे नियंत्रण में नहीं हैं वे अंतर्राष्ट्रीय मूल्य जैसे विभिन्न कारकों द्वारा निर्धारित होते हैं। यदि कच्चे तेल का मूल्य बढ़ता है जो अभी 35 डालर से अधिक हो गया है तो हमारा आयात बजट भी बढ़ेगा। यहां कोई लागू अधिनियमित मूल्य तंत्र नहीं है जिससे पेट्रोलियम उत्पाद अथवा डीजल नियंत्रित होता हो। मिट्टी के तेल और गैस के मूल्य पर नियंत्रण है। लेकिन जहां तक उर्वरक का

संबंध है, महोदय, इस बारे में स्थित बड़ी कठिन है। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे मुझे स्थिति की जटिलता के संबंध में अत्यंत संक्षेप में बोलने की अनुमति दें। किसानों को पहुंच के भीतर (सस्ते भाव पर) उर्वरक प्रदान करना सरकार की उर्वरक मूल्य नीति का मूल उद्देश्य है। इसीलिए विद्यमान अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य से कम मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराया जाता है।...*(व्यवधान)*

डा. एम. वी. वी. एस. मूर्ति : हम उसके लिए काफी अधिक मूल्य अदा कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री जसवंत सिंह : कृपया मेरी बात सुनिए। मुझे माननीय सदस्यों को इस उच्च उर्वरक राजसहायता के लिए कारणों के बारे में बताने दीजिए।

अपराह्न 4.00 बजे

मूल रूप से हमारी इकाइयों में बनाए जाने वाले यूरिया की उत्पादन लागत काफी अधिक है। जबकि हमारे आवश्यक यूरिया के आधे भाग जिसे 13 गैस–आधारित इकाइयों में उत्पादित किया गया है, का औसतन मूल्य 6700 रु. प्रति मीट्रिक टन है जो कि 8,200 रुपये के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य से काफी कम है आज नैफ्था आधारित यूरिया का मूल्य 11,000 रु. से अधिक है। लेकिन बात यहीं पर समाप्त नहीं होती है। ऐसी नैफ्था आधारित इकाइयों में से कुछ इाकइयों को हम अभी 16,000 रुपये प्रति मीट्रिक टन राजसहायता के रूप में भुगतान कर रहे हैं। इसीलिए सरकार को पूरी कार्यवाही करनी पड़ी मंत्रियों के समूह का गठन करना पड़ा और पूरी योजना की पुनः जांच करनी पड़ी। इसी प्रकार ईंधन तेल का प्रयोग करके यूरिया का उत्पादन करने वाली पांच यूरिया इकाइयों के मूल्य और अन्य मामलों पर भी विचार किया गया। यही मुख्य कारण है जिसके परिणामस्वरूप उर्वरक राजसहायता के महत्वपूर्ण भाग को समाप्त करते हुए नैफ्था आधारित इकाइयों के उत्पादन का समर्थन किया गया और इससे किसानों का समर्थन नहीं मिला। हम स्थिति को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार स्थिति को ठीक करने के लिए कटिबद्ध है। राजसहायता वास्तव में उपयुक्त व्यक्ति तक अवश्य पहुंचनी चाहिए। राजसहायता किसानों के पास पहुंचनी चाहिए। अक्षम इकाइयों को 16,000 रु. प्रति मीट्रिक टन की राजसहायता देते रहना उचित नहीं है। यही बात हमें दुख पहुंचा रही है। सरकार के पास एक योजना है।

श्री ए. सी. जोस (त्रिचूर) : यह अक्षम इकाइयों के कारण नहीं है यह नैफ्था मूल्य के कारण है। जब तक हम नैफ्था के स्थान पर किसी अन्य चीज का उपयोग नहीं करते हम इसे समाप्त नहीं कर सकते।

[अनुवाद]

श्री जसवंत सिंह : मैं इसका जवाब दूंगा। पहले मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए।

इसके अतिरिक्त छः महीनों में नैफ्था के मूल्य में लगभग 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

[हिन्दी]

डा. सुशील कुमार इन्दौरा (सिरसा) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि...*(व्यवधान)*

श्री जसवंत सिंह : इन्दौरा जी, मैं आपकी ही बात का उत्तर दे रहा हूं।

डा. सुशील कुमार इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात मंत्री जी सुन तो लें। आज प्रश्न–काल में माननीय केमीकल एंड फर्टीलाइजर मंत्री कह रहे थे कि खाद की सबसिडी सीधे किसानों को जा रही है और अब वित्त मंत्री जी कह रहे हैं कि खाद की सबसिडी किसानों को नहीं जा रही है। अब इन दोनों बातों में से कौन सी सही है, यह मैं समझ नहीं पाया। दोनों बातें अपने आप में कंट्रोवर्शियल हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : सुबह मंत्री जी ने कहा था कि यह किसानों के पास जाएगा।

श्री जसवंत सिंह : अभी इस पर क्या हो रहा है यदि आप उर्वरक इकाई को दी गई 16,000 रुपये प्रति मिट्रिक टन राजसहायता और राजसहायता जो किसानों तक वास्तव में पहुंच रही है, के बीच तुलना करते हैं तो उसके बाद मैं कहना चाहूंगा कि यह बहुत कम राशि है जो किसानों तक पहुंच रही है। सरकार ने इस संबंध में तीन प्रकार का दृष्टिकोण अपनाया है। पहला, हमें गैस आधारित सक्षम इकाइयों द्वारा उच्चतर उत्पादन को प्रोत्साहन देना पड़ेगा। इस उद्देश्य के लिए मंत्रियों का समूह है जिसने पहले ही एक परियोजना की घोषणा की है और उस पर निस्संदेह केबिनेट द्वारा विचार किया जाएगा। वे इस संबंध में एक योजना की घोषणा करेंगे कि फैक्टरी को दी जाने वाली राजसहायता के बारे में क्या किया जाएगा।

[श्री जसवंत सिंह]

अब फैक्टरियों को दी जाने वाली सहायता में 50 प्रतिशत की कटौती में से कुछ प्रतिशत किसानों को दिया जाएगा। सुझाव दिया गया था कि किसानों को सीधे ही सहायता दी जाए। इसको एक बार अपनाया भी गया था। एमडीओ और बीडीओ से अपेक्षित था कि वे किसानों को सीधे ही राजसहायता प्रदान करें। लेकिन इससे बहुत अव्यवस्था हो गई थी।

श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति : तो नैफ्था आधारित फैक्टरी से कौन खरीदेगा?

श्री जसवंत सिंह : मैं उसी बात पर आ रहा हूं। इसलिए मैं माननीय सदस्यों के साथ यह बात करना चाहूंगा। फिर मैंने यहां हुई चर्चा को देखा।

[हिन्दी]

और उसके बाद, कई प्रकार के समाचार छपने लगे कि मैं बहुत हठी हूं, किसी की नहीं सुनता। मैं हठधर्मिता के कारण किसी की नहीं मानता। जब ये समाचार मैंने पढ़े, तो मैं आज प्रातः माननीय प्रधान मंत्री जी से पूछने गया कि क्या मैं बहुत हठी हूं, क्या मैं किसी की मानता नहीं हूं। उन्होंने मुझसे कहा कि में अपने ब्रह्म से पूछूं। मैंने फिर अपने ब्रह्म से पूछा। इसमें इतनी बड़ी द्विविधा या संकट की जरूरत नहीं है। अगर सभी लोगों का यह मानना है कि 700 करोड़ रुपये, फर्टीलाइजर का काम सुधारने के लिए उसकी कीमत मत बढ़ाइए, तो मत बढ़ाइए, इसमें कोई बात नहीं है। मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तीन दिन की बहस में माननीय सदस्य लगातार इसी घानी से तेल निकाले जा रहे हैं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : फर्टिलाइजर के दाम पर पूरा सदन सहमत है। आप वोटिंग करा लीजिए। ...*(व्यवधान)*

श्री जसवंत सिंह : अध्यक्ष जी, ये लोग मानेंगे नहीं। विशेषकर हमारे जो बहुत पुराने मित्र हैं, वे मानेंगे नहीं। इन तिलों में तेल नहीं है। इस विषय में तेल नहीं है।...*(व्यवधान)* अगर नहीं बढ़ाना तो मत बढ़ाइए। परन्तु वास्तव में जो समस्या है, वह सबसिडी की समस्या है। केवल सरकार को नहीं बल्कि हम सभी को कभी न कभी इस सबसिडी की समस्या का समाधान निकालना होगा। रहा मात्र इसका सवाल...*(व्यवधान)* आप पहले मेरी बात सुन लीजिए।...*(व्यवधान)*

श्री धर्म राज सिंह पटेल (फूलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि उर्वरक में छूट दी जाए और कार के उत्पादन में जो छूट दी गई है, वह वापिस ली जाए। वह पैसा आपको मिल जाएगा।...*(व्यवधान)*

श्री जसवंत सिंह : जो देना था, वह दे दिया है।...*(व्यवधान)* मैं एक चीज, सदन में मैं ऐसी बात नहीं कहता क्योंकि अब अवसर है, बार–बार ऐसी बात मैं नहीं कहूंगा। कई माननीय सदस्यों को मेरे बारे में भ्रांतियां हैं।...*(व्यवधान)* कुछ ऐसे ही कहने लगे। अब मार्ग्रेट अल्वा जी मेरी बहुत पुरानी मित्र हैं। उन्होंने भी बहुत सारी बातें कहीं। मैंने बहुत साधारण घर में जन्म लिया है।...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह : आपके प्रति हमारा बहुत आदर है।...*(व्यवधान)*

श्री जसवंत सिंह : मैंने बहुत साधारण घर में जन्म लिया है। मैंने अपने हाथों से बैलों के पीछे हल खड़े किए हैं। आप यह मत कहिए। मैंने बचपन में अरज पर बैठकर कुओं से पानी निकाला है। यह आप हमको मत कहिए। मेरे भाई श्री किशन सिंह जी ने हमें पहचाना। वे कहां गए? मैं भी गांव में रहने वाला हूं। गांव में ही मैंने जन्म लिया है। अब मैं क्या कहूं। किस–किस प्रकार की संज्ञाएं राजनीति में सुनने को आती हैं, चलो यही सही। मुझे इस विषय में और कुछ नहीं कहना। मेरा माननीय सदस्यों से यही निवेदन है कि उर्वरक को लेकर आप फिजूल की आग न लगाएं। उर्वरक का गलत प्रयोग जमीन में आग लगाता है। जहां पानी नहीं है, सूखा है, उस सूखे में कौन यूरिया डालेगा? आप हमें बताइए कि वहां कौन यूरिया डालेगा इसलिए उर्वरक को देखें।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री के. एच. मुनियप्पा (कोलार) : एक व्यक्ति, जो कार खरीद रहा है, को 20,000 से 30,000 रुपये का लाभ होगा। लेकिन इसके साथ–साथ एक किसान अथवा कृषि श्रमिक को इससे क्या लाभ होगा? किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है। यही बात मैं कहना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री जसवंत सिंह : उर्वरक को लेकर इस बहस को यहीं समाप्त किया जाए। मुझे और कुछ नहीं कहना। धन्यवाद। ...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो कहा, उसका कोई अर्थ नहीं है।...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी स्पष्ट घोषणा करें। वे बढ़ी हुई कीमतें वापिस लें।...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी यूरिया, खाद की बढ़ी हुई कीमतें वापिस लें। घूमा–फिराकर बात करने की आवश्यकता नहीं है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। अब मैं मतदान कराऊंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जसवंत सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम भ्रमित हैं। क्या होता है कि जब भ्रम की परछाईं हमारे दिमाग में आ जाती है तो वह परछाईं बार–बार दिखती है। मैंने उर्वरक पर जो रेट बढ़ाया है, वह वापिस ले लिया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब मैं मतदान की प्रक्रिया शुरू कर रहा हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, डीजल के दाम का क्या हुआ?...*(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, डीजल का क्या हुआ? ...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश परांजपे (ठाणे) : एम.पी. लैड का क्या हुआ? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री एस. जयपाल रेड्डी।

श्री एस. जयपाल रेड्डी (मिरयालगुडा) : महोदय, वित्त मंत्री जी...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री जयपाल रेड्डी, ऐसा लगता है कि सभा अत्यंत प्रसन्न है और सभा कुछ अन्य सुनने के मूड में नहीं है।

(व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, हम बिलकुल भी खुश नहीं हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ऐसा लगता है कि सभा मंत्री जी द्वारा दिए गए निर्णय से अत्यंत प्रसन्न है।

(व्यवधान)

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : लघु बचत की ब्याज दर के बारे में क्या राय है?

श्री एस. जयपाल रेड्डी : महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री से आग्रह करूंगा कि वे इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर स्पष्टीकरण दें। मैं कोई महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं उठा रहा हूं। ग्रामीण अवसंरचना वित्त कोष (आरआईडीएफ) नामक एक योजना थी इसे वापस लिया गया है क्या वे उस पर पुनः विचार करेंगे? यह ग्रामीण क्षेत्र में अवसंरचना विकास के लिए है। यह कोष काफी नहीं है। वे इस विषय पर कंजूस और कृपण क्यों हैं?

श्री जसवंत सिंह : महोदय, में यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि यह वापस ले लिया गया है। निधि वापस नहीं ली गई है...*(व्यवधान)* महोदय, मैं इसका उत्तर दूंगा... *(व्यवधान)* मुझे उत्तर देने दीजिए...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सुरेश रामराव जाधव : हम विनती करते हैं कि मंत्री जी एम.पी. लैड की घोषणा कर दें।...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह : एम.पी. लैड को खत्म कीजिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री जसवंत सिंह : महोदय, जहां तक ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष का संबंध है, इस बारे में मैं आश्वासन देता हूं कि वह वापस नहीं ली गई है। हर बात की जानकारी रखने वाली अधिकारी दीर्घा की तरफ से मुझे अभी सूचना मिली है कि यह निधि चल रही है और इसमें इस समय 600 करोड़ रुपये हैं।

[हिन्दी]

जहां तक एम.पी. लैड का सवाल है, मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि यह मेरा विभाग नहीं है, यह पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री का विभाग है। यह स्पीकर और पार्लियामेंट्री अफेयर्स ...*(व्यवधान)*

[श्री जसवंत सिंह]

श्री प्रकाश परांजपे : छः साल से यही हो रहा है। ...*(व्यवधान)* वे इस संबंध में कभी किसी मंत्रालय और कभी किसी मंत्रालय को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। यह क्या हो रहा है?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री एच. डी. देवगौड़ा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री एच. डी. देवगौड़ा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रकाश परांजपे : हमको पागल बना रहे हैं, यहां से वहां घुमा रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : अध्यक्ष महोदय, इनके 28 लाख वोटर हैं।...*(व्यवधान)* यह कौन सा न्याय है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रकाश परांजपे : महोदय एम.पी. लैड में इस प्रकार की भारी असमानताएं हैं। मैं यह सवाल गत छह वर्षों से उठा रहा हूं और वे कभी किसी और कभी किसी के ऊपर जिम्मेदारी डाल रहे हैं? मैं गत छह वर्ष से प्रयास कर रहा हूं।...*(व्यवधान)* महोदय, मैं उत्तर चाहता हूं। अन्यथा में कठोर कार्रवाई करूंगा। यह और कुछ नहीं बल्कि सत्ताधारी दल द्वारा एक संसद सदस्य का अपमान है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री प्रकाश परांजपे : प्रत्येक वर्ष वे एक ही बात कह रहे हैं। जब वहां प्रमोद महाजन थे तो उन्होंने मुझे वित्त मंत्री से बात करने को कहा। इसके बाद वित्त मंत्री ने संसदीय कार्य मंत्री से बात करने को कहा। फिर वे मुझे प्रधान मंत्री से बात करने को कहेंगे। यह क्या हो रहा है? ऐसा बहुत पहले से हो रहा है।...*(व्यवधान)* फिर भी वे इस पर विचार नहीं कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सुरेश रामराव जाधव : यह सबके मन में है लेकिन बोलते नहीं हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एच. डी. देवगौड़ा (कनकपुरा) : अध्यक्ष महोदय, जब वित्त मंत्री महोदय बहस का उत्तर दे रहे थे तो मैंने हस्तक्षेप नहीं किया। मैं पिछले बेंच पर बैठकर उनकी बात सुन रहा था। उन्होंने मेरे द्वारा कही गई कुछ बातों का उल्लेख किया। इसके लिए में उन्हें धन्यवाद देता हूं।

मुझे वित्त मंत्री महोदय से केवल एक अनुरोध करना है। सभा ने इस महीने की 13 तारीख केवल किसानों की समस्याओं पर चर्चा के लिए ही नियत की है। मैं अपनी बात केवल यूरिया के मामले तक ही सीमित नहीं रख रहा हूं। समस्याएं अनेक हैं। बहस के लिए अनेक सदस्यों ने सूचना दी है। मैं अनुरोध करता हूं कि मंत्री महोदय उस दिन सभा में उपस्थित रहें।

बहस का उत्तर देते समय मंत्री महोदय ने हमारे द्वारा उठाए गए मुद्दों के प्रति बहुत रुचि दर्शायी है। उन्होंने भी यह कहा कि वे स्वयं एक किसान थे। यह सुनकर मैं प्रसन्न हूं। मुझे नहीं पता था कि वे एक किसान थे। कृषि मंत्री कोई आश्वासन नहीं दे सकते। खाद्य मंत्री भी गन्ना उत्पादकों की समस्याओं का उत्तर नहीं दे सकते। इसीलिए वित्त मंत्री महोदय को उस दिन सभा में उपस्थित होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मुझे मतदान भी कराना है। कृपया अपना प्रश्न पूछिए। आप उनसे एक प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री एच. डी. देवगौड़ा : यदि उस चर्चा के दौरान वित्त मंत्री महोदय भी उपस्थित रहें तो इससे बहुत मदद मिलेगी।

श्री जसवंत सिंह : निश्चय ही! उपस्थित होने में मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी। मेरे सामने केवल एक समस्या है कि 13 मार्च को मुझे दूसरी सभा में बजट पर हुई चर्चा का उत्तर देना है। यदि मुझे वहां उत्तर देना होगा तो मैं उपस्थित नहीं हो पाऊंगा। अन्यथा मैं यहां उपस्थित रहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं लेखानुदानों की मांगों (सामान्य) 2003–2004 को मतदान के लिए रखूंगा।

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, छोटे निवेशकों के प्रति सरकार के दृष्टिकोण के विरोध में हम सभा भवन से बाहर जाते हैं।

अपराह्न 4.17 बजे

(इस समय श्री रूपचन्द पाल और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 33, 35 और 36, 38 से 62, 64 से 70, 72 और 73, 75 से 103 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने के लिए या के संबंध में, कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से, लेखे पर, राष्ट्रपति को दी जाएं।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 2003–2004 के लिए लेखानुदानों की मांगें (सामान्य)

मांग संख्या	मांग का नाम	सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत लेखानुदान की मांग की राशि	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
1	2	3	4
कृषि मंत्रालय			
1.	कृषि और सहकारिता विभाग	614,64,00,000	22,15,00,000
2.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	251,82,00,000	
3.	पशुपालन और डेरी कार्य विभाग	86,27,00,000	4,06,00,000
एग्रो और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय			
4.	एग्रो और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय	111,17,00,000	10,00,000
परमाणु ऊर्जा विभाग			
5.	परमाणु ऊर्जा	270,76,00,000	190,15,00,000
6.	न्यूक्लीयर विद्युत योजनाएं	244,43,00,000	333,33,00,000
रसायन और उर्वरक मंत्रालय			
7.	रसायन और पैट्रोरसायन विभाग	9,73,00,000	210,98,00,000
8.	उर्वरक विभाग	3851,66,00,000	64,70,00,000
नागर विमानन मंत्रालय			
9.	नागर विमानन मंत्रालय	207,05,00,000	7,85,00,000

1	2	3	4
कोयला मंत्रालय			
10.	कोयला मंत्रालय	72,98,00,000	4,17,00,000
खान मंत्रालय			
11.	खान मंत्रालय	185,21,00,000	3,42,00,000
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय			
12.	वाणिज्य विभाग	278,23,00,000	25,50,00,000
13.	औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग	63,89,00,000	–
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय			
14.	डाक विभाग	932,56,00,000	21,53,00,000
15.	दूरसंचार विभाग	227,94,00,000	17,00,000
16.	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	75,88,00,000	6,48,00,000
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय			
17.	उपभोक्ता मामले विभाग	6,18,00,000	39,00,000
18.	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	4704,51,00,000	58,39,00,000
रक्षा मंत्रालय			
19.	रक्षा मंत्रालय	779,00,00,000	64,30,00,000
20.	रक्षा पेंशन	1833,29,00,000	–
21.	रक्षा सेवाएं–थल सेना	4940,11,00,000	–
22.	रक्षा सेवाएं–नौसेना	842,34,00,000	–
23.	रक्षा सेवाएं–वायु सेना	1419,85,00,000	–
24.	रक्षा आयुध निर्माणियां	693,50,00,000	–
25.	रक्षा सेवाएं–अनुसंधान एवं विकास	457,32,00,000	–
26.	रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	–	3490,41,00,000
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग			
27.	पूर्वोत्तर क्षेत्र वकिास विभाग	153,33,00,000	11,70,00,000
विनिवेश मंत्रालय			
28.	विनिवेश मंत्रालय	4,73,00,000	–

1	2	3	4
	पर्यावरण और वन मंत्रालय		
29.	पर्यावरण और वन मंत्रालय	183,19,00,000	4,24,00,000
	विदेश मंत्रालय		
30.	विदेश मंत्रालय	585,70,00,000	82,51,00,000
	वित्त एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय		
31.	आर्थिक कार्य विभाग	730,19,00,000	42,84,00,000
32.	करेंसी, सिक्का निर्माण और स्टाम्प	145,39,00,000	90,70,00,000
33.	वित्तीय संस्थाओं को अदायगियां	1259,96,00,000	531,98,00,000
35.	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अन्तरण	4364,11,00,000	—
36.	सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण	—	112,50,00,000
38.	व्यय विभाग	4,00,00,000	—
39.	पेंशन	747,88,00,000	—
40.	भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग	160,71,00,000	2,58,00,000
41.	राजस्व विभाग	161,43,00,000	2,27,00,000
42.	प्रत्यक्ष कर	201,80,00,000	19,25,00,000
43.	अप्रत्यक्ष कर	189,25,00,000	44,18,00,000
44.	कम्पनी कार्य विभाग	8,62,00,000	50,00,000
	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय		
45.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	13,47,00,000	—
	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय		
46.	स्वास्थ्य विभाग	426,16,00,000	52,84,00,000
47.	भारतीय चिकित्सा प्रणालियां एवं होम्योपेथी विभाग	32,41,00,000	33,00,000
48.	परिवार कल्याण विभाग	997,69,00,000	—
	भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय		
49.	भारी उद्योग विभाग	22,15,00,000	286,29,00,000
50.	सरकारी उद्यम विभाग	2,10,00,000	—

1	2	3	4
गृह मंत्रालय			
51.	गृह मंत्रालय	116,22,00,000	3,42,00,000
52.	मंत्रिमंडल	42,70,00,000	35,00,000
53.	पुलिस	1560,03,00,000	182,33,00,000
54.	गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	125,69,00,000	–
55.	संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण	102,23,00,000	71,60,00,000
मानव संसाधन विकास मंत्रालय			
56.	बुनियादी शिक्षा और साक्षरता विभाग	917,44,00,000	–
57.	माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग	826,09,00,000	1,00,000
58.	महिला और बाल विकास विभाग	707,48,00,000	–
सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय			
59.	सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	214,93,00,000	38,60,00,000
श्रम मंत्रालय			
60.	श्रम मंत्रालय	161,81,00,000	3,00,000
विधि और न्याय मंत्रालय			
61.	निर्वाचन आयोग	1,83,00,000	–
62.	विधि और न्याय	98,36,00,000	9,00,000
गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय			
64.	गैर–पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय	84,19,00,000	20,84,00,000
महासागर विकास विभाग			
65.	महासागर विकास विभाग	33,22,00,000	–
संसदीय कार्य मंत्रालय			
66.	संसदीय कार्य मंत्रालय	67,00,000	–
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय			
67.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	19,34,00,000	–
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय			
68.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	1354,71,00,000	–

1	2	3	4
योजना मंत्रालय			
69.	योजना मंत्रालय	13,13,00,000	–
विद्युत मंत्रालय			
70.	विद्युत मंत्रालय	311,46,00,000	470,51,00,000
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उप-राष्ट्रपति का सचिवालय			
72.	लोक सभा	30,18,00,000	–
73.	राज्य सभा	14,06,00,000	–
75.	उप–राष्ट्रपति का सचिवालय	18,00,000	–
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय			
76.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	935,20,00,000	1070,74,00,000
ग्रामीण विकास मंत्रालय			
77.	ग्रामीण विकास विभाग	4316,54,00,000	5,00,00,000
78.	भूमि संसाधन विभाग	175,61,00,000	–
79.	पेय जलापूर्ति विभाग	1100,23,00,000	–
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय			
80.	विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग	161,81,00,000	8,35,00,000
81.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	188,05,00,000	1,35,00,000
82.	जैव–प्रौद्योगिकी विभाग	45,56,00,000	–
नौवहन मंत्रालय			
83.	नौवहन मंत्रालय	89,35,00,000	58,33,00,000
लघु उद्योग मंत्रालय			
84.	लघु उद्योग मंत्रालय	62,93,00,000	3,33,00,000
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय			
85.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	221,18,00,000	21,25,00,000
अंतरिक्ष विभाग			
86.	अंतरिक्ष विभाग	314,71,00,000	80,01,00,000

1	2	3	4
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय			
87.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	631,54,00,000	4,19,00,000
इस्पात मंत्रालय			
88.	इस्पात मंत्रालय	11,39,00,000	2,17,00,000
कपड़ा मंत्रालय			
89.	कपड़ा मंत्रालय	203,52,00,000	81,46,00,000
पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय			
90.	संस्कृति विभाग	90,62,00,000	–
91.	पर्यटन विभाग	26,80,00,000	34,25,00,000
जनजातीय कार्य मंत्रालय			
92.	जनजातीय कार्य मंत्रालय	21,34,00,000	6,88,00,000
संघ राज्य क्षेत्र (विधान-मंडल रहित)			
93.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	145,14,00,000	35,23,00,000
94.	चंडीगढ़	143,07,00,000	25,74,00,000
95.	दादरा और नागर हवेली	56,76,00,000	6,05,00,000
96.	दमन और दीव	44,69,00,000	5,06,00,000
97.	लक्षद्वीप	37,87,00,000	5,99,00,000
शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय			
98.	शहरी विकास विभाग	117,00,00,000	215,41,00,000
99.	लोक निर्माण कार्य	111,99,00,000	46,54,00,000
100.	लेखन–सामग्री और मुद्रण	27,14,00,000	3,00,000
101.	शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन विभाग	59,18,00,000	47,82,00,000
जल संसाधन मंत्रालय			
102.	जल संसाधन मंत्रालय	122,11,00,000	9,50,00,000
युवा मामले और खेल मंत्रालय			
103.	युवा मामले और खेल मंत्रालय	71,84,00,000	1,54,00,000
	जोड़ राजस्व/पूंजी	49823,71,00,000	8365,79,00,000

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) 2002–2003 को मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है :

"कि कार्य–सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के संबंध में 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य–सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं :

मांग संख्या 1, 3 से 15, 28, 30, 35 और 36, 38 से 40, 42, 45, 47 से 51, 54 से 58, 60, 63, 66 और 67, 73 से 80, 82 और 83, 85 से 88, 90, 94 और 98 से 102."

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 2002–2003 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य)

मांग संख्या	मांग का नाम	सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग की राशि	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
1	2	3	4
कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय			
1.	कृषि और सहकारिता विभाग	2,00,000	–
3.	पशुपालन और डेरी कार्य विभाग	1,00,000	–
4.	कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय	1,00,000	–
रसायन और उर्वरक मंत्रालय			
5.	रसायन और पैट्रो–रसायन विभाग	–	61,00,00,000
6.	उर्वरक विभाग	–	293,74,00,000
नागर विमानन मंत्रालय			
7.	नागर विमानन मंत्रालय	1,00,000	–
कोयला और खान मंत्रालय			
8.	कोयला विभाग	1,00,000	–
9.	खान विभाग	–	9,99,00,000
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय			
10.	वाणिजय विभाग	3,00,000	1,00,000
11.	औद्योगिक नीति तथा संवर्द्धन विभाग	8,35,00,000	–
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय			
12.	डाक विभाग	190,94,00,000	–

1	2	3	4
13.	दूरसंचार विभाग	277,20,00,000	33,16,00,000
14.	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	2,01,00,000	–
रक्षा मंत्रालय			
15.	रक्षा मंत्रालय	–	1,00,000
वित्त मंत्रालय			
28.	वित्तीय संस्थाओं को अदायगियां	–	635,74,00,000
30.	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अन्तरण	802,53,00,000	–
35.	भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग	3,47,00,000	1,00,00,000
36.	राजस्व विभाग		17,00,000
38.	प्रत्यक्ष कर	79,58,00,000	–
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय			
39.	उपभोक्ता कार्य विभाग	–	15,00,00,000
40.	खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	2983,67,00,000	–
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय			
42.	स्वास्थ्य विभाग	1,18,00,000	–
गृह मंत्रालय			
45.	गृह मंत्रालय	–	1,00,000
47.	पुलिस	1,00,000	5,00,00,000
48.	गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	241,00,00,000	–
49.	संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण	85,88,00,000	133,53,00,000
मानव संसाधन विकास मंत्रालय			
50.	बुनियादी शिक्षा और साक्षरता विभाग	1,00,000	–
51.	माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग	4,00,000	–
भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय			
54.	भारी उद्योग विभाग	6,68,00,000	75,01,00,000
सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय			
55.	सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	1,00,000	–

1	2	3	4
श्रम मंत्रालय			
56.	श्रम मंत्रालय	2,00,000	–
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय			
57.	विधि और न्याय	95,75,00,000	–
58.	निर्वाचन आयोग	62,00,000	–
60.	कम्पनी कार्य विभाग	1,00,000	–
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय			
63.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	26,00,000	1,05,00,000
विद्युत मंत्रालय			
66.	विद्युत मंत्रालय	40,77,00,000	5,35,00,000
ग्रामीण विकास मंत्रालय			
67.	ग्रामीण विकास विभाग	1099,72,00,000	–
लघु उद्योग मंत्रालय			
73.	लघु उद्योग मंत्रालय	1,00,000	–
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय			
74.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	1,00,000	–
इस्पात मंत्रालय			
75.	इस्पात मंत्रालय	67,55,00,000	61,12,00,000
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय			
76.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	3,00,000	2,00,000
नौवहन मंत्रालय			
77.	नौवहन मंत्रालय	158,31,00,000	–
कपड़ा मंत्रालय			
78.	कपड़ा मंत्रालय	3,00,000	1,00,000
पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय			
79.	पर्यटन मंत्रालय		25,00,00,000
80.	संस्कृति विभाग	1,01,00,000	–

1	2	3	4
शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय			
82.	शहरी विकास विभाग	–	1,00,000
83.	लोक निर्माण कार्य	–	1,00,000
85.	शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन विभाग	–	31,26,00,000
जल संसाधन मंत्रालय			
86.	जल संसाधन मंत्रालय	–	11,67,00,000
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय			
87.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	2,00,000	–
युवा मामले और खेल मंत्रालय			
88.	युवा मामले और खेल मंत्रालय	10,02,00,000	1,00,000
परमाणु ऊर्जा विभाग			
90.	न्यूक्लीयर विद्युत योजनाएं	–	335,00,00,000
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उप-राष्ट्रपति का सचिवालय			
94.	राज्यसभा	7,28,00,000	–
विधान-मंडल रहित संघ राज्य क्षेत्र			
98.	अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह	–	17,67,00,000
99.	चंडीगढ़	26,68,00,000	5,16,00,000
100.	दादरा और नगर हवेली	6,00,000	2,20,00,000
101.	दमन और दीव	2,57,00,000	35,00,000
102.	लक्षद्वीप	4,00,000	45,00,000
	कुल जोड़	6193,42,00,000	1759,71,00,000

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी. एच पांडियन (तिरुनेलवेली) : महोदय, एम.पी. लैड स्कीम के संबंध में सभी संसद सदस्यों ने मुझे कहा है कि सभापति पेनल का सदस्य होने के नाते मैं इस बात को सदन में रखूं। आपने प्रधान मंत्री के साथ बैठक की थी। आपने इसे 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3 करोड़ किए जाने की इच्छा व्यक्त की। हम आपके साथ हैं। हम चाहते हैं कि सभी सदस्यों के लिए 2 करोड़ की धनराशि बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये कर दी जाए। एम.पी. लैड स्कीम निर्वाचन क्षेत्र में लोगों की आवश्यकताओं को पूरा कर रही है। अध्यक्ष महोदय, निर्वाचक समूह यह आशा करता है कि आप इस मामले पर प्रधान मंत्री से बात करें।

श्री अधीर चौधरी : महोदय, हम इस विषय पर आपको पूरा सहयोग दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अब मतदान प्रक्रिया शुरू कर दी है।

अब मैं अतिरिक्त अनुदानों की मांगें 2000–2001 मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है :

"कि कार्य–सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के संबंध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान संबंधित अनुदानों से अतिरिक्त राशि की कमी को पूरा करने के लिए कार्य–सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राशियों से अनधिक संबंधित अतिरिक्त राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं :

मांग संख्या 1 और 21"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 2000–2001 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य)

मांग संख्या	मांग का नाम	सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत मांग की राशि	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
1	2	3	4
कृषि मंत्रालय			
1.	कृषि और सहकारिता विभाग	–	43,72,665
रक्षा मंत्रालय			
21.	रक्षा आयुध निर्माणियां	229,69,86,853	–
	जोड़	229,69,86,853	43,72,665

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रो. रासासिंह रावत (अजमेर) : अध्यक्ष महोदय, एम.पी. लैड के बारे में आपने कहा था। आपने प्रधान मंत्री जी से भी बात की थी। हम सबकी इच्छा है कि सांसद क्षेत्र विकास निधि की राशि बढ़नी चाहिए।...*(व्यवधान)*

अपराह्न 4.20 बजे

[अनुवाद]

सरकारी विधेयक–पारित

(एक) विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2003*

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 2003–2004 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियां निकालने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 2003–2004 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियां निकालने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जसवंत सिंह : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव करेंगे।

श्री जसवंत सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 2003–2004 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियां निकालने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि वित्तीय वर्ष 2003–2004 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों को निकालने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

---

*भारत के राजपत्र असाधारण, भाग–II, खंड–2, दिनांक 11.3.2003 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

[श्री जसवंत सिंह]

श्री तरित बरण तोपदार इस विधेयक पर विचार किए जाने पर आपत्ति करना चाहते हैं।

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर) : महोदय, मैं बजट भाषण के दौरान उनके भाषण में राजकोषीय सुदृढ़ता के संबंधी कॉलम में दावों के खोखलेपन का मुद्दा उठाना चाहता हूं।

आर्थिक सर्वेक्षण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि चालू खाता अधिशेष इस वर्ष के स्थिर निर्यात और आयात के सीमान्त नकारात्मक वृद्धि के कारण है, अर्थव्यवस्था की अस्थायी विशेषता हो सकती है क्योंकि धारणीय चालू खाता अधिशेष को स्थायी तथा युक्तिसंगत निर्यात–आयात वृद्धि जो कि विदेशों में भारतीय वस्तुओं और उत्पादों की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता की आवश्यकताओं के बढ़ते हुए विकास के संगत होनी चाहिए। यह पिछले आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है।

अपने भाषण में, राजकोषीय सुदृढ़ता के कॉलम में, मंत्री महोदय ने दावा किया है मानो यह स्थायी विशेषता है। मैं समझता हूं कि यह जनता की आंखों में धूल झोंकने और देश की वास्तविक राजकोषीय स्थिति को गलत ढंग से प्रकट करने का प्रयास है।

अध्यक्ष महोदय : आप संक्षेप में बोलिए।

श्री तरित बरण तोपदार : मैं यह कहना चाहता हूं कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अंधाधुंध विनिवेश से देश की औद्योगिक क्षमता की नींव हिल जाएगी और यह भी इस सारी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भी गंभीर संदेह है।

तीसरे, स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में, आम जनता की पहुंच बहुत कम रहेगी क्योंकि आईडीपीएल और सार्वजनिक क्षेत्र की ऐसी कंपनियां, जो आम जनता के लिए कम मूल्य की दवाइयों का उत्पादन करती थीं, का विनिवेश कर दिया गया है।

सिर्फ आयात और निर्यात में थोड़ी रियायत से जनता को स्वास्थ्य देखभाल के संबंध में लाभ नहीं मिल सकेगा।

बजट के दिशाहीन होने के कारण बेरोजगारी बढ़ रही है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि निवेश की कोई दिशा नहीं है कि क्या यह सार्वजनिक निवेश है अथवा गैर–सरकारी निवेश है अथवा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश है। जूट क्षेत्र की जानबूझकर उपेक्षा की गई है जो वस्त्र उद्योग का बहुत बड़ा भाग है। वस्त्र उद्योग पर लम्बी चर्चा के बावजूद और वस्त्र उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों को इतनी अधिक रियायतें देने के बावजूद भी जूट उद्योग की उपेक्षा की गई है। जूट उद्योग के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा गया है।

अंत में, राज्यों की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए कोई ठोस नीति निर्देश नहीं हैं। देश की जनता को भ्रम में डालने और आंखों में धूल झोंकने के लिए मात्र दिखावा किया गया है।

श्री जसवंत सिंह : महोदय, मैं माननीय सदस्य को उनके सुझाव के लिए धन्यवाद देता हूं। मैंने उनके सुझाव विचार के लिए स्वीकार कर लिए हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 2003–2004 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियां निकालने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकार हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंड–वार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 4 विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री जसवंत सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.26 बजे

[अनुवाद]

विधेयक, सरकारी

(दो) विनियोग विधेयक, 2003*

445-46

अध्यक्ष महोदय : अब सभा मद सं. 28 लेगी।

वित्त और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 2002–2003 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 2002–2003 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जसवंत सिंह : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव करेंगे।

श्री जसवंत सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 2002–2003 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 2002–2003 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*भारत के राजपत्र असाधारण, भाग–II, खंड–2, दिनांक 11.3.2003 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा इस विधेयक पर खंड–वार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गयी।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री जसवंत सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.30 बजे

[अनुवाद]

विधेयक, सरकारी

(तीन) विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2002*

446-448

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक जितनी रकमें उक्त वर्ष के लिए उन सेवाओं पर व्यय की गई थीं उनकी पूर्ति के लिए भारत की संचित निधि में से धन राशियों का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक जितनी रकमें उक्त वर्ष के लिए उन सेवाओं पर व्यय की गई थीं उनकी पूर्ति के लिए भारत की संचित निधि में से

*भारत के राजपत्र असाधारण, भाग–II, खंड–2, दिनांक 11.3.2003 में प्रकाशित।

[श्री जसवंत सिंह]

धन राशियों का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जसवंत सिंह : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित* करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव करेंगे।

श्री जसवंत सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक जितनी रकमें उक्त वर्ष के लिए उन सेवाओं पर व्यय की गयी थीं; उनकी पूर्ति के लिए भारत की संचित निधि में से धन राशियों का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक जितनी रकमें उक्त वर्ष के लिए उन सेवाओं पर व्यय की गयी थीं; उनकी पूर्ति के लिए भारत की संचित निधि में से धन राशियों का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री जसवंत सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा मद संख्या 32 पर चर्चा करेगी।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, आप इस मद को कल ले सकते हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह सभा के निर्णय पर निर्भर करता है।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, आप इस मुद्दे को कल ले सकते हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यदि सभा की ऐसी इच्छा है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का अनुरोध है कि श्री जसवत सिंह द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले संकल्प पर कल चर्चा की जाए। यदि सभा सहमत है तो मैं इसे चर्चा के लिए कल लूंगा।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, कृपया इसे कल शुरू करें। हमें इस संकल्प पर बोलना है। आज पहले ही गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य का लगभग डेढ़ घंटा पूरा हो गया है...*(व्यवधान)*

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया) : महोदय, सदन की इच्छा है कि रिजोल्युशन को विचार के लिए ले लिया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे बजट से संबंधित सभी मदों को चर्चा के लिए आज ही लेना है।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, यह विषय बजट से संबंधित नहीं है...*(व्यवधान)* यह 12 फरवरी, 1999 को माध्यस्थम बोर्ड द्वारा अधिनिर्णय को अस्वीकार करने से संबंधित...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यदि पूरी सभा सहमत हो तो मुझे इस मद को कल शुरू करने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यदि सभा इसे आज शुरू करने पर सहमत है तो मैं इसे आज ही शुरू करूंगा।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, इसे आप कल शुरू करें ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 4.35 बजे

[अनुवाद]

संकल्प

माध्यस्थम बोर्ड के अधिनिर्णय को अस्वीकृत करने के सरकार के प्रस्ताव का अनुमोदन करने के बारे में संकल्प

449-454

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल) : महोदय, श्री जसवंत सिंह की ओर से मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र और अनिवार्य माध्यस्थम की योजना के पैरा 21 के निबंधनों के अनुसार भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग के लेखापरीक्षा कर्मचारिवृन्द को दौरा विशेष वेतन दिए जाने के बारे में माध्यस्थम बोर्ड द्वारा 1992 के सी.ए. संदर्भ संख्या 13 में 12 फरवरी, 1999 को दिए गए अधिनिर्णय को अस्वीकार करने संबंधी सरकार के प्रस्ताव का अनुमोदन करती है क्योंकि इस अधिनिर्णय के कार्यान्वयन से बकाया भुगतानों के रूप में 5,47,18,800 रुपये से अधिक और 1,36,79,700 रुपये प्रतिवर्ष का आवर्ती व्यय होगा, जिसके परिणामस्वरूप अल्प संसाधनों का अपयोजन विकासात्मक व्यय के बजाय गैर–उत्पादक व्यय पर होगा तथा इससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र और अनिवार्य माध्यस्थम की योजना के पैरा 21 के निबंधनों के अनुसार भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग के लेखापरीक्षा कर्मचारिवृन्द को दौरा विशेष वेतन दिए जाने के बारे में माध्यस्थम बोर्ड द्वारा 1992 के सी.ए. संदर्भ सख्या 13 में 12 फरवरी, 1999 को दिए गए अधिनिर्णय को अस्वीकार करने संबंधी सरकार के प्रस्ताव का अनुमोदन करती है क्योंकि इस अधिनिर्णय के कार्यान्वयन से बकाया भुगतानों के रूप में 5,47,18,800 रुपये से अधिक और 1,36,79,700 रुपये प्रतिवर्ष का आवर्ती व्यय होगा, जिसके परिणामस्वरूप अल्प संसाधनों का अपयोजन विकासात्मक व्यय के बजाय गैर–उत्पादक व्यय पर होगा तथा इससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।"

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, इस विशेष मामले पर बहस के लिए समय आवंटित किया गया है। सभा इस मद पर चर्चा करेगी।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : आप इसे कल शुरू कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने सभा के विचारों को समझ लिया है। सभा में पूर्ण सहमति है।

श्री बसुदेव आचार्य : लेकिन मुझे इस पर आपत्ति है।

अध्यक्ष महोदय : आप बोल सकते हैं और आप इसके विरुद्ध भी अपना मत दे सकते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : बजट संबंधी मामलों को पूरा करने के लिए सभा के विचार जाने गए थे। लेकिन यह मामला बजट से संबंधित नहीं है। महोदय, यह उचित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यह मद माननीय मंत्री महोदय द्वारा पुरःस्थापित की गई है। एक बार फिर मैं सभा से यह जानना चाहूंगा कि क्या इसे अभी निपटाना है। जैसा कि श्री बसुदेव आचार्य ने उल्लेख किया है, सामान्य परम्परा यह है कि जब भी गैर–सरकारी सदस्यों संबंधी कार्य होते हैं हम उसे प्राथमिकता देते हैं। यदि हम उसे अब उठाएंगे, तो उसमें काफी लम्बा

समय लग जाएगा। अतः वास्तव में यह वांछनीय है कि हम गैर–सरकारी सदस्यों संबंधी कार्यों पर चर्चा करें और इसे कल किसी भी समय पूरा किया जा सकता है। यहां अनेक वक्ता हैं और अनेक संशोधन भी किए जाने हैं।

यह संकल्प प्रस्तुत किया गया है। हम इसे यहीं छोड़ देते हैं और गैर–सरकारी सदस्यों के कार्यों पर चर्चा करते हैं। अब गैर–सरकारी सदस्यों संबंधी कार्यों पर चर्चा करने में कोई कठिनाई नहीं है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मुझे एम.पी.एल.ए.डी. मुद्दे पर कुछ निवेदन करना है। मेरा निवेदन निम्न प्रकार है। आपने एम.पी.एल.ए.डी.एस. के संबंध में सभा की एक समिति गठित की थी, विगत में जिसके अध्यक्ष श्री बी. बी. रमैय्या थे। वहां हमने विस्तार से चर्चा की और पाया कि तेरहवीं लोक सभा ही केवल ऐसी लोक सभा है जिसने माननीय सदस्यों के सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रों में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के अधिकतम प्रतिशत का सफलतापूर्वक उपयोग किया है।

महोदय, जांच द्वारा यह पता चला है कि यहां कुछ ऐसी राज्य सरकारें हैं जिन्होंने स्कूल और कॉलेजों की बात भी नहीं की। उन स्कूलों और कॉलेजों को संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना कार्यक्रम द्वारा काफी लाभ पहुंचाया गया है। यही स्थिति ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के साथ भी है।

हमारे भूतपूर्व अध्यक्ष, स्वर्गीय श्री बालयोगी ने हैदराबाद में एक सम्मेलन आयोजित किया था। वहां, इस बात का उल्लेख किया गया था कि संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के कुशल कार्यान्वयन द्वारा ग्रामीण शिक्षा सेवा के उत्थान को लाभ पहुंचा है। लेकिन, इसके अलावा हमें दो गंभीर पक्षपातों के संबंध में भी पता चला है। प्रथम, कुछ राज्यों में, विधायकों को प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के लिए 50 लाख से 75 लाख रुपये के बीच धनराशि दी जाती है और दिल्ली में 1 करोड़ रुपये की राशि दी जाती है। लेकिन जिन संसद सदस्यों के पास उनके निर्वाचन क्षेत्र में सात से नौ विधान सभा क्षेत्र हैं, उन्हें केवल 2 करोड़ रुपये मिल रहे हैं। अतः भूतपूर्व अध्यक्ष और मेरे विचार में आपने भी यह राय व्यक्त की थी कि यही एक ऐसा कोष है जिसे सीधे ही जनता के कल्याण के लिए उपयोग किया जाता है।

जैसा कि आप जानते हैं, आजकल संसद सदस्य–अनेक कानूनों के पारित हो जाने के बाद अपने सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रों में मजूबर होते हैं क्योंकि निचले स्तर के कार्य पंचायती सज संस्थानों द्वारा किए जाते हैं और अन्य कार्य विधायकों और राज्य सरकारों द्वारा किए जाते हैं। संसद सदस्यों के पास लोगों तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं होता है। यह एकमात्र रास्ता है, जिसके द्वारा संसद सदस्य अपने मतदाताओं तक पहुंच सकते हैं।

अतः, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखकर कृपया संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति की सिफारिशों को सरकार द्वारा स्वीकार किया जाए। भोजनावकाश के पश्चात् अथवा उससे पहले वे अनुपूरक मद को प्रस्तुत कर सकते हैं और हम सभी इसे समर्थन देंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैं अब गैर–सरकारी सदस्यों संबंधी कार्यों पर चर्चा करवाने जा रहा हूं। इस मुद्दे पर आगे चर्चा कल की जाएगी।

श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल : कृपया संकल्प को स्वीकृत करें।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मेरे द्वारा उठाए गए इस मुद्दे पर आपकी टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने माननीय प्रधान मंत्री जी को अपनी राय पहले ही दे दी है। अब इस संबंध में वित्त मंत्री और अन्यों को निर्णय लेना है। मैं पहले ही इस संबंध में बोल चुका हूं। मैं अब इस संबंध में चर्चा आरम्भ नहीं कर रहा हूं। मैं गैर–सरकारी सदस्यों के कार्यों के लिए उपलब्ध समय नहीं लेना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : आप सदस्यों को इस मुद्दे पर बोलने के लिए अनुमति क्यों दे रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी को अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री पी. एच. पांडियन (तिरुनेलवेली) : आपने माननीय प्रधान मंत्री जी के साथ संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के मुद्दे को 2 करोड से 3 करोड तक बढाने के लिए

उठाया था। कुछ राज्यों में विधायकों को विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए 50 लाख रु. और इससे अधिक मिल रहे हैं। एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में छः अथवा इससे अधिक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र होते हैं।

श्री कीर्ति झा आजाद (दरभंगा) : महोदय, मुझे एक अनुरोध करना है। जब यह माननीय अध्यक्ष महोदय और संसदीय कार्य मंत्री का विशेषाधिकार है, तो आप स्वयं अध्यक्षपीठ से क्यों नहीं प्रस्तुत करते? हम सभी इसे समर्थन देंगे।

अध्यक्ष महोदय : यह वास्तव में आसान नहीं है।

(व्यवधान)

श्री पी. एच. पांडियन : महोदय, केवल यही समिति है जो कि सीधे आपके क्षेत्राधिकार में आती है। महोदय, आप वस्तुतः समिति के अध्यक्ष हैं और मैं केवल नाममात्र के लिए हूं। अध्यक्ष महोदय, सरकार और संसदीय कार्य मंत्री से वचन देने के लिए कह सकते हैं। उन्होंने विगत में भी वचन दिया था।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वित्त मंत्री ने आपकी भावनाओं को समझ लिया है और वह पहले ही कह चुके हैं कि वे सभा के विभिन्न सदस्यों द्वारा उठाई गई सभी समस्याओं पर विचार करेंगे यह मुद्दा भी उठाया जा रहा है।

(व्यवधान)

श्री पी. एच. पांडियन : एक राज्य के एक वर्ग द्वारा वातावरण खराब किया गया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हमें अपना मामला खराब नहीं करना चाहिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कीर्ति झा आजाद : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना सफलता से चल रही है, यह भी कामयाब होगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री महोदय, क्या आप इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहेंगे क्योंकि सदस्यों ने इसे उठाया है?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कीर्ति झा आजाद : स्पीकर साहब, आप इसे करवा दीजिए। एम.पी. लैड्स में पैसा बढ़ाना चाहिए। लोग खड़े नहीं हो पा रहे हैं जो कह सकें कि इसे बढ़ाइए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से लगभग पूरी सभा की राय यह है कि यह राशि बढ़ायी जानी चाहिए। कृपया मंत्री महोदय को इस मुद्दे के संबंध में कुछ कहने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री पी. एच. पांडियन : हमने बिना किसी विरोध के सर्वसम्मति से विनियोग विधेयक पारित कर दिया था...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

वित्त और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे आदेश दिया है। इसके लिए मैं अपने ब्रह्म से पूछूंगा।

अध्यक्ष महोदय : यहां तक तो ठीक है।

अपराह्न 4.42 बजे

(डा. रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन हुए*)

[अनुवाद]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के इकतीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

श्री ई. पोन्नुस्वामी (चिदम्बरम) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 6 मार्च, 2003 को सभा में प्रस्तुत गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के इकतीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 6 मार्च, 2003 को सभा में प्रस्तुत गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के इकतीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.44 बजे

[हिन्दी] संकल्प गैर सरकारी

गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प,

455 – 478

गौ और गोवंश के वध पर पाबन्दी–*जारी*

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (बालाघाट) : सभापति महोदय, 26 जुलाई, 2002 को मेरे द्वारा जो संकल्प प्रस्तुत किया गया :

"इस सभा की यह राय है कि सरकार सम्पूर्ण देश में गौ और गोवंश के वध पर पाबंदी लगाने हेतु एक उपयुक्त विधान लाए।"...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री पटेल, क्या इसे वापस ले रहे हैं?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप लोग कृपया आसन ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कोई बात रिकार्ड पर नहीं जाएगी।

*(व्यवधान)**

श्री प्रहलाद सिंह पटेल : सभापति महोदय, मैंने पिछली बार भी आग्रह किया था और सरकार ने अपना पक्ष रखा था। पिछली बार भी इस बात को लेकर मतदान की स्थिति थी। ...*(व्यवधान)* मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस संकल्प पर सदन का अभिमत जान लिया जाए। अगर सदन में इस बात पर बहुमत है तो बात खत्म हो जाती है और सदन की कार्यवाही आगे बढ़ाई जा सकती है।...*(व्यवधान)*

श्री धावरचन्द गेहलोत (शाजापुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है। माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस नहीं ले रहे हैं तो वोटिंग के अलावा कोई दूसरा विकल्प हमारे पास नहीं है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : ठीक है। आप बैठिए।

(व्यवधान)

श्री कीर्ति झा आजाद (दरभंगा) : वे वापस नहीं ले रहे हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपको खड़े होने की जरूरत नहीं है। सब नियम–कायदे से होगा।

(व्यवधान)

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर) : सभापति महोदय, मैं भी उठकर अपना पॉइंट ऑफ ऑर्डर ही रखने जा रहा हूं मगर मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर जरा सा लंबा होगा और मैं उसके लिए आपकी अनुमति चाहूंगा। मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है कि यह रिजॉल्यूशन है, बिल नहीं है।...*(व्यवधान)*

कुमारी उमा भारती (भोपाल) : पहले रूल बताइए।

श्री शिवराज वि. पाटील : मैं रूल नहीं कांस्टीट्यूशन बता रहा हूं।...*(व्यवधान)*

कुमारी उमा भारती : बिना रूल के कैसे पॉइंट ऑफ ऑर्डर हो सकता है?...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील : पॉइंट ऑफ ऑर्डर कांस्टीट्यूशन के नीचे होता है और कनवैन्शन्स के नीचे होता है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप पूछने के हकदार नहीं हैं। कृपा कर आसन ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

श्री शिवराज सिंह चौहान (विदिशा) : पूछने के हकदार सब हैं। क्यों नहीं हैं?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : 40–50 एम.पी. खड़े होकर बोलेंगे तो कोई बात रिकार्ड पर नहीं जा पाएगी। आप कृपा कर आसन ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

श्री कीर्ति झा आजाद : आप कहते हैं एक आदमी बोलेगा तो मैं बता देता हूं।

---

*कार्यवाही–वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : आप क्या बोलते हैं, मैं ही बता देता हूं।

(व्यवधान)

श्री भावरचन्द गेहलोत : महोदय, मैं नियम 181 के अंतर्गत पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज कर रहा हूं। मैंने पहले पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज किया था। आप उनको पहले बोलने का मौका कैसे दे सकते हैं?...*(व्यवधान)* सभापति महोदय, नियम 181 के अन्तर्गत संकल्प के बारे में, मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठा रहा हूं। नियमानुसार जब अनेक विषयों में से किसी एक विषय के अन्तर्गत किसी संकल्प पर चर्चा हो चुकी हो, तो अध्यक्ष संकल्प को विभाजित कर सकेगा और जैसा वह उचित समझे, प्रत्येक विषय मत के लिए अलग–अलग रखेगा। इसलिए अब यह स्टेज पर आ चुका है कि नियम इस पर किसी प्रकार की चर्चा कराने की अनुमति नहीं देता। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इस पर विभाजन की प्रक्रिया प्रारम्भ करें।

सभापति महोदय : जिन माननीय सदस्य का यह रिजोल्यूशन है, उनसे पूछा गया कि क्या आप वापस लेंगे, जब वे वापस नहीं लेंगे, तो प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इसलिए आपको इस समय पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाने की जरूरत नहीं है।

अब, कांग्रेस के श्री शिवराज वि. पाटील का पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या है, सुन लीजिए। इस प्रकार से आतुर होने से काम नहीं चलेगा। आप सब लोग कृपया आसन ग्रहण कीजिए।

श्री शिवराज वि. पाटील : चेयरमैन साहब, यह मौका बहुत ही अहम है और आपकी तरफ से जो रूलिंग आएगी, उससे इतिहास बनेगा।

मैं सदन के समक्ष कहना चाहता हूं कि सदन का काम यदि संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया जाता है, यदि सदन का काम रूल्स के मुताबिक नहीं चल रहा है, तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया जाता है और यदि हाउस का काम कन्वैंशंस के मुताबिक नहीं चल रहा है, तो भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया जाता है। जो मैं कहने जा रहा हूं, उसके ऊपर यदि सदन का कोई माननीय सदस्य उठकर अपनी बात कहना चाहे, तो हम सुनने के लिए तैयार रहेंगे और सभापति महोदय, मुझे लगता है कि आपको उन माननीय सदस्य को बोलने के लिए भी अवसर देना चाहिए। हम उनको बोलने से नहीं रोकेंगे।

महोदय, मेरा कहना यह है कि यह रिजोल्यूशन है, बिल नहीं है। बिल नहीं होने और रिजोल्यूशन होने के कारण एक दिक्कत हमारे सामने आ गई है। अगर यह बिल होता, तो बिल इंट्रोड्यूज करते समय हम कहते कि बिल पास करने की इस हाउस को लैजिस्लेटिव कंपीटेंस नहीं है। चूंकि यह रिजोल्यूशन है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस सदन को इसे पास करने की कोई काम्पीटेंस नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। यह अधिकार क्यों नहीं है, इस बारे में आप अपनी विद्वत्ता के अनुसार जोर देकर आप बता सकते हैं, इसकी मुखालिफत कर सकते हैं, मगर मैं आपको संविधान से पढ़कर बता रहा हूं कि...*(व्यवधान)*

जो आप कह रहे हैं, मैं उसका भी उत्तर दूंगा।

चेयरमैन साहब, मैं बताना चाहता हूं कि हमारा कांस्टीट्यूशन कहता है कि हमारे यहां तीन लिस्टें हैं। पहली यूनियन लिस्ट, दूसरी स्टेट लिस्ट और तीसरी कॉन्करेंट लिस्ट। जो विषय यूनियन लिस्ट में हैं, उन विषयों पर कानून बनाने का पूरा अधिकार सदन को है। इसी प्रकार कॉन्करेंट लिस्ट में जो विषय दिए गए हैं, उनके ऊपर भी कानून बनाने का एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकार इस सदन को है, लेकिन स्टेट लिस्ट में जो विषय हैं, उनके ऊपर इस सदन को कानून बनाने या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर देने का कोई अधिकार संविधान के अन्तर्गत नहीं दिया गया है।

अब, जब यह सब्जैक्ट आता है और यहां आप कहने जा रहे हैं कि इस सदन को गौहत्या–बन्दी के संबंध में कानून बनाना चाहिए, तो मैं कह रहा हूं कि संविधान के प्रावधानों के अनुसार ऐसा कानून बनाने का अधिकार इस सदन को नहीं है। इस तरह का कानून बनाने का इस सदन को अधिकार तो होना चाहिए, तभी तो हम सदन से कानून बनाने की बात कह सकेंगे। अगर उस प्रकार का अधिकार नहीं है।...*(व्यवधान)* आप बीच–बीच में मत बोलिए। आप उसका जवाब जरूर दीजिए। हम चुपचाप सुनेंगे। मैं कह रहा हूं कि जो कनकरैंट लिस्ट है या यूनियन लिस्ट है, उसके अंदर कोई भी यहां से उठकर बताए कि इस एंट्री के मुताबिक सदन को कानून बनाने का या एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकार जताने का कोई अधिकार है या नहीं? कोई बताए, हम सुनने के लिए तैयार हैं। जिसने रेजोल्यूशन मूव किया है, वह बताए। हम सुनने के लिए तैयार रहेंगे। मैं बोलने जा रहा हूं कि यहां पर कानून बना है। हमारे देश में...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह कौन सा आर्टिकल है?

(व्यवधान)

श्री शिवराज वि. पाटील : मैं कनकरैंट लिस्ट की बात कर रहा हूं।...*(व्यवधान)* मैं शैड्यूल की बात कर रहा हूं। हमारे कांस्टीट्यूशन की तीन लिस्ट हैं--यूनियन लिस्ट, कनकरैंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। यहां हमारा कांस्टीट्यूशन कहता है कि हम यूनियन लिस्ट के अधिकार में ही कोई कानून बना सकते हैं। अगर यूनियन लिस्ट में नहीं है तो नहीं बतनाइए। कनकरैंट लिस्ट में नहीं है तो आप नहीं बना सकते। अगर स्टेट लिस्ट में है तो यह अधिकार स्टेट के लेजिस्लेचर का है। वह इस सदन का अधिकार नहीं है। इसलिए स्टेट ने गौ हत्या बंदी पर कानून बनाया है। स्टेट लिस्ट की एंट्री नंबर 15 के मुताबिक वह कानून बनाया हुआ है।...*(व्यवधान)* स्टेट लिस्ट की एंट्री 15 यह कहती है कि...*(व्यवधान)*

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : सभापति महोदय, गो हत्या पर प्रतिबंध लगाने संबंधी विधेयक पर इस सदन में बहस हो चुकी है।...*(व्यवधान)* उस पर मतदान भी हुआ है।...*(व्यवधान)* इस संकल्प के माध्यम से उस पर कानून बनाने की मांग हो रही है। इसमें केवल मत विभाजन के और कुछ भी स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।...*(व्यवधान)* यह केवल सदन का समय बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है।...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील : हम उनकी बात सुनने के लिए तैयार हैं।...*(व्यवधान)* अगर इस प्रकार से रोका जाएगा और सदन में पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर बैठकर उनको नहीं रोक सकते तो हमें बताएं कि यह कैसे होगा।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप आसन ग्रहण कीजिए। पहले इनको अपनी बात समाप्त करने दीजिए।

(व्यवधान)

योगी आदित्यनाथ : सभापति जी, इसी सदन में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने संबंधी विधेयक माननीय श्री गुमान मल लोढ़ा जी द्वारा लाया गया था। उस पर मत विभाजन हुआ था। ...*(व्यवधान)* वह माननीय सदस्य स्पीकर भी रह चुके हैं।... *(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील : स्टेट लिस्ट की एंट्री 15 कहती है।...*(व्यवधान)*

योगी आदित्यनाथ : सभापति जी, अगर सदन में यह संकल्प स्वीकार किया गया है तो इस पर मत विभाजन का अधिकार सदन के पास होना चाहिए। यह केवल सदन के समय को बर्बाद करने का षड्यंत्र हो रहा है। इस प्रकार नहीं होने देना चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील : स्टेट लिस्ट की एंट्री 15 कहती है...*(व्यवधान)* संविधान की सातवीं अनुसूची में राजसूची के अधीन प्रविष्टि 15 में कहा गया है :

> "पशुधन का परिरक्षण, संरक्षण और सुधार तथा जीव–जन्तुओं के रोगों का निवारण, पशु–चिकित्सा प्रशिक्षण और व्यवसाय।"

इस एंट्री के नीचे, सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने, जहां पर हमारी गवर्नमेंट भी थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उन्होंने भी कानून बनाया। मध्य प्रदेश में कानून बना है, महाराष्ट्र में कानून बना है। बहुत सारी स्टेट्स ने इस संबंध में कानून बनाया है। आप बताएं कि यूनियन लिस्ट में या कनकरेंट लिस्ट में कौन सी एंट्री के नीचे यह कानून बनाया जा सकता है। लॉ मिनिस्टर आकर बताएं, होम मिनिस्टर बताएं या जिन्होंने इस संकल्प को मूव किया है, वह बताएं। जो कुछ बताना है, वह बताएं।...*(व्यवधान)* इसके बाद भी अगर वह कहते हैं कि यहां बैठकर...*(व्यवधान)* हम यहां बैठकर इसे पास करें, हम गौ हत्या बंदी के खिलाफ नहीं हैं। इस संबंध में जो कानून बना है, वह हम लोगों ने बनाया है। हमने महाराष्ट्र में कानून बनाया है, राजस्थान में कानून बनाया है, मध्य प्रदेश में कानून बनाया है।...*(व्यवधान)*

अपराह्न 5.00 बजे

(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर) : सभापति महोदय, रूल 186 के अंतर्गत मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : पहले इनकी बात सुन ली जाए।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : अगर ऐसा करेंगे तो हम हाउस नहीं चलने देंगे।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कोई बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

*(व्यवधान)**

अपराह्न 5.01 बजे

(इस समय श्री सुन्दर लाल तिवारी तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

---

*कार्यवाही–वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : ये प्वाइंट ऑफ ऑर्डर पर बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप अपनी सीट पर जाइए।

(व्यवधान)

अपराह्न 5.03 बजे

(इस समय श्री सुन्दर लाल तिवारी तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर वापस चले गए।)

सभापति महोदय : अब कनक्लूड किया जाए।

(व्यवधान)

श्री शिवराज वि. पाटील : ये अगर बाद में बोलना चाहें तो हम चुपचाप सुन लेंगे। मगर हमें बोलने ही नहीं देंगे, यह बात सही नहीं है और जब हम बोलें तो हमारी बात सुनें और आपको पसन्द नहीं आए तो छोड़ दो।...*(व्यवधान)* मैं यही बात बोलने जा रहा था कि इस सदन को आज के कांस्टीट्यूशन के मुताबिक इस प्रकार का कानून बनाने का अधिकार है या नहीं है, यह पहले देखना चाहिए। अगर वैसा अधिकार नहीं है तो इस कांस्टीट्यूशन को पहले बदलकर इस सदन को अधिकार देना पड़ेगा और उसके बाद इस प्रकार का कानून बनाया जा सकता है। हम गौ–हत्या पर प्रतिबंध के फेवर में हैं, इसीलिए हमारी सरकार ने आज नहीं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : यदि वे इसी प्रकार अपना रवैया जारी रखते हैं तो हम सरकार को सहयोग नहीं दे सकेंगे। महोदय, यह क्या हो रहा है?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : सुन लीजिए। यह क्या हो रहा है?

श्री शिवराज वि. पाटील : गौ–हत्या का कानून कांग्रेस पक्ष की सरकारों ने आज नहीं बीस साल के पहले बनाया। ...*(व्यवधान)* महाराष्ट्र में बनाया है, दूसरे प्रांतों में बनाया है मगर वह कानून स्टेट लेजिस्लेचर की तरफ से बना है। अगर इस सदन को कानून बनाना है तो पहले घटना की दुरुस्ती करनी पड़ेगी। उसके बाद कानून बनाया जा सकता है और यह कानून बन भी गया तो वह कानून लागू करने का काम स्टेट गवर्नमेंट को करना पड़ता है और यूनियन गवर्नमेंट की मशीनरी वहां पर नहीं है। इस हालत में यह कानून बनाना और उसको इम्पलीमेंट नहीं करना यह बात भी गलत होगी। इस मुद्दे को आप पोलिटिकल मुद्दा बनाकर लोगों की इमोशंस से खेल रहे हैं, यह बात गलत है।...*(व्यवधान)* आर्टिकल 48, डाइरेक्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, वह भी देखें :

[अनुवाद]

"राज्य, कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा और विशिष्टतया गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और भारवाही पशुओं की नस्लों के परिरक्षण और सुधार के लिए और उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाएगा।"

[हिन्दी]

अगर आपको इस आर्टिकल के नीचे कानून बनाना है तो वह स्टेट गवर्नमेंट को लागू करना पड़ेगा और आइटम नं. 15 के मुताबिक वहां जाकर करना पडेगा। मैं कानूनी बात कह रहा हूं। इस सदन के अधिकार की बात कह रहा हूं। काउ–स्लॉटर को रोकने के लिए जो भी करना जरूरी है, वह पहले ही किया है, यह मैं बता रहा हूं। हम उसके खिलाफ नहीं हैं, यह बता रहा हूं। इसके बावजूद भी अगर आप लोग यहां पर इस प्रकार की बात करते हैं और इस हद तक जाते हैं कि किसी सदस्य को भी बोलने नहीं देंगे और रिजोल्यूशन पास कराएंगे तो ऐसे नहीं होगा। इस सदन में भी नहीं होगा और बाहर भी नहीं होगा और आप समझते हैं कि इससे आपका कोई फायदा होने वाला है तो ऐसा नहीं है। एक सदस्य ने बराबर कहा कि नर हत्या हो रही है यहां पर।...*(व्यवधान)* यह बात ठीक नहीं है। मैं यह बात भी कहता हूं कि लेजिस्लेटिव कम्पीटेंस इस पर होने की वजह से ऐसा है। मिनिस्टर साहब हमें समझाकर बोलें तो हम सुनने के लिए तैयार हैं। ...*(व्यवधान)*

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : सभापित जी, आदरणीय पाटील जी ने एक कानूनी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि यह विधिसम्मत नहीं है और इस सदन को यह अधिकार नहीं है कि वह इसके संबंध में कानून बनाए। हमारे यहां तीन तरह की सूचियां हैं। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कन्करेंट लिस्ट। उनका कहना

है कि न यह यूनियन लिस्ट का विषय है और न कन्करेंट लिस्ट का विषय है, इसलिए इस सदन को यह अधिकार नहीं है कि वह कानून बनाए। मैं उनके कानूनी चीज का जवाब कानून से ही देना चाहूंगी और यह कहना चाहूंगी कि इस समय प्रहलाद सिंह पटेल जी ने जो चीज यहां रखी है, वह बिल नहीं है। वह प्रस्ताव है और लेजिस्लेटिव कम्पीटेंस का मुद्दा विधेयक के संदर्भ में निश्चित तौर पर उठाया जा सकता है लेकिन प्रस्ताव के माध्यम से केवल भावना ही व्यक्त की जा रही है। कानून बनाने की बात नहीं की जा रही है। पूरे का पूरा सदन यह भावना केन्द्र सरकार को दे सकता है कि केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को यह लिखे।...*(व्यवधान)* किसी भी विषय पर यह सदन अपनी भावना प्रकट करते हुए केन्द्र सरकार को यह कह सकता है कि केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को यह लिखे...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : यह संकल्प केन्द्र सरकार को निर्देश देता है कि वह गोवध पर पाबंदी लगाने के लिए कानून पारित करे।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : उन्हें अपना भाषण समाप्त करने दीजिए।

श्री वरकला राधाकृष्णन : महोदय, मुझे इस पर अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति दी जाए।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : पहले सुन लीजिए इसलिए अब आप आसन ग्रहण करें।

श्रीमती सुषमा स्वराज : इस सदन को यह पूरा–पूरा अधिकार हासिल है कि वह कोई प्रस्ताव पारित करके केन्द्र सरकार को कहें कि इन तमाम भावनाओं को वह राज्य सरकारों को भी लिखे और कहे कि इस तरह के कानून बनाएं। अगर जरूरत है, सदन महसूस करता है, जो लेजिस्लेटिव काम्पीटेंस की बात कही है, लेजिस्लेटिव काम्पीटेंस का मुद्दा केवल और केवल बिल के सम्बन्ध में उठाया जा सकता है। प्रस्ताव पारित करने से लेजिस्लेटिव का काम्पीटेंस के विषय को रोका नहीं जा सकता। इसलिए यह सदन प्रस्ताव पारित करके केन्द्र सरकार को अपनी भावना का प्रकटीकरण करना चाहता है और कहना चाहता है कि हम केन्द्र सरकार को यह कह रहे हैं कि पूरे सदन की मंशा है या बहुमत की मंशा है कि गोहत्या पर प्रतिबंध लगाओ, वह यह प्रस्ताव पारित कर सकता है। लेजिस्लेटिव काम्पीटेंस के मुद्दे पर किसी प्रस्ताव को पारित करने से नहीं रोका जा सकता। शिवराज पाटील जी ने जो राय दी है, उस पर यह मेरा जवाब है।...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील : जो मंत्री महोदया ने कहा है, उसके बारे में मैं एक मिनट लेना चाहूंगा।...*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज) : माननीय पाटील जी ने जिस मुद्दे को उठाया है, संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी उससे सहमति व्यक्त की है। लेकिन हम पाटील जी से जानना चाहते हैं, हम उस समय सदन के सदस्य नहीं थे, लेकिन उस समय गुमान मल लोढा जी सदन के माननीय सदस्य थे। वे इस तरह का प्रस्ताव सदन में लाए थे। उस समय पाटील जी लोक सभा के अध्यक्ष थे। उस समय यह प्रस्ताव पास हुआ था।...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : पास नहीं हुआ था। वापस ले लिया गया था।...*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा : ठीक है वोटिंग हुई थी और हार गए थे।...*(व्यवधान)*

श्री चिन्मयानन्द स्वामी (जौनपुर) : उस समय हार गए थे, लेकिन आपने यह सब करवाया था।

श्री रघुनाथ झा : राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक और संत विनोबा भावे जी प्रारम्भ से ही इस बात को कहते रहे हैं कि गोहत्या पर प्रतिबंध लगना चाहिए। राज्य सरकार के मुख्य मंत्री श्री दिग्विजय सिंह...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील : संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो कहा है, मैंने बहुत ध्यान से सुना है। मैं उनकी सराहना करता हूं कि उन्होंने इसमें से सही रास्ता निकालने के लिए सुझाव दिए। मगर मेरे ख्याल से संसदीय कार्य मंत्री जी ने यह रिजोलुशन पढ़ा नहीं है इसलिए उनको गलतफहमी है। मैं उन्हें रिजोलुशन पढ़कर बताता हूं। उसके बाद आप बताएं कि वह जो कह रही हैं वह लागू होता है या नहीं। रिजोलुशन यह है कि,

[अनुवाद]

> "इस सभा की यह राय है कि सरकार सम्पूर्ण देश में गौ और गोवंश के वध पर पाबन्दी लगाने हेतु एक उपयुक्त विधान लाए।"

इसमें सरकार को निर्देश देने के लिए नहीं कहा जा रहा है। इसमें सरकार से गौ और गोवंश के वध पर पाबन्दी लगाने के लिए उपयुक्त विधान लाने हेतु कहा जा रहा है।

[हिन्दी]

मंत्री महोदया ने जो कहा है, उनके एक–एक शब्द से मैं सहमत हूं, लेकिन अगर सरकार को डायरेक्शन देने के बारे में जो बात है, वह सही है, लेकिन यह रिजोलुशन है, यह लेजिस्लेचर बनाने के लिए है। इसलिए इसको अपनाना होता है। जहां तक आपने सवाल किया, वह कौन सी बात थी, मुझे याद नहीं है, आपको याद होगी।...*(व्यवधान)*

श्री चिन्मयानन्द स्वामी : उस समय माननीय शिवराज पाटील जी, आप स्पीकर थे। आप दसवीं लोक सभा की कार्यवाही मंगाकर देख लीजिए। आपकी अध्यक्षता में यह प्रस्ताव पारित हुआ था।...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील : मुझे याद नहीं है। उसके बारे में मैं भाषण नहीं करूंगा, मैं स्पष्ट बात करूंगा।...*(व्यवधान)* आप मुझ पर मत चिल्लाइए। कृपया सोच–समझकर बोलें! ...*(व्यवधान)* जैसी गलती आपसे हुई है, वैसी गलती मेरी तरफ से नहीं होनी चाहिए...*(व्यवधान)* सवाल आज का है। अगर पहले कोई गलती मैंने की हुई है तो वह गलती आप भी करेंगे। ...*(व्यवधान)* आप हमें बोलने नहीं दे रहे हैं।...*(व्यवधान)* हम भी आपको बोलने नहीं देंगे।...*(व्यवधान)* आप बाहर लोगों को डरा रहे हैं और यहां हमें डरा रहे हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। ..*(व्यवधान)* आप हमें डराने की कोशिश न करें, हमारा मुंह बंद करने की कोशिश न करें।...*(व्यवधान)* आप आरग्यु करना चाहते हैं तो हम सुनने के लिए तैयार हैं। मैं सभापति जी से निवेदन करूंगा कि आपको बोलने दीजिए।...*(व्यवधान)* अगर हमें कहीं गलती दिखाई देगी तो हम आपका जवाब देंगे, नहीं तो चुप बैठ जाएंगे।...*(व्यवधान)* लेकिन डरेंगे नहीं।...*(व्यवधान)* आपसे कौन डरता है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन : महोदय, मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। कृपया मुझे भी बोलने का अवसर दीजिए। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : हम लोग डरते नहीं हैं...*(व्यवधान)* हमको डराना नहीं...*(व्यवधान)* हम डरने वाले नहीं हैं।...*(व्यवधान)*

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर) : सभापति जी, मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है। सभापति जी, अनुच्छेद 171 के अंतर्गत ...*(व्यवधान)* इस संकल्प को सहमति दी गयी, उस पर चर्चा हुई।...*(व्यवधान)* मैं कहना चाहता हूं कि समवर्ती सूची जो है ...*(व्यवधान)* आप एक मिनट सुनिए।...*(व्यवधान)* क्रमांक 17 पर लिखा है "पशुओं के प्रति क्रूरता के निवारण संबंधी कानून बनाने का अधिकार संसद को है।" यह समवर्ती सूची के क्रमांक 17 में है। इसके बाद 17(ख) में लिखा है कि "वन्य जीव–जंतुओं और पक्षियों का संरक्षण करने संबंधी कानून बनाने का अधिकार है।" यह क्रमांक 17(ख) पर लिखा है। आदरणीय शिवराज जी, आप समवर्ती सूची का क्रमांक 17 पढ़ लें, आप अध्यक्ष भी रह चुके हैं।...*(व्यवधान)* यह जो संकल्प है, यह राजसूचक है। इसलिए अध्यक्ष जी ने उसके ऊपर अनुमति दी है।...*(व्यवधान)*

श्री प्रहलाद सिंह पटेल : सभापति जी, मैंने जब संकल्प प्रस्तुत किया...*(व्यवधान)* मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब मैं इस सभा का सदस्य था...*(व्यवधान)* मेरा निवेदन है कि माननीय शिवराज जी पाटील ने अपनी बात यहां रखी है, अब आप मेरी बात भी सुन लें। मेरा कहना है कि जिस समय मैं पहली बार संसद सदस्य बना था, गुमान मल लोढा जी इस सदन के सदस्य थे। मैं भी उसमें अपना पक्ष रखने वाला व्यक्ति था। मैंने एनिमल एनर्जी से संबंधित विषय पर अपनी बात रखी थी। श्रद्धेय उमा जी यहां मौजूद हैं। ये भी उस समय एक वक्ता थीं। माननीय श्री पाटील जी हमारे लिए आदरणीय हैं, वे उपाध्यक्ष हुआ करते थे। मेरा निवेदन है, आज जिस बात पर विवाद चल रहा है, यह बात सही है कि पाटील जी ने उस पक्ष से बात कही है और मैं इस पक्ष से बात कह रहा हूं। वास्तव में यह विशुद्ध दलीय भावना है और उसके कारण हम अपनी परिभाषा को बदलने के आदी हो गए हैं। यदि आपको लगता है कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए मैंने यह प्रयास किया है, तो आप मेरा भाषण उठाकर देखिए। मैंने उस भाषण में ऐसा कुछ नहीं कहा है। जैसा आदरणीय सुषमा जी ने कहा है और अगर आपको लग रहा है कि मैं सरकार पर दबाव डाल रहा हूं, तो मैं संशोधन प्रस्तुत करता हूं और आप भाषा बदल दीजिए। लेकिन यह कहना गलत है कि यह संकल्प पारित नहीं हो सकता है और इस सदन को यह अधिकार नहीं है, जबकि गौ संवर्धन आयोग इसी सरकार ने बनाया है। हम जानते हैं कि कन्करैंट लिस्ट क्या है और हम संविधान की भावनाओं का आदर करते हैं। आप जब उपाध्यक्ष थे, तो आपकी उपस्थिति में उस समय मतदान हुआ था। मैंने उस समय एनिमल एनर्जी से संबंधित विषय पर अपना भाषण दिया

[श्री प्रहलाद सिंह पटेल]

था और मैंने साफ बात कही थी। मेरे आराधय पूज्य बाबाश्री हैं, उन्होंने कहा था कि मेरा यह संकल्प कोरा संकल्प नहीं है। उस संकल्प में विकल्प अगर मानूंगा, तो महान कार्य रुक जाएगा। एक अवसर आया है, आपसे निवेदन है कि इसको राजनीति से न जोड़ें। जहां तक सवाल है, जैसा आप कह रहे हैं कि आप इतने वरिष्ठ नेता हैं, तो आप मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री जी से पूछिए कि उन्होंने माननीय प्रधान मंत्री, श्री अटल जी को पत्र क्यों लिखा। हम दलीय भावना के कारण नीचे स्तर पर आ गए हैं। हम सदन में तो बहुत बड़ी–बड़ी बातें कहते हैं, लेकिन क्या हमने उसका पालन किया है। क्या अटल जी को गोमांस खाने वाला नहीं कहा गया...*(व्यवधान)* मैंने ऐसी बात नहीं कही है, जिससे किसी को ठेस पहुंचे। मुझे लगता है कि अब और बहस में नहीं पड़ना चाहिए।

सभापति महोदय : नियम के बारे में बताइए, भाषण मत करिए।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल : मैं कहना चाहता हूं कि मेरे संकल्प में अगर कोई ऐसा पक्ष है, जिसके कारण हमारे किसी मित्र को आपत्ति होती है, तो मैं आदरणीय सुषमा जी के प्रस्ताव को स्वीकार करता हूं और उसमें संशोधन करने के लिए तैयार हूं। लेकिन यह कहना कि यह संकल्प पास नहीं हो सकता है, ऐसा नियम में नहीं है।...*(व्यवधान)* महोदय, मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस प्रस्ताव में अगर कोई संशोधन है, तो मैं उसको मानने के लिए तैयार हूं। अन्यथा इस प्रक्रिया को आगे न बढ़ाते हुए, इस संकल्प पर मतदान कराइए। यही मेरी आपसे प्रार्थना है।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन : महोदय, यह संकल्प विधेयक के समान है क्योंकि सदन राज्य की शक्तियों के अतिक्रमण के बारे में पूछ रहा है।...*(व्यवधान)* हम केन्द्र सरकार से राज्य की शक्तियों के क्षेत्र के अतिक्रमण के बारे में पूछ रहे हैं ...*(व्यवधान)* यह राज्य की शक्तियों के भीतर आता है। राज्य स्वयं उस प्रकार के विधेयक को पारित कर सकता है। इस सदन को ऐसा विधेयक पारित करने की कोई शक्ति नहीं है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी (देवरिया) : महोदय, अब आप अपनी रूलिंग दीजिए।...*(व्यवधान)*

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : महोदय, आरणीय पाटील जी और सुषमा जी को सुनने के बाद सदन इस नतीजे पर पहुंचेगा कि यह एक रिजोल्युशन है, अमेंडमेंट की जरूरत पड़े या नहीं पड़े, कन्करैन्ट लिस्ट है, इन सब बातों को छोड़कर बात को आगे बढ़ाते हुए, जब इस विषय में बिल पेश होगा, तब लीगल जुरिस्डिक्शन या कान्स्टीट्यूशन की बात आएगी। आज रिजोल्युशन के पास होने के वक्त कोई जुरिस्डिक्शन, कोई संविधान का प्रोवीजन आड़े नहीं आता है।

[अनुवाद]

क्षेत्राधिकार के प्रश्न को विधेयक के पुरःस्थापन के समय उठाया जाता है विशेष रूप से संवैधानिक क्षेत्राधिकार का मामले पर उस समय विचार किया गया है कि संकल्प पारित करने के समय।...*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : यह राज्य के अधिकारों का अतिक्रमण है।...*(व्यवधान)*

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर) : यह सदन इसकी पुष्टि नहीं करता है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री कीर्ति झा आजाद : महोदय, आपने दोनों पक्षों को सुन लिया है। अब आप निर्णय दीजिए।...*(व्यवधान)*

कुमारी उमा भारती : महोदय, नियम संख्या 181 के मुताबिक सदन में किसी भी संकल्प पर मत विभाजन हो सकता है। नियम 183 में लिखा है कि "प्रस्ताव पारित होने के बाद संबंधित विभाग के मंत्री को चाहिए कि उस प्रस्ताव की एक कापी माननीय सदस्य को भेज दे" नियम 181 और 183 के मुताबिक प्रस्ताव लाया जाता है और पास किया जाता है। माननीय शिवराज पाटील इस सदन के माननीय सदस्य हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पर उनका बहुत आदर करती हूं। बहुत अच्छा हुआ कि उन्होंने एक बात आज यहां स्पष्ट कर दी कि इस मामले में उनकी राय यह है कि केन्द्र को कानून बनाने का अधिकार नहीं है। मैं उनसे निवेदन करूंगी कि वह अपनी इस राय से मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री को अवगत करा दें क्योंकि वह लगातार श्री अटल बिहारी वाजपेयी को चिट्ठी लिख रहे हैं। उनसे कहा जाए कि संविधान पढ़ा करें। मध्य प्रदेश की युवक कांग्रेस की अध्यक्षा ने एक सर्कुलर भेजा है जिसमें लिखा है "अटल बिहारी वाजपेयी गाय को कटवाता है और गऊ का

मांस खाता है" ऐसी राजनीति बंद होनी चाहिए। मेरा निवेदन है कि श्री प्रहलाद सिंह पटेल के प्रस्ताव पर मत विभाजन होना चाहिए।...*(व्यवधान)* रिकॉर्ड देख लिया जाए। मेरे पास इसका सबूत है। इसकी जांच करायी जाए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मैं इसका पुरजोर खंडन करता हूं। सदन के नेता प्रधान मंत्री जी का प्रत्येक व्यक्ति प्रशंसक है चाहे वह किसी भी दल से संबंध रखता हो। किसी ने भी माननीय प्रधान मंत्री के खिलाफ ऐसे आरोप कभी भी नहीं लगाए हैं। माननीय सदस्य भारतीय जनता दल द्वारा बनाए गए दस्तावेज से उद्धृत कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती : सभापति महोदय, नियम 181 और 183 के मुताबिक सदन के प्रस्ताव पर मत विभाजन होता है। इसलिए इस पर मत विभाजन कराया जाए। श्री प्रहलाद सिंह पटेल किसी कीमत पर इस प्रस्ताव को वापस नहीं लेंगे। इस प्रस्ताव पर मत विभाजन होगा। मेरा निवेदन है कि इस प्रस्ताव पर मत विभाजन होने दीजिए।...*(व्यवधान)* आपकी इस सबंध में जो राय है, उसे यहां व्यक्त करिए। आप एक चिट्ठी दिग्विजय सिंह को लिख दीजिए कि वह संविधान पढ़ा करें और गऊ माता के नाम पर राजनीति न करें। अच्छा हुआ, आपने बता दिया कि यह केन्द्र का विषय नहीं है, यह राज्य का विषय है।...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील : सभापति महोदय, मैं आखिरी बार अपनी बात कहकर बैठ जाऊंगा।...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज सिंह चौहान : सभापति महोदय, इसी सदन में इसी विषय पर 1990 में वोटिंग हुई है। इसलिए मत विभाजन कराइए।...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन : हमारे संविधान के संघीय ढांचे को मत समाप्त कीजिए।...*(व्यवधान)*

डा. रामचन्द्र डोम (बीरभूम) : महोदय, यह राज्य सरकार की शक्तियों पर प्रहार करता है, यह हमारे संविधान का उल्लंघन करता है।...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश परांजपे (ठाणे) : महोदय, मेरा भी व्यवस्था का प्रश्न है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : सभापति महोदय, यदि यह प्रस्ताव इल्लिगल होता, योग्य नहीं होता तो इसे स्वीकार नहीं किया जाता। स्पीकर साहब ने इसे एक्सेप्ट कर लिया और इस पर डिसकशन हो गया। डिसकशन के बाद यह कहना कि अभी राय प्रकट कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए?...*(व्यवधान)* जब बिल बनेगा, उस समय संविधान में संशोधन भी हो सकता है, स्टेट सबजैक्ट कनक्रैंट भी बन सकता है। दस बातें और हो सकती हैं। यदि विरोध करना है तो सीधा विरोध करें और लीगल सवाल न उठाएं। हम मांग करते हैं कि इस पर डिविजन कराइए।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल : सभापति महोदय, इसी सदन में पहले भी इसी विषय पर वोटिंग हो चुकी है। इसलिए हम डिमांड करते हैं कि वोटिंग कराई जाए।...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील : सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि हमने विरोध करना होता तो ऐसा नहीं हो रहा होता...*(व्यवधान)* जब मैं महाराष्ट्र में लॉ मिनिस्टर था, उस समय इस प्रकार का बिल पास किया गया था...*(व्यवधान)* यह मेरे समय में हुआ था। जहां तक श्री वाजपेयी का सवाल है, हम उनका आदर करते हैं। अगर उनके बारे में किसी ने कुछ कहा है तो उसे नहीं कहना चाहिए...*(व्यवधान)* उसी प्रकार मैं उधर के लोगों से भी कहूंगा कि अगर वे अपने मुंह से ऐसा शब्दों का उच्चारण न करते, इधर से ऐसा कोई नहीं बोलता।...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : सभापति महोदय, यदि बी.जे. पी. ने गौ रक्षण किया होता तो कोई...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है...*(व्यवधान)*

श्री लाल मुनी चौबे (बक्सर) : सभापति जी, मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप लोगों के खड़े होने का कोई लाभ नहीं। जब माननीय सदस्य नियम के अंतर्गत सवाल उठा

रहे हैं तो उसे देख लेने में क्या हर्ज है? आप लोग कृपया बैठिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप लोग आसन ग्रहण कीजिए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : सभापति महोदय, संविधान के ऑर्टिकल 48 में कहा गया है जिसका जिक्र श्री शिवराज पाटील जी ने भी किया है। इसके पीछे माननीय मंत्री जी बहुत कुछ जवाब दे चुके हैं। इन्हीं माननीय मंत्री ने पिछले सप्ताह इस मुद्दे के एक प्रश्न का जवाब दिया था...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : पटेल जी आप बैठिए। आपका रिजोल्यूशन है।

श्री लाल मुनी चौबे : सभापति जी, अभी पाटील जी ने बताया कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर कब–कब उठाया जाता है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर का मौका देकर नहीं बोलते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर के लिए मेरी समझ में कौन सा ऐसा तरीका है जिसे पाटील साहब ने रखा कि कब–कब पॉइंट ऑफ ऑर्डर रखा जाता है...*(व्यवधान)* हम सुनने के लिए तैयार नहीं हैं।

सभापति महोदय : आप कृपया आसन ग्रहण कीजिए।

श्री लाल मुनी चौबे : सभापति महोदय, ऐसा नहीं होगा। ऐसे हाउस नहीं चलेगा कि किसी के पॉइंट ऑफ ऑर्डर को सुना और किसी के पॉइंट ऑफ ऑर्डर को नहीं सुना...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : सभापति महोदय, संविधान के आर्टिकल 48 के अनुसार पूरे हिन्दुस्तान में नार्थ ईस्टर्न स्टेट्स को छोड़कर...*(व्यवधान)*

श्री लाल मुनी चौबे : सभापति महोदय, मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठा रहा हूं और ये बार–बार कहते जा रहे हैं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : संविधान के अनुच्छेद 48 के अनुसार, पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर और पश्चिम बंगाल में आंशिक पाबंदी के अलावा पूरे भारत में राज्य विधान मंडल द्वारा गोहत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है...*(व्यवधान)* शुरू से लेकर आज तक केन्द्र सरकार ने राज्य के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं किया है। आज, पूर्वोत्तर राज्यों के ईसाइयों को अपमानित करने के लिए, आप बेहतर जानते हैं सरकार इसे क्यों लाई है।

मैं गृह मंत्री से पूछना चाहता हूं कि देश की एकता के लिए कौन उत्तरदायी है। कई राज्य विधानमंडलों ने, पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर, इसी प्रकार के अधिनियम पारित किए हैं। ...*(व्यवधान)* वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? यह राज्य सूची के अनुसार राज्य के अधिकारों के विरुद्ध है।...*(व्यवधान)* मैं मंत्री जी से उत्तर चाहता हूं यह पूरी तरह से गलत है। यह राज्य विधान मंडलों की सम्प्रभु शक्ति के विरुद्ध है। यह देश की जनता की इच्छा के भी विरुद्ध है।...*(व्यवधान)* महोदय, उन सभी राज्य जहां ईसाई नामक विशेष धार्मिक समुदाय है, ने इसे लागू नहीं किया है।...*(व्यवधान)* उन्हें नागालैंड के मुख्य मंत्री श्री रियो से परामर्श करना चाहिए कि क्या वे इस कार्रवाई के लिए गृह मंत्री को अपनी सहमति देंगे।...*(व्यवधान)* उन्हें स्पष्ट रूप से कहने दीजिए। वे मुख्य मुद्दे पर ध्यान नहीं दे रहे हैं।

[हिन्दी]

आज तक सेंट्रल लॉ मिनिस्ट्री से इस संबंध में स्टेट लेजिस्लेचर्स को कोई निर्देश नहीं गया।

[अनुवाद]

सभी राज्यों ने, पूर्वोत्तर राज्यों और पश्चिम बंगाल को छोड़कर इस तरह का अधिनियम पारित कर दिया है। वे आज ऐसा क्यों कर रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री लाल मुनी चौबे : सभापति जी, मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर सुन लिया जाए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप बैठ जाइए। दासमुंशी जी, अपनी बात खत्म कीजिए।

(व्यवधान)

श्री लाल मुनी चौबे : सभापति जी, मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर सुन लीजिए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मैं सब पॉइंट ऑफ ऑर्डर समझ गया।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने नागालैंड के मुख्य मंत्री, श्री रियो

से परामर्श किया है।...*(व्यवधान)* मैं जानना चाहता हूं कि क्या राज्य सूची के अनुसार राज्य विधान मंडलों को दिए गए अधिकार संसद द्वारा वापस ले लिए जाएंगे। मेरा मुद्दा यह है।...*(व्यवधान)* महोदय, परोक्ष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों के राज्य विधान मंडलों की शक्तियों को हड़पने का प्रयास कर रहे हैं। आपको यह चाल समझनी चाहिए...*(व्यवधान)* महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि डीएमके और टीडीपी के सदस्य क्यों उपस्थित नहीं हैं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर) : महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : नहीं नहीं, आपकी बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

*(व्यवधान)**

श्रीमती सुषमा स्वराज : सभापति जी, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल : यह राज्यों के अधिकारों को स्पष्ट रूप से हड़पने के समान है। इस संकल्प को ऐसे समय में लाया गया है जो भारतीय समाज को और अधिक सांप्रदायिक करेगा तथा इसका उद्देश्य चुनावी फायदे के लिए स्थिति का लाभ उठाना है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने एनडीए साझीदारों के विचारों को जान लिया है अथवा नहीं। ...*(व्यवधान)* यह भाजपा का एजेंडा है।...*(व्यवधान)* हम केन्द्र सरकार को राज्य विधान मंडलों के अधिकारों को नहीं हड़पने देंगे। यह साम्प्रदायिक आधार पर भारतीय समाज को विभाजित करने का आरएसएस का एजेंडा है। वे गो–हत्या के मुद्दे का चुनावी उद्देश्यों के लिए प्रयोग करना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार इत्यादि में पहले से ही इस प्रकार के अधिनियम हैं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : सभापति जी, इस प्रस्ताव के संबंध में कुछ तकनीकी मुद्दे उठाए जा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि आप इस समय पीठ पर आसीन हैं।...*(व्यवधान)* एक मिनट बैठिए रूपचन्द जी।...*(व्यवधान)* सभापति जी, मैं बहुत विनम्रता से निवेदन करना चाहती हूं कि...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : शांति रखिए। आप आसन ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : सभापति जी, इस प्रस्ताव के संबंध में कुछ तकनीकी मुद्दे उठाए जा रहे हैं। इस समय आप पीठासीन हैं। श्री शिवराज वि. पाटील अध्यक्ष के रूप में पीठासीन रह चुके हैं। कार्य–सूची में जब कोई विषय लगाया जाता है, तो वह सभी कसौटियों पर जांचा जाता है और खरा उतरने पर ही वह विषय कार्य–सूची में आता है। जिस दिन यह विषय कार्य–सूची में लगा था, उस दिन अध्यक्ष महोदय ने सभी कसौटियों पर इसकी जांच की थी और जांच के उपरांत सही पाए जाने पर ही यह उस दिन बहस के लिए आया। इस पर चर्चा समाप्त हो चुकी है। जो विषय कार्य–सूची में लग गया, चर्चा समाप्त हो गई और अब उस पर केवल मत–विभाजन शेष है, इस समय उस पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। इसलिए नियमानुसर मेरा आपसे आग्रह है कि इस पर मत–विभाजन का आदेश देने की कृपा करें।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, सरकार गैर–सरकारी सदस्यों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। सरकार इस संबंध में निदेश दे सकती है।...*(व्यवधान)* यह गैर–सरकारी सदस्यों का संकल्प है।...*(व्यवधान)* सरकार एक ऐसे मुद्दे पर निदेश नहीं दे सकती जो गैर–सरकारी सदस्यों के कार्य से संबंधित हैं। ...*(व्यवधान)* यह गैर–सरकारी सदस्यों का विवेकाधिकार है।... *(व्यवधान)* संसदीय कार्य मंत्री कैसे पीठ को मत विभाजन के लिए निदेश दे सकता है। वे ऐसा नहीं कर सकतीं...*(व्यवधान)* उन्हें गैर–सरकारी सदस्यों से संबंधित विषय में निदेश देने का कोई अधिकार नहीं है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप शोर मत कीजिए। रूलिंग सुन लीजिए। कृपया शांति बनाए रखें।

*कार्यवाही–वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्री एन. एन. कृष्णदास (पालघाट) : माननीय संसदीय कार्य मंत्री कैसे निदेश दे सकती हैं जबकि वे इस सभा की सदस्य भी नहीं हैं।...*(व्यवधान)* वे इस संकल्प पर विभाजन के लिए नहीं कह सकतीं...*(व्यवधान)* यह सरकारी कार्य नहीं है। ...*(व्यवधान)* जब यह सरकारी कार्य नहीं है तो संसदीय कार्य मंत्री कैसे मत–विभाजन के लिए कह सकती हैं?...*(व्यवधान)* वे इस सभा की सदस्य भी नहीं हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : इस पर बहस हो चुकी है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैंने अध्यक्षपीठ से इस पर निर्णय देने के लिए कहा है न कि मत–विभाजन के लिए...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : अब रूलिंग का समय है। आप रूलिंग सुन लें।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, राज्य सभा की कोई सदस्या लोक सभा के गैर–सरकारी सदस्यों के कार्य पर कैसे अपनी राय दे सकती हैं।...*(व्यवधान)* यह सरकारी कार्य नहीं है।...*(व्यवधान)* यह गैर–सरकारी कार्य है।...*(व्यवधान)* महोदय, श्रीमती सुषमा स्वराज दूसरी सभा की सदस्य हैं।...*(व्यवधान)* महोदय, मैं इस पर आपका निर्णय चाहता हूं। क्या राज्य सभा का सदस्य लोक सभा के गैर–सरकारी सदस्यों के गैर–सरकारी कार्यों की कार्यवाही में भाग ले सकता है?...*(व्यवधान)* यह सरकारी कार्य नहीं है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : अब रूलिंग का समय है। आप रूलिंग सुन लीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : राज्य सभा का सदस्य लोक सभा के गैर–सरकारी कार्य में कैसे हस्तक्षेप कर सकता है? ...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैंने अध्यक्षपीठ से निर्णय के लिए कहा है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : सभापति जी, बहस तो हो चुकी है, लेकिन मैं एक दूसरी बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। एक बात तो जो श्री शिवराज वि. पाटील जी ने कही, वह सही है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मंत्री जी बहस का जवाब नहीं दे सकते हैं।...*(व्यवधान)* लेकिन मंत्री प्राइवेट मैम्बर्स बिजनेस में भाग नहीं ले सकते।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : इस पर बहस हो चुकी है, डिवीजन को नहीं रोका जा सकता।

अपराह्न 5.45 बजे

(इस समय श्री ई. अहमद तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

सभापति महोदय : आप लोग अपनी सीट पर वापस जाइए। हमने उनकी बात सुनी और आपकी बात भी सुनी। हमने इस पक्ष को भी सुना और उस पक्ष को भी सुना, सारा कानून देखा। अब बहस तो हो चुकी है। आप लोग अपनी सीट पर वापस जाइए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : हमने यहां सब बातें सुनी हैं। कृपा कर अपनी सीट पर जाइए, अपना आसन ग्रहण कीजिए। हमने दोनों पक्षों की सारी बातें सुनी हैं और तब रूलिंग दी है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप लोग अपनी सीट पर जाइए, सदन की कार्यवाही में बाधा मत डालिए। कृपा कर अपने आसन पर जाइए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप अपनी–अपनी सीट पर जाइए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया कर आप अपना–अपना आसन ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप सब अपनी–अपनी सीट पर वापिस जाइए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : यह उचित नहीं है। आप अपनी–अपनी सीट पर जाइए।

(व्यवधान)

सायं 6.00 बजे

सभापति महोदय : कृपया करके आप सब माननीय सदस्य अपनी सीट पर वापस जाएं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : हमने कानून पढ़ा है और आप लोगों को भी सुना है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : रूलिंग हो गई थी। आप लोग अपनी सीट पर जाइए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब सदन घोर अव्यवस्था की स्थिति में है। सदस्य वापस नहीं जा रहे हैं। घोर अव्यवस्था की स्थिति में सभा की कार्यवाही कल पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

सायं 6.03 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 12 मार्च, 2003/ 20 फाल्गुन, 1924 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

© 2003 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (दसवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली–110006 द्वारा मुद्रित।